खण्ड–504, अंक–2
मंगलवार, 29 फाल्गुन शक संवत् 1939
(20 मार्च, 2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2018)

(खण्ड 504 में 05 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2018

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-7
जनपद इलाहाबाद में 6-7 लोगों की नृशंस हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग	9-11
विपक्ष पर लगाये गये आरोप पर चर्चा की मांग	11-16
प्रश्नोत्तर	16-120
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें (जारी)	120
मा0 सदस्य के घर की पुलिस द्वारा घेराबन्दी को हटवाने का अनुरोध के अन्तर्गत नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	120-122
हाईकोर्ट के आदेशानुसार राजधानी लखनऊ में ध्वनि विस्तार यंत्रों के खिलाफ कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	122
जनपद बलिया के अन्तर्गत एक नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद झांसी में स्थित होटल प्रिन्स के मानक के अनुरूप न बने होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद सहारनपुर के तहसील नकुड़ अन्तर्गत ग्राम टाबस के दो तालाबों पर अनधिकृत कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद श्रावस्ती के नगर पालिका भिनगा में सीवर लाइन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद गाजीपुर के तहसील सैदपुर के ग्राम प्रहलादपुर के प्रधान श्री सुभास यादव की मृत्यु की जांच कराये जाने व पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	124-125
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड महेवा में मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में ग्राम जलालपुर सुल्तान के ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि एवं विद्युत लाइन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125-126
जनपद अमरोहा के ब्लाक धनौरा अन्तर्गत विशावली स्थित शिव मन्दिर (धूने वाला बाबा) पर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद रायबरेली के पुरवा ब्रान्च व उसकी सभी माइनरों में हेड से टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	...			126
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के माल क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...			126-127
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...			127
जनपद कुशीनगर के दुदही ब्लाक एवं तमकुहीराज में फायर ब्रिगेड की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	...			127-128
जनपद रायबरेली के बछरावां से शिवगढ़ के लिए बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...		128
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...			128-129
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र के नारायणी नदी गण्डक पर पीपा के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...			129
जनपद प्रतापगढ़ के नगर क्षेत्र में सीवरलाइन में हुये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...		129
जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड नागल में मुजफ्फरनगर गांगलहेड़ी हाई-वे पर अण्डरपास व ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	130
जनपद बस्ती में किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	130-131
जनपद आजमगढ़ के प्रसिद्ध धर्मस्थल बाबा भवरनाथ मन्दिर से सम्बन्धित पोखरे जो कि 5 बीघे आराजी का है उसके सौन्दर्यीकरण व उसके भीटे पर पौधारोपण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	131
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम परसोना फरीदपुर से भवानीपुर होते हुए दियुरिया तिराहे तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...		131-132
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1208/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (41)-2017, दिनांक 25 अगस्त, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...			132

विषय		पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1209/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (42)-2017, दिनांक 25 अगस्त, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	132
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 के शुद्धि पत्र सं0- क0नि0-2-1247/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (43)-2017, दिनांक 31 अगस्त, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	132
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1414/ग्यारह-9(157)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (48)-2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई) ...		132
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 के शुद्धि पत्र सं0- क0नि0-2-1417/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (50)-2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	133
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1425/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (53)-2017, दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	133
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1634/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (68)-2017, दिनांक 02 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	133
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1659/ग्यारह-9(42)-17 उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-1-2017- आदेश (70)-2017, दिनांक 07 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई) ...		133
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1697/ग्यारह-9(42)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (72)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	134
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1663/ग्यारह-9(15)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (73)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	134
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1666/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (74)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	134
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1710/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (79)-2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	134

विषय		पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1711/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (80)-2017, दिनांक 04 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	135
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1790/ग्यारह-9(42)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (83)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	135
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1791/ग्यारह-9(42)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (84)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	135
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1792/ग्यारह-9(42)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (85)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	135
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1206/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (39)-2017, दिनांक 25 अगस्त, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	136
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1207/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (40)-2017, दिनांक 25 अगस्त, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	136
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1359/ग्यारह-9(42)-17 उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017- आदेश (45)-2017, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	136
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1422/ग्यारह-9(42)-17 उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017- आदेश (51)-2017, दिनांक 28 सितम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	136-137
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1459/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (57)-2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	137
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1607/ग्यारह-9(42)-17 उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017- आदेश (66)-2017, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	137
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1634/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (68)-2017, दिनांक 02 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)...	...	137

विषय	पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1635/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (69)-2017, दिनांक 02 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)... ...	137
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1667/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (75)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)... ...	138
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1668/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (76)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)... ...	138
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1709/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (78)-2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)... ...	138
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1712/ग्यारह-9(42)-17 उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017- आदेश (81)-2017, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	138
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1789/ग्यारह-9(42)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (82)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई)... ...	139
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- क0नि0-2-1793/ग्यारह-9(42)-17 उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017- आदेश (86)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	139
उ0प्र0 आवास विकास परिषद् के आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय (खाता) वित्तीय वर्ष 2013-14 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	139
उ0प्र0 वन निगम का वार्षिक लेखा विवरण 2014-2015 (सदन के पटल पर रखा गया)	139
उ0प्र0 संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक-2017 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	139-140
उ0प्र0 सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	140-141
उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा प्राक्कलन समिति (2017-2018) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	141
उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा प्राक्कलन समिति (2017-2018) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	141

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	141-142
वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	142-204
इलाहाबाद की घटनाओं का प्रकरण	204-206
उ0प्र0 सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 (पुनःपारित) ...	206-213
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	213-214
बजट साहित्य को बैग/अटैची में उपलब्ध करवाने की मांग	215-216
जनपद बुलन्दशहर के आवास विकास कालोनी में लिंक मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत नियोजन मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	216
जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	217-218
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	218-219
जनपद फिरोजाबाद में बहने वाली यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन मन्दिर में आने-जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	219-220
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संकट का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	220-221
जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के थाना सुजानगंज में हुयी कतिपय हत्याओं में पुलिस द्वारा कार्रवाई न किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सुषमा पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	221-224
जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत नगर पंचायत मौरावां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को अभिलेखों में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	224-225

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा ग्राम मकदूमपुर, गोमती नगर विस्तार से पीड़ित परिवारों पर लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	225-228
प्रदेश के राजस्व विभाग भू-लेख अधिष्ठान में समूह 'घ' के अन्तर्गत मौलिक रूप से नियुक्ति चैन मैनों का समूह 'ग' के पद पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभुनारायण सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	228-229
लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित चेकडैमों के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लघु सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	229-231
जनपद लखनऊ स्थित गुडम्बा थाने के आगे कुर्सी रोड से वार्ड शंकरपुरवा में मायापुरी कालोनी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीलरतन सिंह पटेल "नीलू" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	231-232
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में कदौरा फाटक से घमना मोड़ तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र पाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य..	232-233

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2018 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदय-345

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
8. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
12. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
13. अनिल सिंह, जी — उन्नाव
14. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
15. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
16. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
17. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
21. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
22. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
23. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
24. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
26. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
27. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
28. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
29. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
30. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
32. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
33. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
34. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
35. असलम अली, श्री — हापुड़
36. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
37. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
38. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
39. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
40. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
41. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई

42. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
43. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
44. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
45. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
46. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
47. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
48. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
49. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
50. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
51. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
52. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
53. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
54. ओमकुमार, श्री बिजनौर
55. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
56. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
57. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
58. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
59. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
60. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
61. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
62. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
63. काली प्रसाद, श्री देवरिया
64. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
65. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
66. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
68. केसर सिंह, श्री बरेली
69. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
70. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
71. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
72. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
73. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
74. गौरी शंकर, श्री जालौन
75. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
76. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
77. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
78. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
79. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
80. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
81. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
82. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
83. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
84. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
85. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
86. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
87. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
88. जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
89. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
90. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
91. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
92. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
93. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
94. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
95. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
96. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
97. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
98. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
99. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
100. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती

101. दल बहादुर, श्री रायबरेली
102. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
103. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
104. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
105. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
106. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
107. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
108. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
109. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
110. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
111. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
112. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
113. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
114. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
115. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
116. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
117. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
118. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
119. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
120. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
121. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
122. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
123. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
124. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
125. नाहिद हसन, श्री शामली
126. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
127. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
128. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
129. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
130. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
131. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
132. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
133. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
134. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
135. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
136. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
137. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
138. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
139. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
140. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
141. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
142. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
143. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
144. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
145. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
146. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
147. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
148. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
149. फागू चौहान, श्री मऊ
150. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
151. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
152. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
153. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
154. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
155. बावन सिंह, श्री गोण्डा
156. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर

157. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
158. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
159. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
160. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
161. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
162. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
163. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
164. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
165. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
166. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
167. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
168. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
169. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
170. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
171. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
172. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
173. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
174. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
175. महबूब अली, श्री अमरोहा
176. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
177. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
178. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
179. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
180. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
181. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
182. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
183. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
184. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
185. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
186. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
187. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
188. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
189. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
190. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
191. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
192. योगेश धामा, श्री बागपत
193. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
194. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
195. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
196. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
197. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
198. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
199. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
200. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
201. रवि शर्मा, श्री झांसी
202. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
203. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
204. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
205. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
206. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
207. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
208. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
209. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
210. राज करन कबीर, श्री बांदा
211. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
212. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
213. राजबाला, श्रीमती रामपुर
214. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
215. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़

216. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
217. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
218. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
219. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
220. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
221. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
222. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
223. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
224. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
225. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
226. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
227. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
228. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
229. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
230. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
231. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
232. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
233. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
234. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
235. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
236. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
237. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
238. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
239. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
240. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
241. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
242. लाखन सिंह, श्री औरैया
243. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
244. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
245. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
246. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
247. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
248. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
249. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
250. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
251. विजय मिश्र, श्री भदोही
252. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
253. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
254. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
255. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
256. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
257. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
258. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
259. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
260. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
261. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
262. वीरेन्द्र, श्री एटा
263. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
264. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
265. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
266. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
267. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
268. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
269. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ
270. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा

271. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
272. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
273. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
274. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
275. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
276. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
277. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
278. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
279. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
280. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
281. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
282. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
283. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
284. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
285. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
286. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
287. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
288. संजय यादव, श्री बलिया
289. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
290. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
291. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
292. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
293. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
294. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
295. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
296. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
297. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
298. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
299. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
300. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
301. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
302. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
303. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
304. सहेन्द्र सिंह रमाला, श्री बागपत
305. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
306. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
307. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
308. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
309. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
310. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
311. सुचि, श्रीमती बिजनौर
312. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
313. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
314. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
315. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
316. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
317. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
318. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
319. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
320. सुरेश कुमार, श्री शामली
321. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
322. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
323. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
324. सुरेश राही, श्री सीतापुर
325. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
326. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
327. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
328. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
329. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
330. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर

331. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
332. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
333. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
334. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
335. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
336. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
337. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
338. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
339. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
340. हरीराम, श्री सोनभद्र
341. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
342. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
343. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
344. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
345. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :–उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), (डा0 महेन्द्र सिंह), पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज, राज्य मंत्री (श्री मोहसिना रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] जनपद इलाहाबाद में 6-7 लोगों की नृशंस हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग

(नेता विरोधी दल) श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमें एक मिनट सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप इसे प्रश्नकाल के बाद ले लीजिएगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इलाहाबाद जनपद में कल का दिन खून का दिवस रहा। एक दिन में छः-छः, सात-सात घटनाएं इलाहाबाद में हुईं। इलाहाबाद के उस इलाके में सभी लोग दहशत में आ गए हैं। इलाहाबाद में ग्राम-पसियापुर, थाना-नवाबगंज, जनपद-इलाहाबाद में दिनांक 19-03-2018 को अनिल कुमार 18 वर्ष, तथा उसके भाई सुनील कुमार 20 वर्ष, की नृशंस हत्या की गई और उनकी मां सुशीला देवी पत्नी स्व0 अशर्फी लाल घायल अवस्था में मौत से लड़ रही है। उक्त दोनों भाइयों के चेहरे, गर्दन, सीने, सिर और पेट पर 12-13 गहरे जख्म किये गए और कुल्हाड़ी से काटा गया। दूसरा, थाना- करेली में बुजुर्ग यूनुस उसकी बेटी सलमा और पांच साल के मासूम आईना मरजियां की नृशंस हत्या कर दी गयी अभी तक इनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। तीसरा, थाना-करछना में उपेन्द्र शर्मा की हत्या कर लाश नदी में फेंक दी गयी। उसी दिन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में फायरिंग की गयी, बवाल किया गया और उन्हीं छात्रों द्वारा बैली अस्पताल में ताण्डव मचाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक दिन तो सरकार अपने एक साल का कार्यकाल पूरा होने की खुशी मना रही है और उसी दिन इस प्रदेश के जनपद इलाहाबाद में खून की होली खेली जा रही है। ऐसी निदंनीय घटना इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुई है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सदन की सभी कार्रवाई रोक करके, पहले इस जघन्य अपराध पर, जो अशोभनीय है और निदंनीय है और घटना घटित है, जिसके कारण लोगों के मन में सरकार के प्रति भारी क्षोभ व्याप्त हो गया है, आक्रोश बढ़ गया है। यह सूचना पोषणीय है, निश्चित है अतः यह आवश्यक हो गया कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नेता विरोधी दल के द्वारा निजी रंजिश की घटनाओं को यहाँ पर कोट किया गया है, उन्होंने व्यक्तिगत जानकारी दी है और आपके भी संज्ञान में यह मामला है। नेता विरोधी दल ने अभी बैठक में भी इस बात को कोट भी किया था और मैंने कहा भी था कि अभी 2 बजे तक इसे मंगवा भी लेंगे, इसकी सूचना अभी हमारे पास नहीं है और जो घटनाएं आपने बताई हैं वे सभी निजी रंजिश के आधार पर हुई हैं। अभी हमारे पास जब सूचना आ

जाएगी तब अपनी बात कह लेंगे। यह बात पहले हो चुकी थी और मान्यवर, आपके संज्ञान में भी यह बात है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, दो बजे तक इसे आप मंगवा लीजिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कहीं कोई असहज स्थिति नहीं है, पूरी तरीके से नियंत्रण में है। इस सरकार का इकबाल अपनी जगह पर बना हुआ है। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई असहज है तो केवल माननीय नेता विरोधी दल ही असहज हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप इसे दो बजे के पहले मंगवा लीजिएगा और फिर बता दीजिएगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, यह मैं मान सकता हूँ कि वहाँ पर पुलिस फोर्स लगा करके शान्ति-व्यवस्था कायम करने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन इससे जघन्य अपराध कोई हो ही नहीं सकता। श्रीमन्, उसके बाद भी संसदीय कार्य मंत्री जी लपेट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह सूचना मंगा लें, तब उसके बाद बात हो जायेगी। अब आप चर्चा नहीं करिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन्, कत्ल जो होता है, वह व्यक्तिगत रंजिश से हो सकता है, लेकिन डकैती होती है, छिनैती होती है, राहजनी होती है, प्रदेश की कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गयी, लेकिन अभी भी यह अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सदन की सारी कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए, जब उत्तर आ जायेगा, उसके बाद बात होगी।

अब श्री ब्रजेश पाठक जी।

(विधायी एवं न्याय अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राजनैतिक पेंशन मंत्री) श्री ब्रजेश पाठक-

अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत ही गंभीर सूचना सदन को दी है, सदन इस बात से चिंतित है। कल हमारे विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ मध्य में जब हम लोग सरकार का एक वर्ष पूरा होने का कार्यक्रम मना रहे हैं, उसी बीच हमारे क्षेत्र के लामार्टीनियर के 11वीं कक्षा के एक छात्र को लामार्टीनियर स्कूल से उसके ड्राइवर श्री संतोष यादव अपहरण करके सीतापुर ले गए और लखनऊ पुलिस की तरफ से पूरी सक्रियता के कारण उसे बरामद किया गया। जब ड्राइवर को इन्ट्रोगेट किया गया, संतोष यादव और उसके पिता जी को, करीब

300 पुलिस कर्मियों ने पूरे गांव को घेर लिया तो पता चला, विपक्षी दलों ने षड्यन्त्र रचा था, सरकार को बदनाम करने के लिए, मेरा आपसे यह कहना है, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह साफ कहना है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, यह चर्चा नहीं हो रही है, आप बैठिए। आप कृपया बैठिए। यह ठीक नहीं है। आप बैठें, यह ठीक है। किसी विपक्षी दल द्वारा ऐसा किया जायेगा, ऐसा कहना उचित नहीं है।

(समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा कांग्रेस के कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे)

विपक्ष पर लगाये गये आरोप पर चर्चा की मांग

श्री लालजी वर्मा-

अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर विषय है। माननीय मंत्री जी ने विपक्ष पर जो आरोप लगाया है, यह गंभीर विषय है। इसलिए मैं भी यह चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर पहले इसी पर चर्चा हो जाए। जो अपराध बढ़ रहे हैं, प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसी पर चर्चा हो जाए। इसलिए कि माननीय मंत्री जी ने अब स्वयं आरोप लगा दिया है, इसलिए यह और गंभीर हो जाता है, इसलिए मान्यवर, इस पर चर्चा कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था इस हालात और स्थिति में है, जिस तरह इलाहाबाद में एक परिवार के 06 लोगों की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप दोहरा रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, जब माननीय मंत्री जी ने भी यह शंका व्यक्त की है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था नहीं बची है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, उनको कोई शंका नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

इसलिए मान्यवर, मैं मांग करता हूँ, इन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप विपक्ष पर लगाया है, अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर विषय है, हम लोग आप का संरक्षण चाहते हैं, इस गंभीर

विषय का संज्ञान लेते हुए सारी कार्यवाही रोक कर इस पर पहले चर्चा करा ली जाए, यह मेरी आपसे माँग है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कहते हैं कि प्रश्न होने चाहिए, इसलिए अब प्रश्न ले लें, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास इसका उत्तर आ जायेगा, तब इस पर एक बार माननीय नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री बात कर लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने तो आपको नोटिस दिया था, आपसे वार्ता भी हुई थी, माननीय मंत्री जी किस नोटिस के ऊपर बोलने लगे? इतना तो कम से कम संसदीय परिपाटी, संसदीय गरिमा का ख्याल होना चाहिए। लेकिन यह बिना नोटिस के अपनी बात कहने लगे। अब यह सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, वह जानें, ब्राह्मण आदमी हैं, उनकी बात को मैं कैसे गलत कह दूँ (हंसी) लेकिन यह संसदीय परम्पराओं का मखौल उड़ाना है। मैंने आपको लिखित में दिया है और यह प्रदेश की आज की तारीख में सबसे भयंकर, नृशंस हत्या-काण्ड है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, वह हमारी अनुमति से बोले हैं।

प्रदेश की ग्राम सभाओं के तालाबों से अवैध कब्जों को हटाने एवं जनपद भदोही की ग्राम बेरबा पहाड़पुर में आराजी संख्या-521, 522, 524 पर हुये अवैध निर्माण पर की गयी कार्रवाई

श्री विजय मिश्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम सभा की तालाबों की जमीन पर मवैयत बदलकर अवैध निर्माण किए जाने की जानकारी सरकार को हैं ? यदि हाँ, तो सरकार ने उसे रोकने की कोई योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत जनपद भदोही की ग्राम सभा बेरबा पहाड़पुर में आराजी संख्या-521, 522, 524 जो तालाब की भूमि है, पर मवैयत बदलकर बनाए गए प्राईवेट स्कूल के अवैध निर्माण को हटाकर दोषियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व तथा वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

तालाबों की जमीन की मवैयत बदलने का प्राविधान नियमों में नहीं है। यदि कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसमें राजस्व संहिता की धारा-32/38 के तहत अभिलेखों को शुद्ध किया जाता है।

ग्राम बेरवा पहाड़पुर, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही स्थित गाटा संख्या-521, 522 पर अंकित जगवन्ती देवी हीरानन्द महाविद्यालय हीरानन्द सेवा निकेतन समिति, बेरवापहाडपुर का नाम न्यायालय उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर द्वारा उ0प्र0भू0रा0 अधि0 की धारा-33/39 के तहत दिनांक 20-12-2012 को निरस्त करते हुए पूर्ववत तालाब खाते में दर्ज कर दिया गया, जो खतौनी में अंकित है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रतिवादीगण द्वारा आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर के न्यायालय में निगरानी दाखिल करने पर निगरानी न्यायालय द्वारा उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर के उक्त आदेश को निरस्त करते हुए उभयपक्षों को साक्ष्य-सबूत का समुचित अवसर देते हुए गुण-दोष के आधार पर वाद को निस्तारित करने के आदेश पारित किया गया है। आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर के आदेश के अनुपालन में न्यायालय उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर के स्तर पर वाद दायर है। अन्तिम निर्णय के उपरान्त विधि संगत कार्रवाई अमल में लायी जायेगी। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में कार्रवाई प्रचलित है।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, अध्यक्ष जी, मंत्री जी का उत्तर आया है कि तालाब पर कि ग्राम बेरवा पहाड़पुर गाटा संख्या-521, 22, 24 नवैयत बदलने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है, जो आपने अभी उत्तर दिया। धारा-33/39 के अन्दर आप कार्यवाही करेंगी। भदोही जनपद में तालाब पर एक घर बना था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने 2003 में यह आदेश दिया है कि कोई भी तालाब पर भूमि, कोठी गिरा दी जायेगी। उस तालाब की गाटा संख्या-521, 22, 24 जो तालाब की भूमि है वह अपने नाम करा ली गयी। आपका जो उत्तर आया है कि तहसीलदार के यहाँ कार्यवाही है। जाने-अनजाने में 2012 में उसमें पुनः तालाब दर्ज हो गया। आपका यह भी उत्तर आना चाहिए कि आयुक्त ने किस समय कहा कि इसको पुनरीक्षण कर लिया जाये। उन्होंने आदेश 2015 में किया था फिर 90 दिन के अन्दर जब दबाव लगा होगा तब इसको निस्तारण कर दिया जाये। 90 दिन अगर आयुक्त का आदेश वाद सक्षम न्यायालय उप जिलाधिकारी के यहाँ नहीं गया, तो स्वतः वह निरस्त हो गया कि जीवित रहेगा। प्रश्न यही है कि उस भूमि की जो नवैयत बदली गयी नाम कराया गया, डिग्री कालेज, इण्टर कालेज की मान्यता ली गयी, जो इण्टर कालेज के डी0आई0ओ0एस0 के यहाँ जो डिग्री कालेज की मान्यता उस पर 420 फ्राड का, उस कालेज की भूमि पहले एफ0आई0आर0 दर्ज हो और तत्काल गिराया जाये। मान्यवर जो आदेश आया है आपके यहाँ 12 को फिर आया है कि बन्धक बना दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी से आप जानना क्या चाहते हैं?

श्री विजय मिश्र-

उस जमीन पर एफ0आई0आर0 कब तक होगी, कब तक गिराया जायेगा और मान्यता किन परिस्थितियों में इण्टर कालेज मिली और किन परिस्थितियों में उसी तालाब की

जमीन पर नाम कैसे दर्ज होगा, कैसे डिग्री कालेज की मान्यता मिली और जो अधिकारी इसमें दोषी रहे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्नगत है उसमें जैसे ही सूचना मिली, उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर द्वारा उ0प्र0भू0राज0 अधि0 की धारा 33/39 के तहत दिनांक 20-12-2012 को निरस्त करते हुए पूर्ववत तालाब खाते में दर्ज कर दिया गया लेकिन प्रतिवादीगण उससे क्षुब्ध होकर जब पुनः आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर न्यायालय में उन्होंने निगरानी दाखिल किया उस पर वहाँ से यह आदेश हुआ कि जो उप जिलाधिकारी, ज्ञानपुर ने आदेश किया था उसको निरस्त किया और उभय पक्षों को गुणदोष के आधार पर साक्ष्य-सबूत का समुचित अवसर देते हुए उसे निस्तारित करने का आदेश पारित किया और अब यह कार्यवाही प्रचलित है।

श्री विजय मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, क्या वह बिल्कुल निरस्त है?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी का कहना है कि कार्यवाही अभी प्रचलित है, चल रही है।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, जब तालाब की भूमि है तो उसमें कौन सी गवाही काफी होगी, पता नहीं कत्ल, मर्डर हो तो सफाई देने की बात है जो नियम 100 साल से चला आ रहा है उसमें किस चीज की कौन सी गवाही होगी। उसमें कार्रवाई न करके एफ0आई0आर0 न करके आप टाल-मटोल कर रही हैं।

(श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा एवं श्री विजय मिश्र जी के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में आरक्षित जमीनों पर जिस तरह से किसान, मजदूर गरीब को 115-सी की कार्यवाही एफ0आई0आर0 दर्ज करके बेदखल किया जा रहा है, क्या उसी तरीके से राज्य सरकार, भारत सरकार या सेमी गर्वनमेण्ट के द्वारा जो आरक्षित जमीनों पर कब्जा किया गया है, उन विभागों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कहीं भी किसी भी भूमि पर अगर अवैध कब्जा है तो उसे सरकार खाली कराने का प्रयास करेगी और कर भी रही है।

श्री विजय मिश्रा-

मान्यवर, 26 जून को माननीय जिलाधिकारी के यहाँ विशेष सचिव के पद पर अभी कार्यवाही लंबित है, जो सरकारी अभिलेख दर्ज हैं उसे 420,467,468 दर्ज करना चाहिए। किन परिस्थितियों में मान्यता इण्टर कालेज डिग्री कालेज भी है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी लंबित हैं। कमीशनर का आदेश जो है माननीय मंत्री जी स्वतः 2015 में 90 दिन का स्वतः बंदोबस्त हो चुका है उसका कोई संज्ञान नहीं है क्या मान्यवर? मान्यवर उसमें कार्रवाई कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

आपके पीछे एक सदस्य खड़े हैं, आप बैठ जाइए।

श्री विजय मिश्रा-

मान्यवर, कार्यवाही तो निश्चित कर दें कि कितने दिन में हो जाएगी, या दस-बीस साल चलती रहेगी? मान्यवर, समय तो दिला दें। मैं मईया की पूजा छोड़कर इसलिए आया हूँ, वरना मैं पूजा में कहीं जाता नहीं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

(संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

श्री विजय मिश्रा-

उत्तर तो देने ही देंगे, हम तो आए हैं, चले जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया करके बैठिए।

श्री विजय मिश्रा-

सुन लिजिए? विप्र प्रसादात् धरनी धरोहर विप्र प्रसादात् कमला बरोहम, विप्र प्रसादात् अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नामः ये भगवान राम ने कहा था।

श्री अध्यक्ष-

इसका हिन्दी अनुवाद बाद में बताइयेगा।

श्री विजय मिश्रा-

ब्राहमणों के आर्शीवाद से ही आगे जितोहम बना है और ब्राहमणों के आर्शीवाद से ही मेरा नाम बनाने का काम हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत मण्डलायुक्त, मिर्जापुर ने इस केस को रिमाण्ड किया और वो उन्होंने यह अवधि निर्धारित की थी कि इस पीरीयड में इसका निस्तारण जो निचली अदालत है मान्यवर, उसको कर देना था। प्रशासन स्तर पर एस0डी0एम0 ने उसको तालाब दर्ज किया मान्यवर कमीशनर के वहाँ से आदेश हुआ कि फिर से गुण-दोष के आधार पर दोनों पक्षों को सुनकर इसका निस्तारण कर दें मान्यवर, अब इसमें एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत यह वाद लंबित है एस0डी0एम0 के कोर्ट में मान्यवर, जो राजस्व संहिता की व्यवस्था है मान्यवर, उसमें हम उनको जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है मान्यवर, उस न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसमें हम उनको निर्देश नहीं दे सकते। प्रशासनिक तौर के ऊपर मान्यवर, जनरल बात तो कही जा सकती है कि ये निर्देश के तहत विवादों का शीघ्र निस्तारण हो मान्यवर, लेकिन किसी पर्टीकुलर केस में या तो हायर अथॉरिटी जो जिसका जुडीशियल क्षेत्राधिकार हो वही अदालत सुपीरियर अदालत है मान्यवर, इस प्रकार के कोर्ट में मान्यवर निर्देश दे सकता है, ये मान्यवर, लीगल पोजिशन है और वो क्योंकि मान्यवर लंबित है, एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसीलिए न्यायिक प्रक्रिया में गुण-दोष के आधार उस पर फैसला होगा। मान्यवर ये मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ जो लीगल पोजिशन थी मान्यवर वो हमने आपके सामने आपके माध्यम से क्लीयर करने की कोशिश की है मान्यवर।

प्रदेश के नवसृजित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत पदों को स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने विषयक जानकारी

***1-श्री लालजी वर्मा-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नवसृजित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत पदों को सेवा स्थानान्तरण के द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों सरकार द्वारा उक्त पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री) श्री आशुतोष टंडन "गोपाल जी"-

जी हां। उ0प्र0 मूल नियमावली, 1942 के नियम-15 में विहित प्राविधान एवं समय-समय पर कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्साधिकारी के पद पर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनात किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश मूल नियमावली 1942 के नियम-15 का, उल्लेख किया है तो यह नियमावली किस विभाग की है? चिकित्सा शिक्षा विभाग की है या स्वास्थ्य विभाग की है। मेरा एक निवेदन यह है और मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जब यह नियमावली बनी थी उस समय स्वास्थ्य विभाग एक था और उसी के अन्तर्गत ये मेडिकल कॉलेज भी आते थे। अब जब दोनों विभाग अलग-अलग हो गए तो उसके कारण नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितने मेडिकल कॉलेजों में चिकित्साधिकारी का जो पद है, वह रिक्त हैं। अगर वह रिक्त है और उसको नहीं भरा जा सकता है तो क्या उस नियमावली में, जो संगत नियमावली है, मूल नियमावली बता रहे हैं। मेरी समझ से यह स्वास्थ्य विभाग की नियमावली होगी, चिकित्सा शिक्षा विभाग की नहीं है। दूसरा, जो हमारा पद क्रिएशन हुआ, चिकित्सा शिक्षा विभाग में समय-समय पर पद क्रिएट किए गए। उस पद क्रिएशन में कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि इसको पी0एम0एच0एस0 संवर्ग से भरा जाएगा। जब उसका उल्लेख नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि वह चिकित्सा शिक्षा विभाग का पद है। निश्चित रूप से अगर चिकित्सा शिक्षा विभाग का पद है तो क्या उसको भरने का प्रयास करेंगे?

(सदस्य श्री विजय मिश्रा द्वारा अपने स्थान से खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप अपने स्थान पर बैठिए।

श्री विजय मिश्रा-

मान्यवर, जब ये उत्तर सही नहीं देंगे, नियम नहीं बताएंगे और कहेंगे कि लम्बित है, लम्बित है तो फिर यहाँ न्याय के मन्दिर में आना और विधायक बनना ही अपराध है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री विजय मिश्रा-

नहीं, अध्यक्ष जी, उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

हम इसको बाद में सुन लेंगे।

श्री विजय मिश्रा-

मान्यवर, हम यज्ञ-पूजा छोड़ करके यहाँ इसलिए नहीं आते हैं। यज्ञ-पूजा से बड़ी यह विधान सभा नहीं है। जब आप समय नहीं देंगे, उत्तर में टालमटोल करेंगे। बजाए एफ0आई0आर0 लिखने के, आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। आपने जो बातें कही हैं, जो आपकी व्यथा है, जो आपका कष्ट है। उसका मा0 मंत्री जी के द्वारा पूरा समाधान किया जाएगा। आप मा0 मंत्री जी से मिल लें। आपका प्रश्न तो अब चला गया। आप हमारी बात सुनें।

श्री विजय मिश्रा-

मा0 मंत्री जी समय दे दें। जो यह वाद लम्बित है, उसमें आयुक्त को कोई आदेश दे दें कि तीन महीने में इसको देख लिया जाए। इसमें 2015 में आदेश हुआ था जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन से ज्यादा वैलिड नहीं रहता है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपापूर्वक हमारी बात सुन लें। हमने अगला प्रश्न ले लिया था। चूंकि आप संवेदनशील हैं, आपको कष्ट है इसलिए मैंने उसको रोक करके आपकी बात सुन ली।

(सदस्य श्री विजय मिश्रा द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करने पर)

आप सुन नहीं रहे हैं तो फिर जबरदस्ती करेंगे क्या? आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं, आप बहुत जानकार हैं क्या? आप कोई बात नहीं सुन रहे। आपका दुःख जानकर, आपका कष्ट जानकर हमने आपसे वार्ता शुरू की। मैं मा0 मंत्री जी से कह रहा हूँ। अगर आपको उनके कार्यालय में जाने में कठिनाई हो तो आप मेरे कक्ष में मंत्री जी के साथ बैठ जाना। जो भी आपका कष्ट होगा, जो भी आपकी समस्या होगी। उसको विधिक रूप से हल करने का प्रयास मंत्री जी और हम करेंगे।

(सदस्य श्री विजय मिश्रा द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करने पर)

अगर आप अब भी भाषण देना चाहते हैं तो दीजिए। मैं मना नहीं करूंगा। अब भी अगर आपका मन हो तो बोलिए। विजय जी, अब आप बैठिए। यह वर्मा जी का प्रश्न है। इस पर बात हो जाए।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मान्यवर, मा0 वर्मा जी के प्रश्न का जो पहला भाग है, इसमें कुल स्वीकृत पद 47 हैं जिसमें भरे हुए पदों की संख्या 25 है और रिक्त पद 22 हैं। नव स्थापित 07 राजकीय मेडिकल कॉलेजों अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बांदा, बदायूं, जालौन, कन्नौज एवं सहारनपुर में चिकित्सा अधिकारियों के पद चिकित्सा शिक्षा संवर्ग में सृजित हैं.....

...किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली में आवश्यक व्यवस्था न होने के कारण उक्त पदों का अधियाचन नहीं प्रेषित किया जा सकता है। मरीजों के हित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

विभाग की सहमति प्राप्त कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनात किया जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमने जो प्रश्न किया उसके उत्तर में इसको स्वीकार किया कि यह चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए पद स्वीकृत हैं यदि चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए पद स्वीकृत हैं और सेवा नियमावली में उसका उल्लेख नहीं है तो उसमें संशोधन की जरूरत है तो क्या माननीय मंत्री जी उक्त चिकित्साधिकारियों के पदों को जो नये मेडिकल कालेजों में नये मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत है उसको भरने के लिए सेवा नियमावली में प्राविधान करके उसको भरने की प्रक्रिया पूरी करेंगे? दूसरा प्रश्न मैंने यह किया था मान्यवर कि जो उत्तर प्रदेश मूल नियमावली 1942 है जिसके नियम-15 का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया। यह नियमावली स्वास्थ्य विभाग की है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग की है? यदि स्वास्थ्य विभाग की नियमावली है तो अब जब दोनों अलग-अलग विभाग हो गये हैं तो वह चिकित्सा शिक्षा विभाग पर लागू नहीं होता है और यदि लागू होता है तो अब नयी परिस्थितियों में दो विभाग अधियाचन करते हैं आप बार-बार मांग करते हैं और स्वास्थ्य विभाग उसमें पोस्टिंग नहीं कर रहा है तो क्या इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सेवा नियमावली में परिवर्तन करते हुए चिकित्साधिकारियों के पदों को भरने का प्रयास किया जायेगा मैं यह जानना चाहता हूँ।

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

अभी तक जो प्रदेश सरकार के विभिन्न शासनादेश हैं उनके आधार पर इसमें सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनात किया जाता है लेकिन सेवा नियमावली में आवश्यक व्यवस्था नहीं है और यह आवश्यक व्यवस्था करने पर सरकार विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है वर्मा जी, अब तो स्पष्ट हो गया है। अब तो आश्वासन भी मिल गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब तक वह नहीं हो जाता तो कहना चाहूंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहाँ हैं। मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए क्या इस पी0एम0एच0एस0 संवर्ग से जो रिक्त पद हैं नये मेडिकल कालेजों में या पुराने में उसको तत्काल भरने की कार्यवाही करेंगे? मान्यवर, जब सामूहिक उत्तरदायित्व है मंत्रिमण्डल का और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, बार-बार यह बात आती है चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी यह कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री से मांगते हैं वह भर ही नहीं रहे हैं तो क्या मरीजों के हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी आपस में तय कर लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

माननीय वर्मा जी ने जो कहा ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं दे रहे हैं और हम मांग रहे हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह वास्तविकता है कि पी0एम0एस0 वर्ग में डॉक्टरों की कमी है और यह आदरणीय वर्मा जी भी जानते हैं और वहीं से चिकित्सा शिक्षा हो या चिकित्सा विभाग अपने विभाग के अंदर भी मुझे जो देना पड़ता है वहीं से आते हैं उसके कारण कभी-कभी जो पद रिक्त हैं वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच पाते हैं मगर सरकार का प्रयास है और सरकार ने पिछले साढ़े सात हजार जो डॉक्टर्स की कमी थी, वहाँ पर वर्ष 2011 से जो डॉक्टर्स कभी लोक सेवा आयोग से नहीं आये थे 2065 डॉक्टर्स का चयन करके एक साल के अंदर ले कर आई है। यह भी हम लोगों की सरकार ने किया है और जहाँ पर डॉक्टर्स की कमी थी जो पी0एच0सीज् में नहीं जाते थे आयुष के डॉक्टर 2600 डॉक्टर्स वहाँ पर हम लोगों ने भेजे हैं जिससे कि पी0एच0सीज् और सी0एच0सीज् पर जो डॉक्टर हैं जो पी0एम0एस0 के हैं उन लोगों को फ्री करते हुए और जगह जहाँ उपयुक्त हो सकता है वहाँ पर हम भेज रहे हैं। यह कार्यवाही चल रही है मगर डॉक्टर की कमी है उसको पूरा करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे-जैसे डॉक्टर्स आएंगे उसको हम लोग आगे देते जाएंगे और रिक्त पदों पर भरेंगे।

(माननीय सदस्य श्री नितिन अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर तथा उनके सदन में उपस्थित न होने पर)

प्रदेश में संचालित महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा प्रदान कराये जाने की मांग

***2-श्री नितिन अग्रवाल-**

अनुपस्थित

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो इस योजना को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी (डा0 दिनेश शर्मा)-

जी हाँ,

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है।

इस योजना को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध रूप से पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-3 निरस्त है।

***3-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने एवं वेतन बढ़ोत्तरी आदि की मांगों को पूरा किये जाने विषयक

***4-सुश्री अदिति सिंह तथा श्री संजय कुमार-**

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं द्वारा राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने, वेतन बढ़ोत्तरी किये जाने, विनियमितीकरण किये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

समेकित बाल विकास परियोजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सेवाएं मानदेय पर आधारित हैं। इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 मई, 2017 द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि एवं सेवा शर्तों में सुधार करने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है।

प्रदेश के राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक नियुक्त दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों का विनियमितीकरण किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 2016 से आच्छादित न होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं के नियमानुसार विनियमितीकरण पर विचार नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सुश्री अदिति सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी और उनको अवगत भी कराना चाहूंगी कि जिसकी भी सरकार हो, हर साल कम से कम एक बड़ा धरना आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और आंगनबाड़ी हेल्पर्स की तरफ से जरूर होता है। जब मुझे पता चला और मैंने आंकड़े निकाले, यह आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ वूमेन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेण्ट

के 22 दिसम्बर, 2017 लोकसभा से हैं कि कुल मिलाकर हमारे प्रदेश में मात्र 1,73,445 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां हैं और तकरीबन डेढ़ लाख सहायक हैं। जब यह संख्या इतनी कम है, जब इतने कम हेल्पर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं तो इनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। अभी एक नया शासनादेश भी निकला है जो स्टैण्डिंग कमेटी फॉर ह्यूमेन रिसोर्स डेवलपमेण्ट 2018 है उनके निर्णय अनुसार प्रत्येक प्रदेश से कहा गया है कि आप अपना मानदेय बढ़ाएं। जो केन्द्र से मानदेय होता है वह तो होता ही है पर उसके ऊपर से प्रदेशों को यह अनुमति है कि वह मानदेय बढ़ा दें। दिल्ली में और दूसरे प्रदेशों में मानदेय यू0पी0 से बहुत ज्यादा है। यू0पी0 में अभी भी मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 हजार है और हेल्पर्स का 500 है। दिल्ली में 6,678 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का और हेल्पर्स का 3339 है। ऐसे बहुत-से प्रदेश हैं चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे केरल हो, चाहे वह उत्तराखण्ड हो जहाँ मानदेय बहुत ज्यादा है। प्रत्येक वर्ष पूरा शहर ब्लॉक हो जाता है, हमारे पूरे जिले ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स धरने करते हैं और यह बिल्कुल सही बात है जितना उनके पास काम रहता है उसमें 4 हजार में क्या होगा? 3 हजार केन्द्र सरकार की तरफ से 1 हजार उन्हें यू0पी0 सरकार की तरफ से मिलता है। अध्यक्ष जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं क्या सरकार आंगनबाड़ी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का प्रस्ताव केन्द्र में रखेगी ? जो माननीय मंत्री जी के जवाब में आया है कि उच्च स्तरीय समिति गठित हुई थी मैं जानना चाहूंगी कि उसमें क्या निर्णय आया, क्या मानदेय को बढ़ाया जायेगा, उसका क्या निर्णय है और जो स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या यहाँ मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव आप रखेंगे?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां तक प्रश्न है कि एक उच्च स्तरीय जो समिति गठित की गयी, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि और सेवा शर्तों में सुधार करने के ऊपर विचार करने के लिए, उसकी 23-03-2018 को 5 बजे एक बैठक नियत है और संभव है कि उस बैठक में जो भी निर्णय लिया जायेगा उसको मैं आगे अवगत कराउंगी कि उस बैठक में क्या हुआ। दूसरी बात जो आपने कही कि इनको विनियमतीकरण के विचार पर सरकार क्या कर रही है, इसमें मैं अवगत कराना चाहूंगी कि एक शासनादेश 24 फरवरी, 2016 का है, उसके क्रम संख्या 3 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंगित व्यवस्था के अनुसार सीजनल संग्रहणी अमीन, सीजनल अनुसेवक, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, कृषि विभाग के अंतर्गत सीजनल कार्य हेतु लगाए गए कार्मिकों, मनरेगा, आंगनबाड़ी, आशा बहु, होमगार्ड, स्वयंसेवक, प्रांतीय रक्षक दल स्वयं सेवक, शिक्षामित्र, किसानमित्र अथवा भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अधीन मानदेय या अन्य आधार पर रखे गए कर्मचारियों आदि को सम्मिलित नहीं माना जायेगा लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं को और उनके मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। 23-03-2018 को उच्च स्तरीय समिति की एक बैठक है उसमें निर्णय जो भी आयेगा उससे मैं अवगत कराउंगी

और आगे भविष्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मैं पूरा आश्वासन देती हूँ और सहमत भी हूँ कि अच्छा प्रश्न उठे उस पर बात हो तो उसको स्वीकारना भी चाहिए। यह हमारे एजेण्डे में है और हम आगे चलकर इस पर जरूर कुछ न कुछ विचार करेंगे।

(नेता विरोधी दल) श्री रामगोविंद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक गम्भीर प्रकरण है। केन्द्र सरकारें अपनी योजनाओं को संचालित करने के लिए आंगनबाड़ी, शिक्षामित्र, रोजगार सेवक, कृषि सेवक, फलाना मित्र का नाम देकर भेज देती है और गले का फांस बन जाती हैं राज्य सरकारों के ऊपर। आंगनबाड़ी कार्यकत्री की जो सेवा है वह सबसे महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेवा करना, उनका वजन करना, उनकी देखभाल करना, डाक्टरी कराना फिर आपके जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें भी भाग लेना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी मंत्री रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार रही तो भी मैंने बोला, जो इसकी मीटिंग होती है या तो इनको वापस कर लीजिए या तो बढ़ाइये या तो नियमित करिये। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी उसमें भी मैंने मीटिंग में कहा कि रोज-रोज आंगनबाड़ी कार्यकत्री यहाँ आती हैं, मैं दोष नहीं लगाता, चाहे जिन भी कारणों से लाठी से पीट दी जाती हैं, क्रिमिनल धाराओं में बन्द कर दी जाती हैं। मैं वह पहला आदमी हूँ कि मैंने अपनी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि केन्द्र सरकार मानदेय बढ़ाये या न बढ़ाये कुछ आप तो, स्टेट गवर्नमेंट तो दे। माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह यादव सहमत हो गये थे कि एक हजार उनको बढ़ाया जायेगा और पांच सौ इनको, लेकिन अधिकारी तो अधिकारी हैं श्रीमान् वो कर्मचारी को तो कुछ समझते नहीं। बाद में उसको तीन सौ व दौ सौ पर लेकर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकत्री सबसे ज्यादा परेशान है। उनके भी बाल-बच्चे हैं, परिवार हैं, अच्छी पढ़ी-लिखी महिलायें हैं, पर कोई खुशहाल नहीं हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी इस विधान सभा से, हम लोग पूरा विपक्ष इस पर सहमत हैं, एक प्रस्ताव पास करायेंगी कि आंगनबाड़ी कार्यत्रियों का मानदेय कम से कम पच्चीस हजार रुपया कर दिया जाये और उनका स्थाईकरण केन्द्र सरकार करे, क्या प्रस्ताव विधान सभा से पास करायेंगी।

श्री अध्यक्ष-

वो तो पहले ही आश्वासन दे चुकीं हैं, माननीय मंत्री जी।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

उत्तर तो दिलवाये इस बात का। माननीय मंत्री जी इसका उत्तर तो दीजिए।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय की बात का उत्तर मैं पहले ही दे चुकी हूँ और कह चुकी हूँ कि सरकार इसके ऊपर गम्भीरता से विचार कर रही है, अगर विचार न कर रही होती तो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन ही नहीं करती (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)। कमेटी का गठन किया है और निश्चित रूप से हम सब भी इस बात का सम्मान

करते हैं कि वह काम करती हैं, बहुत ज्यादा काम करती हैं इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। जो भी मानदेय बढ़ेगा वो मैं आपको अवगत कराने का काम करूंगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अब इसमें क्या विचार है, अब तो सब बातें आ गईं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, लोक संकल्प पत्र में इसी सरकार ने वादा किया था नियमितिकरण करने का, चाहे वह आंगनबाड़ी हो, शिक्षामित्र हो।

श्री अध्यक्ष-

सरकार का स्पष्ट आश्वासन आ गया है कि हम विचार कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, पिछली बार भी यही उठा था सदन में मुद्दा, उस समय भी सरकार ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, अब विचार नहीं किया जा रहा है कि, नियमितिकरण करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

एक सम्यक और ठीक-ठाक प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछा, उसके उत्तर में आ गयी बात। अब आप कृपया बैठें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है और केन्द्र में भी इनकी सरकार है। इसलिए सरकार स्थिति स्पष्ट करे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप कृपया बैठें। आप मंत्री होते तो क्या उत्तर देते।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, इन्होंने लोक संकल्प पत्र में वादा किया था आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से, यह अपने वादे को भूल गये अध्यक्ष जी। इन लोगों ने अपने वादे पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया। संविदा कर्मियों के साथ धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने।

श्री अध्यक्ष-

अरे भाई भाषण नहीं हो रहा है, उन्होंने आश्वासन दे दिया, आपकी बात न मेरी समझ में आ रही है न किसी की समझ में आ रही है। आप बोलने के लिए बोल रहे हैं आपकी वार्ता का क्या मतलब है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक सुसंगत सवाल पूछा उसमें उत्तर आ गया है कि सरकार विचार कर रही है, सभी मामलों में विचार कर रही है।

आप प्रश्नोत्तर काल में बाधा डाल रहे हैं। आप पूरे सदस्यों पर कृपा करिये। मैं दोबारा कह रहा हूँ।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, यह सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के हित में काम नहीं कर रही है, इसके विरोध में, मैं और मेरी कांग्रेस पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने दल के माननीय सदस्यों सहित सदन से बाहर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

आप ऐसी कृपा पहले कर दिया करिये तो सदन का समय बरबाद न हो।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, किसी भी बात का उत्तर माननीय मंत्री जी ने सही नहीं दिया और न सरकार की मंशा है कि शिक्षा मित्रों का, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का, रोजगार सेवकों का, कृषि सेवकों का मानदेय बढ़ाया जाय और उनकी भी रोजी-रोटी चले। इनकी मंशा गरीब विरोधी है और मजदूर विरोधी हैं, इसलिये समाजवादी पार्टी इसके विरोध में थोड़ी देर के लिये सदन से वाकआउट करती है।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बाहर चले गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का 3 हजार रुपये मानदेय था इसमें 60 और 40 परसेंट केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा था। राज्य सरकार ने उसमें एक हजार रुपया अतिरिक्त बढ़ाया। इसी प्रकार मिनी आंगनबाड़ियों के भी मानदेय में 750 रुपया अतिरिक्त दिया गया, जो 60 और 40 का रेशियो था। इसी प्रकार सहायिकाओं को भी अतिरिक्त 500 रुपया दिया गया और उसके बाद भी माननीय मंत्री जी ने इस बात को कह दिया कि एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में हुआ है जिसकी 23 तारीख को बैठक निर्धारित है और उसका समय भी बता दिया। वह समिति पूरे प्रकरण की समीक्षा करके जो रिपोर्ट देगी, उसके हिसाब से परीक्षण करने के बाद यह सरकार उसमें आगे कार्यवाही करेगी। अभी जो माननीय नेता विरोधी दल कह गये, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है इसलिये हमें उनसे ज्यादा सहानुभूति है, इन्होंने ही इनका मामला फंसाया था। हर मामला इन्होंने ही फंसाया, जब इनकी सरकार थी। हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के प्रति, और जैसे ही इस समिति की रिपोर्ट आयेगी हम उसके ऊपर आगे कार्यवाही करेंगे, यह मैं मान्यवर, आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार केवल वायदा करती है और पूरा करती नहीं है। संकल्प पत्र में विनियमतीकरण का इन्होंने वायदा किया और काम नहीं किया। यह पैसा बढ़ाने

वाला तो पहले हुआ है आपने तो एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। तो निश्चित रूप से सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की जो उपेक्षा की जा रही है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री लालजी वर्मा नेता ब0स0पा0 अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बाहर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

इसमें आप यहीं गुस्सा व्यक्त कर दीजिये, बाहर काहे को जाते हैं।

प्रदेश के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की योजना के सम्बन्ध में विवरण

***5-श्री संजय गर्ग-**

कृपया प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की सरकार की योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपालजी'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु शासन द्वारा "प्रस्पेक्टिव प्लान" का निर्धारण किया गया है। "प्रस्पेक्टिव प्लान" के निर्धारण हेतु किये गये अध्ययन में प्रदेश के इंजीनियरिंग विधा के डिग्री स्तरीय निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष 62 प्रतिशत सीटें रिक्त पाये जाने के फलस्वरूप प्रदेश में नवीन इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर प्रश्न है और प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो तकनीकी शिक्षा की निजी शिक्षण संस्थायें हैं अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा के अन्तर्गत जो पंजीकृत हैं जिसका हवाला देकर शासन ने जिस तरह से पलायन करने की कोशिश करने का काम किया है उसकी स्थिति यह है कि कई-कई कालेज एक ही कैम्पस में चल रहे हैं। इसकी गुणवत्ता इतनी निम्न स्तर तक पहुंच गई है कि एक-एक शिक्षक कई-कई विद्यालयों में पढ़ा रहा है और पिछले दिनों दो साल पहले उसकी जांच हुई, एक सर्वेक्षण हुआ और उसमें 40 हजार शिक्षकों में से 21 हजार शिक्षक फर्जी पाये गये, इसकी वजह से इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ने वाले बच्चों का कहीं प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उसकी गुणवत्ता को किस तरह से बरकरार रखा जा सके, इसके लिये जरूरी है कि राजकीय इंजीनियरिंग कालेज वहाँ पर स्थापित किये जायें। कुछ चंद संस्थाओं को छोड़कर स्ववित्त पोषित निजी शिक्षण संस्थाओं ने पूरी इंजीनियरिंग शिक्षा का माखौल उड़ाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतनी सी बात पूछना चाहता हूँ।

कि जो पिछले दिनों जांच शासन स्तर पर हुई कि 40 हजार शिक्षकों में से 21 हजार शिक्षक फर्जी पाये गये। दूसरे प्रदेशों के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों का पंजीकरण हमारे यहाँ के पढ़ाने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों में पाया गया। दूसरे प्रदेश के अलावा दूसरे देशों में भी पढ़ाने वाले शिक्षकों का पंजीकरण पाया गया। मेरा प्रश्न इस बात के साथ है कि इस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेजों को कैटेगराइज करके उन्हें दण्डित किया जा सके क्या सरकार इसके लिए कोई डेटाबेस बनाने पर विचार करेगी कि एक-एक शिक्षक कितने कॉलेजों में पढ़ा रहा है तथा इस तरह से शिक्षकों को पंजीकृत करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता को समाप्त करने पर सरकार विचार करेगी? डेटाबेस बनायेगी या नहीं, जिससे कि यह परिदृश्य साफ हो सके। दूसरा, मान्यवर मेरा कहना है कि केवल शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ाई जा रही है और इस बात के लिए बाकायदा मार्केट में दलाल मौजूद हैं जो इस तरह की फाइल्स प्रोवाइड करते हैं दूसरे शिक्षण संस्थाओं को जो अपने यहाँ रजिस्टर्ड करते हैं और उसका नतीजा है कि 62 प्रतिशत सीटें खाली हैं।

श्री अध्यक्ष -

आप पूछना क्या चाहते हैं, आप इन्फार्मेशन दे रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री संजय गर्ग -

62 प्रतिशत सीटें जो खाली हैं उस पर मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन निजी शिक्षण संस्थाओं में कितने छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं और उन पंजीकृत छात्र-छात्राओं में कितने छात्र-छात्राएं परीक्षा में बैठ रहे हैं और उसमें से कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं क्या इस बात का कोई सर्वेक्षण या आंकड़ा सरकार के पास है। मेरे अनुसार मात्र 10 प्रतिशत छात्र परीक्षाओं में बैठ रहे हैं और उसमें से मात्र 2 प्रतिशत उत्तीर्ण हो रहे हैं। इसके अलावा एक ही कैम्पस में चलने वाले चार-चार इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, जिस तरह से शासन की आंख में धूल झोंक कर जो मान्यताएं ली गई हैं।

श्री अध्यक्ष -

आप सूचना ज्यादा दे रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री संजय गर्ग -

मान्यवर, मैं उसकी गम्भीरता आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे ही जनपद में चार इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। दून ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज जो सुन्दरपुर बिहारीगढ़ में है, चार टेक्निकल कॉलेज चला रहा है। हरि ग्रुप वाले दो चला रहे हैं, जनहित वाले 3 कॉलेज छोटमलपुर में चला रहे हैं, देवभूमि वाले 3 कॉलेज चला रहे हैं, कृष्णा ग्रुप वाले 2 टेक्निकल कॉलेज चला रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है।

श्री अध्यक्ष -

आपकी इस सूचना का हम क्या करें। आप प्रश्न कीजिए, आश्चर्य है कि आपने प्रश्न नहीं किया।

(कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान) श्री सूर्य प्रताप शाही -

सब कुछ बता दिया यह नहीं बताया कि मान्यता किसने दी।

श्री संजय गर्ग -

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मेरे तीन प्रश्न बहुत स्पष्ट हैं क्या शिक्षकों का डेटाबेस बनाने पर सरकार विचार करेगी जिससे यह बात स्पष्ट हो सके कि एक ही शिक्षक कितने विद्यालयों में पढ़ा रहा है और उसकी गुणवत्ता समाप्त हो रही है। दूसरा यह है कि कितने पंजीकृत छात्र हैं और उसमें से कितने छात्र परीक्षा में बैठ रहे हैं, अगर उनका प्रतिशत इतना कम है तो इससे उसकी गम्भीरता का एहसास होता है। तीसरा यह है कि जिन निजी शिक्षण संस्थाओं का हवाला अभी मा0 मंत्री जी ने दिया है जो एक ही कैम्पस में तीन-तीन चार-चार शिक्षण संस्थाएं चलाकर अपनी दुकाने खोले हुए हैं क्या इस तरह के शिक्षण संस्थाओं की मान्यता को सरकार समाप्त करने पर विचार करेगी।

श्री आशुतोष टण्डन -

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य बहुत वरिष्ठ और विद्वान हैं लेकिन इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि यह अपनी पिछली सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। यह मान्यता उन संस्थानों को कब दी गई, हमने तो कोई मान्यता दी नहीं। आपने जो प्रश्न किये हैं जो भी संस्थान ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के विपरीत चलेंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। जो शिक्षक एक जगह से अधिक शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनको हम आधार-कार्ड से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं एक शिक्षक एक ही जगह रह पायेगा। आपने जो छात्रवृत्ति की बात की उसको भी आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है अब उसमें भी फर्जीवाड़ा बन्द हो गया है। जो सीटों में रिक्तियां 62 प्रतिशत के करीब हैं यह पिछले कई वर्षों से चली आ रही हैं इसलिए नये इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का अभी कोई औचित्य नहीं है। बाकी जो आपने और आंकड़े मांगे हैं वह आपके मूल प्रश्न का भाग नहीं हैं जो आप कहेंगे उसे हम आपको भिजवा देंगे।

श्री संजय गर्ग -

मान्यवर, ए0आई0सी0टी0ई0 के नियमों का उल्लंघन करके कॉलेज चल रहे हैं मैंने अपने जनपद के नाम भी दिये हैं, उनके खिलाफ जांच करके सरकार कार्रवाई करे।

श्री अध्यक्ष -

वह कह तो दिया कि हम जांच करायेंगे।

श्री संजय गर्ग-

... दूसरा मेरा एक प्रश्न यह है कि कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं।

श्री अध्यक्ष-

इनके पास यह आंकड़ा अभी कैसे होगा?

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, 62 प्रतिशत सीटें केवल इसीलिए खाली हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना प्रश्न रखिए, आप फिर सूचना देने लगे।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, लोगों का इससे विश्वास उठ चुका है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न का इस बात से क्या मतलब कि लोगों का विश्वास उठ चुका है? आप संगत प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री संजय गर्ग-

यदि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम बच्चों को दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर तो उन्होंने दे दिया।

श्री संजय गर्ग-

उन्होंने 62 प्रतिशत सीटें खाली होने का हवाला दिया है।

श्री अध्यक्ष-

मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप का प्रश्न क्या है? मैं आपका प्रश्न समझ जाऊँ तो मैं उनसे पूछ दूं, या तो ये कहिए कि हमारे समझने में ही कोई दिक्कत है।

श्री संजय गर्ग-

मेरा प्रश्न आपके माध्यम से माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी से यह है कि प्राविधिक शिक्षा के इंजीनियरिंग कॉलेज का स्तर बढ़ाने के लिए जो हमने निजी संस्थाओं पर पूरा बोझ छोड़ दिया, इससे उनकी विश्वसनीयता जनता में खत्म हो गयी है, जिसकी वजह से 62 प्रतिशत सीटें खाली हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि नौजवानों को इंजीनियरिंग कॉलेज और तकनीकी शिक्षा की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप फिर विषयांतर होने लगे। यह प्रश्न नहीं है। आप फिर विषयांतर हो गये। मैं आपका प्रश्न समझने के लिए पूरी बुद्धि लगा रहा था कि आपके प्रश्न का क्या मतलब है?

श्री संजय गर्ग-

सरकार अगर अपने ढंग का इंजीनियरिंग कॉलेज खोलती, तो निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता बेहतर रखते हुए बच्चों के भविष्य का निर्माण किया जा सकता था।

(किसी सदस्य द्वारा कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

क्या इनके वाले प्रश्नों का हिन्दी अनुवाद करेंगे आप?

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक बहुत छोटा सवाल है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में इस बात का जिक्र किया है कि 62 प्रतिशत सीटें रिक्त हैं, जिस कारण से कोई नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की सरकार की योजना नहीं है। तो क्या यह माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि 62 प्रतिशत सीटें रिक्त होने का कारण क्या है, पहला सवाल? दूसरा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के छात्र इंजीनियरिंग करना छोड़ दिये हैं या ऐसे कितने छात्र हैं जो अन्य प्रदेशों में जा करके इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लिये हैं? इसमें कहीं न कहीं शिक्षा की गुणवत्ता है। अगर माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जायेगा कि 62 प्रतिशत सीटें रिक्त क्यों हैं, तो इस उत्तर से स्पष्ट हो जायेगा कि सीटें रिक्त होने का कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न नहीं है, आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है लड़के हमारे यहाँ इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर न होने की वजह से अन्य प्रदेशों में जा करके इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यह व्यवस्था हम लोगों को सुदृढ़ करनी चाहिए। तो क्या माननीय मंत्री जी कुछ ऐसी योजना बनाए हैं जिससे कि हमारे प्रदेश के बच्चे अपने उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में ही दाखिला लें?

श्री अध्यक्ष-

यह तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोलने जा रहा हूँ।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

माननीय अध्यक्ष जी, इनके प्रश्न में ही इनका जवाब है। यह स्थिति आई ही इसीलिए है कि आपकी सरकारों में जरूरत नहीं थी तब भी आपने बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए और गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा। हमने गुणवत्ता का ध्यान रखा है। यह सुनिश्चित करेंगे कि सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार चलें और जितने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए उनके लैब, इक्यूपमेण्ट, कंप्यूटर, फर्नीचर आदि के लिए 08 अगस्त 2017 को एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों से दो सौ करोड़ रुपया उन इंजीनियरिंग कॉलेजों को उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही साथ फैकल्टी की जो सॉर्टेज थी, गवर्नमेण्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेज में, जिसके लिए आप प्रश्न कर रहे हैं। आप की सरकारों ने फैकेल्टी का सिलेक्शन नहीं किया। अंतिम अपाइंटमेंट 2007 में हुआ था। अभी तीन सौ कुछ रिक्तियां थी जिसके लिए हमने बिल्कुल फेयर एण्ड ट्रांसपेरेंट तरीके से उसमें फैकेल्टी का अपाइंटमेंट किया और 250 के लगभग फैकेल्टी का सेलेक्शन हो गया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, और आप निश्चिंत रहें, हम हर संभव प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए, यह प्रश्न हो गया। अब तारांकित प्रश्न संख्या-07।

***6-डा0 आर0के0 वर्मा-**

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

प्रदेश में कुल निर्मित शौचालयों की संख्या एवं कुल खर्च धनराशि के सम्बन्ध में विवरण

***7-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कितने शौचालय बनाने की योजना है और इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि अब तक प्रदेश में कितने शौचालयों का निर्माण हो चुका है और उन पर कितना धन खर्च हो चुका है तथा शेष शौचालयों का निर्माण कब तक पूरा करने का लक्ष्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री) (स्वतंत्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों हेतु वर्ष 2017-18 में 78,86,237 शौचालयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 10 लाख शौचालयों का निर्माण स्वयं के संसाधन की धनराशि से किया जाना है। शेष 68,86237 शौचालयों का निर्माण अनुदान की धनराशि से किया जाना निर्धारित है।

पूर्व वर्ष दिनांक 01-04-2017 की अवशेष धनराशि रु0 28552.09 लाख जनपदों को उपलब्ध थी। वर्ष 2017-18 में रु0 496803.146 लाख आवंटित की गयी। उपलब्ध/आवंटित धनराशि सम्मिलित करते हुए जनपदों को रु0 525355.236 लाख की धनराशि आवंटित की गयी।

वर्ष 2017-18 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुल 3635618 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें स्वयं के संसाधन से 46880 शौचालय निर्माण हुआ है। उक्त शौचालय निर्माण में 430648.00 लाख की धनराशि व्यय हुई है। शेष शौचालयों का निर्माण 02 अक्टूबर, 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत अभियान जैसे बड़े अभियान को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और जिस तरह की गम्भीरता माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिखायी गयी तथा कई नेता और अभिनेता इस अभियान में जुड़ गये। मैंने जो प्रश्न पूछा उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 2017-2018 में 78,86,237 शौचालयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उसी उत्तर के अंत में उन्होंने बताया कि अभी तक 2017-2018 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुल 36,35,618 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि अभी तक जितने शौचालयों का निर्माण किया गया है क्या उनकी पूरी धनराशि अवमुक्त की गयी और जो बची है वह धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी? दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि एक साल में जो लक्ष्य था उसका आधा अभी तक प्राप्त किया गया है। मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि शेष शौचालयों का निर्माण 02 अक्टूबर, 2018 तक पूरा किया जायेगा। जब एक साल में केवल 50

प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण हुआ है तो कौन सी विधा अपनायी जायेगी जिससे 6-7 महीने में अगला 50 प्रतिशत पूरा हो जायेगा? यह पहला सवाल है, क्या लक्ष्य है, किस तरह की तैयारी सरकार कर रही है कि आने वाले 6-7 महीनों में उसको पूरा किया जायेगा? दूसरा, जो अभी 50 प्रतिशत लक्ष्य अवशेष है उसके लिए कितनी धनराशि अवमुक्त करायी जायेगी?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह महत्वाकांक्षी योजना सरकार की प्राथमिकताओं में है और विभाग रणनीति बनाकर इसे निर्धारित समयावधि में पूरा करने का प्रयास कर रहा है। विभाग की ओर से राजमिस्त्री का प्रशिक्षण एवं शौचालय निर्माण हेतु उनको डेप्लॉय किया जाना है, ट्रेनिंग मॉड्यूल के तहत स्वेच्छाग्राहियों का प्रशिक्षण है। सूचना शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से हम इसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। ब्लाकों में, जिलों में और यहाँ पंचायती राज निदेशालय में वार-रूम बनाकर उसका सघन अनुश्रवण किया जा रहा है। जहां तक इस लक्ष्य की पूर्ति का विषय है इसके अलावा भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 10 लाख आवास बनने हैं, उसमें 10 लाख शौचालय बनने हैं। श्रम विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिकों के घर में शौचालय निर्माण लेबर सेस के द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कराया जाना है जिससे 5 से 10 लाख शौचालयों का निर्माण इस वर्ष में हो पायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सफाई कर्मचारी, महिला समाख्या की महिलायें व रोजगार सेवकों के द्वारा प्रत्येक को 25-25 शौचालय बनाने का लक्ष्य दिया गया है इसके आधार पर हमें उम्मीद है कि सरकार इसको समय रहते पूरा कर लेगी।...

.. आगामी वित्तीय वर्ष 2018-2019 में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिये लगभग 11109.91 करोड़ की आवश्यकता होगी उसमें केन्द्र के अंश के रूप में 6665.95 करोड़ एवं राज्य के अंश के रूप में 44396 करोड़ होगा जिसका आय व्ययक पुरोधानित किया जाय।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत अहम विषय है। इसके अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक बहुत छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो शौचालय बनाये जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है जिससे कि यह शौचालय बन तो रहे हैं लेकिन बाद में उनको उपयोग में नहीं लाया जाता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि इसके लिये जो आवंटित धनराशि उपलब्ध कराई जाती है सरकार से मात्र 12 हजार के लगभग। उस 12 हजार में वह उतना अच्छा शौचालय नहीं बन पाता जिससे कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे और लोग उसे इस्तेमाल कर सकें। क्या सरकार इस धनराशि को बढ़ाने का काम करेगी जिससे बनने के बाद वह बन्द होने का काम न हो और वह लगातार इस्तेमाल में आता रहे और सरकार का पैसा वेस्ट न हो।

(कई सदस्यों के प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी आप उत्तर देंगें।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

मान्यवर, और भी प्रश्न आने दीजिये सबका जवाब एक साथ दे देंगें। सामूहिक

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आप यह नोट करते रहिये। माननीय सदस्य का कहना है कि शौचालय बनाने के लिये 12 हजार रुपये की धनराशि कम है उतने में बनता नहीं है। इसको बढ़ायेंगें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई परम्परा नहीं है कि हर सदस्य का जवाब एक बार में देंगें। हर माननीय सदस्य अपने अनुसार प्रश्न पूछता है। उनको हर प्रश्न का जवाब देना होता है। इसका पालन करवाइये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि ग्राम पंचायत सेकेट्री और प्रधान के गठजोड़ के कारण जो पात्र व्यक्ति शौचालय की सूची में नहीं आ पाते, छूट जाते हैं क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी योजना लायेंगें कि जो पात्र व्यक्ति छूट गये हैं और सूची में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं उनको उसका लाभ मिल सके।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना हमारे राज्य सरकार की और केन्द्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना प्रारम्भ की गई थी इसके अन्तर्गत 2 अक्टूबर, 2018 तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु यह 12 हजार रुपये की अनुदान राशि/प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में व्यक्तिगत शौचालय की लागत 12 हजार रुपये है। जिसमें केन्द्र के अंश के रूप में 7200 रुपये 60 परसेन्ट तथा राज्य सरकार के अंश के रूप में 4800 रुपये 40 परसेन्ट निर्धारित की गई। योजनान्तर्गत निम्नलिखित लाभार्थियों को शौचालय की सुविधा से आच्छादित किया गया। समस्त बी0पी0एल0 परिवार, गरीबी की रेखा से ऊपर निम्न परिवार, समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु एवं सीमान्त कृषक, समस्त भूमिहीन परिवार, समस्त दिव्यांग और ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो। ऐसे परिवारों को अनुदान दिया जा रहा है। माननीय सदस्य ने प्रधानों और सेकेट्री के बारे में जो बात कही है कि उनके गठजोड़ के कारण बहुत से पात्र व्यक्ति इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। अवगत कराना है कि इस श्रेणी के सभी लोगों को 100 परसेन्ट अनुदान देने की बात है। अगर कहीं कोई शिकायत है तो उसका परीक्षण करके कार्रवाई करेंगे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण मामला इससे जुड़ा हुआ है। पानी की जो समस्या है, आज गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। बिना पानी के किसी भी शौचालय के बन जाने के बाद उसका इस्तेमाल करना असंभव है। क्या बारह हजार रुपये में वहाँ पानी की व्यवस्था की जा सकती है? यह संभव नहीं है। मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इसका प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेंगे कि पानी की व्यवस्था के लिए अलग से कोई पैसा, इस योजना के लिए दिया जाएगा। मेरा सिर्फ एक सवाल है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ जाने दीजिए। सब लोग खड़े हो गए तो मंत्री जी बैठ गए।जो आराधना जी ने पूछा है उसका उत्तर आ जाए।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय मंत्री जी जो पात्र लोग छूट गए हैं उनको शामिल करायेंगे?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी विद्वान सदस्यों के द्वारा शौचालय के निर्माण में जो धनराशि दी जा रही है और पानी की अनुपलब्धता के बारे में बात कही गई है, अभी जो यह योजना निर्धारित है उसमें बारह हजार रुपये की सहयोग राशि दी जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से यह केन्द्र शासित योजना है। अभी प्रदेश सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री नाहिद हसन-

मान्यवर, जो योजना है वह ग्राम स्तर पर प्रधान और सेक्रेट्री के जिम्मे होती है। शौचालय, जो ग्राम प्रधान चाहता है वह जो अपने पक्ष के लोग होते हैं जो पात्र लोग हैं उन लोगों को छोड़ देते हैं और जो अपात्र लोग हैं जिनके पहले से शौचालय बने हुए हैं उन लोगों को उस लिस्ट में शामिल कर लेते हैं ताकि वह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार या घूसखोरी कर सके। हम लोग जब गांव में जाते हैं तो आधे से ज्यादा पचास प्रतिशत लोग बिना शौचालय के मिलते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि लिस्ट ग्राम प्रधान या सेक्रेट्री द्वारा बनाई जाती है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या ग्राम प्रधान या सेक्रेट्री इसमें पूरा जिम्मेदार है? या सरकार द्वारा इस तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर या कोई नोडल आफिसर लगाया जाएगा कि पूरे गांव में शौचायल हो सके। सभी के घर में शौचालय हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

एक प्रश्न पूछने का निवेदन है। आपकी आज्ञा हो तो ?

श्री अध्यक्ष-

पूछिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत यह जो शौचालय बनाए जा रहे हैं क्या सरकार ने या माननीय मंत्री जी ने कोई सर्वे कराया है कि उत्तर प्रदेश में जो शौचालय बनाये गये हैं उसका कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका प्रतिशत क्या है? कितने शौचालय का लोग उपयोग कर रहे हैं और कितने शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे हैं इसकी कोई जांच कराई है ? दूसरा हमारा स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने एक संख्या बताई कि इतना हमने पूर्ण कर लिया माननीय मंत्री जी से हम ये जानना चाहते हैं कि प्रति माह में कितना लक्ष्य उन्होंने पूरा किया है और अगले छः महीने में कितना पूरा करेंगे माह के हिसाब से ?

श्री अध्यक्ष-

लक्ष्य का उत्तर तो आ गया है। लक्ष्य का उत्तर आ गया है, मा0 सदस्य मनोज जी का प्रश्न है कि क्या आप इसकी जांच करा रहे हैं कि शौचालय कहां-कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। लक्ष्य का उत्तर तो लिखित में आ गया है, आपने पढ़ा नहीं हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जितने शौचालय बने हैं, संख्या के अनुसार वह कितने उपयोग में आ रहे हैं और कितने उपयोग में नहीं आ रहे हैं? क्या इसकी कोई जांच करायी गयी है कि कितने शौचालय उपयोग में आ रहे हैं। यदि कराई गयी है तो उसकी संख्या बता दीजिए कि कितने शौचालय उपयोग में आ रहे हैं और कितने उपयोग में नहीं आ रहे हैं?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो शौचालय बने हैं, उनके उपयोग और रख-रखाव के लिए सरकार ट्रेनिंग दे रही है। व्यक्तियों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सरकार की ओर से काम किया जा रहा है, लेकिन यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कितने उपयोग हो रहे हैं और कितने उपयोग नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कराने वाले छात्रों का ट्रांजीशन रेट के सम्बन्ध में विवरण

***08-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2016-17 में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कराने वाले छात्रों का ट्रांजीशन रेट क्या था ? क्या सरकार उक्त दर को बढ़ाने के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

यू-डायस 2016-17 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन के आधार पर छात्रों का ट्रांजीशन रेट 79.76 रहा है।

ट्रांजीकशन रेट बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये गये हैं -

माह जुलाई, अगस्त, 2017 से सभी जनपदों में स्कूल चलो अभियान संचालित किया गया।

विद्यालय प्रबन्ध समितियों एवं समुदाय को जन पहल रेडियो के माध्यम से सभी कक्षा-5 उत्तीर्ण बच्चों का कक्षा-6 में नामांकन कराने हेतु जागरूक किया गया।

विद्यालय प्रबन्ध समितियों के अध्यक्षों का ब्लाक स्तर पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण किया गया, जिसमें पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण बच्चों का नामांकन कक्षा-6 में कराने पर बल दिया गया।

कक्षा 1 से 8 के अध्ययनरत समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके और आकर्षक यूनीफार्म, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्वेटर वितरित किया गया।

कक्षा-5 से कक्षा-6 में छात्र-छात्राओं का नामांकन सुनिश्चित कराने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रितेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है कि हमारे प्रदेश में प्राइमरी से उच्च प्राइमरी जाने के लिए सीनियर सेकेण्डरी के लिए जो ट्रांजीकशन रेट है, वह बहुत कम है। मैं माननीय मंत्री जी से और जिसके कारण बेरोजगारी और कृषि पर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि लोगों को जब पढ़ाई-लिखाई पूरी नहीं मिल पाती है तो बेबस होकर वह लोग कृषि या अन्य क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं जहां पर आमदनी के स्रोत्र बहुत कम हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि 2017-18 का क्या ट्रांजीशन रेट है और दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें कितने प्रतिशत बालिकायें हैं, बालिकाओं के सापेक्ष बालकों का क्या ट्रांजीकशन रेट है ? क्या बालिकायें प्राइमरी से उच्च प्राइमरी में बालकों की अपेक्षा ज्यादा जाती हैं या कम जाती हैं और तीसरा सवाल यह है कि किन-किन कारणों से यह ट्रांजीकशन रेट कम है और चौथा सवाल यह है कि पूरे देश के औसतन ट्रांजीकशन रेट से क्या प्रदेश का ट्रांजीकशन रेट कम है या ज्यादा है?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, चार प्रश्न किये गये हैं, पूछा गया है कि क्या देश का जो ट्रांजीकशन रेट है, उसमें प्रदेश के ट्रांजीकशन रेट में कितनी कमी है, तो मैं बताना चाहूंगी कि देश और प्रदेश के ट्रांजीकशन रेट में 10 प्रतिशत की कमी है।

दूसरी बात आपने कहा कि बालक और बालिकाओं का अलग-अलग क्या ट्रांजीकशन रेट है। वह मैं आपको उपलब्ध कराने का काम करूंगी। तीसरी बात आपने कहा कि वह क्या कारण है कि ट्रांजीकशन रेट में कमी आई है। उसका सीधा सा कारण आप लोगो के अपने समय में इसके लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए इसलिए ट्रांजीकशन रेट कम रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार इस पर विशेष बल दिया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से इस ट्रांजीकशन रेट को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं यही कारण है कि अगर हम पूरी छात्र संख्या पर जाएं तो 2017-18 में लगभग दो लाख छात्रों के इनरोलमेंट में वृद्धि हुई है। आपने कहा है कि 2017 और 18 का ट्रांजीकशन रेट का डाटा क्या है। तो उसमें माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगी कि चूंकि यह भारत सरकार के यू-डायस पर यह डाटा

संकलित होता है सभी राज्यों से इसका जो डाटा है वह लिया जाता है तो 31 मार्च 2018 तक इस डाटा के आने की संभावना है। वह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी।

श्री अध्यक्ष-

अब तो उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न ले लेने दें जिससे एक-आध प्रश्न और हो जाए।

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो पूर्व की सरकारें थीं उन्होंने इसके लिए कोई ऐसी योजनाएं नहीं बनाईं थीं मैं पहले तो एक चीज यह बताना चाहता हूँ कि पूर्व की बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो बालिका शिक्षा योजना को बढ़ावा देने के लिए खासतौर से ट्रांजीकशन रेट को बढ़ावा देने के लिए 25 हजार रुपए की राशि दी जाती थी जब वह 10वीं की कक्षा पास करती थीं। दूसरी चीज मैंने यह भी पूछा था कि देश का औसत ट्रांजीकशन रेट क्या है ? पूरे देश का ?

श्री अध्यक्ष-

देश का तो यहाँ विधान सभा में सवाल बनता नहीं है।

श्री रितेश पाण्डेय-

उसके सापेक्ष प्रदेश का क्या है ?क्या माननीय मंत्री जी देश के ट्रांजीकशन रेट की जानकारी रखती हैं।

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा में तो राज्य सूची के विषयों पर प्रश्नोत्तर होता है।

श्री रितेश पाण्डेय-

जो देश का ट्रांजीशन रेट है उसी से तो कम्पैरिजन होगा। देश के ट्रांजीकशन रेट से एक मानक रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

सरकार राज्य सूची के विषयों पर ही उत्तर देती है।

श्री रितेश पाण्डेय-

यह राज्य सूची का ही विषय है। दूसरा क्या यह जो योजनाएं चल रही हैं उसमें एक योजना और सम्मिलित करेंगी कि जो बालिकाएं हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्योंकि वह घर के कार्यों से स्कूल नहीं जाती हैं जब वह थोड़ी बड़ी हो जाती है प्राइमरी से उच्च प्राइमरी में जाने के लिए तो घर के कार्यो में उनको इन्वाल्व कर लिया जाता है। उसके अन्दर व्यस्त कर दिया जाता है। क्या उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि वह स्कूल जाएं इसके लिए सरकार कोई नगद राशि 25 हजार रुपए का प्राविधान करेगी ताकि इन बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए सक्षम किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रोत्साहन के लिए मंत्री जी ने लिखित में उत्तर दिए हैं।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय सदस्य ने एक बात यह कही कि बालिकाओं को घर के कामों में लगा लिया जाता है इसलिए स्कूल नहीं जा पातीं साथ ही पहले जब वह प्रश्न कर रहे थे तो उन्होंने एक बात यह भी कही थी कि बच्चे कृषि कार्य में लग जाते हैं और स्कूल नहीं जा पाते। कृषि कार्य में भी अपना सम्मानपूर्वक भविष्य देखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार का यह लक्ष्य है कि 6 से 14 वर्ष का जो भी बच्चा है वह विद्यालय तक पहुँचे उसके लिए हम प्रयास कर

रहे हैं। दूसरी बात आपने जानना चाहा है कि भारतवर्ष का ट्रांजीकशन रेट क्या है माननीय शिक्षा मंत्री जी को जानना चाहिए तो आदरणीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूंगी कि आपने जैसा कहा कि यह प्रदेश की बात है प्रदेश के आंकड़े यहाँ दिए जा रहे हैं लेकिन सदस्य की अपेक्षानुसार भारतवर्ष का जो ट्रांजीशन रेट है वह 90.1 परसेंट है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो समय समाप्त हो गया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी अभी दो मिनट हैं। इसमें मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस की एक सोच थी कि शिक्षा का अधिकार देकर हर गरीब दुर्बल बच्चे को वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें मुक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ क्या सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12-1-ग के तहत प्रदेश में जो कुल 06 लाख से ऊपर आच्छादित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों का दाखिला गैर वित्तपोषित विद्यालयों में नहीं हो सका, उसे लागू कराने के लिये ऐसे विद्यालय जो मनमाने दाखिले नहीं ले रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही करेगी ? लखनऊ के सिटी मान्टेसरी स्कूल, नवयुग रेडियंस तथा कानपुर के वीरेन्द्र स्वरूप विद्यालय ने इस अधिनियम के तहत कोई दाखिला नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है इसलिये आप अपना प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, 289 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था और सिटी मान्टेसरी स्कूल ने यह कहते हुये उनके आवेदनों को छांट दिया कि यह लोग अर्ह नहीं हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो ऐसे दोषी स्कूल वाले हैं जो मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या यह सरकार कोई कार्रवाई करेगी?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय तो अब समाप्त हो गया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' -

मा0 अध्यक्ष जी, अभी एक मिनट बचा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये आप हमारी बात कभी नहीं मानते हैं, लेकिन हम आपकी बात मान लेते हैं। मा0 मंत्री जी, आप मा0 सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे दीजिये।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत सभी विद्यालयों में कम से कम 25 प्रतिशत तक दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 से 8 तक मुफ्त शिक्षा हेतु दाखिला देने का प्राविधान है और सरकार इस विषय में पूरी तरीके से गम्भीर है। वर्ष 2017-18 में जो हमने दाखिले कराए उनकी संख्या पिछली बार से बहुत अधिक है और इस वर्ष भी आपने जिस विद्यालय का नाम लिया है तो सरकार पूरा प्रयास करेगी कि जो कोटा फिक्स है उसके अन्तर्गत उन विद्यालयों में एडमिशन हों।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

नोट-तारांकित प्रश्न सं0-08 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक दुर्बल वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने विषयक जानकारी

***09-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12(1) (ग) के तहत सभी विद्यालयों में कम से कम 25 प्रतिशत तक दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त शिक्षा हेतु दाखिला देने का प्राविधान है ? यदि हाँ, तो शिक्षा सत्र 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-2018 में प्रदेश के कितने निजी विद्यालयों में कितने बालक/बालिकाओं को उक्त के अन्तर्गत दाखिला मिला तथा उसका जनपदवार विवरण क्या है ? क्या सरकार लखनऊ स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल नवयुग रेडियंस कालेज, सिटी इंटरनेशनल स्कूल एवं कानपुर के वीरेन्द्र स्वरूप विद्यालय समेत प्रदेश के अन्य निजी विद्यालयों में उक्त शासनादेश का अनुपालन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत शैक्षिक-सत्र 2015-16 में 3135, 2016-2017 में 17,136 एवं 2017-18 में 27,662 बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया। जनपदवार विवरण संलग्न है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विशिष्ट बी0टी0सी0 के 72825 पदों में से रिक्त बचे 6650 पदों पर नियुक्ति की मांग।

***10-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 की भर्ती में विज्ञप्ति वर्ष 2011 व नियुक्ति वर्ष 2015 के अन्तर्गत 72825 में से रिक्त बचे 6650 पदों पर सरकार नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25-7-2017 में क्रम में अवशेष रिक्तियों पर नियुक्ति की कार्रवाई 2011 के विज्ञापन के आधार पर सम्भव नहीं है।

***11-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अशासकीय सहायता प्राप्त 331 महाविद्यालयों के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में जानकारी

***12-श्री देवमणि द्विवेदी-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त 331 महाविद्यालयों के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों को अल्पवेतन पर कार्य करने को

मजबूर होना पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार की कोई नीति है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09-05-2000 द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सव वित्त पोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत भाग वेतनमद में व्यय किये जाने की व्यवस्था है।

इस व्यवस्था में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विधायकों द्वारा विधायक निधि से असहाय एवं गम्भीर रोगों से पीड़ित रोगियों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था

***13-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधायकों द्वारा विधायक निधि से असहाय एवं गम्भीर रोगों से पीड़ित रोगियों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु कोई अवधि निर्धारित की गयी है ? यदि हाँ, तो कितने दिन की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह)-

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत दुर्घटना, अग्निकाण्ड, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-30/अड़तीस-9-13-500(17)/12 दिनांक 12-02-2013 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश में प्रश्नगत प्रयोजन हेतु पात्रता एवं धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण अधिकतम 07 दिनों के भीतर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कासगंज हिंसा में हिंसा से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में

***14-श्री नाहिद हसन-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018 में कासगंज हिंसा में मारे गए व गंभीर रूप से घायल लोगों का विवरण क्या है ? क्या सरकार ने हिंसा में मारे गए अथवा हिंसा से गंभीर रूप से प्रभावित एवं शारीरिक रूप से अपंग हो जाने वाले मामले में कितने लोगों को मुआवजा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जनपद-कासगंज में दिनांक 26-01-2018 को दो पक्षों में हुये विवाद में गोली लगने से श्री अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन पुत्र श्री सुशील कुमार की मृत्यु हो गयी थी तथा श्री नौशाद पुत्र

श्री निसार के पैर में गोली लगने से घायल हो गये थे। एक अन्य व्यक्ति श्री अकरम हबीब पुत्र श्री हबीब सिद्दीकी को उपद्रव के दौरान दाहिनी आंख में गम्भीर चोट लगी थी।

मृतक अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन के पिता श्री सुशील कुमार गुप्ता को 20 लाख रुपये अनुग्रह धनराशि प्राप्त करायी जा चुकी है एवं घायल श्री नौशाद एवं श्री अकरम को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

***15-श्री मनोज कुमार पारस-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मियों का विकास खण्डों, विकास भवन तथा अधिकारियों के कार्यालयों एवं आवास पर नियम विरुद्ध सम्बद्ध करने पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

***16-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मियों को विकास खण्डों, विकास भवन तथा विभिन्न अधिकारियों के कार्यालयों तथा आवास पर नियम विरुद्ध ढंग से सम्बद्ध करने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो उक्त नियम विरुद्ध सम्बद्धीकरण को सरकार रोकेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह-

शासनादेश सं0-322/33-3-2008-28/2008, दिनांक 01-3-2008 के द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से सफाई सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक सफाई कर्मचारी का पद अर्थात् कुल 1,08848 पद सृजित किये गये हैं। सफाई कर्मचारी शासकीय कर्मचारी हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालयों में स्टाफ की कमी एवं अत्यधिक संख्या में जनपदों में सफाई कर्मचारी तैनात होने के दृष्टिगत उनके वेतन/भत्ते आदि के बिल में सहायता हेतु ही कतिपय जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालयों में सफाई कर्मचारियों को अस्थाई रूप से सम्बद्ध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिस कार्य हेतु इन्हें सम्बद्ध किया गया है, उसके समाप्त होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

***17-श्री सुखदेव राजभर-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश स्तर पर पुलिस फॉरेंसिक लैब विकसित करने की योजना

***18-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फोरेंसिक लैब्स को विकसित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जनपद लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं मुरादाबाद में पूर्व से विधि विज्ञान प्रयोगशालायें कार्यशील हैं।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के 14 परिक्षेत्रों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसके सापेक्ष प्रथम चरण में कुल 08 परिक्षेत्रों के जनपद गाजियाबाद, कन्नौज, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी अलीगढ़, गोण्डा एवं बरेली में नई प्रयोगशालाओं के भवनों के निर्माण कार्य प्रगति पर है।

द्वितीय चरण में प्रदेश के 06 परिक्षेत्रों के जनपदों आजमगढ़, फैजाबाद, सहारनपुर, बस्ती, चित्रकूट एवं मिर्जापुर में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार प्रदेश के कुल 18 परिक्षेत्रों के जनपदों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को विकसित करने की कार्य योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

***19-श्री उमाशंकर सिंह-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

जनपद रायबरेली एवं गोरखपुर में निर्माणाधीन एम्स को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में योजना

1-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली एवं गोरखपुर में निर्माणाधीन एम्स को कब तक चालू करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

एम्स रायबरेली में जुलाई, 2018 तथा एम्स, गोरखपुर में मार्च, 2019 में ओ0पी0डी0 प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के वि0स0 कैराना के अन्तर्गत ग्रामों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा संचालित योजना एवं लाभार्थियों के सम्बन्ध में जानकारी

2-श्री नाहिद हसन-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाल विकास एवं शामली के ब्लाक कैराना व ऊन के कितने गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं तथा कुल कितने ग्राम वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्र की योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि संचालित किए जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल कितने शिशुओं का पंजीकरण कराया गया है तथा उन्हें किस प्रकार के पुष्टाहार व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद शामली के ब्लाक कैराना के 42 ऊन के 71 गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। सभी ग्राम आंगनबाड़ी केन्द्र की योजना से आच्छादित हैं।

बाल विकास परियोजना कैराना में 06 माह से 03 वर्ष के 13360 बच्चे, 03 वर्ष से 06 वर्ष के 6820 बच्चे पंजीकृत हैं। इसी प्रकार बाल विकास परियोजना ऊन में 06 माह से 03 वर्ष के 14013 बच्चे, 03 से 06 वर्ष के 9527 बच्चों का पंजीकरण किया गया है।

06 माह से 03 वर्ष के बच्चों को 120 ग्राम वीनिंग फूड प्रतिदिन तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के पंजीकृत बच्चों को प्रति लाभार्थी 50 ग्राम एमाईलेज रिच एनर्जी फूड प्रतिदिन की दर से दिया जाता है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत बच्चों में जो कुपोषण से प्रभावित हैं उनका वजन लेकर उनका कुपोषण दूर करने की कार्रवाई की जाती है तथा पूर्व स्कूली शिक्षा प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज में शौचालयों को चालू कराने एवं निर्माण कराने के सम्बन्ध में

3-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज में बने शौचालय बन्द हैं तथा महिलाओं के लिए कोई शौचालय न होने से महिलाओं व अन्य जन सामान्य को परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार तहसील मोहनलालगंज में बने शौचालयों को चालू करने व महिलाओं के लिए अलग शौचालय का निर्माण करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज में महिला व पुरुष के लिये अलग-अलग शौचालय निर्मित है। शौचालय कार्यरत हैं तथा इनकी नियमित रूप से साफ-सफाई करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ब्लाक गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम माई जी का पुरवा से मजरा-सौनाई कजेहरा तक मार्ग निर्माण विषयक

4-श्री राम अचल राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के ब्लाक गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम माई जी का पुरवा, मजरा-सौनई कजेहरा में पक्की सड़क से सिकन्दरपुर तक लम्बाई लगभग 500 मीटर तक बने खड़न्जे मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये तथा रामकुमार के घर से बिरखुम्भा तक लम्बाई लगभग 500 मीटर तक पक्की सड़क का निर्माण न होने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

पक्की सड़क से सिकन्दरपुर तक लम्बाई लगभग 500 मीटर तक बने खड़न्जा मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत की अनुपूरक कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है एवं राम कुमार के घर से विरखुम्भा तक 500 मीटर पक्की सड़क का निर्माण किये जाने हेतु प्राक्कलन तैयार कर जिला पंचायत की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के शिक्षा क्षेत्र टाण्डा में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में

5-श्री राम अचल राजभर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर शिक्षा क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग पिछले कई वर्षों से प्रधानाध्यापक/अध्यापक की नियुक्ति न होने से शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर, में नगर शिक्षा क्षेत्र टाण्डा के लगभग 20 प्राथमिक विद्यालयों में भी पिछले कई वर्षों से अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हां तो कब तक अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

वैकल्पिक व्यवस्था कर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है।

जनपद-अम्बेडकरनगर में नगर शिक्षा क्षेत्र टाण्डा में 18 प्राथमिक विद्यालय तथा 03 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। उक्त विद्यालयों के सापेक्ष प्रा0वि0 में 08 सहायक अध्यापक तथा 16 शिक्षा मित्र एवं उ0प्रा0वि0 में एक सहायक अध्यापक कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्र से अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था करके विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामाचरण दिवाकर, सदस्य, एस0सी0/एस0टी0 आयोग, लखनऊ के द्वारा श्री छत्रपाल सिंह तथा श्री रनवीर सिंह के ऊपर कार्यवाही करने विषयक

6-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्यामाचरण दिवाकर सदस्य मा0 एस0सी0, एस0टी0 आयोग, लखनऊ के द्वारा श्री छत्रपाल सिंह वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट, बुलन्दशहर तथा श्री रनवीर सिंह प्रधान सहायक के द्वारा अनियमितताओं की लिखित शिकायत दिनांक 03-07-2017 में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ के यहाँ पर की गई के क्रम में उप सचिव, राजस्व अनुभाग-4 के पत्र सं0 तत्काल/समयबद्ध-14 वी0आई0पी0/ एक-4-2017 रा0-4, दिनांक 27 जुलाई, 2017 में कार्यवाही करने कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल आख्या उपलब्ध कराने हेतु डी0एम0 बुलन्दशहर को निर्देश जारी किये गये थे ? यदि हाँ, तो उक्त के अनुपालन में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रकरण के सम्बन्ध में वर्तमान में जांच विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में नियम विरुद्ध स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों को निरस्त करने के सम्बन्ध में

7-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पंचायती मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 2061/33-सेल/2017, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ दिनांक 08 सितम्बर, 2017 के विपरीत नियम विरुद्ध जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 09-10-2017 स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों को निरस्त कर जनपद बुलन्दशहर के ग्राम नगला ठकौली के कच्चे व बेहद खराब सम्पर्क मार्गों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं। जिला पंचायत बोर्ड बुलन्दशहर की बैठक दिनांक 09-10-2017 में स्वीकृत कार्य नियमानुसार है, जिसकी पुष्टि बाद की बैठक दिनांक 23-12-2017 में भी बोर्ड द्वारा की गयी है। अतः दिनांक 09-10-2017 को स्वीकृत किये गये निर्माण कार्य निरस्त नहीं होंगे। ग्राम नगला ठकौली के कच्चे सम्पर्क मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय दिनांक 12-12-2017 को लिया जा चुका है। तद्नुसार उक्त कार्य वर्ष 2018-19 की कार्य योजना में नियमानुसार शामिल किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी भूमि खाली कराने व उसकी तार, बाड़ आदि से घेराबन्दी कराने की योजना

8-श्री मसूद अखतर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी भूमि खाली कराने का अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त खाली कराई गयी जमीन की निशानदेही कर उसकी तार, बाड़ आदि से घेराबन्दी करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

सभी सरकारी भूमियों की घेराबन्दी कराने की अभी कोई योजना नहीं है।

प्रत्येक सार्वजनिक भूमि की घेराबन्दी अभी सम्भव नहीं है।

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर के ग्राम त्रिपुरारपुर में चकबन्दी के वाद अन्तिम मानचित्र पुनरीक्षित कराने के सम्बन्ध में

9-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में चकबन्दी के अन्तिम चरण में चक तराश मानचित्र को अन्तिम रूप देते समय

गाटा सं0 622/2,623, 619/589, 928, 733, 735, 1207, 2469, 914,919घ सहित सैकड़ों गाटों के सीमांकन में हेराफेरी करते हुए स्थान परिवर्तन रकबे से अधिक अंकन, चकमार्गों को समाप्त करना ग्राम समाज की भूमि चकों में मिलाने आदि की अनियमितताएं करते हुए अंतिम मानचित्र तैयार किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता की जांच कराकर दोषियों को दण्डित करते हुए मानचित्र को पुनरीक्षित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

ग्राम के अभिलेख एवं अन्तिम भू-चित्र की सघनता से जांच की गयी। जांच में पाया गया कि प्रश्न में उल्लिखित गाटा संख्या-619/589 एक गाटा न होकर अलग-अलग गाटा संख्या-619 एवं 589 हैं। गाटा संख्या-589, 928, 733, 735, 1207, 2469, 914, 919घ अभिलेख एवं भू-चित्र में सही रूप में अंकित हैं तथा इनके आस-पास के गाटों में भी कोई गलती भू-चित्र में नहीं की गयी है।

मात्र गाटा संख्या-622/2, 623, 619 से बनी नयी गाटा संख्या-813, 814, 817 में लिपिकीय त्रुटिवाश गाटा संख्या-813 के स्थान पर गाटा संख्या-814 व गाटा संख्या-817 में दक्षिण तरफ गाटा संख्या-813 भू-चित्र में अंकित हो गया था जिसे सही रूप में दर्ज करने का आदेश कर दिया गया है।

ग्राम का धारा-52(1) में प्रख्यान दिनांक 08-04-2011 को हो चुका है। जांच में पायी गयी कमी लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आती है। उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-42-क के अन्तर्गत लिपिकीय त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है। उक्त लिपिकीय त्रुटि को संगत विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत शुद्ध कर दिया गया है इसलिये किसी के विरुद्ध कार्रवाई का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

अम्बेडकरनगर के वि0ख0 जलालपुर के ग्रा0 भरौली बड़ागांव तालाब गाटा सं0-1511ग को भू-माफियाओं से किये गये कब्जे से खाली कराने की कार्यवाही

10-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के वि0खं0 जलालपुर के ग्राम सभा भरौली बड़ागांव में तालाब गाटा सं0 1511ग, क्षेत्रफल 3-212 हे0 एवं कुम्हार मिट्टी भूमि गाटा सं0 1496 क्षेत्रफल 0.0760 पर भू-माफिया द्वारा कब्जा किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-6 नं0 111551, दिनांक 07-10-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

ग्राम सभा-भरौली बड़ागांव के अन्तर्गत राजस्व ग्राम बड़ागांव (भरौली) में स्थित गाटा संख्या-1511/0.025 हे0, फेकना पत्नी भिखारी व मु0 फूला देवी पत्नी धर्मराज ग्राम के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। इसी ग्राम की गाटा संख्या-1496/0.0760 हे0 कुम्हारी मिट्टी हेतु आरक्षित

है जिसके आंशिक 0.027 हे0 पर रामदेव पुत्र शिव नन्दन 0.017 हे0 पर बाबूलाल पुत्र बंशराज व 0.032 हे0 पर तौफीक पुत्र मजीद द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के कारण धारा-122बी के अन्तर्गत तहसीलदार, जलालपुर के न्यायालय में वाद योजित किया गया था। उक्त योजित वादों में न्यायालय द्वारा दिनांक 27-8-2016 को बेदखली का आदेश पारित किया गया था जिसका अनुपालन तत्समय कराया गया था परन्तु जांच में पाया गया कि अतिक्रमणकर्ता द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया है जिसे राजस्व टीम द्वारा मौके पर जाकर पुनः कब्जा हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत पेठिया में वर्ष 2012-13 में वर्कशेड का निर्माण कार्य पूरा कराया जाना

11-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पेठिया में वर्कशेड का कराया जा रहा निर्माण कार्य आज तक अधूरा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार आवश्यक धन निर्गत कर वर्कशेड का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

हां ग्राम पंचायत पेठिया में वर्कशेड का निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 श्रम निर्माण एवं सहकारी संघ लि0 अम्बेडकरनगर को कुल लागत रु0 5.21 लाख का 75 प्रतिशत रु0 3.90667 लाख स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत अवस्थापना मद से प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किया गया था। संस्था द्वारा कराये जा रहे वर्कशेड के निर्माण कार्य में कमियां पाये जाने के कारण तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से वर्कशेड निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। वर्ष 2012-13 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समाप्त हो गई तथा अप्रयुक्त समस्त धनराशि समर्पित कर दी गई है। योजना समाप्त होने के कारण अपूर्ण कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2017 के तृतीय मंगलवार को प्रश्न संख्या-76 के उत्तर के सम्बन्ध में विवरण

12-श्री रितेश पाण्डेय-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 के तृतीय मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या 76 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचातयी राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 जून, 2017 को जिलाधिकारी एवं 16 जून, 2017 को जिला विकास अधिकारी द्वारा क्रमशः ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध निर्गत आरोप पत्रों के क्रम में किया गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि सम्बन्धित आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

जी हां।

ग्राम पंचायत पेठिया के प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की देख रेख में खड़न्जा कार्य में प्रयुक्त खराब ईंटों को हटाकर मानक के अनुसार ईटों का प्रयोग करते हुए खड़न्जा कार्य सही करा दिया गया है। प्रकरण में गलत कार्य के लिये ग्राम प्रधान द्वारा क्षमा याचना के साथ भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध आरोप-पत्र निर्गत किया गया है। जांचोपरान्त "घोर निन्दा" एवं भर्त्सना करते हुए वर्ष 2017-18 में "विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि" प्रदान कर अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2017 के तृतीय बुधवार के प्रश्न संख्या 149 के उत्तर के सम्बन्ध में विवरण

13-श्री रितेश पाण्डेय-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 के तृतीय बुधवार के अता0 प्रश्न संख्या-149 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनियमितता में नामित जांच अधिकारी द्वारा जांच की गयी है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

राजस्व ग्राम पेठिया की कृषि आवंटन पत्रावली, स्वीकृति में अनियमितता की जांच हेतु नामित अधिकारी तहसीलदा जलालपुर द्वारा स्थल पर जाकर जांच की गयी। जांच में पाया गया कि भूमि प्रबन्धक समिति पेठिया द्वारा कृषि आवंटन हेतु कुल 42 व्यक्तियों के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया है, जिनमें से रामकेवल पुत्र राजाराम, झिनका पत्नी मिठाई लाल, दुर्गा प्रसाद पुत्र बाबूलाल, देवकी पत्नी दुर्गा प्रसाद (पति-पत्नी) को संयुक्त व फूलादेवी पत्नी राजाराम को भूमि प्रबन्धक समिति पेठिया का सदस्य होने के कारण बिना अनुमति प्राप्त किये 04 आवंटी अपात्र पाये गये, क्योंकि उक्त लोगों के द्वारा जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी। फलस्वरूप इन चारों आवंटियों का कृषि आवंटन प्रस्ताव तत्समय ही अस्वीकृत कर दिया गया था। उक्त प्रस्ताव में सम्मिलित शेष 38 आवंटियों को स्वीकृत किये गये कृषि आवंटन के विरुद्ध अखिलेश आदि द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-128 के अन्तर्गत पट्टा निरस्तीकरण का वाद अखिलेश आदि बनाम फूलचन्द्र आदि योजित किया गया है, जिसकी विस्तृत जांच आख्या न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है। उक्त कृषि आवंटन में किसी मृतक व्यक्ति के नाम आवंटन नहीं हुआ है। पात्र व्यक्तियों का चयन करके उपलब्ध बंजर एवं नवीन परती भूमि का आवंटन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में पुलिस एनकाउन्टर में मारे गये अपराधी सुमित गुर्जर के विरुद्ध कुल आपराधिक मुकदमों के सम्बन्ध में जानकारी

14-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 2017 में जनपद गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा इनकाउन्टर में मारे गये कथित अपराधी सुमित गुर्जर के विरुद्ध कितने आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं तथा उक्त एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के क्या निष्कर्ष हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कुल 05 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं तथा उक्त एनकाउन्टर की मजिस्ट्रियल जांच उप जिलाधिकारी, सदर, गौतमबुद्ध नगर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के मछलीशहर तहसील में लेखपालों द्वारा अपात्रों को आय प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की जानकारी

15-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद की मछलीशहर तहसील में विभिन्न लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक आय प्रमाण-पत्र निर्गत करने में लेखपालों द्वारा मनमानी करने तथा मनमाने ढंग से पात्र व गरीब लाभार्थियों का गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण-पत्र निर्गत न कर अपात्रों व पक्के मकान वालों, बड़े काश्तकारों व वाहन स्वामियों को गरीबी रेखा के नीचे का आय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पर कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। जिलाधिकारी, जौनपुर की आख्यानुसार जनपद जौनपुर की तहसील मछलीशहर में लेखपालों द्वारा आय प्रमाण-पत्र बनाने में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में यूपी पुलिस की डायल 100 सेवा पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

16-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 पुलिस की डायल 100 सेवा पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध वसूली, समझौते के नाम पर धन उगाही तथा अपनी ड्यूटी के समय बरती जा रही गंभीर लापरवाही की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसे रोकने पर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

यू0पी0-100 सेवा पर तैनात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त न होने पर तत्काल जांच करायें एवं पुष्टि होने पर सम्बन्धित कर्मी के विरुद्ध नियमानुसार अविलम्ब उदाहरणात्मक विधिक/अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये।

जनपद जौनपुर के वि0स0क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर नगर पालिका में स्थित हिन्दू इण्टर कालेज में की जा रही अनियमितता की जांच वरिष्ठ अधिकारी से किया जाना

17-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-07-2017 जो कि जनपद जौनपुर की मुंगराबादशाहरपुर नगरपालिका में स्थित हिन्दू इन्टर कालेज में की जा रही व्यापक अनियमितता की किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराये जाने विषयक है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-07-2017 जो कि जनपद जौनपुर की मुंगराबादशाहपुर नगर पालिका में स्थित हिन्दू इण्टर कालेज में की जा रही व्यापक अनियमितता की जांच विषयक है, प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता है।

विषयगत शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त पत्र के सापेक्ष कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के महिला विधायकों को एक अतिरिक्त गनर उपलब्ध कराने की व्यवस्था

18-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की महिला विधायकों की विशेष सुरक्षा की आवश्यकता को समझते हुए प्रदेश की सभी महिला विधायकों को एक अतिरिक्त गनर उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

क्योंकि इस सम्बन्ध में पूर्व से ही मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में नीति निर्धारित है जिसमें सभी मा0 विधायकगण (पुरुष/महिला) को पदेन गनर के अलावा औचित्य पाये जाने पर अतिरिक्त गनर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

जनपद झांसी में सूखे एवं सिंचाई के साधन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र संख्या-610062, दिनांक 02-02-2018 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

19-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 610062, दिनांक 02-02-2018 का है, जो कि जनपद झांसी में सूखे एवं सिंचाई के साधन के अभाव में रबी की फसल की बुवाई नहीं हो पायी है जिससे किसानों की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि बुवाई के बगैर खाली रह गयी है तथा फसल बर्बादी के मुआवजे के सम्बन्ध में है, मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

भारत सरकार के सूखा मैनुअल, 2016 में निर्धारित मानकों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के किसी भी जनपद में खरीफ सूखे की स्थिति नहीं पायी गयी है। मानसून सत्र में कम वर्षा के कारण खरीफ की फसलों में हुयी क्षति के फलस्वरूप जनपद झांसी के जिलाधिकारी के संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-2022/एक-10-2017-33(105)/2017, दिनांक 21-12-2017 द्वारा जनपद झांसी के प्रभावित तहसीलों मऊरानीपुर के 26 ग्रामों, गरौंठा के 21 ग्रामों व टहरौली के 18 ग्रामों में भू-राजस्व देयों की वसूली जून, 2018 तक स्थगित की गयी है।

भारत सरकार के सूखा मैनुअल, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रदेश में सूखे की स्थिति का आंकलन किये जाने हेतु शासन के आदेश संख्या-57/1-11-2018-6(जी)/2018, दिनांक 19-01-2018 द्वारा राज्य स्तर पर राहत आयुक्त की अध्यक्षता में सूखा मानीटरिंग कमेटी (डी0एम0सी0) का गठन किया गया है। उक्त समिति की बैठक दिनांक 20-03-2018 को निर्धारित है। डी0एम0सी0 द्वारा रबी सूखे के सम्बन्ध में संस्तुति किये जाने पर प्रकरण में शासन द्वारा यथास्थिति रबी सूखा घोषित किये जाने एवं इस सम्बन्ध में राहत सम्बन्धी कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों को पहले दिये जाने का विचार

20-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत बन रहे शौचालयों में सरकार द्वारा दी जाने वाली रुपया 12000 की प्रोत्साहन राशि जो बाद में देने का प्राविधान है ? क्या सरकार उक्त को शौचालय बनने से पहले लाभार्थी को देने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार (इकाई लागत) प्रोत्साहन धनराशि रु0 12000/- लाभार्थी को दो किश्तों में दिये जाने का प्रावधान है, प्रथम किश्त की धनराशि शौचालय निर्माण के पूर्व प्रोत्साहन के रूप में तथा द्वितीय किश्त की धनराशि शौचालय निर्माण पूर्ण होने व उसका उपयोग प्रारम्भ करने पर देय है।

स्वीकृति-पत्र निर्गत होने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा शौचालय का निर्माण कराकर तथा भारत सरकार की वेबसाइट पर शौचालय की जियो टैगिंग के पश्चात् एक मुश्त प्रोत्साहन धनराशि भी दी जा सकती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एक केन्द्र वित्त पोषित योजना है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है।

प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक समान दिये जाने हेतु विचार किया जाना

21-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत बनाये जा रहे शौचालयों में नगर पालिका क्षेत्र में प्रोत्साहन की धनराशि बीस हजार दिये जाने का प्राविधान है तथा उसी शौचालय का ग्रामीण क्षेत्र में 12000 देने का प्राविधान है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त धनराशि को समान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ, भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित होने वाले प्रति शौचालय के लिए प्रोत्साहन धनराशि रु0 12,000/- दिये जाने का प्राविधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा पृथक-पृथक गाइड लाइन निर्गत की गयी है। नगर पालिकाएं शहरी क्षेत्र के अन्दर आती हैं।

जी नहीं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एक केन्द्र वित्त पोषित योजना है तथा शौचालय की इकाई लागत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

जनपद लखीमपुर खीरी में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को रोकने की कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

22-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

अपराध की रोकथाम के लिए यू0पी0 डायल 100 की 56 गाड़ियां 24 घण्टे अपने-अपने प्वाइंट पर तैनात रहती हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में गठित एन्टी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा स्कूल/कालेज के पास नियमित चेकिंग तथा जनपद में तैनात पुलिस बल द्वारा समय-समय पर पैदल गश्त सुनिश्चित की जाती है। पुलिस अधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि के समय प्रभावी गश्त की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप जनपद में वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2017 में अपराधों में कमी आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के वि0ख0 मोहम्मदी व पसगवां के आंगनबाड़ी केन्द्रों में निम्न स्तर पर बंटने वाले पौष्टिक आहार के सम्बन्ध में जानकारी

23-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में आंगनबाड़ी केन्द्रों में निम्न स्तर का पौष्टिक आहार वितरित किये जाने के कारण ग्रामीण अंचलों में बीमारियां फैलने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का उच्च स्तरीय भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

विकास खण्ड मोहम्मदी एवं पसगवां में निम्न स्तर का पोषाहार लाभार्थियों को वितरित नहीं किया गया है और न ही पोषाहार के वितरण से बीमारियां फैलने की शिकायत/सूचना संज्ञान में आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के एडेड डिग्री कालेजों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को विनियमित किये जाने पर विचार किया जाना

24-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में एडेड डिग्री कालेजों में कार्यरत संविदा शिक्षकों के विनियमितीकरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जनपद लखीमपुर खीरी में एडेड डिग्री कालेजों में संविदा शिक्षक कार्यरत नहीं हैं। अतः विनियमितीकरण का प्रश्न ही नहीं है।

उपरोक्तानुसार

प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्र में विधान मण्डल की संस्तुति पर 500-500 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाने पर विचार किया जाना

25-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक विधान मण्डल सदस्यों की संस्तुति पर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 500-500 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान आंकलित आबादी 16,98,22,221 के सापेक्ष अब तक 27,71,774 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। प्रदेश में 61 की आबादी पर एक इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक 150 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प के सापेक्ष अधिक हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार प्रदेश पेयजल मानक के दृष्टि से संतृप्त है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन विभाग द्वारा संचालित 'त्वरित आर्थिक विकास योजना'' के अन्तर्गत प्रत्येक मा0 सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद् की संस्तुति पर उनके निर्वाचन क्षेत्रों में 100-100 नये इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के वि0स0 क्षेत्र धौरहरा में पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तैनाती

26-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सकों की तैनाती करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन, लघु सिंचाई एवं मत्स्य मंत्री (श्री एस0 पी0 सिंह बघेल)-

जी हां।

लोक सेवा आयोग से पशु चिकित्साधिकारी के पद पर चयनोपरान्त संस्तुतियां प्राप्त होने पर नियमित तैनाती की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के वि0ख0 सिकन्दराबाद व ऊँचा गांव में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या एवं कुल नियुक्त अध्यापकों की संख्या के सम्बन्ध में

27-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद तथा ऊंचा गांव के प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान शैक्षिक सत्र में दिनांक 31-12-2017 तक कुल कितने छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उन्हें पढ़ाने के लिए उक्त विद्यालयों में कुल कितने अध्यापक नियुक्त थे ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद में छात्र-छात्राओं की संख्या-17398 तथा विकास खण्ड ऊँचा गांव में छात्र-छात्राओं की संख्या-9046 है।

विकास खण्ड सिकन्दराबाद में कुल अध्यापकों की संख्या-544 तथा विकास खण्ड ऊँचा गांव में अध्यापकों की संख्या-106 है।

जनपद कुशीनगर में महिला महाविद्यालय की स्थापना करने विषयक

28-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय सरकार खोलेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कसया में 01 अशासकीय एवं 07 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जिसमें 01 महिला महाविद्यालय है। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कसया में नये राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना/निर्माण किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद कानपुर देहात के वि0स0 क्षेत्र रसूलाबाद में महिला महाविद्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में

29-श्रीमती निर्मला संखवार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विधान सभा क्षेत्र में छात्राओं के अध्ययन करने हेतु महिला महाविद्यालय/राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है जिस कारण छात्राओं को स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने में अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्राओं की शिक्षा की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-कानपुर देहात के रसूलाबाद विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 12 महाविद्यालय स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित हैं, जिसमें एक महिला महाविद्यालय है। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत कानपुर देहात के रसूलाबाद विधान सभा क्षेत्र में नये राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना/निर्माण किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद जौनपुर के वि0 खं0 मुंगराबादशाहपुर के ग्राम पंचायत पंवारा में ग्राम प्रधान तथा अधिकारियों के द्वारा फर्जी किये गये काम के विरुद्ध दिये गये पत्र दिनांक 24-05-2017 पर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

30-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास खंड मुंगरा बादशाहपुर की ग्राम पंचायत पंवारा में ग्राम प्रधान तथा अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी खाद्यान्न वितरण, अपात्रों को राशन कार्ड, अपात्रों को विभिन्न पेंशन, एक ही खड़ंजे का कई बार

निर्माण दिखाकर सरकारी धन का गबन, फर्जी आई0डी0 बनाकर मनरेगा की धनराशि का गबन जैसी गंभीर अनियमितताओं पर जांच करने हेतु जिलाधिकारी, जौनपुर को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 मई, 2017 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-5-2017 जांच हेतु खण्ड विकास अधिकारी, मुंगराबादशाहपुर को प्रेषित किया गया। खण्ड विकास अधिकारी, मुंगरा बादशाहपुर द्वारा पांच सदस्यों की टीम-सहायक विकास अधिकारी (पं0), सहायक विकास अधिकारी (स0क0), अवर अभियन्ता (ल0सि0), बी0ओ0 (पी0बी0डी0) एवं तकनीकी सहायक (मनरेगा) गठित कर जांच करायी गयी। उक्त जांच में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

31-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत उपकरण नहीं है, ऐसे सभी विद्यालयों का निरीक्षण कराते हुए सभी विद्यालयों में क्या सरकार विद्युतीकरण एवं विद्युत उपकरण स्थापित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

बजट की उपलब्धता होने पर चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत घाघरा नदी के कटान से विस्थापित व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने की मांग

32-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत महुआ सडवल बन्धा के उत्तरांचल में घाघरा नदी के कटाव से विस्थापित हुए व्यक्तियों की सरकार आवास की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में घाघरा नदी की कटान से कोई भी आवासीय मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। इस कारण उस क्षेत्र का कोई भी विस्थापित नहीं हुआ है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र के ब्लाक देवारांचल में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में

33-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत ब्लाक हरैया में छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महिला महाविद्यालय न होने के कारण गरीब छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ब्लाक के देवारांचल में राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के ब्लाक हरैया में 11 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जिसमें 02 महिला महाविद्यालय हैं। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा उक्त ब्लाक में छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के ब्लाक हरैया में नये राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना/निर्माण किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद-आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत ब्लाक हरैया में टंकियों का निर्माण एवं पाइप लाइन लगाकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना

34-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत ब्लाक हरैया में जिन पेयजल टंकियों के निर्माण के लिए धन आवंटन किया गया है, का अभी तक निर्माण नहीं हुआ और न ही पाइप लाइनें डाली गयी हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में पेयजल की समस्या के निदान हेतु उक्त टंकियों का निर्माण एवं पाइप लाइन बिछाकर ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत ब्लाक हरैया में क्रमशः चांदपट्टी, अराजी देवारा करखिया, नैनीजोर पाइप पेयजल योजना स्वीकृत है।

चांदपट्टी पाइप पेयजल योजना वर्ष 2010-11 में स्वीकृत हुई थी। योजना का स्थल विवादित होने के कारण कार्य लगभग 06 वर्ष बाद प्रारम्भ हुआ। योजना में एक नलकूप एवं एक पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

अराजी देवारा, करखिया पाइप पेयजल योजना में 03 नलकूपों में से 02 नलकूप के छिद्रण का कार्य, एक पम्प हाउस एवं जलकल स्थल की बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एक

किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। दूसरे पम्प हाउस एवं स्टाफ क्वार्टर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

अराजी देवारा, नैनीजोर पाइप पेयजल योजना हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य लम्बित है। भूमि प्राप्त करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के वि0स0 क्षेत्र बबीना के किसानों को पुनर्वास के पट्टे उपलब्ध कराने विषयक

35-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में बबीना सैन्य क्षेत्र की स्थापना के समय वर्ष 1992-1994 में यहाँ से विस्थापित सभी किसानों को पुनर्वास के पट्टे अभी तक न मिलने से उनके समक्ष रोजी-रोटी एवं परिवार पालन का संकट रहता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सभी किसानों को पुनर्वास के पट्टे उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद झांसी की तहसील के बबीना सैन्य क्षेत्र से विस्थापित परिवारों की रोजी रोटी एवं परिवार पालन का कोई संकट नहीं है।

बबीना सैन्य क्षेत्र की स्थापना के समय विस्थापित किसानों में से 630 व्यक्ति पुनर्वास पट्टे प्राप्त करने हेतु अवशेष हैं। अवशेष व्यक्तियों को 13 ग्रामों में चल रही सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं एवं 2 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया चलने से पुनर्वास भूमि के पट्टे नहीं दिये जा सके हैं। 13 ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें एवं 2 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण करने की कार्रवाई प्रचलित है। इसके पूर्ण होने के पश्चात् शेष किसानों को पुनर्वास पट्टे आवंटन की नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा के जी0बी0 पन्त छात्रावास परिसर में 550 क्षमता का बहुमंजिला छात्रावास के निर्माण हेतु

36-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा के जी0बी0 पंत छात्रावास परिसर में 550 क्षमता का बहुमंजिला छात्रावास निर्माण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या एम0ई0/बजट/2015-16/728 (आई), दिनांक 05-02-2016 के द्वारा रुपये 2939.52 लाख का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कालेज के मैरिड रेसीडेण्ट्स हास्टल के जर्जर भवन का निर्माण पुनः सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में जी0बी0 पन्त छात्रावास परिसर में 500 बेडेड क्षमता के बहुमंजिला छात्रावास के निर्माण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/782, दिनांक 05-02-2016 द्वारा रु0 2939.52 लाख का प्रस्ताव आगणन प्राप्त हुआ है, परन्तु बजट व्यवस्था न होने के कारण स्वीकृति की कार्रवाई नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा मुहैय्या कराये जाने के सन्दर्भ में विवरण

37-श्री पंकज गुप्ता-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा मुहैय्या कराये जाने हेतु कोई योजना है ? यदि है, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत हैण्डपम्प की व्यवस्था किये जाने हेतु रु0 10 करोड़ की धनराशि शिक्षा निदेशक, बेसिक को आवंटित की जा चुकी है। प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा बजट की उपलब्धता होने पर चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा।

उक्तवत्।

जनपद हरदोई के वि0स0 क्षेत्र बिलग्राम में पं0 दीनदयाल उपाध्याय मॉडल राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

38-श्री आशीष कुमार सिंह "आशू"-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम मल्लावां के गंगा कटरी क्षेत्र जो शैक्षिक स्तर से काफी पिछड़ा है, में पं0 दीनदयाल उपाध्याय मॉडल राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय मॉडल राजकीय इण्टर कालेज के भवन का निर्माण केन्द्र पुरोनिधानित मॉडल स्कूल योजना के अन्तर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में कराया गया है। तत्क्रम में जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन, कोथावां एवं टडियांवा में पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज की स्थापना की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा मॉडल स्कूल योजना डी-लिंक कर दी

गयी है। अतः गंगा-कटारी, विकास खण्ड माधोगंज में पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज की स्थापना लक्षित नहीं है।

प्रदेश में क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को मासिक मानदेय देने की व्यवस्था के सम्बन्ध में

39-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गठित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मासिक मानदेय देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा मात्र क्षेत्र पंचायत की बैठकों में प्रतिभाग किया जाता है, इस हेतु उन्हें प्रति बैठक प्रति सदस्य के हिसाब से शासनादेश में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार भत्ता प्रदान किया जाता है। अतः क्षेत्र पंचायत सदस्यों को वर्तमान में दिये जा रहे भत्ते के अतिरिक्त मासिक मानदेय दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

जनपद बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़ के गाटा संख्या-36 रकबा 0.138 हे0 पर कब्जा हटाने की मांग

40-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व ग्राम धरौली मजरे सहाबर परगना व तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में चकबन्दी की प्रक्रिया के दौरान भूमिधरी गाटा संख्या 36 रकबा 0.138 हे0 भू-स्वामी अनुसूचित जाति दलित महिला बेवा की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण करा लिया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच करवा कर खाली कराने की कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। दिनांक 14 जुलाई, 2014 की श्री सहजराम पुत्र जय बख्श सिंह, फूलमती पत्नी सहजराम, उदय प्रताप सिंह, शिवप्रताप सिंह पुत्रगण बाबूराम द्वारा विवादित भू-खण्ड गाटा संख्या-36 मि0 रकबा 0.138 हे0 भूमि पर कब्जा किया गया, जिसके विरुद्ध न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन हैदरगढ़ कोर्ट नं0-24 बाराबंकी के समक्ष श्रीमती शिवपता बनाम सहजराम आदि वाद संख्या-167/2014 दाखिल किया गया जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-07-2014 के माध्यम से यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। स्थल पर मा0 न्यायालय के आदेश के अनुसार यथास्थिति कायम है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में

41-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में संचालित द्वितीय पाली में शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्य कर रहे कर्मचारियों का मानदेय/वेतन राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं के कर्मचारियों के समान दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनके मानदेय/वेतन को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

प्रदेश के पालीटेक्निक संस्थाओं में संचालित द्वितीय पाली में शैक्षणिक कर्मचारियों का मानदेय अनुदानित पालीटेक्निकों एवं राजकीय पालीटेक्निकों में एक समान है, किन्तु अनुदेशक/कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मानदेय समान नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं।

शासनदेश सं0-1707/सोलह-3-2015-15(30)/2009 दिनांक 26 नवम्बर, 2015 द्वारा राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निकों में द्वितीय पाली में प्रवेश को शैक्षिक सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान क्रमिक रूप से बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव अनुदानित पालीटेक्निकों के शिक्षणेत्तर कार्मिकों का मानदेय/वेतन बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रदेश में ग्राम पंचायत में मानदेय पर नियुक्त ग्रा0 रोजगार सेवकों को नियमित करने की व्यवस्था

42-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों में मानदेय पर नियुक्त ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित नियुक्ति किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं। मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा-18 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :-

"मनरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारियों को आवश्यक स्टाफ और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगी।"

भारत सरकार के पत्र संख्या-28012/3/05-06-नरेगा, दिनांक 30 मार्च, 2007 के प्रस्तर-7 में स्पष्ट रूप से निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं-

"इस कार्यक्रम के तहत कोई स्थायी पद सृजित नहीं किए जाने हैं और भारत सरकार इसके तहत किसी भी स्थायी पद के लिए कोई दायित्व नहीं लेगी।"

उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना अधिनियम आधारित एवं मुख्यतः केन्द्र वित्त पोषित योजना है। योजनान्तर्गत सभी प्राविधान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा देने की योजना

43-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

समेकित बाल विकास परियोजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सेवाएं मानदेय पर आधारित हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में सरकारी गौ-शालाओं में गायों के पालन-पोषण की व्यवस्था के सम्बन्ध में

44-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी गौ-शाला कितनी हैं, उनमें रहने वाले पशुओं के भरण-पोषण की व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0पी0 सिंह बघेल-

पशुपालन विभाग के अधीन कोई सरकारी गौ-शाला संचालित नहीं है। वर्तमान में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कुल 495 गौ-शाला संचालित हैं, जो उत्तर प्रदेश गौ-शाला अधिनियम-1964 के तहत पंजीकृत है।

मण्डी सेस/शुल्क के एक प्रतिशत की धनराशि (अनुमानित रु0 10.00 करोड़) से पंजीकृत गौ-शालाओं में संरक्षित गो-वंश के भरण-पोषण की व्यवस्था की जाती है, जोकि एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एडेड डिग्री कालेजों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को विनियमित किया जाना

45-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एडेड डिग्री कालेजों में कार्यरत संविदा शिक्षकों का विनियमितीकरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 श्री दिनेश शर्मा-

प्रदेश के एडेड डिग्री कालेजों में संविदा शिक्षक कार्यरत नहीं हैं। अतः विनियमितीकरण का प्रश्न नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में 250 सीटेड छात्रावास निर्माण हेतु पत्र संख्या-एन0ई0/बजट/2015-16/783 (i), दिनांक 05-02-2016 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

46-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में 250 सीटेड छात्रावास निर्माण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2015-16/783 (आई), दिनांक 05-02-2016 के द्वारा रुपये 1788.25 लाख का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

विषयगत निर्माण हेतु पत्र संख्या-1425/71-1-2015-जी-11/20, दिनांक 19-08-2015 द्वारा राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया जा चुका है। साथ ही शासनादेश संख्या-175/2016/2086/71-1-2016-जी-11/2015 टी0सी0, दिनांक 04-08-2016 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रु0 1686.59 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष रु0 674.43 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा के आदेश संख्या-145-एमई-बजट-2016-17/145, दिनांक 11-08-2016 द्वारा सम्बन्धित मेडिकल कालेज को आवंटित की जा चुकी है एवं जिसे कार्यदायी संस्था को हस्तगत किया जा चुका है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा अनुमोदित ले-आउट प्लान में लगभग आधे भाग में पुराने एवं जर्जर भवन खड़े हुए हैं। महानिदेशक, चिकित्सा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3728, दिनांक 21-02-2018 द्वारा मेडिकल कालेज, आगरा परिसर में ओवरहेड टैंक एवं अण्डरग्राउण्ड वाटर टैंक में ध्वस्तीकरण से पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था हेतु मानक मद-24 वृहद निर्माण में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में रु0 62.99 लाख का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में 250 सीटेड छात्राओं के छात्रावास निर्माण हेतु पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2015-16/803 (i), दिनांक 10-02-2016 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

47-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में 300 छात्राओं की क्षमता के छात्रावास निर्माण हेतु महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2015-16/803 (आई), दिनांक 10-02-2016 के द्वारा रुपये 2658.00 लाख का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

महानिदेशक के पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/803, दिनांक 10-02-2016 द्वारा मेडिकल कालेज, आगरा में 300 छात्राओं की क्षमता के छात्रावास के निर्माण हेतु रु0 2658.00 लाख के आगणन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, परन्तु बजट व्यवस्था न होने के कारण स्वीकृति की कार्रवाई नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में ओ0पी0डी0 ब्लाक जी+3 भवन निर्माण हेतु पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2015-16/802 (i), दिनांक 10-02-2016 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

48-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में ओ0पी0डी0 ब्लाक जी+ 3 भवन निर्माण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2015-16/802 (आई), दिनांक 10-02-2016 के द्वारा रुपये 6237.00 लाख का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

मेडिकल कालेज, आगरा में ओ0पी0डी0 ब्लाक जी+3 भवन निर्माण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/802, दिनांक 10-02-2016 द्वारा रु0 6237.00 लाख का आगणन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, परन्तु बजट व्यवस्था न होने के कारण स्वीकृति की कार्रवाई नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में 100 बेडेड एडवान्स पीडियाट्रिक सर्जरी सेन्टर निर्माण हेतु पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2015-16/799 (i), दिनांक 09-02-2016 पर कार्यवाही हेतु

49-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में 100 बेडेड एडवांस पीडियाट्रिक सर्जरी सेंटर निर्माण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2015-16/799 (आई), दिनांक 09-02-2016 के द्वारा रुपये 669.02 लाख का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

मेडिकल कालेज, आगरा में 100 बेडेड एडवांस पीडियाट्रिक सर्जरी सेन्टर निर्माण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2015-16/799, दिनांक

09-02-2016 द्वारा रु0 669.00 लाख का प्रस्ताव बजट व्यवस्था न होने के कारण स्वीकृति की कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में फार्मेसी विभाग का पी0सी0आई0 के मानक के अनुसार निर्माण विषयक

50-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में फार्मेसी विभाग का पी0सी0आई0 के मानकों के अनुसार निर्माण कार्य कराने हेतु परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, सूडा इकाई, आगरा से गठित कराकर रुपये 1251.14 लाख का प्रस्ताव पत्र संख्या एस0पी0एस0/2016-17/2573 दिनांक 06-05-2016 महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में स्थित न्याय पंचायत परेवाटार, नौकाछपरा आदि गांवों को वि0ख0 कसया से सम्बद्ध किये जाने हेतु सर्वेक्षण

51-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद व विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर की तहसील कसया की सीमा में स्थित न्याय पंचायत परेवाटार, नोकाछपरा, अहिरौली, चिरगोड़ा और कुरमौटा न्याय पंचायत के लगभग 35 से 40 गांव जो विकास खण्ड हाटा के अन्तर्गत आते हैं, लेकिन सीधे मार्ग से जुड़े न होने के कारण इन गांवो के लोगों को विकास खण्ड हाटा मुख्यालय तक जाने में काफी दूरी तय करनी पड़ती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित न्याय पंचायतों के सभी गांवो को कसया विकास खण्ड से सम्बन्ध करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

प्रश्न में वर्णित न्याय पंचायतों परेवाटार, नौका छपरा, अहिरौली, चिरगोड़ा एवं कुरमौटा में कुल 33 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं, जिनका सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के वि0स0 क्षेत्र बबीना के ब्लाक बड़ागांव के ग्राम बरेठी, तैदोल आदि स्थानों पर पेयजल की समस्या के समाधान हेतु कार्रवाई

52-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक बड़ागांव के ग्राम-बरेठी, तैदोल, तिलैथा, घुघुवा, जरवों एवं चिपलौठा में पेयजल की भीषण समस्या के कारण वहाँ के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार पेयजल की भीषण समस्या के दृष्टिगत पानी की टंकी का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत प्रश्न में उल्लिखित समस्त ग्राम बरुआसागर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत आते हैं। वर्तमान में स्राव की कमी के कारण ग्राम जरवों एवं घुघुवा में जलापूर्ति बन्द है। उक्त पेयजल योजना को पुनरीक्षित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इसके अतिरिक्त उक्त ग्रामों में पेयजल हेतु निम्नानुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापित/क्रियाशील हैं :-

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	वर्ष 2011 की जनसंख्या	क्रियाशील हैण्डपम्प	प्रति हैण्डपम्प लाभान्वित जनसंख्या
1	2	3	4	5
1	बरेठी	738	13	57
2	चिपलौटा	1462	24	69
3	घुघुवा	1557	31	57
4	जरवों	2251	12	188
5	तिलैथा	1860	23	92
6	तैदोल	3258	34	109

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के वि0स0 क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के ग्राम रामनगर में पानी की टंकी का निर्माण कराया जाना

53-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के ग्राम-रामनगर में पेयजल आपूर्ति हेतु 30 वर्ष पूर्व बनी पानी की टंकी छोटी होने के कारण वहाँ के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार एक अन्य पानी की टंकी का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के ग्राम-रामनगर में स्थापित पेयजल योजना का निर्माण वर्ष 1993 में हुआ था। योजनान्तर्गत एक पम्प हाउस, 75 किलो लीटर/20 मीटर स्टेजिंग क्षमता के एक ओ0एच0टी0, 1.95 किलो लीटर राइजिंग मेन एवं 1.23 किलो मीटर वितरण प्रणाली का निर्माण किया गया था। ग्राम रामनगर की कुल आबादी लगभग 1,630 है। उक्त ग्राम हेतु पानी की टंकी की क्षमता पर्याप्त है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम रामनगर में 12 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जो क्रियाशील हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के वि0स0 क्षेत्र बबीना निवासरत में भूमिहीन रायकवार समुदाय हेतु तालाबों के पट्टे आवंटित करने की कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

54-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में निवासरत भूमिहीन रायकवार (धीवर) समुदाय को मछली पालन हेतु तालाबों के पट्टे आवंटित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है तथा वर्ष 2014 से अब तक कितने भूमिहीन रायकवार (धीवर) को पट्टे आवंटित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल-

जी हां।

उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-61 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-57 व 58 में दिये गये प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से सिंघाड़ा उत्पादन अथवा मत्स्य पालन के लिए तालाबों का आवंटन वरीयता क्रम में किया जाता है।

जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2014 से अब तक तहसील-झांसी में 01 पट्टा रायकवार (धीवर) समुदाय व 02 पट्टे मत्स्यजीवी सहकारी समिति लि0 बबीना तथा तहसील-मोंठ में 03 पट्टे रायकवार (धीवर) समुदाय को मछली पालन हेतु तालाब के पट्टे आवंटित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र सगड़ी के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य योजना

55-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे सभी विद्यालय जिनमें इण्डिया

मार्का-2 हैण्ड पम्प स्थापित है तथा गर्मी के शुरू होते ही पानी छोड़ देते है अथवा गन्दा पानी देने लगते हैं, की डीप रि-बोरिंग समरसेबिल पम्प स्थापित कर ओवर हेड टैंक से स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्तमान में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापित हैं।

शासनादेश सं0-85/2017/2244/33-3-2017-46/2015, दिनांक 28 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य 14वें वित्त आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र सगड़ी में फायर स्टेशन की स्थापना कराया जाना

56-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में फायर सर्विस स्टेशन नहीं होने से भीषण आग से प्रति वर्ष किसानों की लगभग 100 एकड़ फसल जलकर राख हो जाती है ? यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र में फायर स्टेशन का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

दिनांक 01-01-2017 से 31-12-2017 तक विधान सभा क्षेत्र सगडी में अग्नि से होने वाली घटनाओं से 94 एकड़ फसल जल कर नष्ट हुयी है। जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में फायर स्टेशन नहीं है, परन्तु तहसील सगड़ी के अन्तर्गत कस्वा महराजगंज में स्थापित फायर स्टेशन से जानमाल की सुरक्षा की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र सगड़ी के वि0ख0 हरैया में वर्ष 2017-18 में कुल रि-बोर किये हैण्डपम्पों की संख्या के सम्बन्ध में

57-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत विकास खण्ड हरैया व आजमगढ़ में वर्ष 2017-2018 में कितने हैण्डपम्प रि-बोर कराये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में हैण्डपम्प रि-बोर कराये जाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड हरैया में 30 हैण्डपम्प रि-बोर कराये गये हैं। जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ के नाम से कोई विकास खण्ड नहीं है।

जी हां।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड हरैया में 84 हैण्डपम्प रि-बोर कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम पंचायत छपरा सुल्तानपुर में वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 में कुल स्वीकृत धन एवं कराये गये कार्यों में हुई अनियमितता की जांच

58-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की ग्राम पंचायत छपरा सुल्तानपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 व 2017-18 में कितना धन किस मद में मिला तथा स्वीकृत धन से कौन-कौन से कार्य पूर्ण कराये गये ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि पूर्ण कराये गये कार्य मानक के अनुरूप नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद आजमगढ़ की ग्राम पंचायत छपरा सुल्तानपुर के ग्राम निधि प्रथम खाते में वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में प्राप्त धनराशि एवं स्वीकृत धनराशि से पूर्ण कराये गये कार्यों की सूची संलग्न[†] है।

इस सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार सिंह का शिकायती-पत्र दिनांक 07-7-2017 प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच टी0ए0सी0 आजमगढ़ से करायी गयी। जांच आख्या के अनुसार कार्य मानक के अनुरूप न पाये जाने के कारण जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा अपने पत्र दिनांक 9-2-2018 द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत छपरा सुल्तानपुर जनपद आजमगढ़ को पंचायत राज ऐक्ट की धारा-95(1) छः के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अन्य दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का निर्देश जारी किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित निजी कान्वेंट स्कूलों द्वारा फीस के सम्बन्ध में सरकार इनके रेगुलेशन के लिए कोई कठोर और स्पष्ट नीति बनाने के सम्बन्ध में

59-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित निजी कान्वेंट स्कूलों द्वारा फीस के सम्बन्ध में की जा रही मनमानी, निर्धारित दुकानों से ही कापी किताब स्टेशनरी व ड्रेस लेने की बाध्यता तथा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इतर सेलेबस पढ़ाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ?

[†] छापी नहीं गयी।

यदि हाँ, तो क्या उक्त के निराकरण हेतु सरकार कोई कठोर एवं कारगर नीति बनायेगी ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

कतिपय विद्यालयों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है।

जी हां।

फीस नियमन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्तर से दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0ख0 सूजानगंज में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में

60-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास खण्ड सुजानगंज में शैक्षिक पिछड़ेपन व महाविद्यालयों के अभाव के कारण बालिका शिक्षा हेतु सरकार "राजकीय महिला महाविद्यालय" की स्थापना करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-04-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 विधायकों द्वारा गोद लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विकास के लिये कार्य योजना

61-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विकास के लिए कार्य योजना बनाने हेतु सरकार सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

प्रदेश के समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विकास (अवस्थापना सुविधाओं) के लिए कार्य योजना बनाई जा चुकी है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली व जनपद सहारनपुर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक स्टूडेंट अनुपात के सम्बन्ध में

62-श्री नाहिद हसन-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली व सहारनपुर के कुल कितने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय एकल विद्यालय के रूप में संचालित हो रहे हैं तथा कुल कितने विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की संख्या शिक्षक विद्यार्थी के मान्य अनुपात से अधिक है ? क्या सरकार

एकल विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने तथा सरप्लस शिक्षकों की संख्या वाले स्कूलों में से कम शिक्षकों वाले स्कूलों में तैनात करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद शामली में कुल 15 प्राथमिकी व उच्च प्राथमिक विद्यालय एकल विद्यालय के रूप में संचालित हो रहे हैं किन्तु उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। कुल 183 प्राथमिक एवं 39 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या शिक्षक अनुपात छात्र अनुपात से अधिक है।

एकल विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने तथा सरप्लस शिक्षकों की संख्या वाले स्कूलों में से कम शिक्षकों वाले स्कूलों में तैनाती हेतु शासनादेश संख्या-1088/79-5-17-15(149)/10टी0सी0, दिनांक 13-6-2017 द्वारा समायोजन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी किन्तु मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-30538/2017 अजय कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं याचिका सं0-31062/2017 सुबोध कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर परिषदीय विद्यालयों में की जा रही समायोजन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सहायता प्राप्त हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों एवं लिपिकों के कुल रिक्त पदों की संख्या एवं नियुक्ति किया जाना

63-श्री मानवेन्द्र सिंह

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापकों एवं लिपिकों के कितने पद वर्तमान समय में रिक्त हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उक्त पदों पर भर्ती पर रोक लगायी गयी थी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पदों से रोक हटाकर नवीन शैक्षिक-सत्र 2018-19 जो कि 1 अप्रैल, 2018 से प्रारम्भ होगा उससे पूर्व प्रदेश में रिक्त चल रहे इन अध्यापकों एवं लिपिकों के पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 से प्राप्त सूचना के अनुसार सम्प्रति सहायक अध्यापक के 996 तथा लिपिकों के 380 पद रिक्त हैं।

जी हां। कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक-15-03-2012 द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्ती को छोड़कर) तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबन्धित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-13/20/1/91 का-2/2015 दिनांक-04-11-2015 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के रिक्त पड़े शैक्षिक पदों पर ही सीधी भर्ती करने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक-15-03-2012 के प्रतिबन्ध से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। तत्क्रम में शासनादेश संख्या-1242/79-6-2015 दिनांक 06-11-2015 द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में न्यूनतम मानक के अन्तर्गत रिक्त प्रधानाध्यापक एवं

सहायक अध्यापक के पदों पर नियमों के आलोक में सीधी भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु शिक्षा निदेशक, (बेसिक) उ0प्र0 को निर्देश दिये गये हैं।

कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक-04-11-2015 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के रिक्त पड़े लिपिक के पदों पर भर्ती की अनुमति नहीं प्रदान की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

ज0 मुरादाबाद के वि0ख0 मूंठा पांडे के ग्राम सरकड़ा खास एवं वि0ख0, कुन्दरकी के ग्राम रतनपुर कलां में निर्मित राजकीय इन्टर कालेज में शिक्षकों की नियुक्ति करने की कार्यवाही

64-श्री मोहम्मद रिजवान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के ग्राम सरकड़ा खास विकास खण्ड मूंढ़ा पांडे व ग्राम रतनपुर कलां विकास खण्ड कुन्दरकी के नव निर्मित राजकीय इन्टर कालेजों में अध्यापकगणों की कोई नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त की सरकार वर्तमान शिक्षा वर्ष में उक्त की नियुक्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

उक्त विद्यालयों का निर्माण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत कराया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग को विद्यालयों के भवन प्राप्त हो जाने के पश्चात पद सृजन/नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद सचिव द्वारा फोन रिसीव न करने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या ख-6 नं0-204640 पर कार्यवाही हेतु

65-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा फोन रिसीव न करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ख-6 नं0-204640 दिनांक 20-12-2017 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

सम्बन्धित अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है, जिसमें अवगत कराया गया है कि जिस मो0 नं0 9453004024 पर मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उनसे सम्पर्क करने का प्रयास किया गया वह सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद को प्राप्त नहीं था। इस सम्बन्ध में उन्होंने माननीया सदस्य, विधान सभा को पहुंचे कष्ट हेतु क्षमा याचना भी की है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के वि0स0 क्षेत्र सिकन्द्राबाद में इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या ख-6 नं0-248925 दिनांक 05-01-2018 पर कार्यवाही हेतु

66-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016-17 में विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ख-6 नं0-248925 दिनांक 05-01-2018 क्या मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हां। वर्ष 2016-17 में विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर में प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य की संस्तुति पर अधिष्ठापित कराये गये 100 नये हैण्डपम्प एवं 91 रि-बोर हैण्डपम्प की जांच/स्थलीय सत्यापन कराया गया। उक्त सभी हैण्डपम्प मा0 सदस्य की संस्तुति के अनुसार मानक के अनुरूप अधिष्ठापित पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के वि0स0क्षे0 मोहम्मदी के अन्तर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने विषयक

67-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत सौर ऊर्जा जनित विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विधायी एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य के किसी विशिष्ट जनपद/क्षेत्र के लिए सौर ऊर्जा नीति नहीं बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रख्यापित/लागू की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक सोलर से विद्युत उत्पादन परियोजना का 10700 मेगावाट क्षमता की स्थापना लक्षित है, जिसमें से 4300 मेगावाट क्षमता रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना से प्राप्त की जायेगी।

जनपद लखीमपुर खीरी के वि0स0क्षे0 धौरहरा के ग्रामीण अंचल में पानी की टंकियों से जलापूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में

68-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के ग्रामीण अंचल में कुल कितनी पानी की टंकियां स्थापित हैं ? क्या उक्त सभी टंकियों से जलापूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में 27 पाइप पेयजल योजनाओं में से 28 पानी की टंकियां स्थापित है, जिसमें 14 पाइप पेयजल योजनाओं में से 15 टंकियों का संचालन जल निगम द्वारा तथा 13 पाइप पेयजल योजनाओं में 13 पानी की टंकियों का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

उक्त 28 स्थापित पानी की टंकियों में से 22 टंकियों द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है। विभिन्न कारणों से 06 टंकियों द्वारा जलापूर्ति बाधित है। जल निगम द्वारा संचालित विकास खण्ड ईशानगर की मीरजापुर मल्ला पाइप पेयजल योजना विद्युत व्यवधान के कारण बंद है तथा ग्राम पंचायत द्वारा संचालित विकास खण्ड धौरहरा में कलुआपुर और सिसैयाकलां विकास खण्ड ईशानगर की परसिया एवं बीरसिंहपुर तथा विकास खण्ड रमिया बेहड़ की सुजानपुर से जलापूर्ति ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में स्थानान्तरण नीति के तहत अध्यापकों के स्थानान्तरण किये जाने की कार्यवाही

69-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों के स्थानान्तरण पर शासन की रोक के बावजूद विगत 07 माह से बेसिक शिक्षा अधिकारी, श्रावस्ती द्वारा धन उगाही करके लगातार स्थानान्तरण किया जा रहा है एवं ड्रेस, जूता तथा किताबों की आपूर्ति हेतु ई-टेण्डरिंग न कराकर अपने चहेतों को मनमाने ढंग से ठेका दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की विजिलेन्स से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

प्रश्नगत अवधि में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, श्रावस्ती द्वारा कोई भी स्थानान्तरण नहीं किया गया है। ड्रेस की आपूर्ति एवं टेण्डरिंग आदि की प्रक्रिया विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा की जाती है। जूता-मोजा तथा पुस्तकों की आपूर्ति प्रदेश स्तर से ई-टेण्डरिंग/टेण्डरिंग के माध्यम से की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ड्रेस की आपूर्ति एवं टेण्डरिंग आदि की प्रक्रिया विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा जूता-मोजा एवं पुस्तकों की आपूर्ति प्रदेश स्तर से ई-टेण्डरिंग/टेण्डरिंग के माध्यम से किये जाने के कारण।

राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों में कुल शैक्षणिक पदों के सापेक्ष पिछड़ा वर्ग हेतु आरिक्षत कोटा के संबन्ध में

70-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों में कुल शैक्षणिक पदों के सापेक्ष पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन पदों को भरने का कार्य करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

जी हां।

चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की मछलीशहर तहसील के मुंगराबादशाहपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत बनवाये गये आवासों के संबध में

71-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पात्रता सूची में शामिल भूमिहीन व्यक्ति को आवास बनवाये जाने की क्या व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जौनपुर जनपद की मछलीशहर तहसील के मुंगराबादशाहपुर विकास खण्ड के ग्राम रामपुर के आवंटियों राजेन्द्र गौतम व नागेन्द्र पुत्र रामबरन तथा प्यारेलाल पुत्र ननकूराम को प्राप्त व निर्मित करा लिये गये प्रधानमंत्री आवास को उप जिलाधिकारी मछलीशहर द्वारा ध्वस्त करा दिये जाने की अवैधानिक कार्रवाई पर सरकार संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत चिन्हित लाभार्थी यदि भूमिहीन हैं, तो लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटित किये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

जिलाधिकारी, जौनपुर की आख्यानुसार, तहसील मछलीशहर के विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर के ग्राम रामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थी सर्वश्री राजेन्द्र गौतम व नागेन्द्र पुत्र रामबरन तथा प्यारेलाल पुत्र ननकूराम के पास क्रमशः 0.715 हे0 तथा 0.998 हे0 भूमि है, जो कि उनकी निजी भूमि धसी है। उपर्युक्त लाभार्थियों द्वारा अपनी निजी भूमि पर आवास का निर्माण कार्य न कराके ग्राम समाज की भूमि पर निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर अवैध कब्जा 15 दिवस में हटाने हेतु उन्हें नोटिस दी गयी, किन्तु उनके द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। अतएव भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही के दौरान अवैध निर्माण हटाया गया था।

पुनः की गयी जांच में पाया गया कि उपर्युक्त तीनों लाभार्थियों द्वारा अपनी निजी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

के0जी0एम0 विश्वविद्यालय लखनऊ में लैब टेक्नीशियन की वरिष्ठता सूची जारी किये जाने हेतु

72-श्री लाल जी वर्मा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0जी0एम0 विश्वविद्यालय, लखनऊ में लैब टेक्नीशियन की वरिष्ठता सूची अभी तक जारी नहीं की गयी है ? यदि हाँ, तो उक्त वरिष्ठता सूची सरकार कब तक जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10-08-2017 द्वारा अनन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी है, जिसके विरुद्ध कुल 18 आपत्तियां प्राप्त हुई है। आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त यथाशीघ्र अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0जी0पी0आई0 लखनऊ में लैब टेक्नीशियन कैडर स्ट्रक्चरिंग का कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में

73-श्री लाल जी वर्मा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में लैब टेक्नीशियन का कैडर स्ट्रैक्चरिंग एम्स, नयी दिल्ली में 2 अप्रैल 2016 को किये गये कैडर स्ट्रैक्चरिंग के अनुसार विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उक्त लैब टेक्नीशियन का कैडर स्ट्रैक्चरिंग कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की विनियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में वर्तमान व्यवस्थानुसार संस्थान के लैब टेक्नीशियन संवर्ग के पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ सभी अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं के कर्मचारियों को डी0पी0सी0 कर पदोन्नति देने की जानकारी

74-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ सभी अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की डी0पी0सी0 कर उन्हें पदोन्नति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में संस्था विनियमावली-1996 के विनियम-15 एवं 17 के प्राविधानों के क्रम में शिक्षणेत्तर कार्मिकों की पदोन्नति हेतु प्रधानाचार्यों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में निदेशक प्राविधिक शिक्षा द्वारा चयन समिति गठित कर संस्थाओं को उपलब्ध करायी जा चुकी है। चयन समिति की संस्तुति पर पदोन्नति कार्यवाही संस्था स्तर पर पूर्ण की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के बाबूपुर खलियान में राजकीय हाईस्कूल की स्थापना विषयक

75-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के बाबूपुर के खलिहान की जमीन पर राजकीय हाईस्कूल का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या दोषियों के खिलाफ सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम बाबूपुर परगना व तहसील महमूदाबाद के नवीन परती (जूनियर हाई स्कूल हेतु सुरक्षित) के गाटा संख्या-422/0.506 हे0 में से 0.202 हे0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु प्रस्तावित था परन्तु बाबूपुर परगना व तहसील महमूदाबाद के गाटा संख्या-602/0.508 हे0 जो खलिहान के खाते की भूमि है उसका रकबा 0.075 हे0 पर 2 वर्ष पूर्व से राजकीय हाईस्कूल का निर्माण त्रिपक्षीय अनुबन्ध (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परियोजना प्रबन्धक सी0 एण्ड डी एस0) के द्वारा कराया जा रहा था, जिसे तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया है।

इस प्रकरण में जाचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के तहसील भानपुर में प्रसिद्ध बैड़वा माता मन्दिर के प्रांगण में शौचालय के निर्माण कराने के सम्बन्ध में

76-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की तहसील भानपुर में राजस्व ग्राम जोगिया में अति प्रसिद्ध बैड़वा समय माता मन्दिर के प्रागंण में स्वच्छता अभियान के तहत श्रद्धालुओं के लिए शौचालय का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह-

जी हाँ, बशर्ते सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निर्देशों के अनुसार सामुदायिक शौचालय की लागत रु0 2.00 लाख के 10 प्रतिशत पंचायत/लाभार्थी अंश अर्थात् रु0 20 हजार लगाने की सहमति प्रदान कर दी जाये और आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी जाय।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0स0 क्षे0 रुधौली के तहसील भानपुर के ग्राम जोगिया में कन्या डिग्री कालेज की स्थापना कराया जाना

77-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के तहसील भानपुर के राजस्व गांव जोगिया में डिग्री कालेज हेतु भूमि आवंटित है ? यदि हाँ, तो क्या

सरकार उक्त भूमि पर कन्या डिग्री कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के तहसील भानपुर के राजस्व गांव जोगिया में नये राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना/निर्माण किये जाने का अवसर नहीं है।

एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा परिसर में स्थित लायल महिला अस्पताल परिसर को मेडिकल कालेज आगरा को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में

78-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा परिसर में स्थित लेडी लायल महिला अस्पताल परिसर को मेडिकल कालेज, आगरा को हस्तान्तरित करते हुए परिसर (कैम्पस) की सुविधाएं मेडिकल कालेज, आगरा हेतु प्रयोग करने सम्बन्धी प्रस्ताव वर्ष 2015-16 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में एस0सी0आई0 मानकानुसार 500 सीट क्षमता एवं सुविधाओं युक्त आडिटोरियम काम्पलेक्स निर्माण कराने हेतु

79-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में एस0सी0आई0 मानकानुसार 500 सीट क्षमता एवं सुविधाओं युक्त आडीटोरियम काम्पलेक्स निर्माण हेतु महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-एम0ई0-बजट-2015-16-792 (i) दिनांक 08-02-2016 के द्वारा रुपये 1108.51 लाख का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

मेडिकल कालेज, आगरा में आडीटोरियम बिल्डिंग के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 43/2017/1356/71-1-2017-जी-11/2015, दिनांक 20-03-2017 द्वारा रु0 94570000 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष रु0 47285000 निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में 300 रेजीडेन्ट हेतु स्टुडियो अपार्टमेंट निर्माण के सम्बन्ध में

80-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में 300 रेजीडेन्ट हेतु स्टूडियो अपार्टमेंट निर्माण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2015-16/708 (i) दिनांक 09-02-2016 के द्वारा रुपये 7941.00 लाख का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

300 रेजीडेन्ट हेतु स्टेडियो अपार्टमेंट निर्माण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या एम0ई0/बजट 2015-16/798, दिनांक 09-02-2016 द्वारा रु0 7941.00 लाख का प्रस्ताव बजट व्यवस्था न होने के कारण स्वीकृत की कार्रवाई नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में 100 शैयायुक्त कैंसर अस्पताल की स्थापना के सम्बन्ध में

81-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में 100 शैय्यायुक्त कैंसर अस्पताल में वर्तमान में संचालित रेडियोथेरेपी विभाग तथा न्यूक्लीयर मेडिसिन सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए मेडिकल एवं रेडियो आन्कोलाजी की स्थापना कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां। वर्तमान में एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में रेडियोथेरेपी विभाग संचालित है, जिसमें 30 शैय्या स्वीकृत है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, फेज-4 के अन्तर्गत रेडियेशन आंकोलॉजी का उच्चीकरण प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा में स्थित हैरिटेज भवनों का मानकानुसार संरक्षण, सुदृढ़ीकरण कराने हेतु कार्य योजना

82-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में स्थित हैरिटेज भवनों (पुस्तकालय, टी0बी0 चेस्ट भवन, अधीक्षक कार्यालय, प्राचार्य कार्यालय आदि) का

मानकानुसार संरक्षण सुदृढ़ीकरण कराने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में पक्षपात पूर्ण तरीके से एफ0 आर0 लगाने विषयक पत्र सं0 ख-6 नं0-174527, दिनांक 20-07-2017 पर कार्यवाही

83-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ख-6 नं0-174527 दिनांक 20-07-2017 जो कि मु0अ0स0-676/16 धारा-395, 397 भा0द0सं0 थाना कोतवाली मथुरा, जिला मथुरा द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से एफ0आर0 लगाने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उक्त प्रार्थना-पत्र पर जनपद से प्राप्त आख्यानुसार मु0आ0सं0-676/14, धारा-395/397 भदवि थाना कोतवाली, मथुरा के उक्त अभियोग की विवेचना साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट संख्या 351/16, दिनांक 06-11-2016 को प्रेषित की जा चुकी है जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतः मा0 न्यायालय के आदेश के बिना पुलिस द्वारा पुनः विवेचना किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद कार्यालय में कम्प्यूटर में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के स्वीकृत पद एवं उन पर नियुक्ति किया जाना

84-श्री अनिल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद कार्यालय में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के कितने पद शासन/विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये हैं तथा उक्त पद पर किन कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कम्प्यूटर प्रोग्रामर से कौन-कौन से कार्य विगत 5 वर्षों से लिये जा रहे हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

एक पद।

श्री भूपेश नारायण श्रीवास्तव।

श्री भूपेश नारायण श्रीवास्तव से कम्प्यूटर प्रोग्राम, इन्टरनेट नेटवर्किंग, परिषदीय वेबसाइट, प्रदेश के शिक्षकों से संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव जैसे कार्य लिये जा रहे थे परन्तु

महालेखाकार,उ0प्र0 द्वारा अपने आडिट पैरा में इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों के अनुपालन में इनके विरुद्ध जाच कार्यवाही गतिमान है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद कार्यालय में अध्यापकों के अनियमित सम्बद्धीकरण के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

85-श्री अनिल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय इलाहाबाद में किन-किन अध्यापकों का सम्बद्धीकरण किया गया है तथा कब किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि सम्बद्धीकरण अवधि में इनके कार्यस्थल के विद्यालयों में इनके स्थान पर किन अध्यापकों की व्यवस्था शैक्षणिक कार्य हेतु की गयी थी तथा अकादमिक कार्यों हेतु अध्यापकों के सम्बद्धीकरण का कोई शासनादेश है ? यदि नहीं, तो अनियमित सम्बद्धीकरण हेतु कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सम्बद्धीकरण को समाप्त करते हुए उनके मूल स्कूल में तैनाती करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

सम्प्रति बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय इलाहाबाद में अकादमिक कार्यों हेतु दो अध्यापकों का सम्बद्धीकरण अल्पकाल के लिये किया गया है।

विद्यालयों में प्रतिस्थानी के रूप में किसी अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की गयी है तथा बेसिक शिक्षा परिषद के निर्धारित कार्यों में अकादमिक कार्यों के निष्पादन का प्रावधान बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 में है तथा यह भी कि परिषद द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का संपादन अथवा कर्तव्य का पालन करने के लिय आवश्यक या सुविधाजनक अथवा अनुषंगिक हो।

उक्तवत्।

अकादमिक कार्यों के निष्पादन हेतु सम्बद्धीकरण अल्पकाल के लिये किया गया है। कार्य की पूर्ति हो जाने के पश्चात् इन्हें कार्यमुक्त कर मूल विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जायेगा।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही

86-श्री मूलचन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन की माधौगढ़ तहसील में एक भी अग्निशमन केन्द्र नहीं होने के कारण गर्मियों के दिनों में आये दिन इस क्षेत्र में अग्निकान्ड होते रहते हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार माधौगढ़ में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रतिवर्ष 01 मार्च से 30 जून तक के लिये ग्रीष्मकालीन सीजन डियूटी हेतु मय वाहन/उपकरण सहित कर्मचारियों की तहसील माधौगढ़ में तैनाती की जाती है, जिससे तहसील माधौगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत होने वाले अग्निकाण्डों में त्वरित कार्यवाही की जा सके।

जनपद जालौन की माधौगढ़ तहसील में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्धता के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के वि0स0क्षे0 माधौगढ़ के वि0 खण्ड कोंच, नदीगांव, माधौगढ़ आदि में सौर ऊर्जा प्लान्ट लगाने के सम्बन्ध में

87-श्री मूलचन्द्र सिंह-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के चार विकास खण्ड (कोंच, नदीगांव, माधौगढ़, रामपुरा) में एक भी सौर ऊर्जा प्लान्ट नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त में सौर ऊर्जा प्लान्ट लगवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

जी हाँ,

जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक माधौगढ़ के ग्राम मिर्जापुर जागीर में 50 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर परियोजना की स्थापना हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार को सोलर पार्क योजनान्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

एमएनआरई, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सोलर पावर परियोजना की स्थापना हेतु परियोजना विकासकर्ता का चयन बिडिंग के माध्यम से किया जायेगा। सोलर पावर परियोजना की स्थापना हेतु परियोजना विकासकर्ता को भारत सरकार की स्टैण्डर्ड बिडिंग गाईडलाइन्स के अनुसार 13 माह की समय अवधि निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0स0क्षे0 हरैया के ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिये पानी की टंकी के निर्माण हेतु

88-श्री अजय कुमार सिंह "अजय सिंह"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हर्रेया की ग्राम पंचायतों जैसे भकरही, सांड़पुर, बरदिया कुंवर, रानीपुर लाद, कसैला बाबू, खेमराजपुर, इमलिया, बबुरीबाबू, छतौना, नियामतपुर, लजघटा, अमारीबाजार तथा जैतापुर में शुद्ध पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु उक्त ग्राम सभाओं में शुद्ध पेयजल के लिए पानी की टंकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के अन्तर्गत प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में पेयजल हेतु मानकानुसार इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं तथा ग्राम पंचायत नियामतपुर में पेयजल योजना भी स्थापित है, जिनके द्वारा ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। उपरोक्तानुसार। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के अद्यतन दिशा-निर्देश के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल गुणता प्रभावित ग्रामों, सांसद आदर्श ग्रामों तथा खुले में शौचमुक्त ग्रामों में ही पाइप पेयजल योजना की प्राथमिकता निर्धारित है। उक्त प्राथमिकताओं के दृष्टिगत प्रश्न में उल्लिखित किसी भी ग्राम में पेयजल योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विधान सभा के मैथा विकासखण्ड में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण कराया जाना

89-श्रीमती निर्मला संखवार-

क्या ग्राम्य विकास के मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विधान सभा क्षेत्र के मैथा विकास खण्ड में अवनहाँ, बिलारी, बहादीपुर तथा विकास खण्ड झिझक के विरिया रसूलाबाद में ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल की असुविधा के कारण अनेक जलजनित बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं ? यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्रों में ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पानी की टंकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद के अन्तर्गत प्रश्न में उल्लिखित ग्राम पंचायतों के हैण्डपम्पों की जल परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार कोई भी ग्राम गुणता प्रभावित की श्रेणी में नहीं है। उपरोक्तानुसार। उपरोक्तानुसार। पेयजल एवं स्वछता मंत्रालय, भारत सरकार के अद्यतन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल गुणता प्रभावित ग्रामों, सांसद आदर्श ग्रामों तथा खुले में शौचमुक्त ग्रामों में ही पाइप पेयजल योजना की प्राथमिकता निर्धारित है। उक्त प्राथमिकताओं दृष्टिगत प्रश्न में उल्लिखित किसी भी ग्राम में पेयजल योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रदेश में लगे सोलर लाइट की बैटरी को बदलवाने की कार्य योजना

90-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सोलर लाइट की बैटरी चोरी होने के पश्चात् उन्हें पुनः चालू करने के लिये नियम/नियमावली बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

शासन के पत्र संख्या 1052/45-वि0 (अति0ऊ0स्रो0वि0)/2013, दिनांक 03 जून, 2013 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्र की स्थापना उपरान्त ग्राम सभा को संयंत्र हस्तानान्तरण किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना के उपरान्त उनको ग्राम सभा के परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। सामुदायिक उपयोग हेतु ग्राम पंचायत में अधिष्ठापित सरकार परिसम्पत्तियों के चोरी होने की दिशा में एफ0आई0आर0 की कार्यवाही ग्राम प्रधान को करनी होती है। एफ0आई0आर0 के प्राविधानों के अनुरूप यदि चोरी हुई बैटरी के बरामदगी नहीं होती है तो ग्राम पंचायत की निधि से नई बैटरी क्रय कर, संयंत्र को क्रियाशील किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के वि0स0 क्षेत्र धौरहरा में निर्माणाधीन पाइप लाइन परियोजना को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

91-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में कुल कितनी पाइप्ड पेयजल योजनायें संचालित हैं और कितनी निर्माणाधीन हैं ? क्या सरकार निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराकर जनता को पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में कुल 27 पाइप पेयजल योजनायें संचालित हैं तथा 29 पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं। जी हां। निर्माणाधीन योजनाओं के अवशेष कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में गौशाला कुपोषण से हो रही गायों की मृत्यु की रोकथाम

92-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी गौशाला में कुपोषण से गायों की मौतें हो रही हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की रोकथाम करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0पी0 सिंह बघेल-

जनपद लखीमपुर खीरी गौशाला में कुपोषण से गायों की मृत्यु होने का कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं आया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के प्राथमिक विद्यालय में लगे हैन्डपम्पों से निकल रहे दूषित जल को ठीक कराने के सम्बन्ध में

93-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में लगे हैण्डपम्पों से निकल रहे प्रदूषित जल से छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर छात्रों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद लखीमपुर खीरी में कुल 2,723 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। उक्त समस्त प्राथमिक विद्यालयों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के माध्यम से शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है। उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कतिपय समीक्षा अधिकारियों कि वेतन विसंगति दूर करने के सम्बन्ध में

94-श्रीमती जय देवी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कतिपय समीक्षा अधिकारियों की वेतन विसंगति दूर कर प्रथम प्रोन्नति वेतनमान रु0 5500-9000 स्वीकृत किये जाने विषयक श्री उदय राज यादव, विधायक का पत्र दिनांक 27 अगस्त, 2015 प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ मोहान रोड़ स्थित ग्राम खुशहाल गंज में मुख्य सड़क से वाया साधन सहकारी समिति श्री चन्द्रिका रावत के मकान तक सड़क के दोनों तरफ नाली के निर्माण के सम्बन्ध में

95-श्रीमती जय देवी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ-मोहान रोड स्थित ग्राम खुशहालगंज में मुख्य सड़क से वाया साधन सहकारी समिति श्री चन्द्रिका रावत के मकान तक जल निकासी हेतु सड़क के दोनों तरफ नाली एवं सड़क के निर्माण हेतु धन आगणन किये जाने विषयक श्री कौशल किशोर संसद सदस्य का पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 2017 अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश शासन के पत्र संख्या 78वी0आई0पी0/33-2-2017-01आर0डी0/17, दिनांक 18-12-2017 द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ, उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक एवं अपर मुख्यअधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ को दे दिये गये, तत्क्रम में जिला पंचायत लखनऊ द्वारा रु0 14.89 लाख का आगणन तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर तह0 जखनिया के ग्रा0 सरदरपुर में जमीन खाता खतौनी क्र0 सं0 00412 की गाटा सं0 368 को कब्जा मुक्त करने की मांग

96-श्रीमती जय देवी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील जखनिया के ग्राम सरदरपुर में जमीन खाता खतौनी क्रम सं0 00412 की गाटा सं0-368 मि0 एवं खसरा संख्या-370 राजस्व अभिलेखों में किसके नाम अंकित है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि का दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्जे को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जिलाधिकारी, गाजीपुर की आख्यानुसार तहसील जखनिया के ग्राम सरदरपुर की आर0 नं0 370, रकबा 0.0310 हे0 सन्तोष, सुनील, अनिल पुत्रगण सुरेश व सुभाष, रमेश पुत्रगण शंकर के नाम संक्रमणीय भूमिधर के खाते में अंकित है। आराजी के उत्तरी भाग में सन्तोष आदि मकान बना कर काबिज है तथा शेष भूमि दक्षिण तरफ परती के रूप में खाली हैं। इस पर कोई निर्माण/अतिक्रमण नहीं है। आ0 नं0-368, मि0 रकबा 0.0520 हे0 सन्तोष, सुनील, अनिल पुत्रगण सुरेश व सुभाष, रमेश पुत्रगण शंकर के नाम तथा आ0नं0-368 मि0 रकबा 0.0250 हे0 नवीन परती खाते में दर्ज है। आ0नं0-368 में पूरब सड़क के किनारे रकबा 05 वर्गमीटर पर रामनरेश पुत्र लौजारी, रकबा 10 वर्गमीटर पर मोहर पुत्र चिरईत तथा 10 वर्गमीटर पर शिवपूजन पुत्र बिहारी तथा रकबा 06 वर्गमीटर पर श्यामलाल पुत्र पतिराम व 05 वर्गमीटर पर रामजी पुत्र विश्वनाथ का आवास के रूप में अवैध कब्जा पाया गया। आ0नं0-368 के पश्चिमी भाग में 06 वर्गमीटर पर सूर्यभान पुत्र गंगा की चहार दीवारी बनाकर कब्जा किया गया है। आ0नं0-368 संख्या रकबा 0.025 हे0 के पूर्वी भाग को ग्राम सभा की सम्पत्ति मानते हुये अवैध कब्जेदार राम नरेश पुत्र लौजारी व रामजी पुत्र विश्वनाथ जो साधन सम्पन्न व्यक्ति है के विरुद्ध क्रमशः बेदखली का वाद संख्या टी 2018142960500226 व टी 2018141960500225 अन्तर्गत धारा 67 उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 में दर्ज किया गया है। न्यायालय से बेदखली आदेश के बाद अतिक्रमण हटवा दिया जायेगा। अतिक्रमणी मोहर पुत्र चिरईत व शिवपूजन पुत्र बिहारी व श्यामलाल पुत्र पतिराज कृषक मजदूर तथा आवासीय आवंटन के पात्र व्यक्ति हैं। अतः इनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं की गयी है। आ0नं0-368 में सन्तोष आदि के भूमि के रकबा 06 वर्ग मीटर पर सूर्यभान पुत्र गंगा की चहार दीवारी के रूप में कब्जा है, जिसे खाली कराने हेतु सन्तोष आदि को सक्षम न्यायालय में वाद दाखिल कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है। शेष जमीन गढ्ढे के रूप में खाली है। आ0नं0-368 से सटे पूरब पी0डब्लू0डी0 की सड़क आ0 नं0-709 सादात से सैदपुर को जाती है। सड़क हासिया में रकबा 50 वर्गमीटर पर रामनेश पुत्र लौजारी, रकबा 45 वर्गमीटर पर मोहर पुत्र चिरईत, रकबा 30 वर्गमीटर पर शिवपूजन पुत्र बिहारी एवं रकबा 45 वर्गमीटर पर श्यामलाल पुत्र पतिराज द्वारा निर्माण कर कब्जा किया गया है। उक्त सड़क पी0डब्लू0डी0 की है, जिसे खाली कराने की कार्यवाही पी0डब्लू0डी0 द्वारा अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु पत्र सं0-362, दिनांक 29-01-2018 द्वारा पत्राचार किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव क्षेत्र नवाबगंज प्राथमिक विद्यालय टिकवा मऊ में प्रधानाध्यापिका को अन्य जनपद में स्थानान्तरित किया जाने की मांग

97-श्रीमती जय देवी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का जनपद उन्नाव क्षेत्र नवाबगंज प्राथमिक विद्यालय टिकवा मऊ में प्रधानाध्यापक के समय से स्कूल न आने के कारण बच्चों की शिक्षा/भविष्य के साथ खिलवाड़ विषयक पत्र दिनांक 01-02-2018 निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हॉ।

प्रकरण में खण्ड शिक्षा अधिकारियों की त्रिस्तरीय जांच समिति बनाकर जांच आख्या प्राप्त की गयी। जांच आख्या के आधार पर श्रीमती पुष्पा गौड, प्र0अ0 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव द्वारा कार्यालय के पत्रांक 18923-28, दिनांक 15-3-2018 द्वारा कड़ी चेतावनी दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक पशुपालन विभाग लखनऊ को श्री कौशल किशोर सांसद का पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराने के सम्बन्ध में

98-श्रीमती जय देवी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग लखनऊ को श्री कौशल किशोर सांसद का पत्र दिनांक 16-12-2017 में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा जांच के क्या परिणाम हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उत्तरदायित्व का निर्धारण कर पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की उच्चस्तरीय जांच कराकर कृत कार्रवाई का बिन्दुवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0पी0 सिंह बघेल-

निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रश्न में उल्लिखित प्रकरण में अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को जांच करने के निर्देश दिये गये हैं। जांच प्रक्रियाधीन है।

जाँच आख्या प्राप्त होने पर अग्रतर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के ब्लाक-राया, फरह एवं बल्देव में वर्ष 2015-16 व 2016-17 में डिबार विद्यालयों के सम्बन्ध में जानकारी

99-श्री पूरन प्रकाश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ब्लाक-राया, फरह एवं बल्देव में वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 में बोर्ड परीक्षा हेतु केन्द्र बनाये गये विद्यालयों में से कितने विद्यालय डिबार किये गये थे, अगर डिबार किये गये थे तो उन विद्यालयों में से किसी विद्यालय को बोर्ड परीक्षा वर्ष 2017-18 के लिये परीक्षा केन्द्र बनाया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सम्बन्धित के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जनपद मथुरा में वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 की बोर्ड परीक्षाओं में केन्द्र बनाये गये विद्यालयों में से वर्ष 2017-18 की परीक्षा हेतु ब्लाक राया में 6 फरह में 2 तथा बल्देव में 5 कुल 13 परीक्षा केन्द्र डिबार किये गये थे। उक्त डिबार विद्यालयों में से बोर्ड परीक्षा वर्ष 2017-18 के लिये कोई भी विद्यालय परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के सुजानगंज थानान्तर्गत ग्राम दीपकपु के नाबालिक राहुल पटेल की हत्या का उच्च स्तरीय जांच कराया जाना

100-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के सुजानगंज थानान्तर्गत दीपकपुर ग्राम सभा के नाबालिग राहुल पटेल (उम्र 14 वर्ष) की 14 जुलाई, 2017 की हत्या के लगभग 8 महीने बीत जाने के बाद भी घटना का खुलासा नहीं होने तथा किसी आरोपी की गिरफ्तारी न होने का प्रकरण सरकार के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त घटना की उच्चस्तरीय जांच कराकर घटना का खुलासा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नगत घटना में मु0अ0सं0 446/2017, धारा 364/302/201 भादंवि बनाम अज्ञात थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर पर पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त मृतक राहुल की मृत्यु विद्युत प्रवाह के सम्पर्क में आने पर पेड़ से नीचे गिरने के कारण होनी पायी गयी। अतः अन्तिम रिपोर्ट संख्या 07/18, दिनांक 24-02-2018 को प्रेषित करते हुये विवेचना समाप्त की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के सम्बन्ध में

101-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के कितने शिक्षक अपने तैनाती स्थल के बजाय दूसरे विद्यालयों पर सम्बद्ध हैं ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

अध्यापक विहीन विद्यालयों के संचालन हेतु 66 प्राथमिक एवं 53 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अस्थायी रूप से खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अध्यापकों को सम्बद्ध कर विद्यालय का पठन-पाठन कार्य कराया जा रहा है।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के ब्लाक मल्लावां के प्राथमिक विद्यालय दारापुर से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक का बकाया पेंशन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में

102-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक मल्लावां के प्राथमिक विद्यालय दारापुर से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक श्री परमेश्वरदीन की मृत्यु दिनांक 04-12-2006 को एक दुर्घटना में हुई थी उनकी पारिवारिक पेंशन 10-08-2007 से 19-07-2010 तक कुल 02 वर्ष 11 माह 09 दिन की बकाया है ? जिसके भुगतान हेतु उनके पुत्र श्री आलोक कुमार का आवेदन पत्रावली बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई से लेकर लेखाधिकारी कार्यालय तक भुगतान हेतु लम्बित है ? क्या सरकार उक्त धनराशि का भुगतान श्री आलोक कुमार को करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

जी नहीं।

दिनांक 16-3-2018 को भुगतान कर दिया गया है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के ब्लाक कैराना के ग्राम रामडा के तत्कालीन ग्राम प्रधान के विरुद्ध जिलाधिकारी शामली द्वारा आरोपित जुर्माने की वूसली

103-श्री नाहिद हसन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नईमा पत्नी शमशु ग्राम रामड़ा ब्लाक कैराना जनपद शामली के विरुद्ध जिलाधिकारी शामली ने उनके ग्राम प्रधान के पद पर रहते हुये किये गये विकास कार्यों में की गई अनियमितता पर पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माना लगाया है ? यदि हाँ, तो लगाये गये जुर्माने को कब तक वसूल कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह-

जी हॉ।

श्रीमती नईमा (ग्राम प्रधान) पत्नी शमशु द्वारा प्रस्तुत पुनः विचार संबंधी प्रार्थना-पत्र के दृष्टिगत जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी है। जांच प्रक्रिया प्रचलित होने के कारण वसूली की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने पर विचार

104-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र व नगरों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

शासनादेश सं0 901/45-वि0 (अति0ऊ0स्रो0वि0)/2017, दिनांक 23 अगस्त, 2017 जारी दिशा-निर्देशानुसार पंडित दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त विकास खण्डों के एक या दो ग्रामीण क्षेत्रीय मुख्य बाजारों में एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करायी जा रही है। उक्त योजना के अन्तर्गत नगरों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के डी0ए0वी0 इण्टर कालेज बिल्थरा रोड के प्रबन्धक के सम्बन्ध में पत्र सं0 2183/2009-10, दिनांक 22-8-2009 पर कार्यवाही की जानकारी

105-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0ए0वी0 इण्टर कालेज बिल्थरा रोड, बलिया के प्रबन्धक मात्र संस्था आर्य विद्या सभा सीयर के सदस्य न होने के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया ने अपने पत्र संख्या 2183/2009-10 दिनांक 22-8-2009 आख्या सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को भेजी है ? यदि हॉ, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी हॉ।

उक्त पत्र पर शासन के पत्र संख्या 1014/15-9-09-2001(54)/98, दिनांक 06-10-2009 द्वारा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ को तथ्यों की जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ के पत्रांक बलिया/4183-85/2017-18, दिनांक 07-12-2017 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार प्रश्नगत विद्यालय में उप शिक्षा निदेशक, पंचम मण्डल,

वाराणसी द्वारा अनुमोदित/संशोधित प्रशासन योजना के प्राविधान प्रभावी हैं। प्रशासन योजना में निहित व्यवस्था के अनुसार बनाये गये सदस्यों से समय-समय पर विद्यालय प्रबन्ध समिति का चुनाव कराये जाने हेतु अनुमति जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया द्वारा प्रदान की गयी है तथा चुनाव को अनुमन्यता प्रदान की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के ग्राम रामडा ब्लाक कैराना नईमा पत्नी शमशु के विरुद्ध जिलाधिकारी शामली के द्वारा लगाये गये जुर्माने के सम्बन्ध में

106-श्री नाहिद हसन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नईमा पत्नी शमशु ग्राम रामडा ब्लाक कैराना जनपद शामली के विरुद्ध जिलाधिकारी शामली ने उनके ग्राम प्रधान रहते हुये किये गये विकास कार्यों में अनियमितता के कारण एवं पद की दुरुपयोगिता के कारण पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माना लगाया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा लगाये गये जुर्माने को कब तक वसूल कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी-

जी हां।

श्रीमती नईमा (ग्राम प्रधान) पत्नी शमशु द्वारा प्रस्तुत पुनः विचार संबंधी प्रार्थना-पत्र के दृष्टिगत जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी है। जांच प्रक्रिया प्रचलित होने के कारण वसूली की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

चिकित्सा शिक्षा विभाग में हुई वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में

107-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में हुई वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता की जांच वर्ष 2000 में सी0बी0आई0 द्वारा की गई थी एवं जांच आख्या सचिव चिकित्सा शिक्षा कार्यालय में दिसम्बर, 2000 में ही प्रस्तुत कर दी गई थी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार अवगत करायेगी कि उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जांच आख्या पर क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

तत्समय कार्यरत महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा डा0 आर0के0 श्रीवास्तव को विभागीय जांच के उपरान्त दोषी पाया गया और उक्त दोष के लिये डा0 श्रीवास्तव को परिनिन्दा का लघु दण्ड देते हुये विभागीय कार्यवाही/जांच समाप्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में मुख्य स्थानों पर पेय जल के लिये लगाये गये आर0ओ0 को ठीक कराने के सम्बन्ध में

108-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मुख्य-मुख्य स्थानों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु लगाये आर0ओ0 प्लान्ट सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा लगाये गये आर0ओ0 प्लान्ट की जांच करा कर ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह चौधरी-

ग्राम्य विकास विभाग की योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती में कोई आर0ओ0 प्लान्ट नहीं लगाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के निर्माण कार्य करने के लिय आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में

109-श्री योगेश धामा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 की धारा 16 के खण्ड-3 के अनुसार जिला पंचायतों के अध्यक्षों को अंकन रु0 10 लाख तक की अनुमोदित लागत के कार्यों की स्वीकृति हेतु अधिकार प्रदान किये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की राशि को रु0 10 लाख से बढ़ाकर रु0 30 लाख किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 की धारा 16 में प्रावधिक स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित है, उसमें वर्तमान में कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है।

***110-श्री पूरन प्रकाश-**

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद बिजनौर के वि0स0क्षे0 नजीबाबाद में ग्राम समाज की जमीन पर अनाधिकृत कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में

111-श्री तसलीम अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के विधान सभा नजीबाबाद के हरिद्वार रोड पर नजीबाबाद शहर से 2 किमी0 आगे परवेज खां पुत्र अजमल नि0 मौ0 मकबरा ने मालन नदी को संकरी करके ग्राम समाज की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करके बिना नक्शे की बिल्डिंग खड़ा करके 25-25 कमरे बना लिये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बिना मानचित्र के स्वीकृत कराये अवैध निर्माण को गिरवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम अलीपुर परगना व तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर की खतौनी सन् 1420-1425फ0 के खाता सं0 155 पर गाटा सं0 349 मि0 रकबा 0.798 हे0 पर विजय कुमार शर्मा पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा तथा फरजाना खाँ पत्नी श्री परवेज आलम खाँ के नाम श्रेणी-1 के संक्रमणीय भूमि में दर्ज है। श्रीमती फरजाना के द्वारा 0.1690 हे0 भूमि पर बैंकट हाल व दुकान का निर्माण किया गया है। इसके अलावा गाटा सं0 349मि0 रकबा 1.454 हे0 अन्य खातेदारों के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा इसमें गांव सभा की कोई भूमि नहीं हैं इसके समीप मालन नदी गाटा सं0 373 में बह रही है। गाटा सं0 349 व 373 के मध्य गाटा सं0 348 का रकबा है, जो विभिन्न काश्तकारों के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। मालन नदी व गांव सभा की भूमि पर कोई कब्जा होना नहीं पाया गया है।

संदर्भित स्थल पर सड़क के मध्य से 18.50 मी0 कीदूरी पर आर0ओ0डब्ल्यू0 से 08.50 मी0 बाहर दुकानों/कामर्शियल काम्पलेक्स का निर्माण विगत वर्षों में हुआ है। भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0 नजीबाबाद द्वारा विगत 03 माह में संदर्भित भवन निर्माण बाबत कोई एन0ओ0सी0 निर्गत नहीं की गयी है। श्रीमती फरजाना खाँ को प्रश्नगत निर्माण के सम्बन्ध में विनियमित क्षेत्र द्वारा आर0बी0ओ0 ऐक्ट 1958 के प्राविधानों के अन्तर्गत कारण बाताओ नोटिस जारी किया गया है। आवेदिका द्वारा भवन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रक्रिया अन्तर्गत एवं विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0ख0सि0 सरोसी में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में सन्दर्भ संख्या 18156170514679 पर कार्यवाही की जानकारी

112-श्री पंकज गुप्ता-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर पर दर्ज सन्दर्भ सं0 18156170514679 विकास खण्ड सि0 सरोसी में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने के सन्दर्भ में था ? जो कि उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त सन्दर्भ पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

विकास खण्ड सि0 सरोसी मुख्यालय के लगभग 04 कि0मी0 की दूरी पर 07 शासकीय/अशासकीय विद्यालय संचालित हैं। अतः उक्त विकास खण्ड संतृप्त है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के नगरपालिका परिषद गंगाघाट, उन्नाव में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में

113-श्री पंकज गुप्ता-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय कम्प्यूटर पर दर्ज सन्दर्भ सं0 18156170514688 नगर पालिका परिषद् गंगाघाट, उन्नाव के अन्तर्गत एक राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना/निर्माण किये जाने का अवसर नहीं है।

मुख्य मंत्री सचिवालय के पत्र सं0 156 कम्प्यूटर संख्या पी0जी0 10156868 व पत्र सं0सी0एम0वि0को0/एम0/पी0जी0 10156868/2012, दिनांक 31-10-2012 पर कार्यवाही हेतु

114-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृजेश कठेरिया सदस्य विधान सभा, किशनी, जनपद मैनपुरी द्वारा अपने पत्र दिनांक 10-10-2012 एवं 31-10-2012 द्वारा मा0 मुख्य मंत्री से बेसिक शिक्षा विभाग मैनपुरी में भवन निर्माण हेतु प्राप्त धन की हेराफेरी एवं दुरुपयोग के सम्बन्ध में विभागीय जांच के आधार पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि मुख्य मंत्री सचिवालय के पत्र सं0-156 कम्प्यूटर संख्या-पी0जी0 10156868 व पत्र सं0-सी0एम0वि0को0/एम0पी0जी0 10156868/2012, दिनांक 31-10-2012 श्री आलोक कुमार सचिव मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा उपरिलिखित पत्र प्रमुख सचिव/सचिव बेसिक शिक्षा को भेजा गया था ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में जांच कार्रवाई के आधार पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

जी हां।

श्री बृजेश कठेरिया सदस्य विधान सभा, किशनी जनपद मैनपुरी के पत्र दिनांक 10-10-2012 एवं 31-10-2012 बेसिक शिक्षा विभाग मैनपुरी में भवन निर्माण हेतु प्राप्त धन की हेराफेरी एवं दुरूपयोग के सम्बनध में जांच करायी गयी, जिसमें निर्माण कार्य पूर्ण नहीं पाया गया था, जिसके क्रम में भवन निर्माण प्रभारियों को दोषी पाया गया था। संबंधित दोषी भवन निर्माण प्रभारियों से रिकवरी कराते हुये अपूर्ण भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के एस0जी0पी0जी0आई0 में बेड्स व स्टाफ की बढ़ोत्तरी करने के सम्बन्ध में

115-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में आने वाले मरीजों की संख्या के सापेक्ष बेड्स व स्टाफ की कमी होने के कारण बिना इलाज के मरीजों को लौटाया जाता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में बेड्स व स्टाफ की बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्था में आने वाले मरीजों को ओ0पी0डी0/आपातकालीन विभाग में देखा जाता है, यदि शैय्या उपलब्ध रहती है तो मरीजों को समायोजित/भर्ती कर लिया जाता है, अन्यथा उनकी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है। संस्थान में बेड खाली होने पर मरीज को दूरभाष के माध्यम से बुलाकर भर्ती कर लिया जाता है। जिस मरीज को शैय्या उपलब्ध नहीं हो पाती उन्हें समुचित प्राथमिक इलाज सलाह प्रदान कर दूसरे सरकारी चिकित्सालयों को संदर्भित कर दिया जाता है।

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ एक शैक्षणिक संस्थान है। शैय्याओं का निर्धारण संस्थान में संचालित पाठयक्रमों के आधार पर मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के मानक के अनुसार किया जाता है। वर्तमान में संस्थान में 1026 शैय्याएं क्रियाशील है। भविष्य में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संस्थान के विभिन्न विभागों में बेडस की बढोत्तरी निम्नवत प्रस्तावित है-

1-इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग- 210 बेडस।

2-रीनल ट्रांसप्लान्ट सेन्टर- 180 बेडस।

3-नवनिर्मित हिमेटोलाजी भवन- 39 बेडस।

4-हिपेटोब्लियिरी एवं लिवर ट्रांसप्लान्ट सेन्टर- 112 बेडस।

5-ई0आर0एस0 (विस्तार)- 30 बेडस

6-पुराने ओ0पी0डी0 को विभिन्न विभागों के लिये बेड 125 बेडस बनाये जाने हेतु परिवर्तित।

7-ट्रामा सेन्टर 60 बेडस।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 2011 टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अनु0 जाति अनु0 जनजाति की महिला/पुरूष अभ्यर्थियों के न मिलने पर इन्हीं वर्गों में समायोजित करने के सम्बन्ध में

116-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 2011 के विज्ञापन के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से 72825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के अनुसार अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के महिला/पुरुष के कुल कितने शिक्षकों की भर्ती हुई ? इनमें से कितनी जगहों पर पद अभी भी रिक्त हैं ? क्या सरकार कट आफ मैरिट के अनुसार अनु0 जाति/अनु0 जनजाति की महिला/पुरुष अभ्यर्थियों के न मिलने पर रिक्त पदों पर इन्हीं वर्गों के पुरुष वर्गों में से शिक्षक समायोजित किये जायेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

प्रशिक्षु शिक्षक 2011 के अन्तर्गत 72825 के सापेक्ष कुल 66655 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 12318 पदों पर अनु0जाति/अनु0 जनजाति के महिला/पुरुष के शिक्षकों की भर्ती हुई।

प्रशिक्षु शिक्षक 2011 के अन्तर्गत जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार अद्यतन कुल 4398 पदों पर अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के महिला/पुरुष के शिक्षकों के पद रिक्त हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25-7-2017 के क्रम में अवशेष रिक्तियों पर नियुक्ति की कार्यवाही 2011 के विज्ञापन के आधार पर संभव नहीं है।

उक्तवत।

उक्तवत।

जनपद लखीमपुर खीरी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का आपातकालीन चिकित्सा केन्द्र को चालू करने विषयक

117-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का आपातकालीन चिकित्सा केन्द्र (इमरजेन्सी सेन्टर) जिसके भवन का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल एम्स में तत्काल सेवा (इमरजेन्सी सेवा) चालू करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

लखीमपुर खीरी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। अतः आपातकालीन चिकित्सा केन्द्र (इमरजेन्सी सेन्टर) के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखीमपुरखीरी के प्रा0 विद्यालय में कार्यरत रसोईयों को प्रतिमाह मानदेय एवं दैनिक मजदूरी देने के सम्बन्ध में

118-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को प्रति माह कितना मानदेय दिया जाता है ? क्या सरकार दैनिक मजदूरी के आधार पर मानेदय प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भारत सरकार के सहयोग से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत कुक कम हेल्पर (रसोईयां) का मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 24-11-2009 के अनुसार नियत मानदेय रु0 1000 प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

भारत सरकार द्वारा भोजन तैयार किये जाने हेतु विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों हेतु निर्धारित मानदेय रु0 1000 प्रतिमाह की दर से प्रदेश के अन्य जनपदों सहित लखीमपुर खीरी में योजना से आच्छादित विद्यालयों में सम्बद्ध रसोईयों को मानदेय दिया जाता है।

लागू नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह एक केन्द्र पोषित योजना है। वर्तमान में रसोईयों के मानदेय पर होने वाले व्यय का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। रसोईयां मानदेय में भारत सरकार द्वारा अद्यतन कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है।

प्रदेश में हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों में तैनात शिक्षकों की सेवानिवृत्त सीमा 65 वर्ष करने विषयक

119-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों में तैनात शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र गोपालपुर में 2016-17 में स्वीकृत लोहिया आवास की दूसरी किस्त जारी करने के सम्बन्ध में

120-श्री नफीस अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत लोहिया आवास में से कितने पूर्ण हो गये हैं व कितने आवासों की दूसरी किस्त बाकी है ? क्या सरकार अपूर्ण आवासों हेतु दूसरी किस्त निर्गत करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 137 लोहिया आवासों में से 127 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 10 आवासों की द्वितीय किश्त बाकी है।

जी हां।

लाभार्थियों द्वारा आवासों को वांछित स्तर तक पूर्ण किये जाने के बाद।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0ख0 महाराजगंज के बाजार परशुरामपुर में नाली का निर्माण हेतु

121-श्री नफीस अहमद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में विकास खण्ड महाराजगंज के बाजार पशुरामपुर में मार्ग के दोनों तरफ जल निकासी हेतु नाली न होने के कारण जल भराव से जनता को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न में उल्लिखित बाजार के जल भराव वाले भाग में नाली का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा चुका है।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र गोपालपुर के देवारा में बालिका डिग्री कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में

122-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र देवारा में बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिये डिग्री कालेज नहीं हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिये उक्त क्षेत्र में बालिका डिग्री कालेज स्थापित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र देवारा में 01 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 08 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जिसमें 02 महिला महाविद्यालय है। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत वित्तीय एवं आधारभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र देवारा में नये राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना/निर्माण किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र गोपालपुर में कुल पशु चिकित्सालयों की संख्या एवं चिकित्सकों की नियुक्ति किया जाना

123-श्री नफीस अहमद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में कितने पशु चिकित्सालय हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत पद के सापेक्ष कितने पशु चिकित्सक, फार्मासिस्ट व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर निर्धारित मानक के अनुसार नियुक्तियां करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत 07 पदों के सापेक्ष 07 पशु चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं। फार्मासिस्ट के स्वीकृत 07 पदों के सापेक्ष 05 फार्मासिस्ट वर्तमान में कार्यरत हैं तथा 02 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत 15 पदों के सापेक्ष 09 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं तथा 06 पद रिक्त हैं।

जी हां।

वेटनरी फार्मासिस्ट की सेवा नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही क्रमित है। नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त नियुक्ति की जायेगी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने की कार्यवाही क्रमित है। कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर को ग्राम टाबर, परगना-सरसावा तहसील नकुड़ के खसरा संख्या-961 पर अवैध कब्जा को हटाया जाना

124-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ग्राम-टाबर, परगना-सरसावा, तहसील-नकुड़ के खसरा संख्या-961 (क्षेत्रफल 7 बीघा) एवं खसरा संख्या-974 (क्षेत्रफल 1.75 बीघा) जिसमें सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन के निर्देश पर जल संरक्षण हेतु तालाब का निर्माण कराया जाना था परन्तु ग्राम प्रधान की मिली भगत से दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम टाबर मुस्तहकम परगना सरसावा, तहसील नकुड़ जो कि वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत है, में स्थित ख0सं0-961 क्षेत्रफल 0.498 हे0 जोहड़ की भूमि है। इसके क्षेत्रफल 0.128 हे0 पर 05 अवैध कब्जे पाये गये हैं। ग्राम टाबर मुस्तहकम में स्थित खसरा नं0 974 क्षेत्रफल 0.133 हे0 जोहड़ की भूमि है, इसके मध्य में ग्रामवासियों के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी सड़क पुख्ता क्षेत्रफल 0.068 हे0 पर मौके पर चल रही है। शेष क्षेत्रफल 0.065 हे0 मौके पर जोहड़ के रूप में खाली है।

अवैध कब्जे की बेदखली के सम्बन्ध में तहसीलदार (न्यायिक) नकुड़ के न्यायालय में धारा 67(1) की कार्यवाही चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 1993 से दिसम्बर 2000 तक के माध्यमिक अध्यापकों का विनियमितीकरण किया जाना

125-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1993 से दिसम्बर, 2000 तक के नियुक्त कितने माध्यमिक अध्यापक को विनियमितीकरण कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष अध्यापकों को जिन्हें मा0 उच्च न्यायालय ने अध्यापक मान लिया है का भी विनियमितीकरण कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

अधिसूचना संख्या-588/79-वि-1-16-1(क) 13-2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में किये गये प्राविधानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 07-08-1993 से 30-12-2000 के मध्य तदर्थ रूप से नियुक्त/कार्यरत एवं दिनांक 07-08-1993 से 25-01-1999 के मध्य नियुक्त/कार्यरत 823 शिक्षक/शिक्षिकाओं का विनियमितीकरण किया जा चुका है। मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम/अंतरिम आदेश के अधीन नियुक्त/कार्यरत शिक्षकों की संख्या-1055 है, जिनका विनियमितीकरण नहीं किया गया है।

नहीं,

अधिसूचना संख्या-588/79-वि-1-16-1(क)13-2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 में जोड़ी गई धारा-33(छ) की उप धारा-8 में किये गये प्राविधानुसार मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम/अंतिम आदेश से कार्यरत अध्यापकों को विनियमित न किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 में जोड़ी गई धारा-33(छ) की उप धारा-8 में किये गये प्राविधान के अनुसार मा0 न्यायालय के अन्तरिम/अंतिम आदेश से कार्यरत अध्यापकों को विनियमित न किये जाने का प्राविधान है।

जनपद सहारनपुर को ग्राम टाबर, परगना-सरसावा तहसील नकुड़ में वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्मित शौचालयों के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच की मांग

126-श्री संजय गर्ग-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ग्राम-टाबर, परगना-सरसावा, तहसील-नकुड़ में वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्मित 367 शौचालयों के निर्माण में अधोमानक निर्माण तथा वित्तीय अनियमितताओं/धांधली का आंकलन सरकार द्वारा कराया गया है ? यदि हाँ, तो भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी-

ग्राम पंचायत-टाबर, विकास खण्ड-नकुड़, परगना-सरसावा में वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्मित 367 शौचालयों के निर्माण में अधोमानक निर्माण तथा वित्तीय अनियमितताओं/धांधली की शिकायत की जांच जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत टाबर विकास खण्ड नकुड, अंकन रुपये-174328/- की धनराशि के लिये संयुक्त रूप से प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये। जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्र दिनांक 27-12-2017 के द्वारा प्रधान ग्राम पंचायत टाबर को तथा जिला पंचायत राज अधिकारी, सहारनपुर के पत्र दिनांक 26-12-2017 के द्वारा सचिव ग्राम पंचायत टाबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर अन्तिम निर्णय हेतु पत्रावली जिलाधिकारी, सहारनपुर के

समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार कर ली गयी है जिलाधिकारी के आदेश के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गरीब परिवारों की उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में

127-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गरीब परिवारों से आये छात्रों की उच्च शिक्षा के लिये कोई विशेष योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हाँ, तो कितने गरीब छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की गयी तथा उसके लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त छात्रों की उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

प्रदेश के गरीब परिवारों के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए सम्प्रति कोई विशेष योजना संचालित नहीं है। समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के गरीब परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

जनपद आजमगढ़ में समेकित विकास सेवा की मानीटरिंग हेतु जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय, आंगनबाड़ी स्तरीय मानीटरिंग एवं समीक्षा समिति का गठन करने के सम्बन्ध में

128-श्री सुखदेव राजभर-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समेकित विकास सेवा की मानीटरिंग हेतु जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय, आंगनबाड़ी स्तरीय मॉनीटरिंग एवं समीक्षा समिति का गठन हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद आजमगढ़ में उपरोक्त का गठन कर दिया गया है ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

जी हां।

प्रदेश के प्रत्येक जनपदों के प्रा0 विद्यालयों/उ0प्रा0 विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की संख्या की सूची के सम्बन्ध में

129-श्री सुखदेव राजभर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में

अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी है ? क्या सरकार उक्त की सूची उपलब्ध करायेगी ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 11693800 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 3728247 छात्र-छात्रायें पंजीकृत हैं।

जनपदवार सूची संलग्न† है।

उक्तवत।

उक्तवत।

जनपद आजमगढ़ में ग्रा0 पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में

130-श्री सुखदेव राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की कई ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद रिक्त हैं ? यदि हाँ, तो ग्राम पंचायत वार उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत अधिकारी की तैनाती की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के प्राचीन मन्दिर में किये गये अवैध कब्जे के सम्बन्ध में दिये गये पत्र क्रमांक 08/स0वि0स0 दीदारगंज दिनांक 14-07-2017 पर कार्यवाही

131-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 08/स0वि0स0 दीदारगंज, दिनांक 14-07-2017 जो कि ग्राम हारूनपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ स्थित कबीर मठ के प्राचीर मन्दिर में किये गये अवैध कब्जा को हटवाने व अवैध ढंग से किये गये फर्जी पट्टे को निरस्त किये जाने विषयक हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उक्त के सम्बन्ध में जांचोपरान्त यह पाया गया कि प्रकरण में मा0 न्यायालय अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ में वाद संख्या 141/ए अन्तर्गत धारा 333 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त कबीर मठ के प्रबंधक नरायनदास आदि द्वारा मु0नं0 1225/14 न्यायालय सिविल जज अवर खण्ड हवेली आजमगढ़

† छापी नहीं गयी।

न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन यथासमय कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0ख0 महराजगंज व बिलरियागंज के अन्तर्गत निर्मित टंकियों की संख्या एवं पेयजल उपलब्ध कराने विषयक

132-श्री नफीस अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज व बिलरियागंज में राष्ट्रीय पेयजल योजना के अन्तर्गत कितनी पानी की टंकी बनायी गयी है ? क्या उक्त टंकियों से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त टंकियों से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में 01 तथा बिलरियागंज में 02 पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है। विकास खण्ड महराजगंज में निर्मित पानी की टंकी से जलापूर्ति की जा रही है। विकास खण्ड बिलरियागंज की बिन्दवल तथा छीही पेयजल योजना का रख-रखाव सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में बिन्दवल तथा छीही पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति बाधित है। ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित इन दोनों पेयजल योजनाओं के संचालन का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0क्षे0 गोपालपुर के गांवों में अनुपयोगी व बीमार पशुओं के लिये पशुवाढ़ा तथा गौशाला स्थापित कराया जाना

133-श्री नफीस अहमद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के गांवों में पशुपालकों द्वारा अपने निशक्त बीमार एवं अनुपयोगी पशुओं को खुल्ला छोड़ देने से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसके समाधान हेतु ग्राम सभावार पशुबाड़ा अथवा गौशाला स्थापित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

एतद्विषयक कतिपय शिकायतें संज्ञान में आई है।

सम्प्रति ग्राम सभावार पशुबाढ़ा अथवा गौशाला स्थापित किये जाने की कोई योजना पशुपालन विभाग के स्तर पर प्रचलित नहीं है। वर्तमान समय में जिला प्रशासन द्वारा ग्राम सभाओं में खाली जमीनों का चिन्हांकन कराया जा रहा है। ग्राम सभावार पशुबाड़ा/गौशाला का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत महाराजगंज में फायर स्टेशन के सम्बन्ध में

134-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत महाराजगंज में फायर स्टेशन पर फायर गाड़ी, स्टाफ व अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो उक्त सुविधायें सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद आजमगढ़ के कस्बा महाराजगंज में फायर स्टेशन के लिए वाहन एवं वाहन चालक मय उपकरणों के साथ स्थापित/उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में जल निगम द्वारा वर्ष 2012 से अब तक लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या के सम्बन्ध में

135-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जल निगम द्वारा मार्च, 2012 से दिनांक अब तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत विकास खण्डवार कितने नये हैण्डपम्प लगाये गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि कार्यदायी संस्था द्वारा हैण्डपम्पों के रि-बोर व नये निर्माण में भारी हेराफेरी की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद आजमगढ़ में मार्च, 2012 से 15-03-2018 तक विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 22 विकास खण्डों में कुल 6,497 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं, जिनका विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3
1	अतरौलिया	312
2	कोयलसा	299
3	अहिरौला	432
4	पल्हनी	316
5	सठियांव	371
6	महराजगंज	277
7	हरैया	322
8	बिलरियागंज	389
9	जहानागंज	329

1	2	3
10	अजमतगढ़	335
11	लालगंज	226
12	ठेकमा	255
13	पवई	272
14	मार्टिनगंज	241
15	मोहम्मदपुर	245
16	तरवां	248
17	पल्हना	155
18	मेंहनगर	240
19	मिर्जापुर	279
20	फूलपुर	247
21	तहवरपुर	357
22	रानी की सराय	350

हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन का कार्य सम्बन्धित जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराया जाता है। मई, 2017 के पहले हैण्डपम्पों के रि-बोर का कार्य उ0प्र0 जल निगम द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कराया जाता था। शासनादेश दिनांक 08 मई, 2017 के अनुसार मई, 2017 से हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। सभी रि-बोर एवं नये कार्यों की जिला प्रशासन द्वारा समीक्षा की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0खं0 मार्टिनगंज, महमदपुर, फूलपुर, निजामाबाद के ग्राम सभाओं में ग्राम सचिवालयों की स्थापना

136-श्री सुखदेव राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में विकास खण्ड मार्टिनगंज, महमदपुर, फूलपुर, निजामाबाद के किन-किन ग्राम सभाओं में ग्राम सचिवालयों की स्थापना हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शेष ग्राम सभाओं में भी ग्राम सचिवालयों की स्थापना करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी-

जनपद-आजमगढ़ में विकास खण्ड मार्टीनगंज की 72 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 35 ग्राम पंचायतों में, विकास खण्ड-मुहम्मदपुर की 73 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 31 ग्राम पंचायतों में, विकास

खण्ड-फूलपुर की 89 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 40 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन/ग्राम सचिवालय की स्थापना हो गयी है। जनपद आजमगढ़ में निजामाबाद नामक कोई विकास खण्ड नहीं है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र दीदारगंज में विकास कार्यों की सूची स्थायी सूचनापट्ट पर लिखे जाने के सम्बन्ध में

137-श्री सुखदेव राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभाओं में होने वाले सभी विकास कार्यों की जानकारी ग्राम सचिवालय के स्थायी सूचना पट्ट पर लिखी जाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विकास कार्यों की सूची स्थायी सूचना पट्ट पर लिखे जाने का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी-

जी हां।

ग्राम सभाओं में होने वाली सभी विकास कार्यों की जानकारी ग्राम सचिवालय एवं सार्वजनिक स्थल पर लिखे जाने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2012 से आज तक कुल पिछड़ा क्षेत्र अनुदान से स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में

138-श्री सुखदेव राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में मार्च, 2012 से आज दिनांक तक पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि किन-किन परियोजनाओं के लिए विकास खण्डवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या आवंटित धनराशि के सापेक्ष कुल कितने कार्य करा दिये गये ? क्या सरकार कराये गये कार्यों की सूची उपलब्ध कराते हुए अवशेष कार्यों को करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी-

जनपद आजमगढ़ के कुल 22 विकास खण्डों हेतु मार्च, 2012 से अब तक कुल 414 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त कार्यों के सापेक्ष रू0 4805.45 लाख का आवंटन विकास खण्डवार किया गया है।

आवंटित धनराशि के सापेक्ष कुल 413 कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है।

जी हां। सूची संलग्न है।

एक मात्र अवशेष कार्य, जो ग्राम पंचायत बूढनपुर में पाइप लाइन सहित पानी की टंकी के निर्माण से सम्बन्धित है, आजमगढ़-फैजाबाद मार्ग के निर्माणाधीन होने के कारण अवरुद्ध है। सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही उक्त अवशेष कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0खं0 मार्टिनगंज, निजामाबाद, फूलपुर, मुहम्मदपुर में मार्च 2012 से मार्च 2017 तक कुल डा0 राम मनोहर लोहिया के तहत कराये गये विकास कार्यों के सम्बन्ध में

139-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज, निजामाबाद, फूलपुर, मुहम्मदपुर में वर्ष मार्च, 2012 से मार्च, 2017 तक कुल कितने डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों का चयन किया गया ? क्या चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों को विकास कार्यों से संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूरा करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज, निजामाबाद, फूलपुर, मुहम्मदपुर में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक निम्नवत् कुल 28 ग्रामों का चयन किया गया :

क्रम सं0	विकास खण्ड	चयनित ग्रामों की संख्या
1	मार्टिनगंज	6
2	निजामाबाद	0
3	फूलपुर	14
4	मुहम्मदपुर	8
योग		**28**

योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक चयनित ग्रामों को संचालित समस्त कार्यक्रमों से तथा वर्ष 2016-17 के चयनित ग्रामों को स्वच्छ पेयजल, वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्यक्रम को छोड़कर शेष कार्यक्रमों से संतृप्त कराया जा चुका है।

वर्ष 2016-17 के चयनित ग्रामों में आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माणाधीन हैं। शेष स्वच्छ पेयजल तथा वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम में अवशेष कार्यों का निर्माण धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के श्रेणी-1 के जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, उपायुक्त के स्वीकृत पदों के सम्बन्ध में

140-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के श्रेणी-1 के जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, उपायुक्त (श्रम/स्वतः रोजगार), उपायुक्त (मुख्यालय) के कुल कितने पद प्रदेश में स्वीकृत अथवा अधिसूचित हैं ? क्या स्वीकृत/अधिसूचित पद के सापेक्ष 1 फरवरी, 2018 को पदोन्नति के पश्चात् कुल कितने अधिकारी कार्यरत हैं तथा स्वीकृत पद के सापेक्ष कितने पद श्रेणी-1 के उपर्युक्त पद पर रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों पर शासन की मंशा के अनुरूप पदोन्नतियां की जायेंगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, उपायुक्त (श्रम/स्वतः रोजगार), उपायुक्त (मुख्यालय) के कुल 285 पद स्वीकृत/अधिसूचित हैं।

261 अधिकारी कार्यरत हैं। 24 पद रिक्त हैं।

जी हां।

चयन वर्ष 2017-18 में उक्त रिक्तियों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त एवं उच्च पदों पर पदोन्नति से रिक्तियां सम्भावित है, जिसके स्पष्ट होने पर पदोन्नति हेतु अनुपूरक चयन के लिए विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के उपरान्त उनको पुनः सहायक अध्यापक पद पर सेवायोजित किये जाने की कार्य योजना

141-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद से मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समायोजन निरस्त होने के उपरान्त उनको पुनः शिक्षक बनाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं ? क्या सरकार को समायोजन निरस्त होने के उपरान्त अभी तक प्रदेश में 400 से ज्यादा शिक्षा मित्रों की हार्ट अटैक होने तथा आर्थिक तंगी के कारण हुई मृत्यु की जानकारी है ? यदि हाँ, तो क्या सराकर शिक्षामित्रों की उम्र सीमा, शैक्षिक योग्यता आदि में शिथिलता प्रदान करते हुए उनको सहायक अध्यापक पद पर सेवायोजित किये जाने की कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त किये जाने के उपरान्त शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 में संशोधन करते हुए प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए

2.5 अंक अधिकतम 25 अंक तक, जो भी कम हो, भारांक देने तथा आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है तथा परीषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया हेतु सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

जी नहीं।

प्रस्तर-1 में अंकित है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग दिये जाने की व्यवस्था

142-श्री अजय कुमार लल्लू -

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग दिये जाने की सरकार की योजना है ? यदि हाँ, तो वर्तमान शिक्षा सत्र में कुल कितने बच्चों को स्कूल बैग वितरित किये गये तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कितने बच्चों को स्कूल बैग देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार द्वारा कक्षा 1 एवं कक्षा 6 के बच्चों को ही शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने पर स्कूल बैग देने की योजना बनायी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे स्कूली बच्चे जिनको पिछले वर्ष स्कूल बैग मिला था तथा जिनका बैग अधोमानक होने के कारण जल्दी ही खराब होकर फट गया, का भी परीक्षण कराकर उनको आगामी शिक्षा सत्र में नया बैग दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

2017-18 में 1.52 करोड़ बच्चों को बैग दिये गये हैं।

2018-19 में 60 लाख बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जी नहीं।

कक्षा-1 एवं कक्षा-6 के समस्त तथा नये प्रवेश छात्रों को स्कूल बैग दिये जायेंगे।

जी नहीं।

निविदा की शर्तों के अधीन एक वर्ष के अन्तर्गत (12 माह) बैग की गुणवत्ता में कमी होने पर या अधोमानक होने पर आपूर्तिकर्ता के द्वारा स्कूल बैग को बदलकर आपूर्ति करने का प्राविधान है। यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा स्कूल बैग अधोमानक होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् 30 दिन के अन्दर स्कूल बैग को बदलकर आपूर्ति नहीं किया जाता है तो 5 प्रतिशत धनराशि कटौती किये जाने की भी व्यवस्था है।

उक्तवत्।

जनपद लखीमपुर खीरी में महिला पालीटेक्निक कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में

143-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बातने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में महिला पालीटेक्निक न होने के कारण छात्रायें उक्त शिक्षा का लाभ पाने से वंचित हैं ? यदि हाँ, तो क्या

सरकार उक्त जनपद में महिला पालीटेक्निक की स्थापना करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखीमपुर खीरी में पूर्व से दो सह-शिक्षण संस्थाएं यथा-राजकीय पालीटेक्निक, मोहम्मदी लखीमपुर खीरी एवं राजकीय पालीटेक्निक, लखीमपुर खीरी संचालित है, जिनमें महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत 20 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश की सुविधा अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी जिस जनपद का निवासी है, उसी जनपद में संचालित/स्थापित संस्था में प्रवेश पायें। ऐसी स्थिति में जनपद लखीमपुर में महिला पालीटेक्निक न होने के कारण जनपद की छात्राएं तकनीकी शिक्षा का लाभ पाने से वंचित रहने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखीमपुर खीरी में ऊसर, बंजर, परती भूमि को खेती योग्य बनाने हेतु कार्य योजना बनाया जाना

144-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या परती भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में ऊसर, बंजर, बीहड़, परती भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रदेश के 32 ऊसर बाहुल्य जनपदों क्रमशः सन्त रविदासनगर (भदोही) जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रूखाबाद, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, कौशाम्बी, फिरोजाबाद, कासगंज, बुलन्दशहर, अमेठी, अम्बेडकर नगर, वाराणसी, शाहजहांपुर एवं फैजाबाद में कार्यान्वित है। इस परियोजना में बीहड़ सुधार की एक उप परियोजना भी सम्मिलित है जो विश्व बैंक से हुई सहमति के आधार पर वर्तमान में जनपद फतेहपुर, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, रायबरेली, इटावा/औरैया, जौनपुर, मैनपुरी/फिरोजाबाद, लखनऊ/बाराबंकी, इलाहाबाद/कौशाम्बी एवं सुल्तानपुर में कार्यान्वित की जा रही है। उक्त योजना में ऊसर एवं बीहड़ भूमि का उपचार कर खेती के अन्तर्गत लाने का कार्य किया जा रहा है जिसमें जनपद लखीमपुर खीरी सम्मिलित नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी में पानी के टंकी लगाकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

145-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में पेयजल के गम्भीर संकट के दृष्टिगत जिले के ऐसे/मजरों जहाँ, पानी की टंकी की स्थापना नहीं की गयी है, में पानी की टंकी लगाकर जल आपूर्ति करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उक्त गांवों में कब तक पानी की टंकी से जल की आपूर्ति शुरू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

भारत सरकार द्वारा घोषित ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण आबादी को पाइप द्वारा जलापूर्ति हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है। जनपद लखीमपुर के ग्रामीण क्षेत्र में अभिकल्पित जनसंख्या 39,16,299 के लिए 57,334 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस तरह 68 व्यक्ति पर एक हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। अतः जनपद लखीमपुर का ग्रामीण क्षेत्र पेयजल के मानक की दृष्टि से संतृप्त है।

वर्तमान में सीमित संसाधनों के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता-आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित ग्राम, खुले में शौचमुक्त ग्राम एवं सांसद आदर्श ग्रामों में चरणबद्ध रूप से पाइप द्वारा जलापूर्ति की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के वि0स0 क्षेत्र दातागंज के वि0खं0 उसावा के ग्राम कटरा के सहादतगंज में हाई स्कूल खोले जाने के प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-306/2/एमएलए/18, दिनांक 03-02-2018 पर कार्यवाही की जानकारी

146-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड उसावा के ग्राम कटरा सहादतगंज में हाई स्कूल खोले जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 306/2/एमएलए/18, दिनांक 03-02-2018 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों तथा मानक के अनुसार राजकीय हाईस्कूल की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा ऐसे उच्च प्राथमिक, विद्यालयों के परिसर में अथवा निकट में स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके न्यूनतम 05 कि0मी0 की परिधि में कोई राजकीय/अनुदानित विद्यालय न हो।

केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश हेतु नवीन राजकीय हाईस्कूल स्थापना हेतु कोई

स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत उक्त ग्राम में वर्ष 2017-18 में नवीन राजकीय हाईस्कूल की स्थापना नहीं की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में मार्च 2012 से अब तक विधायक/विधान परिषद् सदस्यों द्वारा स्वीकृत इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी

147-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष मार्च, 2012 से दिनांक 12-10-17 तक विधायक/विधान परिषद् सदस्य कोटे से स्वीकृत तथा अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्पों का विवरण क्या है ? उसके सापेक्ष कितने अधिष्ठापित किये जाने शेष हैं एवं उनको कब तक अधिष्ठापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद आजमगढ़ में वर्ष मार्च, 2012 से दिनांक 12-10-2017 तक मा0 विधायक/विधान परिषद् सदस्य कोटे के अन्तर्गत 3,781 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 3,583 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वर्ष	स्वीकृत हैण्डपम्प	अधिष्ठापित हैण्डपम्प	अवशेष
1	2	3	4	5
1	2012-13	1100	1100	0
2	2013-14	1351	1351	0
3	2014-15	0	0	0
4	2015-16	0	0	0
5	2016-17	1330	1132	198
योग		3781	3583	198

198 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प का अधिष्ठापन शेष है। सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त उक्त अवशेष इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगड़ के वि0स0क्षे0 दीदारगंज में जनसंख्या के सापेक्ष हैण्डपम्प लगाकर जलापूर्ति करने की कार्य योजना

148-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र में जनसंख्या के सापेक्ष अब तक लगे हैण्डपम्पों की संख्या कितनी है ? क्या लगाये गये हैण्ड पम्पों से मानकानुसार जल आपूर्ति हो रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानकानुसार जलापूर्ति हेतु कोई कार्ययोजना बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग 4,38,783 है, जिसके सापेक्ष कुल 5,597 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में 2012 मार्च से अब तक विधायक निधि/सांसद निधि से जमा किये गये अंशदान से हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में

149-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में मार्च, 2012 से अब तक विधायक निधि से कितने हैण्डपप्पों का अंशदान जमा हुआ है ? क्या विधायक निधि से जमा किये गये अंशदानों के हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद आजमगढ़ में मार्च 2012 से अब तक विधायक निधि से हैण्डपम्प स्थापना हेतु कोई अंशदान नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र दीदारगंज के अन्तर्गत राम मनोहर लोहिया ग्रामों में शौचालय का निर्माण कराया जाना

150-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों के अनुसूचित जाति, मुसहर जाति तथा राजभरों की बस्तियों में कितने-कितने शौचालयों का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिला समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक 21 ग्रामों का चयन किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति बस्ती में 720, मुसहर जाति बस्ती में 09 तथा राजभर बस्ती में 367, इस प्रकार कुल 1096 शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ के वि0स0क्षे0 दीदारगंज प्रा0/उच्च प्रा0 विद्यालयों के स्वीकृत भवनों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

151-श्री सुखदेव राजभर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में कुल कितने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय किन-किन गांवों में स्वीकृत हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने विद्यालयों का निर्माण हो गया है तथा कितने शेष हैं व शेष विद्यालयों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के गांवों में 391 प्राथमिक एवं 166 उच्च प्राथमिक विद्यालय पूर्व से संचालित हैं। विद्यालयों की सूची संलग्न है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के गांवों में संचालित 390 प्राथमिक एवं 166 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कार्य पूर्ण है। वर्ष 2011 में स्वीकृत एक प्राथमिक विद्यालय डेयरी मखदूमपुर, विकास खण्ड मार्टिनगंज के भवन का प्लास्टर, फर्श का निर्माण कार्य अपूर्ण है, जिसके लिए निर्माण प्रभारी से धनराशि रुपये 1,99,791.00 की रिकवरी जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। धनराशि जमा करते ही अवशेष/अपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की तह0 मड़ियाहूँ के ग्राम0 मोकनपुर में हैण्डपम्प लगाने विषयक पत्रांक क-6 नं0-081753, दिनांक 29-08-2017 पर कार्यवाही की जानकारी

152-श्री संजय गर्ग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लाल जी वर्मा, स0वि0स का पत्रांक-क-6 नं0-081753, दिनांक 29-08-2017 जो कि ग्राम-मोकनपुर (बड़ी कोट), तहसील-मड़ियाहूं, जिला-जौनपुर में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ, ग्राम-मोकनपुर (बड़ी कोट), तहसील-मड़ियाहूँ, जनपद-जौनपुर की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी 3,235 है। उक्त ग्राम में 69 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार निर्धारित मानक 150 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प के सापेक्ष 52 व्यक्तियों पर एक हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। अतः ग्राम-मोकनपुर (बड़ी कोट) पेयजल के मानक के अनुसार हैण्डपम्पों से संतृप्त है। अतएव अतिरिक्त इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापन की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ब्लाक महुआ के ग्राम मोतियारी में कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने की मांग

153-श्री संजय गर्ग-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक-महुआ अन्तर्गत ग्राम-मोतियारी का पुरवा से अनुसूचित जाति बस्ती अजनयाक का पुरवा तक के कच्चा मार्ग को सरकार पक्का मार्ग (सी0सी0) रोड बनवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी-

जनपद बांदा के ब्लाक-महुआ के अन्तर्गत ग्राम-मोतियारी का पुरवा से अनुसूचित जाति बस्ती अजनायक का पुरवा ग्राम पंचायत की बस्ती से बाहर है। इसमें कोई आबादी नहीं है। उक्त स्थरल लगभग 1.5 कि0मी0 तक है। उक्त स्थल पर पक्का मार्ग बनाये जाने हेतु ग्राम पंचायत में धनराशि उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त कार्य नहीं कराया जा सकता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण।

154-श्री संजय गर्ग-

[दिनांक 14-03-2018 को अता0 प्र0 सं0-185 द्वारा उत्तरित]

155-श्री संजय गर्ग-

[दिनांक 14-03-2018 को अता0 प्र0 सं0-186 द्वारा उत्तरित]

156-श्री संजय गर्ग-

[दिनांक 14-03-2018 को अता0 प्र0 सं0-187 द्वारा उत्तरित]

मत्स्य विकास निगम में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत दैनिक वेतन वर्कचार्ज एवं संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण करने हेतु

157-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विकास निगम में 01 मार्च, 1995 से सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत दैनिक वेतन वर्कचार्ज एवं संविदा पर कार्यरत कर्मियों को सरकार शासनादेश संख्या-14/2015/पे0-279-54एम/2008 टी0सी0, दिनांक 13 अगस्त, 2015 के अन्तर्गत विनियमितीकरण करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

जी हां।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-44/2015/वे0आ0-2-795/दस-54 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक-13 अगस्त, 2015, सपठित शासनादेश संख्या-9/2016/ वे0आ0-2-201/दस-2016-8 (मु0स0स0)/2011 टी0सी0 दिनांक 24 फरवरी, 2016 एवं तत्क्रम में कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-9/2016/2/1/97-का-2/2016, दिनांक-12 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 में उल्लिखित प्राविधानानुसार उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 के नियमानुसार पात्र कार्मिकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र दीदारगंज में वर्ष 2012 मनरेगा के अन्तर्गत कुल आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में

158-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012 से दिनांक 12-10-17 तक ग्राम पंचायतवार कुल कितना-कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने जाब कार्ड धारकों (पुरूष/महिला) को रोजगार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012 से दिनांक 12-10-2017 तक ग्राम पंचायतवार (विकास खण्ड-फूलपुर 51 ग्राम पंचायत, विकास खण्ड-मार्टीनगंज 72 ग्राम पंचायत एवं विकास खण्ड-मुहम्मदपुर 53 ग्राम पंचायत) इस प्रकार 176 ग्राम पंचायतों को कुल रू0 2829.80 लाख धनराशि आवंटित की गयी है।

उक्त अवधि में 36595 पुरूष और 14772 महिला जॉब कार्ड धारकों को रोजगार दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के शहीद भगत सिंह वार्ड स्थित ग्राम अमराई के श्मशान घाट व तालाब को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु

159-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के शहीद भगत सिंह वार्ड स्थित ग्राम अमराई के श्मशान घाट व तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा निर्माण कार्य किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त श्मशान घाट व तालाब की भूमि पर अवैध किये गये निर्माण कार्य को हटायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम अमराई गांव की खतौनी में श्मशान के रूप में कोई भूमि दर्ज नहीं है। तालाब के खाते में 14 खसरा संख्याएं दर्ज हैं, जिसमें 07 खसरा संख्याओं पर कोई अवैध कब्जा नहीं है व 05 खसरा संख्याओं की भूमि पर 13 अवैध कब्जे हैं एवं 01 खसरा संख्या श्मशान के रूप में तथा 01 खसरा संख्या कर्बला के रूप में प्रयुक्त हो रही है।

जी हां।

अवैध कब्जेदारों को अवैध कब्जा हटाने हेतु नोटिस निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम कंजहित थाना देवगांव के पूर्व प्रधान श्री विश्वनाथ आदि के फर्जी मूठभेड़ के सम्बन्ध में पत्र दि0 29-08-2017 पर जांच की कार्यवाही

160-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक-25/2017, दिनांक 29-08-2017, कार्यालय नेता, विधान मण्डल दल बी0एस0पी0, उ0प्र0 जो कि श्री रामफेर पूर्व प्रधान पुत्र श्री विश्वनाथ तथा अन्य निवासी ग्रा0-कंजहित, थाना-देवगांव, जनपद आजमगढ़ के पुत्र दुर्गेश

प्रताप राजभर को ग्राम कंवरा गहनी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को पुलिस उनके निवास से रात 11 बजे, दिनांक 11-05-2017 को उठाकर लाई तथा फर्जी मुठभेड़ में दिखाकर जनपद जौनपुर की पुलिस ने गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक-25/2017, दिनांक 30/08/2017 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी फूलपुर, आजमगढ़ से करायी गयी तो पाया गया कि दुर्गेश राजभर पुत्र रामचन्द्र राजभर सा0 कौरागहनी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को रात्रि में किसी भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ एवं जौनपुर में फर्जी मुकदमों में फसाये गये इन्द्रजीत दूबे के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या-21/2017, दिनांक 29-08-2017 पर कार्यवाही

161-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-21/2017, दिनांक 29-8-2017 कार्यालय नेता विधान मण्डल, बी0एस0पी0, उ0प्र0 जो कि श्री इन्द्रजीत दूबे के पुत्र श्री राजकिरण दूबे को जनपद आजमगढ़ तथा जनपद जौनपुर की पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमों में फंसाये जाने की जांच विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नगत मामले की जांच करायी गयी तो यह ज्ञात हुआ कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि खेतासराय की लूट से सम्बन्धित अभियुक्त कनौरा पुल होते हुए वाराणसी में ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं। उक्त सूचना पर थाना खेतासराय/सिकरारा की पुलिस तथा स्वाट टीम जौनपुर के अधिकारियों द्वारा कनौरा पुल के पास घेराबन्दी की गयी जिसमें 03 लोग पकड़े गये। पकड़े गये लोगों के पास चोरी के 21 मोबाइल, 303 बोर का 01 कट्टा, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 315 बोर का 01 अदद कट्टा, 04 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 32 बोर का 01 अदद पिस्टल, 03 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस तथा रू0 293000/-02 मोटरसाइकिल अपाचे एवं 02 अदद् एटीएम कार्ड बरामद होने पर थाना चन्दवक जनपद जौनपुर में मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी है। पकड़े गये अभियुक्तों में ही राजकिरण दूबे उर्फ राजू पुत्र इन्द्रजीत दूबे सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के ग्राम व पोस्ट कोटवारी के सम्बन्ध में दिये गये पत्र क्रमांक-24/2017, दिनांक 29-08-2017 पर कार्यवाही

162-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 24/2017, दिनांक 29-08-2017 कार्यालय नेता विधान मण्डल दल बी0एस0पी0 उ0प्र0 जो धर्मेन्द्र राजभर पुत्र पंजाब राजभर ग्राम व पोस्ट कोटवारी, थाना रसड़ा, जनपद बलिया को फर्जी तरीके से फंसाये जाने की किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय माडल स्कूल संचालित करने के सम्बन्ध में

163-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय माडल स्कूल संचालित करने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो कुल कितना धन इन माडल स्कूलों के निर्माण में खर्च होगा और निर्माण की समय सीमा क्या है ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

शैक्षिक सत्र 2018-19 से प्रदेश में 148 पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय माडल स्कूल संचालित करने की योजना है। इनके निर्माण पर रू0 4261.04 करोड़ धनराशि व्यय हुई है तथा इसका निर्माण पूर्ण हो चुका है।

164-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[03 सोमवार के अता0 प्र0 सं0-63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर के 19 विकास खण्डों में मनरेगा के अन्तर्गत कार्य के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में

165-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के 19 विकास खण्डों में लगभग एक वर्ष से मनरेगा के अन्तर्गत कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त 19 विकास खण्डों के श्रमिकों के मांग के अनुसार कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

विकास खण्ड-पहला की कार्यदायी संस्था क्षेत्र पंचायत द्वारा 01 कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया था, जिसका स्वीकृति आदेश दिनांक 10-03-2018 द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

जनपद के 19 विकास खण्डों में ग्राम पंचायतों एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मनरेगा का कार्य कराते हुए श्रमिकों की मांग के अनुसार रोजगार दिया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुमोदित लेबर बजट के अनुसार कुल 157573 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके सापेक्ष जनपद में अब तक 179118 परिवारों को उनकी मांग के अनुसार रोजगार प्रदान किया जा चुका है, जो वार्षिक लक्ष्य का 112.39 प्रतिशत है।

श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार नियमानुसार अनवरत कार्य दिया जा रहा है। अभी तक 243608 श्रमिकों को कार्य दिया गया है एवं 5991102 मानव दिवस का सृजन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मऊ के तह0 सदर मऊ के ग्राम सभा रैकबारडीह के गाटा सं0 262 व 263 के रास्ते पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में

166-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के सदर-मऊ तहसील अन्तर्गत ग्राम सभा रैकवार डीह के गाटा संख्या 262 व 263 जो रास्ता की जमीन है पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त अवैध कब्जे को हटाकर दोषियों के विरूद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम रैकवारडीह, तहसील सदर, मऊ जनपद मऊ के गाटा सं0-262 व 263 अभिलेख में रास्ता अंकित नहीं है बल्कि गाटा सं0-262 खाता सं0-392 में यशोदा, प्रेम, मुन्नू आदि के नाम व अराजी सं0-263 खाता सं0-149 में मुरलीधर, सदन व मधु आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में राजस्व अभिलेख खतौनी में अंकित है। स्थलीय निरीक्षण में उक्त आराजी सं0-262 व 263 पर खातेदार काबिज हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला पंचायतों में 1 अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त केन्द्रीय/अकेन्द्रीय सम्वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि एवं पेंशन के सम्बन्ध में

167-श्री संजय गर्ग-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंचायतों में 1 अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त केन्द्रीय/अकेन्द्रीय संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि एवं पेंशन की क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त केन्द्रीय/अकेन्द्रीय संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की ई0पी0एफ0 की कटौती नहीं हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कटौती को चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी-

01 अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त केन्द्रीय/अकेन्द्रीय सम्वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू की गयी नई पेंशन नीति प्रदेश के जिला पंचायतों में अभी लागू नहीं हुई है। लागू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में निर्माणाधीन बाईपास पर बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा के पास लगने वाले जाम के सम्बन्ध में

168-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में निर्माणाधीन बाईपास पर बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा के पास तहबाजारी की वसूली प्रत्येक भारी वाहनों से करने के कारण कई कि0मी0 तक लम्बा जाम बाईपास पर लगा रहता है ? क्या सरकार बतायेगी कि किसी निर्माणाधीन मार्ग पर तहबाजारी की वसूली की जा सकती है ? यदि नहीं, तो उक्त वसूली करने वाले अधिकारी एवं ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित गजट, दिनांक 11-01-2014 के द्वारा जिला पंचायत बांदा में खनिज परिवहन शुल्क/तहबाजारी शुल्क वसूली की उपविधि लागू की गयी है। वर्तमान में प्रचलित उपविधि की धारा-2 की उपधारा-6 में उल्लिखित ''सार्वजनिक मार्गों'' पर बिना यातायात को बाधित किये जिला पंचायत बांदा द्वारा खनिज परिवहन/खनिज तहबाजारी शुल्क की वसूली की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

अब हम नियम-301 की सूचनाएं लेते हैं।

(इसी मध्य सदस्य श्री हाजी इरफान सोलंकी के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी कोई नोटिस तो नहीं है।

[12:20] मा0 सदस्य के घर की पुलिस द्वारा घेराबन्दी को हटवाने का अनुरोध।

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, बात ऐसी है कि रामपुर के हमारे साथी विधायक मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां जी का मामला है और वह इस समय वहीं पर अपनी विधान सभा क्षेत्र में ही हैं। चुनाव के समय धारा-307 लगी थी। हमारे एक साथी विधायक थे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप मा0 नेता प्रतिपक्ष से पूछ लीजियेगा कि यह कैसे कहा जाता है। इसका उत्तर तो हमारे पास भी नहीं है।

श्री इरफान सोलंकी हाजी -

मा0 अध्यक्ष जी, आप एक मिनट सुन लें, क्योंकि यह मौजूदा विधायक का मामला है। आप संज्ञान ले लें। उसमें श्री नावेद जो पूर्व विधायक थे उनका चुनाव का मामला था और दोनों के ऊपर धारा-307 लगी। पुलिस ने नावेद मियां पर से धारा-307 तो हटा दी, लेकिन इनके ऊपर लगी रहने दी जबकि न तो किसी का खून हुआ न ही किसी के चोट लगी और न ही किसी के जख्म लगा। उसके बाद जब अपराधी सरेण्डर करने जा रहे थे तो पुलिस ने घर पर ही उनकी घेराबन्दी कर दी और उनको जाने ही नहीं दिया जा रहा है। रामपुर के आई0जी0 तथा डी0आई0जी0 से कल ही मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं इसका संज्ञान ले लूंगा, लेकिन उसके बाद भी वह इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वहाँ पर हजारों आदमी खड़े हुए हैं और पुलिस उनको निकलने ही नहीं दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ कि इस पर आप हम लोगों को संरक्षण प्रदान करें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मा0 सदस्य जो कहना चाहते हैं कि जैसे चुनाव में तू-तू-मैं-मैं हो जाती है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं से तू-तू-मैं-मैं हुई है। दोनों तरफ से एफ0आई0आर0 लिखायी गयी। किसी को कोई चोट नहीं लगीं। कोई भी एफ0आई0आर0 लिख जाये तो पुलिस तो धारा-307 और 308 लगा रही है। पुलिस में एफ0आई0आर0 लिख लिया और जब बाद में तफ्तीश की तो नावेद मियां जिन्होंने लिखायी थी उनको तो 307 से हटा दिया, लेकिन इधर से जिन पर धारा-307 लगी थी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। जब वह झूठा है तो वह भी झूठा होगा। सारी जांच हो गयी और पुलिस सब जानती भी है, लेकिन केवल अब्दुल्ला आजम खां को परेशान करने के लिये और आजम खां की प्रतिष्ठा को बिगाड़ने के लिये यह सारी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने वहाँ पर जैसा घेराव कर रखा है और वहाँ पर कई हजार लोगों की भीड़ जमा हो गयी है तो अगर पुलिस और जनता की मुठभेड़ हो गई तो कोई अनहोनी हो सकती है। यह कोई 302 का मामला नहीं है, डकैती का मामला नहीं है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर आप मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दे दें कि वहाँ पर पुलिस ने जैसा घेराव कर रखा है उसको हटा ले, नहीं तो जनता वहाँ से हटने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अगर इसकी सूचना पहले से होती तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इससे अवगत होते। मैं उनको कह रहा हूँ कि वह इस पूरे प्रकरण को दिखवा लेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, हम इस पूरे प्रकरण को दिखवा लेंगे और इसमें जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी वह की जायेगी।

[12:24] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 301 की सूचनाओं को लेता हूँ। मा0 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी की, मा0 उमाशंकर सिंह की, मा0 श्री रवि शर्मा जी की, मा0 श्री संजय गर्ग जी की, मा0 श्री मो0 असलम

राइनी ''एडवोकेट'' जी, डॉ0 वीरेन्द्र यादव की, मा0 श्री नरेन्द्र पाल सिंह कुं0 जी की, मैं विषय नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि समय बचे, मा0 श्री मनोज कुमार पारस जी की, मा0 श्री राजीव तरारा जी की, मा0 श्री राकेश सिंह जी की, मा0 श्रीमती जयदेवी जी की, मा0 श्री कुलदीप सिंह सेंगर जी की, मा0 श्री अजय कुमार लल्लू जी की, मा0 श्री राम नरेश रावत जी की, मा0 श्री अगयश राम सरन वर्मा जी की, मा0 श्री जटाशंकर त्रिपाठी जी, मा0 श्री संगम लाल गुप्ता जी की, मा0 श्री देवेन्द्र कुमार निम जी की, मा0 श्री संजय प्रताप जायसवाल जी की, मा0 श्री आलमबदी जी की, मा0 श्री रोशन लाल वर्मा जी की- यह स्वीकार हुई हैं।

(कुछ आवाजें अध्यक्ष जी हमारी सूचना नहीं ली गयी है।)

डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

मा0 मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

आपका नाम नहीं पुकारा गया है? आप बता दीजिएगा। जो सूचनायें स्वीकृत मानी गयी हैं वह पढ़ी हुई मानी गयी। शेष अस्वीकृत हुईं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

हाईकोर्ट के आदेशानुसार राजधानी लखनऊ में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के खिलाफ कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ में अब तक नियमों को दरकिनार कर तेज आवाज पर बजाये जा रहे लाउड स्पीकर समेत अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यद्यपि हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सख्त निर्देश दे रखे हैं। इसके बावजूद पुलिस, प्रशासन, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड समेत अन्य जिम्मेदार विभागों के अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। वास्तविकता यह है कि शहर में जगह-जगह पर धार्मिक स्थलों और अन्य समारोहों में अधिकतम शोर सुना जा सकता है। शिकायत करने पर पुलिस अधिकारी जवाब देते हैं कि बात-चीत कर ली जायेगी। एक विशेष सम्प्रदाय के पूजा स्थलों पर पहले से ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाकर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी जा रही है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण अधिकारी का कहना है कि स्टाफ की कमी होने के कारण और एक पोर्टेबिल मशीन होने के कारण इसकी मदद से लखनऊ समेत चार जिलों में ध्वनि प्रदूषण नापने की जिम्मेदारी है फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि तेज आवाज में बज रहे लाउड स्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई की जाय। आवश्यकता है कि सरकार इस दिशा में संज्ञान लेकर हाईकोर्ट के आदेशों का अधिकारियों के द्वारा पालन सुनिश्चित करें।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ध्वनि प्रदूषण को रोके जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के अन्तर्गत एक नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद बलिया स्थित चिलकहर ब्लाक के सबसे बड़ी बाजार चोगड़ा बाजार एवं इसके आस-पास स्थित सैकड़ों ग्रामों में निवास करती है जिससे यह बाजार क्षेत्र में यह एक बड़े व्यापारिक केन्द्र के रूप में भी उभर रही है तथा जनसंख्या घनत्व में भी अत्यधिक है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जिला प्रशासन सुविधा की दृष्टि से पंचायती चुनाव के दौरान काउन्टिंग स्थल भी यहीं पर बनाता आया है। चूंकि नगरा ब्लाक यहाँ से 18 कि0मी0, चिलकहर ब्लाक 15 कि0मी0 एवं रसड़ा ब्लाक 30 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है जिससे यहाँ की ग्रामीण जनता को ब्लाक पर आने-जाने में अत्यधिक श्रम, समय एवं धन का अपव्यय करना पड़ता है।

पूर्व में भी कई स्थलों को दूरी, जनसंख्या घनत्व एवं उस जगह के महत्व को देखते हुए ब्लाक घोषित किया गया है परन्तु चोगड़ा बाजार ब्लाक बनने से आज तक उपेक्षित रहा जो अपने आप में एक विचारणीय बिन्दु है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर बलिया जनपद के चिलकहर ब्लाक के चोगड़ा बाजार की महत्ता को देखते हुए अविलम्ब इसे ब्लाक का दर्जा दिये जाने हेतु शासन से कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी में स्थित होटल प्रिन्स के मानक के अनुरूप न बने होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद झांसी के नगर विधान सभा क्षेत्र झांसी नगर में स्थित होटल प्रिन्स (इलाईट सिनेमा के पास, 48 चैम्बर) मानक के अनुरूप ना होकर नियम विरूद्ध बना है तथा यहाँ पर वाहनों के लिए कोई पार्किंग की सुविधा भी नहीं है एवं पार्किंग स्थल पर भी भवनकर्ता ने निर्माण करा दिया है, जिससे वहाँ पर रह रहे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। होटल के भू-तल पर मीट की दुकान बनी हुई है जहां पर खुलेआम जानवर काटे जाते हैं, जिससे राहगीरों को अत्यधिक परेशानी होती है। जनहित में उक्त होटल की जांच कराना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के तहसील नकुड़ अन्तर्गत ग्राम-टाबर के दो तालाबों पर अनधिकृत कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जनपद-सहारनपुर के ग्राम-टाबर, परगना-सरसावा, तह0-नकुड़ के खसरा नं0-961 जिसका क्षेत्रफल 7 बीघा (कच्चा) तथा खसरा नं0-974, जिसका क्षेत्रफल पौने दो बीघा है, पर गांव के दबंग लोगों ने कब्जा किया हुआ है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन के निर्देश के बावजूद उनका अनधिकृत कब्जा हटाकर उन्हें जल संरक्षण हेतु तालाब के रूप में खोदा नहीं गया है। दबंगों को गांव के प्रधान का संरक्षण है तथा प्रधान गांव के गन्दे पानी की निकासी उपरोक्त तालाबों में न कराकर गांव में स्थित मन्दिर की जमीन में जबरन कराना चाहता है। इससे गांव में भयंकर तनाव की स्थिति बनी हुई है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर उपरोक्त तालाबों की खुदाई कराकर गांव का गन्दा पानी मौजूद तालाबों में डलवाये जाने हेतु शासन को उचित निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद श्रावस्ती के नगर पालिका भिनगा में सीवर लाइन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 असलम राइनी 'एडवोकेट'-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

आपको अवगत कराना है कि जनपद-श्रावस्ती के भिनगा नगर पालिका परिषद् मुख्यालय भिनगा तहसील के अन्तर्गत सीवर लाइन न होने से नालियों का गन्दा पानी पूरे मार्गों में भरा रहता है जिसके कारण वहाँ के निवासियों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूषित जलभराव के कारण अनेकों बीमारियां फैल रही हैं। उक्त सीवर के सम्बन्ध में अनेकों बार सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति बहुत आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त सीवर लाइन बिछाये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के तहसील सैदपुर के ग्राम प्रह्लादपुर के प्रधान श्री सुबास यादव की मृत्यु की जांच कराये जाने व पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत ग्राम-प्रहलादपुर, तहसील-सैदपुर, थाना-कोतवाली सैदपुर के निवासी भिखारी यादव जोकि रंगाई, पोताई का कार्य करते थे, मजदूरी करके शाम को घर लौटते समय रास्ते में ही सांई की तकिया के पास रोड के किनारे तियरा के ग्राम प्रधान श्री सुबास यादव से मुलाकात हो गयी। उसी समय सड़क के किनारे लड़की की

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शादी की बातचीत करने लगे। तभी अचानत जनपद जौनपुर की तरफ से एक आ रही मारुति डिजायर कार कुचलते हुए निकल गयी। जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। तब वहाँ के अगल बगल के लोगों ने गाड़ी को रोक लिया, उस समय गाड़ी में बैठे हुए दो व्यक्ति शराब के नशे में थे, और उस गाड़ी में शराब भी रखा हुआ था। और मौके पर यह पता लगा कि श्री गोपाल सिंह उस क्षेत्र के दबंग व्यक्ति हैं उन्हीं की गाड़ी सं0- है। श्री गोपाल सिंह व उनके भतीजे श्री गौरव सिंह तथा श्री कल्लू उर्फ गोविन्द सिंह पुत्र स्व0 अरूण सिंह निवासी बेलहरी थाना-खानपुर मौके पर आये और उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कुछ पैसा आप लोग सहायता के रूप में ले लीजिए। यह आश्वासन देते हुए चले गये और अभी तक कोई उनके द्वारा आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है। उनके द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा गांव में यादवों के ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कर महिलाओं एवं बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके खाना पकाने वाले चूल्हे और चारपाई व शौचालयों को भी तोड़ा गया है। इस सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सहयोग इनके व्यक्तियों को नहीं दिया जा रहा है। उपरोक्त प्रकरण बहुत ही गम्भीर है यह प्रकरण जनहित से जुड़ा हुआ विषय है। तथा लोक महत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई किये जाने व पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र काल्पी के विकास खण्ड महेवा में मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

नरेन्द्र पाल सिंह कुं0 -

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र 220 काल्पी के विकास खण्ड महेवा में बहुत ही पुराना आश्रम है, जो पथरी आश्रम के नाम से जाना जाता है, इस धार्मिक स्थल पर हमेशा पर्यटक जाते रहते हैं, जिसकी दूरी मात्र डेढ़ कि0मी0 लगभग होगी। कोई रास्ता नहीं है।

कृपया बनवाने के आदेश करने की कृपा करें।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में ग्राम जलालपुर सुल्तान के ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि एवं विद्युत लाइन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम जलालपुर सुल्तान में विद्युतीकरण नहीं हुआ है, गांव के बाहर नलकूप के ट्रान्सफार्मर से केबिल डालकर विद्युत उपयोग करते हैं। 300 मीटर दूर से केबिल डाल रखे हैं नलकूप का ट्रान्सफार्मर 63 के0वी0ए0 का है उसकी क्षमता वृद्धि कराये जाने एवं विद्युत लाईन खिंचवाने के सम्बन्ध में।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र ही ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि एवं विद्युत लाईन की मांग करता हूं।]

जनपद अमरोहा के ब्लाक धनौरा अन्तर्गत विशावली स्थित शिव मन्दिर (धूने वाला बाबा) पर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद अमरोहा के अन्तर्गत ब्लाक धनौरा में विशावली स्थित प्राचीन शिव मन्दिर (धूने वाले बाबा) हैं। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन एवं पूजन हेतु आते हैं। परन्तु यहाँ पर श्रद्धालूओं के लिए न तो पेयजल, प्रकाश, विश्राम हेतु स्थल की सुविधा न होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित में इस प्राचीन मन्दिर पर पेयजल, प्रकाश एवं विश्राम हेतु विश्रामालय निर्माण की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर काफी प्रयास किये गये परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से श्रद्धालुओं में निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विशावली स्थित प्राचीन शिव मन्दिर (धूने वाले बाबा) पर मूल भूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के पुरवा ब्रान्च व उसकी सभी माइनरों में हेड से टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश सिंह-

[मान्यवर, जनहित, अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 179, हरचन्दपुर, जनपद रायबरेली के पुरवा ब्रांच व उसकी सभी माइनरों में हेड से टेल तक पानी न पहुंचने से किसानों की जमीनों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। जल ही पौधों की कोशिकाओं में विद्यमान जीवद्रव्य का एक आवश्यक अंग है। पौधों को भूमि से प्राप्त जल की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की जरूरत होती है।

अतः जनहित के इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद रायबरेली के पुरवा ब्रांच व उसकी सभी माइनरों में हेड से टेल तक पानी पहुंचाये जाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के माल क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि विकास खण्ड माल में नगर पंचायत जैसी स्थिति है अधिकांश जनता द्वितीयक व्यवसाय से जुड़ी है तथा जनसंख्या भी मानक के अनुरूप है इसलिए सदन के माध्यम से अनुरोध करना है कि माल को नगर

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पंचायत क्षेत्र घोषित किया जाय साथ ही अनुरोध करना है कि विकास खण्ड माल के सरकारी कर्मचारियों को जनपद लखनऊ की अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा एच0आर0ए0 कम मिलता है जिसके कारण कर्मचारी हीन भावना का शिकार रहता है इसलिए माननीय से अनुरोध करना है कि लखनऊ की सभी विकास खण्डों की तरह माल के सरकारी कर्मचारियों को समान एच0आर0ए0 दिलाने की कृपा करें।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद उन्नाव की 162-बांगरमऊ विधान सभा में कोई भी राजकीय कन्या महाविद्यालय न होने के कारण क्षेत्र में निवास करने वाली बेटियों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु अपने गृह से दूर जाना पड़ता है। क्षेत्र में गरीब परिवार की बेटियों को बाहर जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है। जिससे क्षेत्र की बेटियों की शिक्षा प्राप्ति करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित कराया जाना जनहित में होगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद उन्नाव की 162-बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के दुदही ब्लाक एवं तमकुहीराज में फायर ब्रिगेड की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर के सेवरही ब्लाक, तमकुहीराज ब्लाक एवं दुदही ब्लाक में गर्मी के दिनों में आये दिन गांव एवं टोलों में आग लगने से सैकड़ों घर जलकर स्वाहा हो जाता है। अभी बीते 08 मार्च, 2016 को गड़हिया मोहन, ब्लाक सेवरही में आग लगने से 14 घर जलकर राख हो गये। दिनांक 28 फरवरी, 2018 को दौनहां गांव में आग लगने से दर्जनों गांव जलकर राख हो गये थे। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर कई गांवों में आग लगने की घटना से यहाँ के निवासियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है और प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में मात्र रु0 8200/- की आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि लोगों के घर के कीमती सामान, मवेशी आदि के जलने से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। लोग तुरन्त ही खुले आसमान के नीचे जीवन-यापन को विवश हो जाते हैं। बरसात आदि के दिनों में तो स्थिति और विकट हो जाती है। यहाँ पर नदी के किनारे कई गांवों एवं टोलों में घास फूस के घर भी काफी बने हैं जिनमें आग लगने से पूरा टोला ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्थिति में यहाँ पर तत्काल आग पर काबू पाने के लिए यहाँ के तीनों ब्लाकों में फायर बिग्रेड स्टेशन स्थापित किया जाना अति-आवश्यक है। यहाँ

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर बभनौली में एक मात्र फायर सब-स्टेशन स्थापित है, जिसकी पहुंच काफी कम है। दुदही ब्लाक में तथा तमकुहीराज ब्लाक में आग की घटना होने पर फायर बिग्रेड की गाड़ी आने में काफी समय लगता है। ऐसे में जनहित में दुदही ब्लाक एवं तमकुहीराज में एक-एक फायर बिग्रेड स्टेशन स्थापित किया जाना जनहित में अति-आवश्यक है। प्रकरण तात्कालिक, जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय, लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र, जनपद-कुशीनगर के दुदही ब्लाक एवं तमकुहीराज ब्लाक में फायर बिग्रेड स्टेशन का निर्माण शीघ्र कराये जाने की कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के बछरावां से शिवगढ़ के लिए बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश रावत-

[मान्यवर, निवेदन है कि लखनऊ रायबरेली रोड पर मेरे विधान सभा क्षेत्र बछरावां जनपद-रायबरेली में लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम के निराकरण हेतु बछरावां से शिवगढ़ के लिए बाईपास का बनाया जाना अति आवश्यक है। उक्त बाईपास के न होने से आम नागरिकों के साथ-साथ क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त बाईपास के बन जाने से आये दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से क्षेत्र के निवासियों को व आम जनता को निजात मिल जायेगी तथा आम व क्षेत्रीय जनता के आवागमन को सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत क्षेत्रीय जनता की मांग है कि बछरावां से शिवगढ़ के लिए एक बाईपास बनवा दिया जाये।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में बाईपास का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कष्ट करें।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र, बीसलपुर में दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[मान्यवर, ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130-बीसलपुर हेतु एक दुग्ध अवशीतन केन्द्र की अधिष्ठापना का निर्माण लिया गया तथा धन भी व्यवस्थित किया गया। जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नदियों तथा नहरों का जाल बिछा हुआ है, जिसके कारण दुधारू पशुओं का पालन वृद्ध स्तर पर होता है तथा दुग्ध उत्पादन भी अत्यधिक होता है, परन्तु दुग्ध का लाभकारी मूल्य उत्पादकों को न मिलने के कारण दुग्ध उत्पादन हतोत्साहित एवं आक्रोशित है। मीनी कामधेनु योजनाएं/परियोजनाएं भी विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यदि दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना की जाये, तो दुग्ध उत्पादक ही नहीं प्रभावित होंगे, साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन में भी उपयुक्त मूल्य प्राप्त होने में वृद्धि भी होगी।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये तथा उपरोक्त उल्लिखित अवशीतन केन्द्र की अधिष्ठापना किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र के नारायणी नदी गण्डक पर पीपा के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयशंकर त्रिपाठी-

[माननीय अध्यक्ष जी खड्डा विधान सभा क्षेत्र-329 कुशीनगर जनपद का पिछड़े क्षेत्र में गिना जाता है, विधान सभा क्षेत्र में आने वाले लगभग 20 गांव नेपाल से निकलने वाली गण्डक नारायणी नदी के उस पार बसे हैं, जिनको तहसील मुख्यालय तक आने-जाने में काफी असुविधा होती है। ग्रामीणों को 10 कि0मी0 की दूरी की जगह 40 कि0मी0 की यात्रा तय करनी पड़ती है।

महोदय, नारायणी नदी गण्डक पर पीपे के पुल के निर्माण कराये जाने से उस पार निवास करने वाले लाखों की आबादी को काफी राहत मिलेगी तथा इनके आवागमन की समस्या का समाधान हो सकेगा।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त विषय को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की कृपा करें।]

जनपद प्रतापगढ़ के नगर क्षेत्र में सीवर लाइन में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संगम लाल गुप्ता-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद प्रतापगढ़ के नगर क्षेत्र में कई करोड़ रुपये अपव्यय होने के बावजूद विगत सात वर्षों से सीवर लाइन परियोजना पाइप विछाने के उपरान्त भी अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका। उक्त क्षेत्र जनपद का मुख्यालय व मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण प्रायः नगर में पहुंचने पर व्यापारी, कार्यकर्ता व आम जनमानस द्वारा शिकायत किये जाने के साथ-साथ मीडिया के लोगों द्वारा यह बात प्रमुखता से उठायी जाती है कि उक्त परियोजना में अत्यन्त घटिया किस्म की पाइपें बिछा कर बड़े पैमाने पर गोलमाल करते हुए धन की बन्दरबांट किया गया है। जबकि अधिकांश स्थानों पर सीवर लाइन बिना चालू हुए ही भ्रष्ट हो गयी है तथा सड़क पर आम जनमानस को चलना भी दुभर हो गया है। जबकि शहर में बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए सीवर लाइन को चालू कराया जाना जनहित में अति आवश्यक होने के बावजूद भी सीवर लाइन को चालू नहीं किया जा रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त अधूरी सीवर लाइन में घटिया सामग्री का प्रयोग करने वाली कार्यदायी संस्था व दोषियों के विरूद्ध राज्य स्तरीय सक्षम जांच एजेन्सी द्वारा जांच कराने व दोषियों के विरूद्ध विधिक कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड नागल में मुजफ्फरनगर गांगलहेड़ी हाई-वे पर अण्डरपास व ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन (सहारनपुर), के विकास खण्ड-नागल में गांव से बाजार को जाने वाले सड़क मार्ग के बीच से मुजफ्फरनगर-गागलहेड़ी स्टेट हाई-वे गुजर रहा है, जिसमें कोई भी कट नहीं है। इससे स्थानीय निवासियों को बहुत असुविधा होगी। उक्त हाई-वे पर अण्डरपास अथवा ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती में किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन बस्ती की ओर से लगातार मिलों पर दबाव बनाने तथा मिल अधिकारियों को चेतावनी देने के बाद भी चीनी मिलें किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर रही है। भुगतान न होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, शादी विवाह व बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ किसानों कि आगामी रबी की फसल धनाभाव के कारण प्रभावित हो रही है। जबकि नियमानुसार 14 दिन के अन्दर किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान मिलों के द्वारा कर दिया जाना चाहिए।

बस्ती जनपद के गोविन्दनगर मिल पर किसानों का पिछले सत्र का लगभग 25.5 करोड़ व वर्तमान सत्र का लगभग 8 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य बकाया है, भुगतान न होने से किसानों की खेती किसानी तमाम आवश्यक कार्य बाधित हो रहा है। किसान बदहाल एवं परेशान हैं पूर्वांचल में गन्ने की खेती को कैशक्राफ्ट के रूप में किसानों की पहली पसन्द मानी जाती है लेकिन मिलों के द्वारा समय से गन्ना मूल्य भुगतान न किये जाने के कारण धीरे-धीरे किसानों का गन्ना की खेती से मोह कम होता जा रहा है। ज्ञात हो कि गोविन्दनगर शुगर मि के द्वारा पिछले पेराई-सत्र 2016-17 का अभी तक मात्र 23-12-2016 तक का ही गन्ने के मूल्य का भुगतान किया गया है शेष गन्ना मूल्य लगभग 25.5 करोड़ रूपया किसानों का अब भी बकाया है।

वर्तमान पेराई-सत्र 2017-18 में गोविन्दनगर शुगर मिलों के द्वारा लगभग 10 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई तथा अठदमा मिल द्वारा 44 लाख 61 हजार कुन्तल पेराई की गयी हैं गोविन्दनगर मिल के द्वारा अभी तक 28-12-2017 तक का ही खरीदे गये गन्ने का ही भुगतान किया गया है, तथा अठदमा मिल के द्वारा 9-12-2017 तक का ही गन्ना किसानों का भुगतान किया गया है, वर्तमान पेराई-सत्र का गोविन्दनगर मिल पर किसानों का 7 करोड़ 96 लाख 67 हजार रूपया अभी तक बाकी है तथा अठदमा मिल पर 9-12-2017 तक के बाद का भुगतान अभी भी बाकी है जबकि अठदमा शुगर मिल के द्वारा अन्य क्षेत्रों से जो गन्ना खरीदा जाता है उसका भुगतान तुरन्त कर दिया जाता है

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेकिन मिल के एलाटेड क्षेत्र के किसानों के गन्ना का भुगतान नहीं किया जा रहा है बगल के जनपद गोण्डा व बलरामपुर की शुगर मिल के द्वारा गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है।

गन्ना किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने हेतु मिल मालिकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर तथा कुर्की व नीलामी की कार्यवाही कर गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाना अति आवश्यक है गन्ना मूल्य भुगतान न होने के कारण किसानों में काफी आक्रोश व्याप्त है तथा भुगतान को लेकर किसान आत्मदाह की तैयारी में है। प्रकरण अत्यन्त लोक महत्व का है।

अतः इस लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के प्रसिद्ध धर्मस्थल बाबा भवरनाथ मन्दिर से सम्बन्धित पोखरे जो कि 5 बीघे आराजी का है, उसके सौन्दर्यीकरण व उसके भीटे पर पौधेरोपण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलम बदी-

[मान्यवर, मैं आप द्वारा उपरोक्त विषय पर मा0 मंत्री जी वन विभाग का ध्यान आकर्षित कराते हुए जनहित में अवगत कराना चाहता हूँ कि बाबा भवरनाथ मन्दिर प्रसिद्ध धर्मस्थल है और इसकी देखरेख बाबा भवरनाथ मन्दिर सेवा समिति देवखरी जो रजिस्टर्ड संस्था है करती है।

संस्था के पदाधिकारीगण जनहित में मन्दिर से सम्बन्धित 5 बीघे आराजी पर पोखरे का सुन्दरीकरण व उसके भीटे पर पौधेरोपण कराना चाहते हैं।

मेरी आपसे जनहित में निवेदन है कि कृपया इस काम को कराने का कष्ट करें जिसके लिए मैं और क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी।]

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम परसौना फरीदपुर से भवानीपुर होते हुए दियूरिया तिराहे तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर में 133-तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-निगोही के अन्तर्गत ग्राम-परसौना खलीलपुर से भवानीपुर होते हुए दियूरिया तिराहे तक की कच्ची सड़क अत्यन्त उबड़-खबाड़ होने से कृषकों व क्षेत्रवासियों का बरसात में आवागमन ठप हो जाता है तथा छात्र-छात्राओं को स्कूल जाने में तथा मरीजों को उपचार हेतु अस्पताल जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे द्वारा सैकड़ों बार लिखित व मौखिक शिकायत शासन एवं प्रशासन में करने के उपरान्त भी अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गयी है। अतः जनहित में उपरोक्त मार्ग का डामरीकरण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

कार्यसूची का क्रम संख्या 3 मा0 मुख्य मंत्री जी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सख्या-क0नि0-2-1208/ग्यारह-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश(41)-2017 दिनांक 25 अगस्त, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1208/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (41)-2017, दिनांक 25 अगस्त, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1209/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(42)-2017, दिनांक 25 अगस्त, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1209/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(42)-2017, दिनांक 25 अगस्त, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या क0नि0-2-1247/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0- 2017-आदेश(43)-2017, दिनांक 31 अगस्त, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या क0नि0-2-1247/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0- 2017-आदेश(43)-2017, दिनांक 31 अगस्त, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1414/ग्यारह-9(15)-17-उ0प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(48)-2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017†

वित्त मंत्री-(श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1414/ग्यारह-9(15)-17-उ0प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(48)-2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या क0नि0-2-1417/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(50)-2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या क0नि0-2-1417/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(50)-2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1425/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(53)-2017, दिनांक 04 अक्टूबर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1425/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(53)-2017, दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1634/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(68)-2017, दिनांक 02 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1634/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(68)-2017, दिनांक 02 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1659/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 जी0 एस0 टी0 नियम-2017-आदेश(70)-2017, दिनांक 7 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री-(श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1659/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 जी0 एस0 टी0 नियम-2017-आदेश(70)-2017, दिनांक 7 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियमावली, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1697/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(72)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1697/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(72)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1663/ग्यारह-9(15)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(73)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1663/ग्यारह-9(15)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(73)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1666/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(74)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मुख्य मंत्री, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1666/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(74)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1710/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(79)-2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री-(श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मुख्य मंत्री, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1710/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(79)-2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1711/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(80)-2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1711/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(80)-2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1790/ग्यारह-9(42)/17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश (83)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1790/ग्यारह-9(42)/17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश (83)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1791/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 अधि0- 2017 -आदेश(84)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री-(श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1791/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 अधि0- 2017 -आदेश(84)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1792/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 अधि0- 2017 -आदेश(85)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1792/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 अधि0- 2017 -आदेश(85)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1206/ग्यारह-9(47)- 17-उ0 प्र0 अधि0- 2017 -आदेश(39)-2017, दिनांक 25 अगस्त, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1206/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0- 2017 -आदेश(39)-2017, दिनांक 25 अगस्त, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1207/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश (40)-2017, दिनांक 25 अगस्त, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1207/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश (40)-2017, दिनांक 25 अगस्त, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1359/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(45)-2017, दिनांक 20 सितम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1359/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(45)-2017, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1422/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(51)-2017, दिनांक 28 सितम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1422/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(51)-2017, दिनांक 28 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पंचम संशोधन) नियमावली, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम

† छापी नहीं गयी।

संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1459/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश-(57)-2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1459/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश-(57)-2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1607/ ग्यारह-9(42)-17 उ0 प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(66)-2017, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1607/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(66)-2017, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियमावली, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1634/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश-(68)-2017, दिनांक 2 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1634/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश-(68)-2017, दिनांक 2 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1635/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधिनियम-1- 2017-आदेश(69)-2017, दिनांक 2 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1635/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधिनियम-1- 2017-आदेश(69)-2017, दिनांक 2 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। †

† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1667/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(75)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1667/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(75)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1668/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(76)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1668/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(76)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1709/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(78)-2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1709/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(78)-2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1712/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(81)-2017, दिनांक 17 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1712/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(81)-2017, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियमावली, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1789/ग्यारह-9 (42)-17-उ0 प्र0 अधि0- 2017-आदेश(82)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1789/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 अधि0- 2017-आदेश(82)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1793/ग्यारह-9 (42)-17-उ0 प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(86)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1793/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(86)-2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (दशम् संशोधन) नियमावली, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। ।

उ0प्र0 आवास विकास परिषद् के आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता, वित्तीय वर्ष 2013-2014†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता, वित्तीय वर्ष 2013-2014 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-63 की उपधारा-5(क) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0प्र0 वन निगम का वार्षिक लेखा विवरण 2014-2015††

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वन निगम का वार्षिक लेखा विवरण 2014-2015 को उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा-23 की उपधारा-5(ए) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0प्र0 संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक-2017

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 (1) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि-

उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर

† छापी नहीं गयी।

†† छापे नहीं।

प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 13 मार्च, 2018 की बैठक में अस्वीकार हो गया, दिनांक 14 मार्च, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

उ0प्र0 सहकारी समिति (संशोधन), 2017

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150(1) के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 13 मार्च, 2018 की बैठक में अस्वीकार हो गया, दिनांक 14 मार्च, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 है। इसमें मान्यवर, आपकी अनुमति से एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017, जो इस सदन द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दिनांक 13 मार्च, 2018 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

नहीं, अभी इसको कैसे पारित किया जाये। आप इसको विधेयक के रूप में ले आइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ले आयेंगे। मैंने सूचना दे दी। चूंकि यह मद आयी थी। इसलिए मैंने सूचना दे दी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप अनुपूरक में ले आइये तब न इस पर बहस होगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसको 43-क के रूप में इसको ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अनुमति है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसमें चाहें तो प्रश्न उपस्थित करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

विरोध तो कर नहीं रहे हैं तो इसमें काहे प्रश्न की जरूरत है।

मद संख्या-36 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री ज्ञानेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का प्रथम प्रतिवेदन, जो दुग्ध विकास विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2012-2013, 2013-2014 तथा 2014-2015 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री ज्ञानेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो राजस्व विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2012-2013, 2013-2014 तथा 2014-2015 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-39 में कुछ नहीं है।

[12:45] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 मार्च, 2018 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1. दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन के उपवेशन न हों,
2. दिनांक 22 मार्च 2018 को नियम-56 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जाएं,
3. आज दिनांक 20 मार्च, 2018 उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुनः पारण सम्बन्धी मद ले ली जाएं,
4. दिनांक 27 मार्च, 2018 को सदन में सभी विधेयकों के पारण सम्बन्धी मदें ले ली जाएं तथा निधन के निर्देश ले लिये जाएं,
5. दिनांक 27 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 को पुनः पारण सम्बन्धी मद ले ली जाएं,

† छापें नहीं गयी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष जी द्वारा सदन में दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-41 में कुछ नहीं है।

[12:46] वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा[†]

श्री अध्यक्ष-

अब वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा प्रारम्भ करते हैं। सभी मा0 सदस्य पांच-पांच मिनट बोलेंगे। चर्चा में ज्यादा लोग हिस्सा ले लें तो बड़ी कृपा रहेगी और टोका-टोकी न हो।

***श्री रफीक अन्सारी-**

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मान्यवर, नेता विरोधी दल का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, यह सदन पाक सदन है और इस सदन के अंदर बहुत से समाज के मुस्तब्बिल और भविष्य के फैसले होते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कृषि के बाद दूसरा नम्बर हिंदुस्तान में उ0प्र0 के अंदर बुनकर समाज का आता है। मान्यवर, कल इस सरकार का एक साल पूरा हुआ है। मैं टी0वी0 पर बैठकर इस सरकार की उपलब्धि सुन रहा था। मान्यवर, मैं किसी विरोध में इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के किसी मंत्री ने कृषि के बाद दूसरा नम्बर बुनकर का होता है, लेकिन बुनकर के नाम पर एक लफ्ज भी किसी ने नहीं कहा। मान्यवर, बुनकर समाज पूरे हिंदुस्तान में पूरे उ0प्र0 में सबसे ज्यादा है। मान्यवर, जब यह मुल्क आजाद हो रहा था तब बुनकर समाज ने इस मुल्क के लिए बलिदान दिया था और अपने खून से इस सरजमी को लाल किया था। बुनकर समाज ने यह नारा दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर हम अपने इस देश के अंदर आज पूरे आसमान पर इन्कलाब लिख देंगे और हिंदुस्तान लिख देंगे....

ये बलिदान बुनकर का था और आज बुनकर समाज की हालत यह है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज बनारस के अंदर इस देश के प्रधान मंत्री आते हैं, जहां बुनकर समाज बहुत रहता है। उत्तर प्रदेश के सदन के मुख्य मंत्री गोरखपुर से आते हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में बुनकर समाज रहता है। इस देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से आते हैं जहां बहुत बड़ी तादाद में बुनकर रहता

[†] दिनांक 13 मार्च 2018 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। हमारे लालजी वर्मा जी टाण्डा से आते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बुनकर रहते हैं। लेकिन बुनकर की आवाज किसी ने भी नहीं उठाई। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बुनकर समाज से आता हूँ और मैंने वह समय देखा है जब मेरी मां खट्टी पर बुनती थी तो मेरी मां बताती थी कि तुम जब पेट में थे और मैं जब कमा कर आती थी और खट्टी पर बुनती थी तो खट-खट की आवाज आज भी मेरे कान और मेरे दिमाग में गूंज रही है।

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही पीठासीन हुए।)

आज गोरखपुर के अंदर देख लीजिए, आज तराजू में तौल कर बुनकर समाज की मशीनें लोहे के दाम पर बिक रही है। लेकिन इस सरकार ने बुनकर समाज के लिए कुछ नहीं किया। बुनकर समाज के परिवार, माताएं-बहनें, बच्चे सभी रात-दिन मेहनत करते हैं और इस देश के लिए काम करते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि एक होता है पूत, एक होता है सपूत और एक होता है कुपूत। पूत तो वह होता है जो अपने मां-बाप की सेवा करता है, खिदमत करता है और सपूत वह होता है जो देश के लिए मरता है और मिटता है। बुनकर समाज ने इतना काम इस देश के लिए किया है, मान्यवर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज बुनकर समाज की हालात यह है कि बुनकर समाज के लिए इस सरकार ने बजट में कुछ भी नहीं रखा है। बच्चा जब पेट से पैदा होता है तो वह टी0बी0 से बीमार होता है और उसकी पूरी जवानी टी0बी0 की बीमारी में चली जाती है। इस बजट में उसके स्वास्थ्य के लिए भी कोई प्रावधान नहीं हैं और न ही शिक्षा के लिए किसी स्कूल आदि की व्यवस्था है। आज बच्चा जब पैदा होता है तो उसे सबसे पहली जरूरत कपड़े की पड़ती है, जो बुनकर समाज बनाता है। जब इंसान मरता है तो भी बुनकर समाज की जरूरत पड़ती है, उसके लिए कफन की जरूरत पड़ती है जो बुनकर समाज बनाता है। मैं पूरे सदन से कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदू धागा बनाता है तो बुनकर समाज (मुसलमान) उससे कपड़ा बुनने का काम करता है और जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो हिंदू समाज के व्यापारी बाजार में लाकर उसे बेचते हैं। करोड़ो लोग उस बुनकर समाज से जुड़े हुए हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोई नहीं होता है तो इस सदन में सबसे बड़ी कुर्सी आप की ही होती है, आप को ही फैसला लेना होता है। पूरे प्रदेश के अंदर आज बुनकरों की बहुत बड़ी समस्या है। मान्यवर, हथकरघा विभाग को देख लीजिए इसे खत्म करने का काम किया जा रहा है। यूपीका खत्म कर दिया गया, सोसाइटी खत्म कर दी गईं और अब हथकरघा विभाग को बिजली विभाग में जोड़ दिया गया है। पहले बुनकर समाज को बिजली का सीधा पैसा मिलता था, जो छूट का पैसा बुनकर समाज को जाता है अब उसमें एक बिचौलिया पैदा कर दिया गया है। पहले सरकार हथकरघा को देगी और फिर हथकरघा बिजली विभाग को देंगे। भ्रष्टाचार के लिए एक बिचौलिया पैदा कर दिया गया। मान्यवर, आज हथकरघा विभाग कहता है कि रजिस्ट्रेशन कराइए, उसमें दलाली हो रही है। बुनकर समाज को नए कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। मान्यवर, यह नियामक आयोग का आदेश है और सरकार का शासनादेश है कि जब बुनकर को कनेक्शन मिलने का काम होगा तो बुनकर प्रतिनिधि मण्डल उसकी जांच करेगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी बुनकर प्रतिनिधि मण्डल नहीं बनाया गया है और उसके द्वारा साथ ही में चेकिंग करने का काम भी बुनकर समाज के प्रतिनिधि द्वारा ही किया जाता है लेकिन वह सब काम नहीं हो रहा है। मेरी आपसे मांग है और इस पूरे सदन से मांग है और खासतौर से अधिष्ठाता जी आपसे मांग है कि बुनकर समाज को देख

लीजिए कितनी गरीबी है और अगर ये बेरोजगार हो गए तो करोड़ों लोग सड़क पर आ जाएंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया आंदोलन खड़ा हो जाएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि बुनकर समाज को कुचलने का काम किया जा रहा है.....

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, समय हो गया है।

श्री रफीक अंसारी-

अधिष्ठाता जी, किसी ने बुनकर समाज को नहीं उठाया, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अधिष्ठाता जी, मेरी मांग है कि हथकरघा विभाग जो बिचौलिया का काम कर रहा है, उसे हटाने का सरकार काम करे और सरकार को बुनकरों को सीधे छूट देने का काम करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

आप समाप्त करें। अध्यक्ष जी ने 05 मिनट का समय दिया है, आपके 07 मिनट हो गए हैं।

***श्री रफीक अंसारी-**

अधिष्ठाता जी, 02 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। अधिष्ठाता महोदय, बिजली विभाग अनाप-सनाप बिल दे रहा है, कभी आज तक रीडिंग नहीं ली, जी0ओ0 कहता है कि हर 06 महीने में रीडिंग ली जायेगी। 12 साल में कोई रीडिंग नहीं ली गयी और अनाप-सनाप पैसे वसूल किए जा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अधिष्ठाता जी, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि ''मेरी तकदीर के मालिक, मेरी पहचान लिख देना, मेरी तस्वीर के माथे पर हिन्दुस्तान लिख देना। कहीं राम भी हैं वहाँ ..... रहमान लिख देना'' बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमाशंकर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, वह निश्चित रूप से किसान हित में है, नौजवान हित में है, गरीबों के हित में है, व्यापारी के हित में है और उत्तर प्रदेश के विकास के हित में है और सराहनीय है। निश्चित रूप से इससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर के यह बजट पेश किया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस प्रकार से माननीय योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास शुरू हुआ है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश अब चन्द महीनों में उत्तम प्रदेश बनेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई भी दूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने से भ्रष्टाचार पर काफी लगाम लगा है और विकास का कार्य तेजी से हो रहा है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। मान्यवर, किसानों की समस्या को ध्यान में रखकर इस बजट में चाहे धान क्रय-केन्द्र हों, चाहे गेहूँ क्रय-केन्द्र हों, चाहे किसानों की खाद, बीज और चाहे कृषि यन्त्र हों, बहुत बड़ा बजट किसानों के हित में दिया गया है, मैं निश्चित रूप से इस बजट की प्रशंसा करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए धान क्रय केन्द्र और बड़ी संख्या में गेहूँ क्रय केन्द्र खोले गए हैं और जो एक लक्ष्य रखा गया है, गेहूँ खरीदने का और उसका पैसा तीन दिन के अन्दर भुगतान करने का, अभी जो पिछली बार धान का क्रय हुआ है, तीन दिन के अन्दर उनका पैसा खाते में ट्रान्सफर हुआ है, निश्चित रूप से किसान खुशहाल है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों की ही देन थी कि 15 वर्ष से सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए थे लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में सड़क दिखाई दे रही हैं। जो सड़कों की कमी थी, सड़कों के चौड़ीकरण की कमी थी, निश्चित रूप से इस सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों में, हम लोग उस पहाड़ी क्षेत्र से बिलांग करते हैं, हमारा मड़िहान विधान सभा क्षेत्र मिर्जापुर जनपद का एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां उस जिले में 107 नक्सल प्रभावित गांव हैं, उसमें से 103 गांव मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हैं लेकिन हम लोग जहां पहाड़ी क्षेत्र में थे, वहाँ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, निश्चित रूप से आज वहाँ के लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमने प्रधान से ले करके जिला पंचायत सदस्य तक का हमने सफर किया।

प्रमुख का भी हमने चुनाव लड़ा। आज पहली बार विधान सभा में पहुंचा हूँ। 1997 में मेरे गांव में बिजली आई थी लेकिन आज तक पूर्ववर्ती सरकारों की देन थी कि 10 घण्टा के ऊपर कभी भी बिजली नहीं मिली थी। मैं आज हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी बधाई दूंगा क्योंकि आज गांव में 18 घण्टे बिजली मिल रही है। गांव के ट्रान्सफार्मर की क्षमता पूर्ववर्ती सरकारों में हमने अपने आंख से देखा है चूंकि हम वहाँ के प्रधान भी थे, दस-दस हजार रूपये लेकर क्षमतावृद्धि बढ़ाने का काम किया करते थे लेकिन आज मेरी सरकार ने चन्द दिनों में एक साल के अन्दर अपने पूरे क्षेत्र में 172 ट्रान्सफार्मर की क्षमतावृद्धि माननीय ऊर्जा मंत्री जी की कृपा से बढ़ाई गयी है। आज निश्चित रूप से विद्युत की सप्लाई पूरे उत्तर प्रदेश में और हम लोगों की विधान सभा जंगली क्षेत्र होने के नाते जहां कभी भी विद्युत 10 घण्टे नहीं मिलती थी आज 18 घण्टे मिल रही है। आज किसान खुशहाल है, व्यापारी खुशहाल है, नवजवान खुशहाल है, शिक्षक खुशहाल है। निश्चित रूप से मैं ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कई-कई ऐसे प्रश्न उठे थे जिनको हम लोगों ने बड़ा बारीक से सुना। आज शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, स्कूलों में यूनीफार्म की जो भी व्यवस्था थी, हमारे नेता विरोधी दल यहाँ बैठे थे इस पर चिन्ता नहीं की (व्यवधान)। माननीय अधिष्ठाता महोदय बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे शिक्षा मंत्री थे हमारे मिरजापुर जनपद में उनका आवागमन होता था, हमारे पूर्व मंत्री थे जिनके घर में आफिस चलता था और पूरा का पूरा प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, बी0एस0ए0 आफिस वह अधिग्रहण कर लिया गया था और शिक्षा के जितने भी अधिकारी, कर्मचारी थे, काफी परेशान थे लेकिन आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। कान्वेन्ट की तरह वहाँ बच्चों की स्थिति बदली है, जूता, मोजा, स्वेटर के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आज प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति काफी सुधरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में कभी भी प्रधानमंत्री आवास नहीं दिखाई देता था, हम वहाँ के प्रधान भी थे लेकिन आवास नहीं दिखाई देता था। कहीं न कहीं बन्दर बांट होता था, आज पूरे उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जहां भी हम लोग जाते हैं आवास बनता

हुआ दिखाई देता है, आज गरीब खुशहाल है जिसके पास झोपड़ी थी, वह खुशहाल है। मै बहुत कुछ नहीं कहूंगा, मेरे क्षेत्र की दो लाइन की समस्या है, मेरा क्षेत्र वास्तव में जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है और यह पूर्ववर्ती है लेकिन आज इसकी निदान के लिए हम पाइप लाइन सप्लाई के लिए कई बार मांग भी किये हैं, मुख्य मंत्री जी भी गम्भीर हैं हमारी वार्ता भी हुई, मैं चाहता हूँ कि सदन के माध्यम से हमारे क्षेत्र में विधान सभा मड़िहान टोटल पेयजल का संकट ग्रस्त इलाका है, उसका समाधान कराया जाये। वही स्थिति सिचांई के लिए है, माननीय अधिष्ठाता महोदय आप बैठे हैं हमारी बात को ध्यान में रखियेगा, सिचांई की अपार सम्भावनायें हैं लेकिन हम चाहते हैं कि टयूबवेल के माध्यम से पम्प कैनाल के माध्यम से सिचांई की व्यवस्था कराई जाये। बहुत कुछ न कहते हुए आपने हमें बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री संजय सिंह गंगवार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसका आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्य नाथ जी और इस प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय राजेश अग्रवाल जी, मंत्रिमण्डल के सभी सम्मानित मंत्रिमण्डल की टीम सब लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर यह बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में नवजवानों के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है, पूर्ववर्ती सरकारों में उत्तर प्रदेश का नवजवान उत्तर प्रदेश से पलायन करने पर मजबूर हो गया था। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में करके नवजवानों के चेहरों पर जो मायूसी थी उस मायूसी को खुशी के रूप में बदलने का काम किया है। विपक्ष के हमारे साथी बात करते हैं कानून-व्यवस्था की। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको बताऊं कि पिछले 15 सालों में पुलिस का जितना राजनीतिकरण हुआ वह इन्हीं की सरकार में हुआ।

हमारी सरकार में पुलिस का राजनीतिकरण न होकर के पुलिस को खुले मन से काम करने का पूरी तरह अधिकार दिया गया है। देहात में 18 घंटे बिजली और जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली का प्राविधान है और अब लगता है कि उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। हम जिस जनपद पीलीभीत से हैं माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ पर पांच-पांच चीनी मिलें हैं। अब से पहले पूववर्ती सरकारों में गन्ना किसानों को अपने मूल्य की जगह चीनी मिल जाकर के धरना देकर के अपने पैसे की जगह चीनी लेनी पड़ती थी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर कराने का काम किया है, जिससे गन्ना किसानों के चेहरे पर आज भी खुशी की लहर चमक रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सड़कों के विषय में माननीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्य मंत्री, परम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्या जी ने जिस दिन से ये विभाग संभाला है हर तरफ जिधर जाइये पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए कोई ऐसी विधान सभा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसी तहसील नहीं है कि जहां सड़क का काम चल नहीं रहा है। इससे पहले सिवाय गढ्ढों के अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं था। सड़क बनती नहीं थी, सड़क अगर बनाने कोई ठेकेदार आता था तो अधिकारी और विधायक मिलकर के पहले उसे बुलाकर के अपने यहाँ भ्रष्टाचार कराने का काम करते थे। भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार से व्यापारी वर्ग भी बहुत खुश है हमारे बजट में व्यापारी दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने वो ड्रेस उन गरीब बच्चों को देने का काम किया जो आज गरीबों के

बच्चे अगर किसी कॉन्वेन्ट स्कूल के बच्चों के बीच भी पहुंच जाए तो कोई फर्क नहीं कर सकता अमीरी और गरीबी का। पूर्ववर्ती सरकार ने जो ड्रेसें बेसिक के बच्चों को दी थी उससे एक दिव्यांग आंखों से दिव्यांग व्यक्ति भी बता देता था कि ये गरीबों के बच्चे हैं अमीरी और गरीबी का फर्क दूर करने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि पीलीभीत में मझोला चीनी मिल बहुत दिन से बंद पड़ी हुई है, जो बसपा सरकार ने बंद करी थी, वो मेरे क्षेत्र में है। मैं मांग करता हूँ कि उस चीनी मिल और मझोला की शराब फैक्ट्री को पुनः चलवाने का काम किया जाए और इंवेस्टर सम्मिट में जो इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में हुआ है उसमें से पीलीभीत को लगभग 2 हजार करोड़ रुपये कि मैं मांग करता हूँ जिससे पीलीभीत के नौजवानों को रोजगार मिल सके बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

***श्री उज्ज्वल रमण सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूँ । इस सरकार ने जो बजट पेश किया है 4 लाख 28 हजार करोड़ का बजट है, जनआकांक्षाओं का बजट है और लोगों के सपने उसमें दिखाई पड़ने चाहिए थे, लेकिन मैं देख रहा था कि जितना आपने लोन लिया है उत्तर प्रदेश के सरकार के ऊपर जो लोन है वो 4 लाख 44 हजार करोड़ का लोन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात सरकार से कहना चाहूंगा कि 4 लाख 28 हजार करोड़ के बजट में 4 लाख 44 हजार का आप लोन ले रहे हो कैसे आप उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के बजट की ये हालत है कि एक लाख करोड़ आप कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने में दे देते हैं, 50 हजार करोड़ आप पेंशन में दे देते हैं। एक लाख करोड़ अपना जो लोन लिए हैं उसका प्रिंसिपल और इन्टरेस्ट पेमेंट में दे देते हैं और ढाई लाख करोड़ आपका सीधे के सीधे ये पैसा किन चीजों और मदों में चला जाता है पिछली बार सरकार ने 58 हजार करोड़ की नई परियोजनाओं में पैसों की व्यवस्था किया था, लेकिन मात्र 11 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ और माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जिन मदों में पैसा जो पिछली बार लिया था उन मदों में नेता विरोधी दल ने भी उन बातों को विस्तृत तौर पर रखा है कि पैसा खर्च नहीं कर पाई।

आज के दिन जितने भी मा0 सदस्य बैठे होंगे। किसी के भी क्षेत्र में न सड़कें बन रही हैं, न हैण्ड पाइप लग रहे हैं, न बिजली की व्यवस्था है। यह सरकार दावे जरूर करती है लेकिन मा0 सदस्य अगर दिल पर हाथ रखकर बोलें तो 6-7 घण्टे बिजली की कटौती हर आदमी के क्षेत्र में हो रही है। आप केवल 4 जिलों की बात करके भरमा नहीं सकते। आप जरूर 4 जिले की बात करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। आपने 36 हजार करोड़ रुपया किसानों का माफ किया, ऋण माफ किया लेकिन मात्र 14 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आप अपना ढिंढोरा पीटते हो, आप अपनी पीठ थपथपाते हो। 36 हजार करोड़ में मात्र 14 हजार करोड़ रुपया आपने खर्च किया तो किस चीज की मैं तारीफ करूं, किस चीज पर इसे जन आकांक्षाओं का बजट कहूँ। जब आप ऋण ले लेकर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश को कर्ज में डुबो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो नया बच्चा पैदा होगा, वह कर्जे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में डूबा हुआ होगा। उसके ऊपर आपने नौकरी की व्यवस्था नहीं की इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यह बजट जन विरोधी बजट है, यह बजट किसान विरोधी बजट है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं कि कुम्भ में हमने 1500 करोड़ रुपये देकर व्यवस्था कर दी। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आप पूर्ववर्ती सरकार का बजट उठाकर देख लीजिएगा। वर्ष 2012-13 में जब मा0 अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री और मोहम्मद आजम खां मा0 नगर विकास मंत्री थे तो इलाहाबाद के कुम्भ में कितना पैसा दिया गया था। वे कभी यह बात नहीं बतलाते। केवल कुम्भ का लोगो दे देने से कुम्भ की व्यवस्था नहीं हो जाती। आज गंगा नदी में अविरल पानी नहीं है। आज आप में से गंगा नदी में किसी ने डुबकी नहीं लगाई होगी। मैं मा0 मंत्रीगण और नगर विकास मंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे साथ इलाहाबाद चलिए और आज के दिन गंगा नदी में डुबकी लगाकर देख लीजिए। आपको गंगा में बदबू के अलावा साफ पानी दिखाई नहीं पड़ेगा। आज इलाहाबाद में गंगा नदी की यह हालत है जिसकी आप कसमें खाते हैं। मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार किसान विरोधी है, एक भी किसान खुश नहीं है। अभी परसों के पेपर में था कि सीतापुर के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। कारण क्या निकला था कि उसने ऋण लिया था और ऋण अदा नहीं कर पाया इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि यूँ नकारने से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, अगर आपका सपना है उत्तर प्रदेश तो जो किसानों के लिए आपकी डी0बी0टी0 योजना है जिसको आप भरपूर तरीके से लागू कर रहे हो। मेरा मानना है कि किसान बेईमान नहीं होता है। आपने डी0बी0टी0 योजना लागू करके किसानों को महरूम कर दिया अच्छे बीजों से। आज किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाहाबाद जनपद की चार परियोजनाएं थीं। इलाहाबाद जनपद में मेट्रो लाने की आपकी योजना थी लेकिन आज तक परवान नहीं चढ़ पाई। आप इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे लेकिन आज तक एक ईंट और पत्थर नहीं लग पाया। इलाहाबाद में मेरे क्षेत्र में 1320 मेगावॉट का पावर प्लाण्ट लग रहा था लेकिन नहीं लग पाया। इलाहाबाद में वर्ष 2012 में रिफाइनरी बन रही थी लेकिन नहीं बन पाई। आपकी केन्द्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। मेजा कताई मिल को आपने बन्द कर दिया। इलाहाबाद को आपने बरबाद कर दिया। मैं आपसे सिर्फ दो बातें कहूंगा। हर चीज में आप कहते हो कि समाजवादी पार्टी दोषी है, बहुजन समाज पार्टी दोषी है। इनका पिछला 15 साल दोषी है तो अगर आप चाहो तो श्वेत पत्र ले आओ। अगर श्वेत पत्र लाने की हिम्मत है, अगर आप में ताकत है तो श्वेत पत्र सदन में रखिए कि आपकी वित्तीय स्थिति क्या है? आपके एक मुख्य मंत्री सन् 1997-98 में श्वेत पत्र लाए थे तो आप भी लाईए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो आपका वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च है। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने वित्तीय वर्ष को 01 जनवरी से 31 दिसम्बर किया है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप अपने वित्तीय वर्ष को बदलने का काम करिए क्योंकि यह आपकी योजना है। अन्त में मैं एक बात कहूंगा कि जो आप पेट्रोल पर वैट लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर जगह कम हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश में कम नहीं हुआ। मेरी मांग है कि पेट्रोल और डीजल पर इसको कम किया जाए। जैसे मध्य प्रदेश में कम हुआ है, गुजरात में कम हुआ है, दिल्ली में कम हुआ है। अगर आप

कम करेंगे तो किसानों को राहत मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा।

उनकी कोशिश है कि दंगा सलामत रहे
काश जमजम और गंगा सलामत रहे
उनके सपने में बस एक ही रंग है
अपनी ख्वाहिश है तिरंगा सलामत रहे।

श्री राजीव तरारा-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद और सबसे पहले भारतीय नववर्ष, नवरात्र और सरकार का एक वर्ष, एक साल नई मिसाल कायम की है उसके लिए सभी को बधाई देते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट लाया गया है जो 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख का उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। यह बजट गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े और इस प्रदेश में रहने वाली 22 करोड़ जनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। मान्यवर, मैं दलित समाज से आता हूँ। उसमें भी जाटव समाज से आता हूँ जो समाज हमेशा से वंचित रहा है सम्मान नहीं दिया गया है और पूर्व की सरकारों द्वारा जिसका शोषण किया गया है। माननीय योगी जी की सरकार ने उस वर्ग का जो ध्यान रखा है माताओं का, बहनों का, किसानों का, नौजवानों का शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र, पंचायतराज के ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए गन्ना के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं, वह बहुत ही सराहनीय हैं और उस वर्ग को सम्मान देने का कार्य किया है। इस प्रदेश की 22 करोड़ जनता को सम्मान देने का कार्य किया है। मान्यवर, एक वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा किया है। यहाँ से गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, चोरी, डकैती, लूटपाट उस सबका अंत हुआ जो पूर्व में होते रहे हैं। मान्यवर, योगी जी की सरकार में माननीय योगी जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में तिगरीधाम आता है उस मेले को जो हमारी धार्मिक भावनाओं की समरसता का एक प्रतीक है को सरकारी करके एक सम्मान देने का काम किया है। मान्यवर, वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं इस बजट में मैं आपसे चाहता हूँ कि वहाँ पर घाट बनाकर और सम्मान देने का कार्य किया जाए। मान्यवर, मेरे क्षेत्र का एक भाग जो पूरी तरह से उपेक्षित रहा है जो गंगा किनारे है वहाँ पर लगभग 9 किलोमीटर तटबंध नहीं है शेरपुर से चकनवाला तक वहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आती है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि उन गरीबों के लिए जो हमेशा वंचित रहे हैं इस बार वहाँ पर तटबंध का निर्माण हो जाए। मान्यवर, जब सुबह में कोई अपनी दवाई लेने के लिए चलता है। हमारी माताएं, बहनें अपने बच्चे को गोद में लेकर निकलती हैं तो वहाँ रास्ते में बाहा नदी आती है। चकनवाला और शिशोवाली के बीच झुनपुरा और चॉदराफार्म के बीच का वह क्षेत्र वोट के कारण वोट की राजनीति के कारण हमेशा उपेक्षित रहा है। वह पुल स्वीकृत भी है शिशोवाली और चकनवाला के बीच में लेकिन वहाँ पर वन सेन्चुरी है कुछ प्रतिबन्ध के कारण उस पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि उस पुल का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए। एक बिजलीघर जो अपूर्ण है उसको भी पूर्ण कराया जाए जो डींगरा गांव के अंदर आता है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि उस पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए एक अच्छी शिक्षण

संस्था सरकारी विश्वविद्यालय जो अभी तक मुरादाबाद मण्डल के अंदर नहीं है। छात्रों का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के द्वारा शोषण किया जाता है। मैं मुरादाबाद मण्डल में सरकारी विश्वविद्यालय की मांग करते हुए और सरकार के इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए, बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत, धन्यवाद। बन्देमातरम्।

श्री उमेश मलिक-

मान्यवर, आपने मुझे बजट सत्र में बोलने का मौका दिया मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं मुजफ्फरनगर जिले की बुढाना विधान सभा से प्रतिनिधि चुनकर आया हूँ। उस विधान सभा से चुनकर आया हूँ जहां जब 2013 का दंगा हुआ तो उस विधान सभा क्षेत्र के 13 गांवों को बर्बाद करने का उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया था। 18-28 वर्ष की आयु के नौजवान लड़कों पर फर्जी मुकद्में लगाकर थाने के अंदर लिस्ट को रखकर उनको जेल भेजने का काम किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि उस समाज के बीच में उनके माता-पिता, वह बुजुर्ग जिनके आंसू बह रहे थे, आंसू बहते-बहते, रोते-रोते वह चले गए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि उनकी सुध लेने नहीं गया। मान्यवर, उस समय वाकूया ऐसा हुआ कि मुआवजा लगभग 1 अरब रुपये जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर दिया गया लेकिन केवल वर्ग विशेष समाज के लोगों को दिया गया, हमारे समाज के लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में आज योगी जी की सरकार आयी है और इन सब विषयों का संज्ञान ले रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी के माध्यम से बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें महिलाओं का, गरीबों का, व्यापारियों का सबका संज्ञान लेते हुए यह बजट प्रस्तुत हुआ है और मैं हृदय से इसका समर्थन करता हूँ। इस बजट के अंदर किसानों के लिए बहुत सुंदर प्रावधान किया गया है। अभी लगभग 36 हजार करोड़ रुपये कर्जा माफी के लिए दिया गया है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के अंदर 87 करोड़ रुपये किसानों का कर्जा बकाया था जिसमें से केवल आज 7 करोड़ रुपये बकाया बचा है। लगभग मेरी विधान सभा क्षेत्र के अंदर 11,105 किसानों को कर्जा माफी के अंदर अनुदान मिला है। मान्यवर, अगर मैं पूरे जनपद की बात करूं, पूरे जनपद के अंदर 563 करोड़ रुपये का कर्जा किसानों के ऊपर था आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर केवल 47 करोड़ रुपये बकाया है। अगर मैं गन्ने की बात करूं, 2014-15, 15-16, 16-17 लगभग करोड़ों रुपये के गन्ने का भुगतान बकाया था। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आयी, पिछला सारा गन्ने का भुगतान करने के बाद इस वर्तमान सत्र का 9 हजार करोड़ रुपये भुगतान कर चुकी है केवल ढाई हजार करोड़ का भुगतान बकाया है। मान्यवर, पिछले वर्षों के सापेक्ष 40 प्रतिशत भुगतान अधिक हुआ है। अगर विद्युत व्यवस्था की बात करें तो बहुत अच्छा प्राविधान बजट के अंदर किया गया है। मान्यवर, मैं बुढ़ाना विधान सभा की एक घटना बताना चाहता हूँ, यह लगभग आज से दो वर्ष पहले की बात है, प्रजापति समाज का लड़का सड़क पर अपना ठेला लगाता था, दो वर्ष पहले 11 हजारी का तार टूटकर उस प्रजापति समाज के नौजवान बेटे के ऊपर गिर गया। रात के 8 बजे उसकी मौत हो गयी। रात के लगभग 10-11 बजे उसके परिवार के लोग चरण सिंह चौक जो कि बुढ़ाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। रात को 11 बजे लाठीचार्ज करके उनके परिवार के लोगों, उनकी माताओं-बहनों के सिर फोड़कर वहाँ से भगा दिया गया। रात के 12 बजे मैं स्वयं भी गया, मुझे भी पुलिस के द्वारा लाठियों का डर दिखा कर वहाँ से भगा दिया गया। मान्यवर,

उसके बाद उसकी जांच हुई। आज से लगभग 1 साल 7 महीने पहले की बात है वह तार कागजों के अंदर मात्र 6 महीने पहले बदले गए थे लेकिन पिछले 10 वर्षों से तार बदले नहीं गए थे। वह तार अब उत्तर प्रदेश की सरकार बदलवाने का काम कर रही है। अगर वास्तव में पूर्व की सरकार द्वारा इतना बड़ा भ्रष्टाचार न होता, अगर वास्तव में पूर्व की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा इतना भ्रष्टाचार न होता तो उस नौजवान साथी की मौत न होती, वह परिवार का अकेला बेटा था। इस प्रकार के कार्य पिछली सरकार के द्वारा हो रहे थे। आज बिजली विभाग के द्वारा तहसील स्तर पर डिवीजन खोले जा रहे हैं। मैंने नियम-51 के अंतर्गत अपना प्रश्न उठाया था, आज बुढ़ाना के अंदर डिवीजन खोल दिया गया है और ट्रांसफार्मर 24 घण्टे के अंदर बदले जा रहे हैं। मान्यवर, मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की ओर से कहना चाहता हूँ क्योंकि 13 गांव दंगे के समय पर वहाँ बर्बाद हुए थे जो उस समय अरबों का मुआवजा केवल वर्ग विशेष के समाज के लोगों को दिया गया था, हमारे समाज के लोगों को नहीं मिला था, लगभग जनपद मुजफ्फरनगर के 13 नौजवान लड़के जो मौत के घाट उतार दिए गए थे, उनका भी संज्ञान लिया जाये उनको भी मुआवजा दिया जाए, धन्यवाद।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 2018-19 के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले नेता विरोधी दल ने जो बजट पर बातें कहीं उनसे अपने आपको जोड़ता हूँ और यह कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बजट पेश किया गया है ये बजट किसान विरोधी, नौजवान विरोधी है और इसमें सिर्फ लफ्फाजी की गयी है इस बजट में। अपनी बात शुरू करने से पहले, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने सारी बातें शुरू करने से पहले शेर पढ़ा, तो मैं इस शेर के साथ अपनी बात को शुरू करुंगा-

''जो तू कहे तो शिकायत का जिक्र कम कर दें,
मगर यकीन तेरे वादों पर ला नहीं सकता।
चिराग कौम का रोशन है अर्श पर दिल के,
उसे हवा के फरिश्ते बुझा नहीं सकते।''

माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने लिखा कि इससे पहले जो बजट था पिछली सरकार का, उन्होंने अपने बजट का बड़ा हिस्सा व्यर्थ के कामों में, फिजूलखर्ची में बजट खर्च कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे फक्र है कि हमारी सरकार ने गरीब बच्चियों को पढ़ने के लिए कन्या विद्या धन दिया, अगर यह फिजूलखर्ची है तो समाजवादी लोग आगे भी इस तरह की फिजूलखर्ची करते रहेंगे, जिससे हमारी बहन-बेटियां आगे पढ़कर तरक्की कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी, गरीब किसानों की मदद करना अगर फिजूलखर्ची है, किसानों को मुफ्त सिंचाई देना अगर फिजूलखर्ची है, तो हम समाजवादी लोग हमेशा यह फिजूलखर्ची करते रहेंगे। गरीब बच्चों को लैपटॉप देना अगर फिजूलखर्ची है। वो गरीब बच्चे जिन्होंने कभी अपने घर पर लैपटॉप नहीं देखा, जिनकी एक हसरत, एक उम्मीद थी कि उनके हाथ में भी लैपटॉप आये, अगर हमने लैपटॉप देकर फिजूलखर्ची की, तो उन गरीब बच्चों के लिए समाजवादी लोग आगे भी फिजूलखर्ची करते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि किसान की कर्ज माफी के नाम पर उनको पूरे प्रदेश के अन्दर छलने का काम

किया गया, एक भद्दा मजाक किया गया, कहीं पैंतीस पैसा, कहीं पैंतीस रुपया, इस तरीके से किसानों का कर्ज माफ किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ जनपद में हमारी पिछली सरकार में पचास नलकूप आये थे। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार केवल तीन नलकूप आये है और दस विधान सभायें हैं। आप बताइये कि किस विधान सभा क्षेत्र में वह नलकूप लगेगा, जिससे किसानों को राहत मिल सके? माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने बहुत बड़े-बड़े वादे किये। उन्होंने कहा कि हम गांव की बिजली व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। पिछली सरकार में जो हमारे क्षेत्र के गांव में, जहां पर विद्युतीकरण का काम चल रहा था, उसको इस सरकार ने रोकने का काम किया और वो गरीब तबके के लोग हैं जिनको बिजली मिल सकती थी आज उनके यहाँ इतना बड़ा मजाक हो रहा है कि खम्भे तो लग गये, लेकिन उनमें तार जोड़ने का काम अभी तक नहीं हुआ। जहां तक कहा जाता है कि गांव में अड़तालीस घण्टे में ट्रांसफार्मर लगा दिये जाते हैं, लेकिन मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूँ कि अड़तालीस घण्टे तो दूर कभी-कभी तो चार-चार, पांच-पांच दिन लग जाते हैं वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। और तो और कितना बड़ा मजाक किया जाता है इस सरकार में, कि चोरी करने वाले को भी सजा और जो चोरी नहीं कर रहा है उसको भी सजा दी जा रही है। जो बिजली चोर है उनके नाम पर पूरे गांव की बिजली काटकर जो लोग बिजली का बिल भरते हैं उनके साथ भी चोरों जैसा व्यवहार किया जा रहा, ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माननीय अध्यक्ष जी, गड्ढा मुक्त के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर आप पता कर लें कि गड्ढा मुक्त कहां तक हुआ है। आज गड्ढामुक्त के नाम पर सिर्फ अधिकारियों ने लूटने का काम किया है। मेरे क्षेत्र के अन्दर बिलरियागंज एक बहुत बड़ा कस्बा है, जो आजमगढ़ बिलरियागंज रौना पार्क को जोड़ता है, उस कस्बे की जो सड़क की व्यवस्था है, पिछली सरकार ने उसमें बजट आवंटन किया, काम शुरू हुआ, लेकिन सरकार बनते ही उसका बजट रोक देने का काम किया गया। डेली एक लाख लोग वहाँ से सफर करते हैं, जिनको आये दिन हमारी माताओं, बहनों, हमारे बुजुर्गों को उस सड़क से गुजरते वक्त दो-चार होना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर एक तहसील की है। जो सगड़ी तहसील है वह मेरे क्षेत्र से पचास किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर गरीब लोगों का जाने में दुश्वारी होती है। और वह अपनी समस्या ले जाने के लिये हमेशा किसी न किसी का सहारा लेते हैं। पिछली बार जब मैनें सवाल लगाया था तो उसमें आया कि परशुरामपुर तहसील में कमिशनर और डी0एम0 की रिपोर्ट आई है कि वहाँ तहसील बननी चाहिये, लेकिन तहसील का काम रोक दिया गया। अभी तक तहसील वहाँ पर बनाने के लिये सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुये इतना ही कहूंगा कि हमारे यहाँ बातें तो कानून व्यवस्था की हो रही हैं लेकिन कानून व्यवस्था का हाल यह है कि आये दिन हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, उनके साथ इतनी घिनौनी हरकतें होती हैं जिसके लिये आज सरकार के पास कहने को कुछ नहीं है। मैं कहना चाहूँगा-

उलझन, घुटन, हरास, तपिश, कुर्व, इंतशार वह बैठे हैं
कि सांस भी लेना मुश्किल है
आवारगी का हक है हवाओं को शहर में
घर से चिराग लेकर निकलना मोहाल है।

माननीय अधिष्ठाता जी, यह सरकार कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। यह दम भरती है और हमेशा मुस्लिम महिलाओं के लिये कानून लाने की बात करती है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक कल्याण में कहीं भी ऐसी योजना नहीं है जिससे गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिये कोई ऐसी व्यवस्था की जा सके जिससे वह भी आगे तरक्की करके हमारी दूसरी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुये अपनी बात को फिर एक शेर के साथ खत्म करूंगा-

लू भी चलती थी तो बादे सबा कहते थे
पाव फैलाये अंधेरे को दिया कहते थे
उनका अंजाम तुझे याद नहीं है शायद
और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे।

हिन्दुस्तान जिन्दाबाद।

***श्री पूरन प्रकाश-**

बोलिये गिरिराज महाराज की जय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में बनी है आज आम नागरिक यह महसूस कर रहा है कि वास्तव में शासन, सत्ता और सरकार क्या होती है। माननीय अधिष्ठाता जी, पूर्ववर्ती सरकारों में मैं भी विधायक था, सामने बैठता था लेकिन जनता की बात का, किसान की बात का, गरीब की बात का, दलित की बात का, बहन बेटियों की इज्जत का कहीं पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है आज एक साल पूरे हो चुके हैं आप क्षेत्र में जायें, प्रदेश में जायें, जिले में जायें आम नागरिक यह महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का नारा साकार हो रहा है आज उसी के अनुरूप 403 विधायकों की विधान सभा में 325 विधायकों का विशाल जनादेश इस प्रदेश की जनता ने दिया है उस जनादेश के स्वरूप को बनाये रखने के लिये, उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्य मंत्री जी, सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, सब विधायकगण प्रयत्नशील हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इससे पूर्व 25 साल से डार्क जोन के नाम पर किसानों के ट्यूबवेल टोटल बंद कर रखे गये थे और किसान को पानी नहीं मिल रहा था, किसान त्राहि-त्राहि कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले ऐसे डार्क जोन में किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन शुरू कराये हैं आज किसान उसका लाभ ले रहा है। इसके साथ ही हमारे प्रदेश में उज्जवला योजना जो चल रही है मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ हमारी मातायें बहनें थी, वह पहले जंगल में खेत में जाकर लकड़ी लाती थीं, वह धुंए से बीमार हो जाती थीं। हमारी सरकार ने बिना पैसे के निशुल्क उज्जवला योजना में गैस के कनेक्शन जारी किये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतना ही नहीं मान्यवर, जो आखिरी छोर पर किसान, गरीब, दलित, पिछड़ा बैठा था, पैसे के अभाव में कनेक्शन नहीं ले सकता था अपना मोबाइल बैटरी चार्ज कराने जाता था। हमने बिना पैसे के निःशुल्क घर-घर जाकर उनको बिजली के कनेक्शन मुहैया कराये हैं।

मान्यवर, गरीबी रेखा के नीचे के हमारे जो प्राइमरी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं आज उनको आप देखियेगा सर्दियों में उनको स्वेटर, किताब, कापी, जूते, मोजे, खाना हमारी प्रदेश सरकार मुहैय्या करा रही है। इतना ही नहीं अगर आप देखें तो हमारे जिले में सबसे बड़ी समस्या जो आती थी वह थी कि किसानों को आखिरी छोर पर पानी नहीं मिल पाता था, नहर बम्बों के माध्यम से, हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो अवैध जितने कुलाबे लगे हुए थे, आठ-आठ इंच की बड़ी-बड़ी पाइपें डाल रखी थीं, गरीब किसानों को आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुँचता था, हमारे सिंचाई मंत्री भी साथ में थे प्रदेश का प्रशासन भी साथ में था, सब उखड़वाये गये और आखिरी छोर पर जो किसान बैठा था उसको पानी मुहैय्या कराया गया। इतना ही नहीं हमारी प्रदेश की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है कि जो बदमाश माफिया खुलेआम घूमते थे, बहन-बेटियों से बदसलूकी करते थे, निकलना मुश्किल हो गया था तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि या तो प्रदेश छोड़ जाओ नहीं तो हमारी जेलों में बहुत जगह अभी खाली है, वहाँ आपका स्वागत है। आज हमारी बहन-बेटियां बाजार में जाती हैं तो यह महसूस करती हैं कि हां कोई शासन चल रहा है। इतना ही नहीं मैं आप के माध्यम से संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो आपके 25-30 साल से प्रदेश के अन्दर सड़कों की हालत खस्ता थी, कोई कहता था कि पी0डब्ल्यू0डी0 की है, कोई कहता था कि मण्डी समिति की है, कोई कहता था कि आर0ई0एस0 की है और कोई कहता था कि पी0एम0जी0एस0वाई0 की है उनकी मरम्मत का कोई नाम नहीं लेता था। आज 25 साल में पहली बार उन सड़कों को विशेष मरम्मत के माध्यम से सही कराया गया है। इतना ही नहीं नई सड़कों को भी प्रदेश सरकार ने सम्मिलित किया है और वह बनाई जा रही हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें और कहना चाहूंगा कि हमारी प्रदेश सरकार का निश्चित मत है और देश की सरकार के मा0 प्रधानमंत्री जी की निश्चित सोच है कि जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है जिसके पास सिर छिपाने के लिए छत नहीं है 2022 तक हम सबको मकान देने जा रहे हैं। अभी तक पूरी देश दुनिया में पहली बार किसान का हो, चाहे किसी का हो, हर नागरिक का 5 लाख का बीमा प्रदेश सरकार ने निश्चित किया है, असमय लोगों की मृत्यु हो जाती थी और उनके परिवार वाले हैण्ड टू माउथ हो जाते थे इस निर्णय से उनको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। इतना ही नहीं मान्यवर, हम आपके माध्यम से एक और बात संज्ञान में लाना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता -

मा0 सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री पूरन प्रकाश -

मान्यवर, दो-तीन लाइन रह गई हैं। हमारे मथुरा में एक रोड जाता है पीलीभीत-बरेली-मथुरा-भरतपुर, इसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत राया जो कि सबसे बड़ी नगर पंचायत भी है, में से गुजरता है, एक तरफ रेलवे लाइन है और सड़क के दूसरी ओर बाजार है वहाँ रोड चौड़ी नहीं हो सकती है इसके कारण वहाँ रोज चार से पांच घण्टे तक जाम लगा रहता है। इस मार्ग

से रोजाना हजारों, लाखों ट्रक टैंकर ट्रोला व 10 जनपदों को जोड़ने वाली रोडवेज की बसें निकलती हैं जिसके कारण यहाँ जाम लगा रहता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वहाँ पर राया में एक बाईपास का निर्माण शीघ्र कराया जाय। इतना ही नहीं जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमें पोस्टर लगाने के, भाषण देने के दर्ज कर रखे हैं वह परेशान हो रहे हैं इसलिए उनके मुकदमें वापस लेने की कृपा करें। मैं आपके माध्यम से एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हमारे वृद्ध लोगों के पास शस्त्र लाइसेंस थे जो भगवान को प्यारे हो गये उनके शस्त्र का लाइसेंस उनके वारिसान के नाम शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने का कष्ट करें जिससे कि वह अपनी रक्षा कर सकें। एक हमारे यहाँ बलदेव पड़ता है दाऊ जी महाराज वहाँ से नोएडा से आगरा एक्सप्रेस-वे निकलता है वह बलदेव से होकर गुजरता है वहाँ पर एक कट बहुत आवश्यक है क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए उन्हें पचास किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इसका संज्ञान ले ले और इस कट को निश्चित करा दे। आखिर में मैं यह कहते हुए कि हमारे जनपद मथुरा में तीर्थ घोषित किये गये हैं, उसमें वृन्दावन किया गया है, बरसाना किया गया है उसी के अनुरूप में हमारे क्षेत्र में बलदेव दाऊ जी हैं, गोकुल है, महावन है इन तीनों को भी तीर्थस्थल घोषित करके विकास की सीमा में उसे लाने की कृपा करें। मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अधिष्ठाता-

श्री दिनेश चौधरी जी।

***श्री दिनेश चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे ऊपर महती कृपा करते हुए अपने मन की बात रखने का हमें अवसर प्रदान किया। आप एक विद्वान लेखक भी है, अतः बजट में प्रस्तुत गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, वृद्ध और विधवाओं के आंसू पोंछकर उनमें जो मुस्कान लाने की हमारी सरकार ने कोशिश की है, उस पर मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि

''रूख बदल देंगे इन हवाओं का, शर्त यह है कि साथ निभाते रहिएगा।

जब भी लड़ूँ आपके हक के खातिर, मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहिएगा।।''

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जनसेवा का जो महान संकल्प लिया है। चुनाव में जो महत्वपूर्ण वायदे किये थे, उसके अनुरूप यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का 4 लाख 28 हजार 384.52 करोड़ का सबसे बड़ा बजट है। माननीय वितमंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी ने पिछले बजट की अपेक्षा 11.04 प्रतिशत बड़ा बजट प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिनेश चौधरी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले जनपद जौनपुर के सबसे बड़े विधानसभा केराकत से विधायक हूँ। जनता के दुख-दर्द में दिन-रात सम्मिलित रहकर उनकी पीड़ाओं से अवगत हूँ। मैं स्वतः एक किसान परिवार में पैदा होने के कारण किसानों की पीड़ा को शत-प्रतिशत जानता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और एक महान अर्थशास्त्री, जन नेता माननीय वित्तमंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी को बधाई देता हूँ कि विभिन्न योजनाओं के लिए पहली बार एक हजार दस करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। पिछली सरकारों द्वारा बीमार, निष्पाद चीनी उद्योगों को नई जिंदगी और उत्साह प्रदान करते हुए 100 करोड़ रुपये के सहकारी चीनी मिलों का उत्थान, डेढ़ सौ करोड़ रुपये गन्ने की खोई से 27 मेगावाट बिजली, तीन सौ चालीस करोड़ के बिजली प्लांट, और स्टील के विकास की महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रस्तुत की है। चीनी मिल क्षेत्र के सड़कों के निर्माण के लिए 56.94 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। छुट्टा गौ-वंशों के 175.02 करोड़ रुपये और पशु संजीवनी कार्यक्रम के लिए 242.2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। हमारे विपक्ष के लोग किसानों के नाम पर चोरी से सड़कों पर आलू फेंका करते थे। यह किसानों के साथ क्रूर और घिनौना मजाक निंदनीय रहा है। आलू के लाभकारी मूल्य के लिए 50 लाख की व्यवस्था की गयी है। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सहयोग करें, तथा सदन में कागज के गोले न फेंके।

इसी मध्य 01 बजकर 39 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा कि-

बर्बाद गुलिस्तां करने को जब एक ही उल्लू काफी है,
हर शाख पर उल्लू बैठे हैं तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों ने कहा कि यह बताईये कि वह शाख कौन सा है और उल्लू कौन है?)

श्री अध्यक्ष-

अब उल्लू का और क्या नाम होगा, उल्लू ही होगा।

श्री दिनेश चौधरी-

हमारी सरकार ने रेशम विकास के लिए 1.47 करोड़ रुपया, पी0एम0 आवास के लिए 215 करोड़ रुपया, लघु डेयरी योजना के लिए 74.70 करोड़ रुपया, बाढ़ नियंत्रण के लिए 401.29 करोड़ रुपये के साथ इस तरह से कृषि विकास की अनेक महत्वपूर्ण योजनायें स्वीकृत की गयी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार उत्तर प्रदेश के किसी सरकार ने 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने का संकल्प लिया है। जिसमें 1.37 लाख शिक्षक, 1.62 लाख पुलिस भर्ती तथा निजी उद्योगों द्वारा भारी संख्या में नौजवानों को रोजगार प्रदान करने का संकल्प लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारें पूर्वांचल की लगातार उपेक्षा करती आ रही थी या तो वे सैफई के विकास में लगे हुए थे या लखनऊ में पत्थर लगवा रहे थे। पहली बार पूर्वान्चल के विकास का सपना पूरा होने जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि-

पीर पर्वत सी हुई है अब पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वान्चल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपया मिर्जापुर, सोनभद्र, मैनपुरी में इन्जीनियरिंग कॉलेजों के लिए 12 करोड़ रुपया, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद और झांसी में मेट्रो रेल के लिए 500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये, 5-5 मिनट ही बोलना है।

श्री दिनेश चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, राजकीय इण्टर कॉलेजों में बच्चों को विदेशी भाषा की शिक्षा दी जायेगी। पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर आगरा, मथुरा, वाराणसी और लखनऊ में दो-दो स्कूल शुरू होंगे। जिला सोनभद्र में विद्युत फीडर के लिए 3.63 करोड़ रुपया, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी में पी0जी0 कोर्स खोलने के लिए 10.90 करोड़ रुपया, सरयू नहर परियोजना के लिए 614 करोड़ रुपया, पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपया, बस्ती के मुण्डेरवा चीनी मिल विस्तार के लिए 240 करोड़ रुपया, गोरखपुर वीर बहादुर स्पोटर्स कॉलेज के लिए 1000 करोड़ रुपया, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 1243.18 करोड़ रुपया स्वीकृत किये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण नारा ''सबका साथ, सबका विकास'' है। इसको जमीन पर उतारने के लिए हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2757 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। (प्रतिपक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि इनको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं।) जहां एक तरफ हमारे विपक्ष के माननीय विधायक बन्धु केवल हमें भगवाधारी सरकार का ताना देते हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री दिनेश चौधरी-

हमारी सरकार में जाति, मजहब और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। अब तक अल्पसंख्यकों को भयग्रस्त रखने की कोशिश करने वाले विपक्षी दलों के मुंह पर भारी तमाचा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म कर दीजिए।

श्री दिनेश चौधरी-

मान्यवर, केवल दो मिनट और दे दीजिए। हमें अल्पसंख्यकों के वोट से ज्यादा उनके विकास की चिंता है। मैं कहना चाहता हूँ कि-

तुम्हारा खूँन कितना कीमती है कौन परवाह है,
तमाशा देखने वालों को यह अहसास क्या होगा,
बहाते हो लहू सड़कों पर यारों जो रोज अपना,
तो वतन जब खूँन मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा।

श्री अध्यक्ष-

आपका शेर बहुत अच्छा है। अब बहुजन समाज पार्टी के विधायक श्री अनिल सिंह जी का नाम मेरे पास सचेतक जी ने भेजा है। दिनेश जी अब आप बैठ जाईये।

श्री दिनेश चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनिल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बजट के अवसर पर बोलने का मौका दिया। मैं देख रहा हूँ, बहुत दिनों से अनुभव ले रहा हूँ कि यहाँ विधायक कम कवि ज्यादा जीत कर आ गये। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि यह बजट बड़ा अच्छा है।(सत्ता पक्ष से मेज की थपथपाहट) सुन लीजिये, सुन लीजिये आगे। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि यह बजट बड़ा अच्छा है। 4 लाख करोड़ पिछला था 3 लाख 87 हजार करोड़ और 4 लाख 28 हजार करोड़ अबकी है। गुणे 5, 4 लाख से ही जोड़ते हैं तो 20 लाख करोड़ रुपया आम जनता का यहाँ पर विकास पर लगाया जाता है। लेकिन दुःख इस बात का है कि यह जो बजट तो सरकारें बना देती हैं लेकिन बजट की समीक्षा अच्छे से नहीं हो पाती। 200 करोड़ की फाइल बनती है और 50 करोड़ रुपया सिर्फ जमीन पर लगता है और 150 करोड़ रुपया सिर्फ भ्रष्टाचार में चला जा रहा है। यह बड़ा दुःख का विषय है।(शोर) अब अगली पिछली जो भी हो इससे वास्ता नहीं रखते। हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिये कि एक रोड बनती है। रोड बनी, रोड बनने के बाद उसकी कोई समीक्षा नहीं होती कि वह कितने दिन चलेगी जबकि मानक सब उपलब्ध हैं। मेरा इस सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपसे एक अनुरोध है, बिनती है कि अगर कोई भी रोड जो मानक के अनुरूप बनाई जा रही है उसकी समीक्षा इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें चाहे राजनेता, चाहे कर्मचारी, चाहे अधिकारी, अगर उसमें किसी भी प्रकार का गबन या भ्रष्टाचार करता है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यह मिसाल बनना चाहिए कि जितने दिन तक उन्होंने नौकरी की है उसका सारा पैसा रिकवरी होना चाहिए और सजा भी होनी चाहिए। यह एक माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा पर्सनल अनुरोध है। गांव में एक कहावत है कि एक का मारौ दुई मर जाय तीसर खौफ खाय मर जाय। तो यह हम भी यहाँ सीख गये हैं कविता बनाना। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्वाइंट है अध्यक्ष जी। और दो तीन सुझाव हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा। मुझे ज्यादा बोलने का मजा नहीं आता। थोड़ा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। मैं आपके आशीर्वाद से समिति में सदस्य बना। सन् 1974 से केस पेंडिंग चले आ रहे हैं पैसों के घपले के और लोग मर गये रिटायर होकर और आज भी केस चल रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इस पर सख्ती से कार्रवाई करें ताकि यह सबब बने कि जो मेहनत का पैसा है, टैक्स में आता है, विकास के लिये आता है। वह पैसा जिस तरीके से भ्रष्टाचार में चला जा रहा है उस पर अंकुश लगे। इसी तरीके से मेरे क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो अभी तक नहीं बनी। लोग गड्ढों में घूम रहे हैं और आप तो वहाँ विधायक रहे हैं, चार बार रहे हैं। आपने खूब काम किया। आज भी हमारी बात सुन लेते हैं, सरकार तक पहुँचा देते हैं। तो इसके लिये मैं धन्यवाद देता

हूँ और अपील करता हूँ कि यह सब चीजें हो जायं तो मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता को सुविधाएं मिल सकती हैं। नहर में जो पानी है वह काफी हद तक पहुँचा है लेकिन लास्ट तक नहीं पहुँच पा रहा है हमारे गॉवों तक। लास्ट में मेरा गांव पड़ता है रायबरेली के बार्डर पर। मैं अनुरोध करता हूँ आपके जरिये सरकार से पानी वहाँ तक पहुँचाया जाय। दूसरा मैंने कई पत्र लिखे जैसे कि क्या कोई नियम है कि कोई कोटा किसी कोटेदार को एलाट होता है वह 40-50 साल तक चलावे। अरे वह मोटा हो गया तो दूसरे को दे दिया जाय। अनुरोध मेरा यह है कि इसमें संशोधन किया जाय कि जो लोग कोटेदार जिस तरीके से फर्जी राशन कार्ड बनाकर खा रहे हैं कोटा पूरी तरीके से बेच ले रहे हैं। मैं अनुरोध करूँगा सरकार से कि उसमें भी कुछ नियम लाया जाय। 10 साल, 15 साल, 5 साल, 8 साल इस तरीके से कुछ होना चाहिए। 50-50 साल से काम कर रहे हैं कोटेदार। अगर उनके खिलाफ लिखा जाता है तो इस तरीके से बंदर बांट होकर काम खत्म कर दिया जाता है। मैं तो एक साल ही में हताश हो गया कि मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा।

मैं बिजनेस छोड़कर राजनीति में आया था कि बढ़िया काम करूंगा, सारी गरीब जनता का सहयोग करुँगा लेकिन दुख इस बात का है कि एक साल का जो अनुभव रहा है, वह इस तरीके का रहा है कि अब कुछ कहने का मन ही नहीं करता है। हमने समय पर छोड़ दिया है जो जैसे शुद्ध होगा वैसे होगा। लेकिन मैं प्रयास करता रहूँगा आपके माध्यम से, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ यह पूरे प्रदेश की जटिल समस्या है। मान्यवर, एक और अपील करूंगा खाद्यान में सबसे ज्यादा पैसा जाता है सरकार का। जैसे किसान की आय दुगुनी करना चाहती है सरकार, तो 1710/- रुपये कुन्तल में गेहूँ खरीदा जाता है उस गेहूँ के रख-रखाव और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जब वह किसी गरीब आदमी को बांटा जाता है अध्यक्ष जी, तो उसकी 15000/- कुन्तल की कास्ट आती है। गेहूँ उन्नाव का खरीदा जा रहा है और प्रतापगढ़ में रखा जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस गेहूँ को खरीदकर, ब्लाक लेविल पर, जिला लेविल पर रखवाकर कोटेदारों को दे दिया जाए ताकि वहीं से सरकार का पैसा बच सके। इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई कानून बनाना आसान है लेकिन उसका पालन करना बहुत कठिन है। जैसे कहा जाता है कि गुण्डों को हमने मार दिया, यह कर दिया, वह कर दिया, हम तो कहते हैं कि सबको मार दो जितने अपराधी हैं, इनको कतई न छोड़ो, जैसे लोग कहते हैं हमको सुरक्षा चाहिए, हम तो कभी-कभी जो हमें सुरक्षा गनर मिला है उससे कहते हैं कि घर जाओ, छुट्टी मनाओं, हमारे ऊपर कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको कौन कहां मार देगा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा मैं छोटी सी अपने मन की जो बात है वह कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से, आप आरोप लगाते हैं इधर कि यह चोर थे, यह थे, वह थे, घपलेबाज थे तो यह घपलेबाज या चोर, ऐसा न होता तो आपको जनता इतनी बड़ी बहुमत देती कैसे?

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

अगर आप भी सही आचरण नहीं करेंगे तो आप भी 2022 में इधर बैठे नजर आएंगे। मैं बहुत कटु सत्य कह रहा हूँ हो सकता है कि किसी को खराब लग रहा हो लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सत्ता मिल गई है आप उसका बढ़िया सा उपयोग करिए,जनता का काम हो। आज जानवरों की क्या समस्या है लोग घरों में नहीं सो पा रहे हैं। हरे खेत

जानवर सब चरे जा रहे हैं यह बहुत गम्भीर समस्या है। आप बताइए किसान अपने बच्चों को नहीं देख पा रहा है, वह घर से बाहर मचान गाड़कर सोता है। एक बीघा खेत है उसको किसी तरह से चारों तरफ से बांधकर रस्सी डोर लगाकर बचाने का प्रयास किया जाता है। तो यह बहुत गम्भीर समस्या है मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा सरकार से, कि इन सब मुद्दों को बहुत गम्भीरता से लें और जो मैंने अपने क्षेत्र की समस्यायें उठाई हैं वह कुछ हद तक दूर कर दी जाएं तो मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

तो आप यह बजट पास करा रहे हैं या नहीं।

***श्री अनिल सिंह-**

बजट पास कराने का काम आप सबका है। हमारा तो यह है बजट अच्छा है लेकिन बजट को सही तरीके से लगाना चाहिए। इसमें कई चीजें संशोधन के लिए भी कहता हूँ संशोधन करके सही जगह पैसा लगाया जाए। फालतू पैसा इधर उधर न लगाया जाए। बीस लाख करोड़ हमको लगता है विधान सभा का गुम्बद भर जाएगा अगर पैसे रख दिए जाएं लेकिन जिस तरह से पैसा बंदरबांट में जाता है तो कहने और करने में अगर अन्तर है तो मेरा सहयोग नहीं है। अगर करनी कथनी में अंतर नहीं है तो पूरा सहयोग है।

बेसिक शिक्षा, राजस्व, वित्त, बाल विकास, पुष्टाहार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)-(श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

अध्यक्ष जी, बहुत- बहुत धन्यवाद्। वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस सम्मानित सदन के समक्ष दिनांक 16 फरवरी 2018 को प्रस्तुत किया गया। मैं वित्त राज्य मंत्री के रूप में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट से खुद को सम्बद्ध करते हुए, इस लोकप्रिय विकासशील बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूँ। लोक कल्याण संकल्प पत्र में विकास की संकल्पना तथा पंडित दीन दयाल उपाध्याय के सपनों के अनुरूप, दबे-कुचले समाज के, विभिन्न वर्गों के विकास कल्याण और सशक्तिकरण की योजनाओं से भरपूर यह बजट, प्रदेश के गरीबों, महिलाओं, किसानों युवाओं तथा साधनहीनों के विकास और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं मेरी बड़ी इच्छा थी कि वह रहते। लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझती हूँ कि मा0 नेता प्रतिपक्ष जहां कहीं भी होंगे, वह टी0वी0 पर देख और सुन जरूर रहे होंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बजट में पिछली बार अपने भाषण में कहा था कि यह बजट नहीं है छलवा है, छलवा और हम सबने कहा था कि यह योगी जी का जलवा है, जलवा और वह जलवा सबको दिख भी रहा है और इस बार आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह बजट नहीं है चों-चों का मुरब्बा है। हमारे बहुत ही आदरणीय हैं और जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो मेरे जेहन में लाइनें याद आती हैं कि ''मैं अपने कद से भी ऊंचा दिखाई देता हूँ, मुझसे बहुत बड़ा है तजुर्बा मेरा'', लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी इस तजुर्बे पर जाने क्या नजर लग गयी। मान्यवर, फरवरी 2017 में जब मोदी सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया था तो उसकी प्रतिक्रिया में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमान् लालू यादव जी ने कहा था कि यह बजट नहीं है, चूं-चूं का मुरब्बा है। श्रीमान् मैं यह तो नहीं कह सकती कि सोच लीजिये, लेकिन लालू जी का हश्र सबको पता है और कभी-कभी कोई डायलॉग जब गड़बड़ निकल जाती, नसूढ़ा निकल जाता है तो बुद्धिमान उसका प्रयोग कभी नहीं किया करते, ऐसी आदरणीय जी से मेरी अपेक्षा है। आपने कहा कि वित्त मंत्री जी इस बार भी बजट पढ़ते-पढ़ते बैठ गये। मान्यवर, जब कोई व्यक्ति अप्रतिम, पुरूषार्थ और अतुल्य परमार्थ के भाव से जनहित, लोकहित में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है तो पहले तो वह लम्बे-लम्बे डग भरता है कि मंजिल के जल्दी करीब पहुंच जायें, लेकिन जब विश्वास होने लगता है कि मार्ग ठीक है तो परम आनन्द के भाव से वह थोड़ी देर बैठ जाता है और फिर खड़ा होता है और इसीलिए किसी ने कहा है कि-

''तेरे गिरने में, तेरे बैठने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है, अवतार नहीं।
बस तू चलता चल, चलता चल, नेक इरादों के साथ चलता चल''।।

मान्यवर, हौसला बुलन्द होना चाहिए, इरादे नेक होने चाहिए। ''पूरे हुए वादे और अब हैं नए इरादे'' का नारा देने वाले जब सदन में माननीय राज्यपाल महोदय पर कागज के गोले फेंकते हैं, गुब्बारे फेंकते हैं, कागज के हवाई जहाज बनाकर उड़ाते हैं तो कहना चाहूंगी कि माननीय राज्यपाल जी तो बहुत ही धैर्यवान और प्रज्ञावान पुरूष हैं। तमाम अवरोधों के बावजूद भी उन्होंने बड़े शान्तिभाव से पूरा अभिभाषण पढ़ा। आप द्वारा फेंके गये कागज के गोले, गुब्बारे सब वापस आप पर लौट आये, अगर इन्हीं गुब्बारों से किसी मासूम के हाथों को सजाने का काम किया होता तो शायद कुछ दुआ लगती और आपके फुस्स होते राजनीतिक गुब्बारों में कुछ हवा भर जाती। माननीय नेता ब.स.पा. भी आज नहीं हैं, लेकिन वह कह रहे थे कि यह भभूत वाले लोग हैं, ऐसा लगता है कि जैसे भभूती बांटकर सब कुछ कर देंगे। सही कहा आपने, यह अपने आप में ऐतिहासिक सरकार है। जिसके पास गरीबों की दुआ से उपजे योगी जी की भभूती भी है और विकास के कार्यों की मजबूती भी है। गरीबों, असहाय, दलितों की दुआ कुबूल हुई और आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हुए और जब दुआ और दवा दोनों साथ मिल जाते हैं तो कमाल का असर दिखाते हैं और इस कमाल के असर का एक ही उदाहरण पर्याप्त है, वह है 21 और 22 फरवरी को यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट 2018, उत्तर प्रदेश की धरती पर यह पहली बार हुआ, क्या अडानी, क्या अम्बानी, क्या महिन्द्रा, क्या हिन्दुजा, सबने आकर उत्तर प्रदेश की धरती पर खुले मन से निवेश करने की अपनी इच्छा जताई और कई एम.ओ.यूज. यहाँ साइन करने का काम किया। माननीय वर्मा जी तो बड़े गम्भीर पुरूष हैं, बड़े ही भद्र पुरूष हैं और वह बोले कि सब हमने किया, हमने किया भभूती वाले ऐसा बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हमें चांद पर पहुंचा देंगे सबको। आदरणीय हमारी इच्छा तो आपको चांद पर ही नहीं, चांद के पार ले जाने की है। ''आओ तुम्हें चांद पर ले जायें, एक नई दुनिया दिखायें। मगर आप हो कि साइकिल पर ही बैठना चाहते हो तो हम कैसे समझायें।'' हम कहते हैं कि चांद पर ले जायें। आज हमारे भाई आदरणीय उपेन्द्र जी आज यहाँ पर नहीं हैं और हमेशा यह कहते हैं कि व्यक्ति का नेचर और व्यक्ति का सिग्नेचर जल्दी बदलता नहीं है। इसलिए सावधानी रखने की जरूरत है। दुर्घटना से सावधानी भली है। आदरणीय लल्लू जी की बात न हो तो लगता है कि कुछ पूरा ही नहीं होता है। अधूरा सा रह गया है। आदरणीय लल्लू जी ने कहा कि यह सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। आदरणीय लल्लू जी पहले अपनी तो बुनियाद ताक

लीजिए उस बुनियाद में बहुत तेजी के साथ कम्पन पैदा हो रहा है और वह कम्पन आप महसूस करते हैं और ऐसी स्थिति में अच्छे अच्छे लोग ज्यादा बोलने लगते हैं। क्योंकि क्या हुआ साल भर पहले जिससे नाता जोड़ा था यू0पी0 को यह साथ पसन्द है, का नारा दिया था बड़ी बेदर्दी से इन लोगों ने एक ही साल में आपका साथ छोड़ दिया और साथ तो छोड़ा यहाँ तक गनीमत थी क्या किया बगल वाले से गठबन्धन कर लिया जोड़ लिया और आपको अपनी जगह पर छोड़ दिया। अब तो तनहाई ही तनहाई अपने पास है और कभी कभी यह लाइनें बड़ी मशहूर हैं कि मैं और मेरी तनहाई अक्सर यह बातें करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिए।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

यू0पी0में सत्ता होती तो कैसा होता जनता कुछ यह कहती, जनता कुछ वह कहती, सत्ता तुम होती तो कैसा होता, कभी तुम मुझ पर हैरां होती कभी तुम मुझ पर बहुत हंसती, सत्ता तुम केन्द्र में होती, प्रदेश में होती कैसा होता ? मैं और मेरी तनहाई अक्सर यह बातें करते हैं। तो तनहाई में रहिए और बुनियाद जो हिलती हुई नजर आ रही है उसको देखते रहिए। आप लोगों ने हमें उजड़ा चमन दिया था लेकिन कांटों से टकराकर फूलों को पाया जा सकता है काजल की कोठरी में भी दामन को बचाया जा सकता है। अगर नेक हों इरादे तो सच कहती हूँ दोस्तों उजड़े चमन को बहारों से सजाया जा सकता है। सामूहिक विवाह योजना में मैं अपने जनपद बहराइच में शरीक हुई एक पण्डाल में हिन्दू रीति रिवाज से कन्याओं की शादी हो रही थीं।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हो रहा।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल -

आदरणीय अध्यक्ष जी मैं बस बिल्कुल समाप्त कर रही हूँ। दूसरे पण्डाल में निकाह का आयोजन हो रहा था जब मैं निकाह वाले पाण्डाल में गई तो वहाँ पर जो संचालक महोदय थे उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा देखा है कि गरीब कन्याओं की जो शादियां हो रही हैं वह लगता है कि जैसे राजाओं और बादशाहों की बेटियों की शादियां हो रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों को शादी हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है इसमें यह नहीं देखा गया है कि कौन किस वर्ग का है गरीब है उसकी बेटी के हाथ पीले होने चाहिए ऐसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। इस बात पर मुझे फिर से दो लाइन याद आती है कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना कोई सलमा बेगम राधा की चुनरी सीती है। एक अली था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था एक प्रेमचन्द्र बच्चों को ईदगाह सुनाता था। आज इन पंक्तियों को चरितार्थ करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस बजट के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने और आदरणीय विद्वान वित्त मंत्री जी ने साबित कर दिया है कि यह सरकार जनकल्याण के लिए है और सरकार की कल्याण की योजनाओं में कोई भी व्यक्ति बाधक नहीं बन सकता। कोई भी

धर्म मजहब कभी आड़े नहीं आ सकता। आदरणीय अध्यक्ष जी किसानों के कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी योजना के तहत 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मछुवारों के कल्याण के लिए मत्स्य पालक कल्याण फण्ड की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक विद्यालय और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, फर्नीचर, पेयजल, बिजली चहारदीवारी हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बालिका सशक्तीकरण के लिए 351 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शबरी संकल्प के लिए 524 करोड़ की व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्तमंत्री जी दोनों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए और इस सरकार के और सदन के सभी साथियों से मैं कहती हूँ कि वह यह बजट पेश करने के लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आप लोग बड़ा दिल बनाकर जब हां करने की बात आए तो सारे लोगों के हाथ हां में उठें। ऐसी अपेक्षा करते हुए मन में रख हौसला वह मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समुन्दर भी आएगा। आदरणीय वित्तमंत्री जी ''थककर न बैठ ए मंजिल के मुशाफिर मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा।'' बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ नहीं थे तो हम लोगों को पांच मिनट बोलने का मौका दिया गया और 05 मिनट में भी बोलते-बोलते ही टोक दिया जा रहा था। यह तो नये विधायकों के साथ नाइंसाफी है।

श्री अध्यक्ष-

अब नाइंसाफी नहीं होगी।

श्री नफीस अहमद-

मान्यवर, अब तो हम बोल चुके हैं इसलिये आप हमें दुबारा मौका दीजिये जिससे कि जो बात छूट गयी है उसको हम पूरा कर लें। आप इतना तो कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप नये मा0 सदस्य हैं। अगर आपकी कोई बात छूट गयी हो तो वह लिखकर दे दीजिये, उसे मैं कार्यवाही में आपके भाषण का हिस्सा बना दूंगा। अगर आपको लगता है कि वह बहुत जरूरी भाग है तो आप उसे लिखकर दे दीजिये, मैं उस हिस्से को आपके भाषण का हिस्सा बना दूंगा।

श्री नफीस अहमद-

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता, राष्ट्रीय लोक दल श्री सहेन्द्र सिंह रमाला जी।

***श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ जहां से चौधरी चरण सिंह जी ने इस विधान सभा का नेतृत्व किया और हमेशा किसानों, मजदूरों के लिये लड़ाई लड़ी। हो सकता है कि आपका बजट अच्छा हो। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने बजट का गुणगान किया हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेषकर जनपद बागपत में गन्ने की फसल ही किसानों के लिये मुख्य रूप से आमदनी का स्रोत है। हमारे मा0 गन्ना मंत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और वह मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। मैं मा0 गन्ना मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2016-17 का आज तक 186 करोड़ रुपये का गन्ने का भुगतान बकाया है। सरकार ने इस बजट में इसका भुगतान दिलाने के लिये क्या प्राविधान किया है मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं? चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत की छपरौली विधान सभा में दो शुगर फैक्ट्री आती हैं, जिसमें से एक प्राईवेट फैक्ट्री है जिसने इस वर्ष 280 करोड़ रुपये का गन्ना क्रय किया और 280 करोड़ रुपये के बदले केवल 10 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया और आज भी 270 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है। पिछले वर्ष का और इस वर्ष का कुल मिलाकर के किसानों का साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है। आप बजट की चर्चा कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान इतना बेबस है कि कहीं सोसाइटी के लोग उसको परेशान कर रहे हैं, कहीं व्यापारी उसको परेशान कर रहे हैं, कहीं सोसाइटी के लोग उसको खाद और बीज के लिये परेशान कर रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसके लिये बजट में क्या प्राविधान किया गया है? आपका बजट मैंने पढ़ा है। बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इण्टर कॉलेज के बारे में बहुत बड़ी व्यवस्था की गयी है। इण्टर कॉलेज के पास बहुत लम्बी-चौड़ी जमीन है और उन जमीनों पर अच्छी बिल्डिंगें हैं, लेकिन अध्यापक न होने के कारण, शिक्षक न होने के कारण, सफाई कर्मचारी न होने के कारण, किसी भी व्यवस्था के न होने के कारण आज वह पूरी व्यवस्था बेकार है। इस बजट में उस इण्टर कॉलेज को मेन्टेन करने के लिये और गरीब, मजदूर और किसानों के बच्चों को पढ़ाने के लिये कोई प्राविधान नहीं है। वर्ष 2017 विधान सभा चुनाव से पहले मेरे लोक सभा के मा0 सांसद जी ने हरियाणा प्रदेश से मुख्यमंत्री को इम्पोर्ट किया और छपरौली और हरियाणा के सम्भालका गांव को जोड़ने वाला एक पुल है, उस पुल का उन्होंने भूमि पूजन कराया और अखबारों में और मीडिया के माध्यम से बड़ी चर्चा भी हुई कि पुल बनने जा रहा है, लेकिन आज इस विधान सभा में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 16 साल के बाद भी आज तक उस पुल की लोकेशन भी क्लीयर नहीं है कि वह पुल कहां पर बनना है और बनना भी है कि नहीं और अगर बनना भी है तो उसका बजट क्या है? मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उस पुल के लिये बजट दिया जाए और उस पुल का निर्माण तुरन्त कराया जाए। मैं यह भी आशा और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के प्रोपगेन्डे न किये जाएं, जनता को भ्रमित न किया जाए कि डेढ़ साल पहले जिसका भूमि पूजन हुआ हो, लेकिन आज उसके लिये एक ईंट तक नहीं लगाई गयी है। जनता को इस तरह से भ्रमित न किया जाए। मान्यवर, मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपका ध्यान छपरौली विधान सभा के चौगामा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूँ। वहाँ पर चौधरी चरण सिंह हिण्डन नदी के नाम से पिछले 15 वर्षों से उस नदी का निर्माण हुआ।

लोक सभा चुनाव के समय में पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं ने जनता के साथ यह वायदा किया था कि इस नहर की पूरी तरह से सफाई करके पानी चालू किया जायेगा। आज चार साल के बाद भी न उस नदी की सफाई हुई है और न ही उस नदी में पानी आया है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उस नहर के लिए अगर सांसद महोदय, वहाँ पर भूमि पूजन करा सकते हैं, जनता के साथ वायदा कर सकते है, तो उन्हें अपने वायदे पर खरा उतरना चाहिए अन्यथा भोले-भाले किसानों को, भोली-भाली जनता को इस तरह से अन्धेरे में नहीं रखना चाहिए। आपने बिजली देने की बहुत पीठ थपथपायी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान विशेषकर मैं जनपद बागपत की बात करना चाहूँगा। बागपत का किसान यह कहता है कि जितनी बिजली पहले मिलती थी, हमे उतनी ही बिजली मिलती रहे हमें बिजली के ये बढ़े हुए दाम नहीं चाहिए। इस सरकार ने 63 प्रतिशत बिजली के दाम बढ़ाये हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो 63 प्रतिशत बिजली के दाम बढ़ाये गयें हैं उनको वापस लिया जाये, जितनी पुराने दर पर बिजली मिलती थी, जितने भी घन्टे बिजली मिलती थी, किसान को वही स्वीकार है इतना ज्यादा बिल देना किसान की पहुँच से बाहर है। जिस कारण आप दो साल से गन्ने का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

आपकी 2014 में केन्द्र सरकार बनी, आज प्रदेश की सरकार को बने हुए भी एक साल हो गये लेकिन रोजगार के नाम पर यह सरकार बिल्कुल जीरो है। आज किसी तरह का भी रोजगार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई दिशा नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि नौजवानों के रोजगार पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए और आज जो पढ़ा-लिखा नौजवान भटक रहा है उसको रोजगार मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनाव के समय जनता से यह वायदा किया था कि हम किसानों का सारा कर्जा माफ करेंगे, जो किसानों का कर्ज एक अप्रैल तक माफ होना चाहिए था लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों ने यह उम्मीद लगायी थी कि उनका कर्जा माफ होगा लेकिन जब 30 जून तक किसानों ने कर्जा जमा नहीं कराया तो यह फैसला आया कि लघु सीमांत किसानों का ही कर्जा माफ होगा, बाकी का नहीं होगा। सोरसा जी ने उसमें तीन प्रतिशत के बदले 12 प्रतिशत ब्याज लेने का काम किया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस भोली-भाली जनता को, इन शरीफ लोगों को, क्षेत्र के किसानों को इस तरह से उनके साथ धोखा न किया जाये, उनको इस तरह के सपने का दिखायें जायें। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से यही मांग करता हूँ कि ''खेत में मरते किसान और सीमा पर मरते जवान'' की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्रीमती मनीषा अनुरागी जी, हमीरपुर।

***श्रीमती मनीषा अनुरागी-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट, जो कि कुशल एवं सन्तहद्वय योग्य यशस्वी मा0 मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में तैयार किया गया है, पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी एवं मा0 वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये का अब तक का सबसे बड़ा स्मरणीय, अद्वितीय एवं अकल्पनीय बजट पेश किया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 11.4 प्रतिशत अधिक है। महोदय, कोई भी बजट प्रदेश की जनता को यह बताता है कि सरकार की रूपरेखा क्या है, सरकार की सोच क्या है, सरकार की प्रदेश के लिए क्या-क्या योजनायें हैं ? आज एक सन्त के हाथ में प्रदेश की बागडोर है और यह सन्त धर्म के रास्ते से समाज के हित में प्रदेश को नवीन दिशा एवं ज्योति प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी।

''आँखें जिस पल को तरसी थीं वह दृश्य दिखाया योगी ने, इस सदन बीच खुलकर हिन्दू उत्कर्ष दिखाया योगी ने, बेशर्म जनेउ धारी थे जो इफ्तारों में जाते थे, हाथों से तिलक मिटा करके जो टोपी गोल लगाते थे, वोटों की भूख जिन्हें मस्जिद दरगाहों तक ले जाती थी, खुद को हिन्दू कहने में जिनकी रूह तलक शर्माती थी, उन ढोंगी धर्म कपूतों की छाती पर चढ़कर बोल दिया, क्यों ईद मनाऊं हिन्दू हूँ ऐलान अकड़कर बोल दिया''

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट श्रद्धेय पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय का संकल्प लेकर चलने वाला है। इस बजट का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाने वाला है। यह बजट मुख्यतः किसानों, समाज के कमजोर गरीब मजदूरों, महिलाओं, दिव्यांगों एवं बेरोजगार युवाओं को समर्पित है। वैसे भी हमारे कुशल माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करें। हमारी सरकार का उद्देश्य गरीब, श्रमिक, कृषक आदि सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाना है। प्रदेश के किसान को खुशहाल बनाना ही हमारा उद्देश्य है। माननीय अध्यक्ष जी, यह दुखद है कि पूर्व की विपक्षी सरकारे ठीक तरह से सोच ही नहीं पाई। भले ही वह अपने आपको धरती पुत्र या किसान हितैषी होने का दावा करती रही हो, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मेरे विचार एवं भावनाओं की दृष्टि से

''इन काली सदियों के सिर से जब रात का आंचल सरकेगा,
जब सुख के बादल पिघलेंगे जब सुख का सागर झलकेगा,
जब अम्बर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमें गायेगी,
वह सुबह कभी तो आयेगी, वह सुबह कभी तो आयेगी।''

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो कोशिश हमारी सरकार ने की है नया सवेरा लाने की इस संकल्प के साथ भाजपा के मजबूत नेतृत्व के मार्गदर्शन से निश्चित रूप से पूर्णतः को प्राप्त करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बुन्देलखण्ड से आती हूँ और मैं जिस विधान सभा से आती हूँ वह हमीरपुर जनपद की राठ विधान सभा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी की मैं पहली बार विधायक निर्वाचित होकर आई हूँ। मैंने बुन्देलखण्ड के किसानों की दुर्गति देखी है। पिछली सरकारो के सिर्फ भाषण में ही बुन्देलखण्ड रहता था, पर जमीन पर उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ जिससे हजारों युवाओं और किसानों का पलायन हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, जो बुन्देलखण्ड विकास निधि हमारे बुन्देलखण्ड के विकास के लिए दी जाती थी उसका पिछली सरकारो ने खूब दुरुपयोग किया है। पिछली दो सरकारों के कार्यकाल में उस पूरी विकास निधि का उपयोग कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए मण्डिया बनवाने अथवा लोक निर्माण विभाग के कामों में इस्तेमाल किया गया है। इस आशय को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सर्वप्रथम किसानों का ऋण माफ करके किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। वहीं दूसरी ओर सरकार बनते ही 36 लाख टन की गेंहू की खरीद किसानों से करके उन्हें लाभान्वित किया गया है, जबकि पिछली सरकार ने सिर्फ 12 लाख टन गेंहू की खरीद की थी। मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में बीमा धारक की मृत्यु पर अधिकतम पांच लाख रुपये निर्धारित किया गया है जिसका प्रीमियम राज्य सरकार पे करेगी। कृषकों की उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु डिजिटल पेमेण्ट की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 20 कृषि केन्द्र भारत सरकार की मदद से आरम्भ करने का लक्ष्य हमारी सरकार का है। वर्ष 2022 तक प्रदेश के किसानों की कृषि आय को दोगुना करने का रोड मैप हमारी सरकार ने तय किया है उस पर हम लोग आगे बढ़ना प्रारम्भ कर रहे हैं। सिंचाई के क्षेत्र में सरयू नहर परियोजना एवं बुन्देलखण्ड की अर्जुन सहायक परियोजना है उसके लिए जो बजट प्रस्तावित किया गया है वह बुन्देलखण्ड के किसानों के लिए बड़ी सौगात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिंचाई मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि हमारा बुन्देलखण्ड का इलाका बहुत ही पहाड़ी इलाका है और पथरीला है। हमारे जनपद में पत्थर तोड़ने वाली मशीन की उपलब्धता नहीं है जिसके कारण सिंचाई एवं पेयजल के लगने वाले नलकूप सफल नहीं हो पाते हैं। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर यह हम लोगो के लिए हो जायेगा तो वाकई किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। मैंने पूर्व की सरकारों के बजट को पढ़ा है एवं सुना है। हमने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात सुनी है, तो पांच साल समाजवादी बजट की बात भी सुनी है, लेकिन सर्वजन सुखाय के नाम पर पूरे प्रदेश में वैधानिक रूप से जमकर लूट खसोट की गई है। मुझे समाजवाद समझ नहीं आया। डा0 लोहिया का समाजवाद या सिर्फ समाजवादियों का परिवारवाद, या सर्वजन हिताय के विपरीत जातिवाद को लक्ष्य बनाकर बारी-बारी से लूटने का प्रयास किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्या, कृपया आप अब बैठिये। आप जो कागज लिये हुये हैं, वह बहुत बड़ा है।

श्रीमती मनीषा अनुरागी-

माननीय अध्यक्ष, अभी काफी सारी बाते मेरे विधान सभा की रह गई हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सारी बात आ गई है, अब आप अंतिम कुछ लाइने बोल दीजिये। आप आखिरी पन्ने पर जाईये। आप पहली बार बोल रही हैं और बहुत अच्छा बोल रही हैं। बहुत अच्छा भाषण है आपका।

श्रीमती मनीषा अनुरागी-

माननीय अध्यक्ष जी, हम डा0 लोहिया की बात करते हैं लेकिन विकास एक ही परिवार पर केन्द्रित होता हुआ प्रदेश की जनता ने देखा है। यह समाजवाद की परिभाषा रही है। यदि उनका बस चलता तो परिवार का नवजात भी संवैधानिक पद पर आसीन होता। जहां विचारों का चिराग बुझ जाता है वहाँ क्रांति का युग आता है। पिछली सरकारों के बजट में बस एक ही वाक्य रहता था कि यह बजट अल्पसंख्यक के लिए है। अगर यह बजट अल्पसंख्यक के लिए था तो मैं मानती हूँ कि मुख्य मंत्री भी रामपुर से होता। जहां बहुसंख्यकों की भावनाओं पर कुठाराघात किया है। अयोध्या में रामलीला की बरसों पुरानी परंपरा पर रोक लगा दी। हमारी सरकार का वास्तव में 'सबका साथ, सबका विकास' लेकर चलती है।

श्री अध्यक्ष-

आप बजट का समर्थन कर रही हैं, ना?

श्रीमती मनीषा अनुरागी-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। आपकी बात को मानते हुए मैं इस बजट पर अपनी बात बहुत जल्दी समाप्त करती हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ बुन्देलखण्ड में जो बिजली बनती थी लेकिन पिछली सरकारों में बुन्देलखण्ड की बिजली बुन्देलखण्ड को नहीं मिलती थी। हमारी सरकार के बनते ही बुन्देलखण्ड को बिजली मिलने लगी है। पहले सिर्फ 8-10 घण्टे ही बिजली मिलती थी, बट अब 18 घण्टे, 20 घण्टे और 24 घण्टे बिजली मिलने लगी है। यह बहुत ही बड़ा और सराहनीय कदम है। (सत्तापक्ष द्वारा मेंजों की थपथपाहट) मा0 अध्यक्ष जी, मैं इस बजट के समर्थन के लिए खड़ी हुई हूँ और मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आप बजट भाषण पर पहली बार बोंली और बहुत अच्छा बोंली।

श्री प्रमोद उटवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद। मा0 योगी जी की सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में बहुत अच्छी चल रही है। जो कि पिछली सरकारों में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। आज प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं और गुण्डे-अपराधी बिल्कुल बक्से नहीं जा रहे हैं। जिसके तहत हमारी सरकार ने एण्टी रोमियों दल का गठन किया है और एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर ग्राम सभा शासकीय भूमि संपत्ति के अवैध कब्जे तथा नियम के विरुद्ध पर प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसके चलते प्रदेश की जनता सुरक्षित नजर आ रही है। मैं यह कहूंगा कि मेरे

जिले में जो 25-25 हजार के इनामी बदमाश थे वह थाने में जाकर कह रहे हैं कि मुझें बचाव और जेल में बन्द कर लो। ऐसा डर इन गुण्डों में भर गया हैं। इसके लिए मैं मा0 मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आज प्रदेश का किसान खुशहाल नजर आ रहा है। हमारी सरकार ने किसानों के हित के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की है। जैसे- 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' इसके अंतर्गत 9 हजार 713 करोड़ 29 लाख रूपये का बीमा कराया गया है। हमारी सरकार द्वारा इस बजट में किसानों की खुशहाली के लिए लघु सिंचाई के तहत निःशुल्क बोरिंग योजना 136 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है और भी अनेकों योजनाएं इस बजट में किसानों के लिए प्रस्तावित हैं। जिसके लिए मैं मा0 मुख्यमंत्री जी और मा0 कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, प्रदेश सरकार ने निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए नई योजना प्रारम्भ की है। इस योजना को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रारम्भ किया गया था। मैंने अपनी विधानसभा में मुफ्त बिजली कनेक्शन बांटे है। जिसके मा0 मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष जी, जब से प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया है जो कि राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। यह अभियान महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर, 2014 को आरम्भ किया गया था। जो सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश के लिए देखा था। उस मिशन पर प्रदेश सरकार द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाये जा रहे हैं जिसके लिए मैं मा0 मुख्यमंत्री जी और नगर विकास मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष जी, गन्ना किसानों के लिए प्रदेश सरकार 31 जनवरी 2018 तक 11 हजार 337 करोड़ रूपये का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है जोकि गत वर्ष के सत्र के लिए किये गये भुगतान से 37 प्रतिशत अधिक है। मा0 गन्ना मंत्री जी के सहयोग से हमारे प्रदेश के किसानों को, जिनकी प्रमुख फसल गन्ना है 80 लाख क्विंटल उत्तमशील गन्ना, बीज गन्ना किसानों को उपलब्ध कराया गया है। कुछ शुगर मीलें जो बन्द अवस्था में थी गन्ना किसानों की स्थिति में फसल का कोई मूल्य नहीं मिल पाने के कारण उन्हें फिर से चालू कराया गया। मेरी विधानसभा जिसमें दो शुगर मील पड़ती हैं। जिसके द्वारा प्रदेश सरकार के शासनकाल में किसानों का इस क्षेत्र में लगभग पूरा भुगतान कराया जा चुका है।

जिसके लिए मैं प्रदेश के समस्त गन्ना किसानों की तरफ से मा0 मुख्यमंत्री जी और मा0 मंत्री श्री सुरेश राणा जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं बहुत पिछड़ी विधान सभा, पुरकाजी से आता हूँ जो उत्तराखण्ड की सीमा से लगी हुयी है। मेरे यहाँ पर एक सोनाली नदी पड़ती है। उसमें कम से कम 25 गांव आते हैं, वह बाढ़ से पीड़ित हैं। कई बार वहाँ पर बाढ़ में जानवरों और जनमानस को बहुत नुकसान हुआ। तो वहाँ बांध बनाने की मैं आपसे अपील करता हूँ। वहाँ पर उत्तराखण्ड वालों ने तो अपनी तरफ बांध बना लिया है मगर हमारी तरफ जो सोनाली नदी पड़ती है वहाँ बांध नहीं बना है। मैं इस विषय पर बांध बनाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा में एक गांव रोहाना पड़ता है। वहाँ 59 मिटटी का पुल बन रहा है। जो कि वहाँ एक गन्ना मील पड़ती है एक इंटर कालेज है, विकसित बाजार भी है, वहाँ सभी क्षेत्रवासी चाहते हैं कि उस पर मिटटी का पुल न बनकर केवल एक किमी0 पिलर पर पुल बन जाये। मैं इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। जय हिन्द जय भारत। धन्यवाद।

***हाजी इरफान सोलंकी-**

मा0 अध्यक्ष जी सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ कि आपने बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत देर से हमारी बहने और सभी लोग शेर और शायरी की बात कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

आप भी शेर सुना दीजिए।

हाजी इरफान सोलंकी-

हम तो एक ही बात कहते हैं कि एक सलीका है आरजू का और न बंदगी मेरी बंदगी है, यह सब करम तुम्हारा है कि बात अब तक बनी नही है। क्योंकि बगैर उनके तो कुछ होता नही है। मैं कानपुर शहर से आता हूँ जनाब और बहुत ही पिछड़ी मेरी विधान सभा है। जिला योजना में आपके डिप्टी सी0एम0 साहब गये थे। और वहाँ पर उन्होंने जिला योजना में आर0एस0एस0 मुख्यालय के बाहर हमने एक नलकूप की बात कही थी। कई बार हमने सुरेश खन्ना जी के भी संज्ञान में लाना चाहा तो उन्होंने कहा था कि बन जायेगा। पिछला एक साल बीत गया जनाब। वह कोई मुस्लिम इलाका नहीं है कोई दलित इलाका नहीं है। जनाब एक साल हो गया। वहाँ पर आर0एस0एस0 भवन है। कारोबारू नगर कहा जाता है। जो लोग भी कानपुर से आते हों या जिनको भी यह पता हो। मुख्यालय है। उसके बाद भी वहाँ पर भी नलकूप नहीं लगाया। हमारे कई बार जिला योजना में प्रस्ताव गये, यहाँ पर भी आये। कई बार संदेश आ जाता है कि बजट में पैसा नहीं है। तो पिछले साल का जब पैसा खर्च नहीं हुआ नया बजट फिर आ गया। यह तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो गयी कि पैसा खर्चा नहीं करेंगे और पैसा और चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मा0 मुख्यमंत्री जी तो पूरे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री हैं या चंद विधायकों के लिए हैं। यह हमें नहीं मालूम। मैंने बहुत से प्रस्ताव भेजे। बहुत से इलाज के लिए मैंने प्रस्ताव भेजे। उसमें भी वह पैसा नहीं भेजते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर हम लोगों के क्षेत्र में ही काम नहीं होगा तो वह इलाके ऐसे इलाके हैं जहां पर 56 से ज्यादा मलिन बस्तियां हैं। आज भी वहाँ दिक्कत हो रही है। जब हमारी सरकार थी जब बहुत ही अच्छा चल रहा था। इनके आते ही सबसे पहले तो वहाँ लाइनें काट दी गयी। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप वहाँ के डी0एम0 साहब या कमिश्नर साहब से कहें। वहाँ पर संज्ञान लें। वहाँ पर बिलकुल त्राहि-त्राहि मची हुयी है। नाली और नाले तो बंद हैं। जो सीसामऊ नाला जो सबसे बड़ा नाला है। जो गंगा जी में पानी ले जाता है। आपको याद होगा कि श्री सुरेश खन्ना जी ने यहाँ पर कहा था कि इलाहाबाद में पूरी सफाई हो गयी है। तो हमने कहा था कि जब इलाहाबाद में गंगा का पानी साफ हो रहा है तो इसका मतलब कि कानपुर में पानी साफ हो गया होगा। वही बात मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी भी कानपुर शहर में सारी टेनरियां इसलिए बंद हैं कि कानपुर की टेनरियों का गंदा पानी गंगा में जा रहा है। अगर वहाँ का गंदा पानी गंगा में जा रहा है तो फिर इलाहाबाद में गंगा कैसे साफ हो गयी। जब दिसम्बर में हाउस चल रहा था तो सुरेश खन्ना जी ने यहाँ पर कहा था, हाउस को गुमराह करने की कोशिश की थी। और यह कहा था इलाहबाद में पूरी गंगा साफ हो गयी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब पीछे ही गंगा साफ नहीं है तो आगे गंगा कैसे साफ हो गयी? यह बात हमे समझ में नहीं आ रही है। मान्यवर, कोई जादू होगा अथवा इनके पास कोई फार्मूला होगा कि पीछे गंदा होता रहे और आगे गंगा साफ हो जाए। मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारी विधान सभा में एक ''नमामि गंगा'' योजना चल रही है। उसमें भी हमारी विधान सभा के ऐसे बहुत से इलाके हैं जो छोड़ दिये गये हैं जिसकी वजह से गंदा पानी गंगा में जा रहा है। मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा बहुत पिछड़ी विधान सभा है जिसमें बहुत से ऐसे इलाके हैं जो पेय जल और नलों से जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि :-

''तू इधर-उधर की बात न कर, यह बता कि काफिला कैसे बीता।
मुझे रह भरोसे गिरा नहीं, तेरी रह बरी का सवाल है।।''

क्योंकि आप ही को आगे जाना है और आप ही को काम करना है। एक बात और कहूंगा मैं मजहबे इस्लाम को मानने वाला हूँ। मेरा मजहब इस्लाम है और मेरा मजहब यह नहीं कहता कि आप ईंट न बनाइये, आप गोले न बनाइये। मेरा मजहब कहता है कि आप सबके यहाँ जाओ, प्यार और संदेश ऐसा दो कि आपके मजहब के साथ-साथ उसके मजहब का भी सम्मान हो। मैंने यह बात इसलिए कही कि थोड़े दिन पहले अखबार में छपा था जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया ने यह कहा कि मैं ईद नहीं मनाता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वह क्या नहीं मनाते हैं और क्यों नहीं मनाते हैं ? लेकिन इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ कि :-

''मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना,
हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा''

हिंदुस्तान में रहने वाले हम सब लोग एक ऐसे धागे से जुड़े हुए हैं जो हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करते हैं। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। जय-हिंद, जय-भारत।

श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

मान्यवर, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया आपका और इस मा0 सदन का बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, यह जो बजट पेश किया गया है यह अब तक का उ0प्र0 का सबसे अच्छा और हर तबके का ख्याल रखने वाला बजट पेश किया गया है। इसकी तारीफ जितनी ज्यादा की जाए उतना ही कम है। मान्यवर, मैं बुंदेलखण्ड के जनपद बांदा के तिन्दवारी विधान सभा से आता हूँ और इस बजट में बुंदेलखण्ड के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है जिसमें बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखण्ड में विशेष पलायन की जो समस्या होती थी वहाँ का बेरोजगार पलायन करके दिल्ली और बाहर रोजगार की तलाश में जाता था। बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे बनने के बाद में वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है जिससे वहाँ पर रोजगार के साधन निर्मित होंगे। जिसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को, मा0 वित्तमंत्री जी को और भाजपा सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। मान्यवर, जब उ0प्र0 की बागडोर भारतीय जनता पार्टी ने सम्भाली थी उस समय हम लोगों को बीमार उ0प्र0 मिला था। जहां से गड्ढे शुरू होते थे वहाँ से उ0प्र0 शुरू होने की पहचान मानी जाती थी। जहां जिस समय सूर्यास्त के पश्चात् अंधेरा होता था वहाँ से उ0प्र0 की पहचान होती थी। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उ0प्र0 की

सरकार ने इस प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया है। जिसका मतलब है कि आपकी सरकार ने हमें गड्ढे दिये थे और हमने उन गड्ढों को भरने का काम किया है। मान्यवर, हमारा किसान भाई जो आत्महत्या करने पर मजबूर था, लेकिन मा0 योगी सरकार बनने के बाद में हमारा किसान भाई खुशहाल हुआ और कैबिनेट की पहली ही बैठक में 86 लाख किसान भाईयों का उ0प्र0 में 36 हजार करोड़ रुपया माफ किया गया। मान्यवर, यह एक ऐतिहासिक फैसला किसान भाइयों के लिए हुआ है। मान्यवर, पूरे उ0प्र0 में गुंडाराज, आतंकवाद, भ्रष्टाचार चरम पर था। तमाम जमींने पूर्व की सरकारों के लोगों ने कब्जा कर रखी थीं। हमारी सरकार ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स गठित करके आठ हजार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि उनसे छुड़वाई है और 15 सौ भू-माफिया चिन्हित किये हैं इसके लिए भी मैं अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, वन-डिस्ट्रिक-वन-प्रोडेक्ट के माध्यम से जिले-जिले के जो कुटीर उद्योग थे जिनकी देश-दुनिया में पहचान नहीं थी मा0 मुख्यमंत्री जी ने वन-डिस्ट्रिक-वन-प्रोडेक्ट को लेकर उसे बढ़ाने का काम किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल ही घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए वह चार लाख नई भर्तियां निकालने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष जी जो समूह ग और समूह घ की भर्तियां होती थी, जिसमें इंटरव्यू की व्यवस्था थी, जो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ही था। जिसका पैसा पहुंच जाता था उसको ही नौकरी मिल जाती थी। हमारी भाजपा सरकार ने समूह ग और घ में इंटरव्यू को समाप्त करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, सारा विपक्ष एक हो गया है। अब हमारा उत्तर प्रदेश चमकने लगा है, वह विकास की राह पर चल पड़ा है, दौड़ पड़ा है तो सारा-का-सारा विपक्ष एक हो गया है और जो यह गठबंधन हुआ है उसे हम गठबंधन तो नहीं कह सकते ठगबंधन हुआ है और मान्यवर, जनता सवाल पूछ रही है समाजवादी पार्टी से भी सवाल पूछ रही है और बहुजन समाज पार्टी से भी सवाल पूछ रही है कि 2 जून 1995 की घटना की सच्चाई क्या है? क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो भी उस समय थे, क्या उन्होंने मायावती जी से माफी मांगी है? अगर नहीं मांगी है तो क्या मायावती जी यह बताने का कष्ट करेंगी कि जो आरोप उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लगाए थे क्या वे असत्य थे?

श्री अध्यक्ष-

आप बजट पर बोलिए।

(कई सदस्यों के साथ एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

(व्यवधान के मध्य) माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरा उत्तर प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार की तरफ बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जगह-जगह पर पकौड़े जैसे रोजगार को भिखारी के समान बता दिया। इनकी नजर में छोटा कारोबारी-छोटा व्यवसायी, क्या वह कोई रोजगार नहीं करता? क्या यह रोजगार नहीं है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेसियों की नजर में सिर्फ 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला बोफोर्स घोटाला ही रोजगार है।

(व्यवधान)

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' एवं अन्य सदस्यों के आपत्ति करने पर)

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया है।

श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मेहनत-मजदूरी के साथ अपना जीवन-यापन करना चाहता है तो वह बड़े सम्मान के साथ अपना रोजगार कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी के लोग हमेशा जातिवाद की राजनीति करते हैं और जातिवाद का प्रमाण मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने दिल्ली में बैठकर कहा था कि राहुल गांधी जनेऊधारी उच्च स्तरीय हिंदू हैं। मैं सवाल पूछता हूँ कि आज भी बहुसंख्यक हिंदू जनेऊ धारण नहीं करता है। क्या वह हिंदू नहीं है?

श्री अध्यक्ष-

इसका बजट से क्या सम्बन्ध है? जनेऊ का इस बजट से क्या सम्बन्ध है? आप कृपा करके इसे बजट से जोड़ डालिए।

श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

इसका मतलब साफ है कि आज भी ये लोग देश को अलग-अलग टुकड़ों में बांटने की भावना रखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इतना अच्छा बजट हमारी सरकार ने पेश किया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिए।

श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

माननीय अध्यक्ष जी, आज से पहले उत्तर प्रदेश का जो उद्योगपति था वह भी पलायन करके दूसरे प्रदेश में चले जाने को मजबूर होता था परन्तु जब से भाजपा सरकार बनी है तब से आज उत्तर प्रदेश का उद्योगपति ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और दुनिया के अन्य इलाकों के उद्योगपति भी हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स समिट ने 4.28 लाख करोड़ का निवेश करने के लिए आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश की जो लोकप्रिय-जनप्रिय सरकार है, उसके जनहित के कार्यों को इनसे देखा नहीं जा रहा है इसलिए तरह-तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं। अंत में मैं इस बजट का समर्थन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक व्यवस्था रही है कि अगर किसी नेता का नाम अगर इस सदन में लिया गया है या किसी पार्टी पर कोई टिप्पणी की गई है तो उस पर दो मिनट अपनी बात रखने का अधिकार होता है।

श्री अध्यक्ष-

नेता का कोई नाम उन्होंने लिया है क्या?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, उन्होंने 2-जी स्पेक्ट्रम का नाम लिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने तो एक घटना का उल्लेख किया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले को स्पष्ट कोर्ट ने निराधार बताया है। लेकिन झूटा मामला उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए, उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया है, आप बैठिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, दूसरी बात इन्होंने पकौड़े पर बात की, अध्यक्ष जी, इन्हीं के नेता ने तो पकौड़े की बात शुरू की थी।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए सदन नहीं है। अजय कुमार जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और अपने दल के नेता हैं, यह शोभनीय नहीं हैं, यह बिल्कुल शोभनीय नहीं है। आप बैठिए, आप हर बात पर अनावश्यक खड़े हो जाते हैं। नरेश जी, आप भी बैठिए। आप भाषण करिए, सारा सदन भाषण सुनने को तैयार है, आप भाषण करिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा ...

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी नेता का नाम नहीं लिया, आप क्या तमाशा बनाते हैं। आप बिना नियंत्रण के बोलते हैं तो बोलिए, हम सुनेंगे। हम आपका आदर करते हैं, आप बोलिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, हम आपका पूरा सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

फिर क्यों खड़े हो गए, आप सीनियर आदमी हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, आप परिपाटी निकाल कर देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

परिपाटी खूब पढ़े हैं, हम इसी सदन के सदस्य रहे हैं, कृपया आप हमें परिपाटी न पढ़ाइये, हम आपके घर आकर पढ़ लेंगे, हमको आप कल समय दीजिए और नियमावली पढ़ा दीजिए, मैं आपका आदर मानूँगा।

श्री अजय कुमार-

अध्यक्ष जी, यह सदन की परम्परा रही है कि अगर किसी नेता का नाम लिया जाता है

श्री अध्यक्ष-

पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिया जाता है, उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

इन्होंने नाम लिया है, कार्यवाही दिखवा लीजिए, राहुल गांधी जी का इन्होंने नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष-

हमने नहीं सुना। हम कार्यवाही देख लेंगे। लेकिन अब आगे आप क्या चाहते हैं? अगर भाषण करना चाहते हैं तो करिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, अगर इस तरह से आप नाराजगी व्यक्त करेंगे और हमें संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा?

श्री अध्यक्ष-

आप तो आधे घण्टे से बोल रहे हैं, बोलिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, इन्होंने यहाँ इस बात को कहा कि राहुल गांधी..

श्री अध्यक्ष-

आप इस बात को तीन बार कह चुके हैं, अब क्या चौथी बार कहेंगे?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

अध्यक्ष जी, अगर नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल को एतराज है नाम पर तो अगर उसमें नाम आया है, आप उसे देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

वह तो मैंने पहले ही कहा है।

श्री नरेश सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया, आपका शुक्रिया, धन्यवाद।

(कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें।

क्या यह उचित है कि जैसे उधर का कोई माननीय विधायक बोल रहा है, उसका अपना एक विचार है, उसके विचार प्रकट करने में कहीं कोई निन्दा सरकार की होगी, यह स्वाभाविक है। इधर से भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर उधर से कोई बात कही गयी है तो दल की आलोचना होगी, इसमें बहुत ज्यादा गंभीर हो करके चिल्ल-पों मचाना, यह हम समझते हैं कि मेरे संचालन में कोई त्रुटि है, मैं उसे नियन्त्रित नहीं कर पा रहा हूँ, एक बात। अभी जब मैंने माननीय नरेश सैनी जी को पुकारा तो बैठे-बैठे टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता थी, आप हमारा सहयोग करिए, सुनिए।

अब माननीय नरेश सैनी जी बोलें।

'श्री नरेश सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया वह सुना भी और पढ़ा भी गया, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि उसे सुनकर पढ़कर निराशा हुई कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कोई भी बजट कोई भी योजना इस बजट में नहीं है और सहारनुपर से जो उत्तराखण्ड की सीमा है वहाँ से लोनी तक एक सड़क निकली थी 2007 में यमुनोत्री हाई-वे और उस सड़क का टेण्डर भी हो चुका था और इस टेण्डर के हो जाने के बाद उस पर कार्य भी प्रारम्भ हो गया था और उसके बावजूद 5 साल वह बन्द रहा और माननीय सत्यपाल जी जो केन्द्रीय मंत्री हैं उनका भी बयान आया लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ और उसके लिए कोई बजट का प्राविधान नहीं किया गया। दिल्ली से लेकर उत्तराखण्ड की सीमा तक चार-पांच डिस्ट्रिक्ट लगते हैं उसके विकास के लिए जो सबसे पिछड़ा एरिया पड़ता है पश्चिम उत्तर प्रदेश का वह पिछड़ चुका है केवल उस हाई-वे की वजह से, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार से आप इसके लिए बजट की व्यवस्था कराने का काम करें। इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जो गन्ना किसान की बात सरकार बहुत ज्यादा कर रही है। गन्ना किसानों की हितैशी सरकार सबका विकास सबकी बात करने वाली सरकार मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब बैठे हैं गन्ना शुगर फैक्ट्री सरसांवा और उसका पिछले साल का भुगतान रूका हुआ है। गन्ने का शुगर फैक्ट्री का पिछले साल का पेमेन्ट भी रूका हुआ है। इस साल के हालात गन्ने के बहुत बद् से बद्तर हैं, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जो पिछली बार का जो गन्ने का पेमेन्ट हैं उसको भुगतान कराने का आदेश सरकार को दें। एक प्रस्ताव लेकर आये जो गन्ने का पिछला भुगतान था उसको जल्द से जल्द कराने का कष्ट करें। इसके साथ-साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो आप किसानों के लिए हर साल मार्च में जो योजना आती थी, ओ0टी0एस0 ब्याज की छूट होती थी इस बार बिजली पर कोई भी छूट नहीं दी गयी और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस योजना को पुनः लागू किया जाये जिससे किसान को लाभ मिले। चूंकि उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, खिलाड़ियों का प्रदेश है इसमें खिलाड़ियों के लिए कोई भी व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गयी केवल ऊंट के मुह में जीरा जैसा बजट दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए, मेरे क्षेत्र में एक स्पोटर्स कालेज है वह अधूरा पड़ा हुआ है 10 साल से उसके लिए बजट की व्यवस्था कराई जाये जिससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा विधान सभा क्षेत्र जंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। उत्तराखण्ड से लेकर हरियाणा हिमांचल की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ शिवालय की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर जो हमारा जंगल है वह कई हजार बीघा कट चुका है, खाली पड़ा है। उसमें नये पौधे, नये जंगल विकसित कराने का काम किया जाये और यह भी प्रयास किया जाये कि जो हर साल पेड़ लगते हैं उस जंगल में वह पेड़ लगाने के साथ-साथ कितने पेड़ हरे रहते हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पेड़ तो हर साल लगते हैं लेकिन पेड़ लगने से पहले ही सूख जाते हैं इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर टैंकरों के द्वारा या नलकूपों के द्वारा पानी की व्यवस्था इस क्षेत्र में कराई जाये जिससे वन के साथ-साथ वन ही जीवन है, इस पर भी काम किया जाये और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ का वाटर लेवल बहुत गहरा है, किसान भी दुखी है और आम आदमी भी पीने के पानी के लिए भी तरसता है, उसके लिए आप बड़ी योजनायें चाहे सामूहिक ग्राम योजना हो चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो उसके लिए पेयजल और किसान के लिए पानी की पूरी व्यवस्था की जाये। इसके साथ-साथ मैं इस सदन के प्रतिपक्ष नेता के साथ अपने विचारों को जोड़ता हूँ, कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू जी के साथ अपने विचारों को जोड़ता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मौका दिया। जय हिन्द, जय भारत।

श्रीमती सावित्री कठेरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट में बोलने का मौका दिया है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमें इन लोगों ने पिछली सरकार में विरासत में चीजें दी थी जो बिजली की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं उसमें इन्होंने क्या किया? हमारी सरकार किसानों की, गरीबों की सभी की हितैषी है, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, महिलाओं की हितैषी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं किया था। यह वोट तो सभी का चाहते हैं, लेकिन विकास कुछ का चाहते हैं। हमारी विधान सभा क्षेत्र भरथना जिला इटावा में आती है ये मध्य प्रदेश से जुड़ी सीमावर्ती विधान सभा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी विधान सभा में पांच-पांच नदियों का यहाँ संगम पंचनदा है। माननीय अध्यक्ष जी मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर पर्यटन की व्यवस्था की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे हमारी विधान सभा में चकल नगर ब्लॉक पड़ता है। उसमें जो क्षेत्र है उसमें आवागमन की कठिनाई है। वहाँ से पढ़ने-लिखने में बहुत बच्चों को पढ़ने में असुविधा होती है, वहाँ की सड़क की व्यवस्था की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, एक और सड़क है जो बिरौनाबाग में है वहाँ अगर सड़क नहीं है जब बरसात होती है तो दो-तीन महीने तक वहाँ के जो लोग हैं जिनको आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है तो नहीं निकल पाते हैं वहाँ सड़क की व्यवस्था की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो सराहनीय है, मैं बजट का समर्थन करती हूँ और आपने बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

कहां गायब थी आप?

श्रीमती सरिता भदौरिया-

सर यही गए थे।

श्री अध्यक्ष-

बोलिये।

श्रीमती सरिता भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट पर हो रही चर्चा के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक औरों से अलग हैं। हमारी विचारधारा में हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम समाज बनाने के लिए भी राजनीति करते हैं और हम देश बनाने के लिए भी राजनीति करते हैं और किसी भी अच्छे समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम शिक्षा के क्षेत्र में दलगत भूमिका के निर्वहन को छोड़कर ईमानदारी से शिक्षा की बात करे। मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे इस बजट में बजट का एक बड़ा अंश 63 हजार 2 सौ 13 करोड़ रुपये एक बड़ा हिस्सा

शिक्षा के क्षेत्र को दिया गया है। मेरा यह मानना है कि जब पढ़ेगा इण्डिया, तभी बढ़ेगा इण्डिया। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में नौजवानों की संख्या बहुत है और नौजवानों को शिक्षित करने के लिए हमारे यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से निश्चित ही हमारे प्रदेश के नौजवान अपनी-अपनी प्रतिभा के अनुसार अपनी-अपनी कौशलता और क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार पा सकते हैं, क्योंकि सारे लोग न तो नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं और न सारे लोग अपनी आर्थिक जीविकोपार्जन के लिए कोई और व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि हम एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 12 लाख लगभग विद्यार्थियों ने बोर्ड की परीक्षा छोड़ी है, ये चिंता का विषय है। ये किसी भी दल के लिए उस दल की राजनीति करने वाले विधायकों के लिए ये व्यक्तिगत विषय नहीं है, लेकिन फिर मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन से छूटा करते हैं, मिट्टी के बने हुए हम प्याले हैं टूटा करते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में उन 12 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा क्यों छोड़ी? इस पर पक्ष और विपक्ष को मिलकर सहमति बनाकर कुछ न कुछ निर्णय निकालना चाहिए और आगे की शिक्षा की नीति में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन करते हुए बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक और मानना है। जब मैकाले भारत आया और भारत भ्रमण के बाद जब वापस गया तो उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। उसने कहा कि भारत की एकता और अखण्डता को कोई खत्म नहीं कर सकता। भारत में संस्कार, भारत में संस्कृति विद्वानों के मस्तिष्क में विराजमान है। वहाँ पर अगर कोई पुस्तकालय हो, कोई यूनिवर्सिटी हो तो हम उसको जलाकर समाप्त कर दें क्योंकि कोई भी देश तब गुलाम बनाया जा सकता है जब उस देश के लोगों के संस्कार खत्म कर दिए जाएं। जब उस देश के लोगों की धार्मिक भावनाओं को समाप्त कर दिया जाए इसलिए उसने अपने पिता को लिखे हुए एक पत्र में लिखा कि भारत को हम समाप्त नहीं कर सकते। भारत में जो संस्कार हैं, भारत में जो संस्कृति है, भारत की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वे भारत के विद्वानों के मस्तिष्क में मोबाइल यूनिवर्सिटी की तरह काम कर रही हैं इसलिए हम भारत को समाप्त नहीं कर सकते। आज अवसर है उस व्यवस्था को बदलने का। हमको चाहिए कि अगर हमें अपने देश को आगे ले जाना है तो निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में सारी बातों को भुलाकर एकजुट होकर, एक साथ खड़े होकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमने प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक हर गरीब के सिर पर छत देने की बात कही है। 09 लाख परिवारों के पंजीकरण हुए जिसमें से 08 लाख 87 हजार आवास हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं। एक बहुत अच्छा काम हमारी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि अब गरीब की बेटी केवल गरीब की नहीं है। अब गरीब की बेटी सरकार की है और गरीब चिन्तामुक्त हो जाए। सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। इसके लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा दिया गया है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से शिक्षा को तोड़कर किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता को तोड़ने की बात हमारे देश में कही जाती थी। ठीक वैसे ही आज हमारी धार्मिक मान्यताओं पर हमारी पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। मैं किसी भी सरकार पर आक्षेप नहीं लगाना चाहती लेकिन मुझे वह गाना याद आता है। गाने के बोल थे कि सासू तीरथ ससुरा तीरथ और तीरथ साला-साली है लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के बाद इस

उत्तर प्रदेश में हमारी उन धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए भी तीर्थों के विकास की व्यवस्था नहीं की गई। अब तक किसी भी सरकार ने अपने बजट में, जो व्यवस्था हमारे धार्मिक स्थलों की होनी चाहिए थी, नहीं की। केवल और केवल सैफई को अपना तीर्थ बनाया। सैफई में महोत्सव होगा, सैफई में एयरपोर्ट बनेगा, सैफई में पी0जी0आई0 बनेगा। मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ कि पिछली सरकार ने जो किया, सो किया लेकिन आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे उन धार्मिक स्थलों को मान्यता देकर बजट का एक बड़ा हिस्सा दिया है। कैलाश मानसरोवर भवन के लिए 94 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से देने का काम किया है। रामायण परिपथ स्थल, राम जन्म भूमि स्थल, ब्रज कृष्ण परिपथ स्थल, बौद्ध परिपथ स्थल के लिए 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। मैं कह रही हूँ कि कौन चिन्ता करेगा हमारे उत्तर प्रदेश की। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि राम की मान्यता विदेशों में भी है। राम को लोग विदेशों में भी मानते हैं। आज उन राम के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हमने कुछ करने की बात कही है तो कुछ लोगों का विरोध हो रहा है, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो यह बात कह रही हूँ कि

हिन्दी अभिवादनों में सिरमौर हैं जो राम
कैसे मिलने पे राम-राम भूल जाओगे
स्फिटक शिला पे सीता माता के चरण चिह्न
चित्रकूट जैसा कैसे धाम भूल जाओगे।

हमारी धार्मिक मान्यताएं हमारे उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल हैं। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने हमारी आने वाली पीढ़ी से राम के आदर्शों के रास्ते पर चलने की बात कही, कृष्ण के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया। हमने किसानों के लिए अपने बजट में एक बड़ा प्राविधान किया। हमने महिलाओं के लिए 164 रेस्क्यू वैन चलाकर 181 वूमेन हेल्पलाइन की व्यवस्था की। हमने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के लिए दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगी। मुझे अटल जी की वे लाइनें सदैव याद आती हैं।

बाधाएं आती हैं आएं, घिरें प्रलय की घोर घटाएं
कदमों के नीचे अंगारे, सिर पर भी बरसें ज्वालाएं।

लेकिन हम सबको कदम मिलाकर चलना होगा। इस उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, इस उत्तर प्रदेश को देश में अग्रणी बनाने के लिए हम सबको एक-दूसरे का साथ देना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी केवल एक लाइन की बात है, मुझे अफसोस हो रहा है।

आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे इटावा को जब मुलायम सिंह का कहा जाता है तो मुझे अफसोस होता है। इटावा ने 2 लाख से अधिक वोटों से जिताकर आपको सांसद दिया इटावा ने 2-2 विधायक दिये इसलिए इटावा अब आपका है। इटावा को किसी और का कहना बंद कर दें यह

मेरी पीड़ा है जो मैं आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहती हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए केवल इतना कहूंगी किः-

''सीढियां उनके लिए हैं जिन्हें मंजिल तक जाना है।
सितारे हैं जिनकी मंजिल उन्हें पथ आप बनाना है।।''

आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ें हम सारे विधायक आपके साथ हैं। उस उत्तर प्रदेश को नयी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमारी इन्वेस्टर्स सम्मिट, हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो व्यवस्था है हमारी सरकार के द्वारा की गयी। मैं अपनी सरकार की व्यवस्थाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको बहुत-बहुत, धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

अब इटावा आपका है। आपका है और हम सबका है।

श्री असलम अली-

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया मैं आपका और पूरे सदन का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को अपने दल के नेता से सम्बद्ध करते हुए, विपक्ष दल के नेता से सम्बद्ध करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे सत्तापक्ष के विधायकों ने, मंत्रियों ने काफी आपके सामने बढ़ाईयां की और बात रखी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज इस बजट में किसान, मजदूर और गरीब के साथ जो घातक हो रहा है, जो उनके साथ धोखा किया जा रहा है चूंकि इस हिन्दुस्तान का किसान देश की बाउण्ड्री को रखाने का काम करता है। इस हिन्दुस्तान का मजदूर, इस हिन्दुस्तान का किसान इस जमीन के सीने को चीरकर इस देश की जनता को रोजी-रोटी देने का काम करता है, जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं अभी बिजली की बात आती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार चुनकर आया हूँ। मेरी हापुड़ जिले में धौलाना विधान सभा पड़ती है। जहां पर चार-चार बार भाजपा के सांसद मेरे सामने चुनाव लड़े थे। मैं उनको हराकर विधान सभा में आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मार्च-अप्रैल के महीने में किसान, मजदूरों को बिजली बिल में छूट दी जाती थी। माफी का टाइम दिया जाता था वह न होकर किसान, मजदूरों को जो कर्ज माफ करने का वादा किया था, मैंने माना कि कर्ज माफ हो गया। कुछ किसानों को कर्ज माफ हो गया। इसी के बदले आज किसान/मजदूरों से उनके बिजली के बिल के नाम पर उगाही करने के लिए मुकद्में दर्ज किये जा रहे हैं। अभी कल मेरी विधान सभा के पिलखुआ थाने के इंस्पेक्टर, सी0ओ0 ने बिजली वालों को बुलाकर पूछा कि आखिर मैं कितने मुकदमें दर्ज कर दूं। मैंने अपील की थी कि आप फसल आने तक का मौका दें। सभी सदस्य बैठे हैं जो गांव किसान से चुनकर आते हैं। किसान की फसल का टाइम अगले महीने आता है। किसान फसल आने के बाद बिल चुकाने का काम करता है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे के पूरे गांवों की बिजली काट दी जाती है। मैं बीसयों गांवों की बात आपको बता दूं जहां पूरे-पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। इसी के साथ इतना ज्यादा किसान के साथ धोखा होने के बाद चूंकि किसान, मजदूर और युवाओं ने आज इतने बहुमत से बीजेपी की सरकार बनायी। बीजेपी की सरकार अगर आई है,

सरकार बनी है तो यह किसान और मजदूर की देन है, युवाओं की देन है। युवा, किसान और मजदूर के साथ धोखा हो रहा है वह चाहे नौकरी के नाम पर हो रहा हो, चाहे ठगी के नाम पर हो रहा हो, चाहे उनकी लूट के नाम पर हो रहा हो अगर उन्होंने अंगड़ाई ले ली तो जो हाल अभी फूलपुर और गोरखपुर में हुआ है, सन् 2022 में भी वही हाल होगा। मैं यह अपील करता हूँ आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, सरकार से यह अपील करता हूँ कि किसान, मजदूर की अनदेखी न की जाए। किसान और मजदूर वह चीज हैं जो देश को रखाने का काम करते हैं किसान, मजदूर वह चीज है जो जमीन का सीना चीर कर हम जैसे यहाँ सब लोग बैठे हैं उनको रोजी-रोटी देने का काम करता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि किसान-मजदूर को चाहे बिल के मामले में हो और जो माफी की जो कमी हुयी है उसको पूरा करने का काम करें। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी केन्द्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की बात करती है। मेरी विधान सभा के अंदर 15-15 हजार वोटों के गांव हैं जिन में एक भी इंटर कालेज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपील करता हूँ कि 15 हजार वोटों का गांव जहां एक भी इंटर कालेज न हो वहाँ के बेटा-बेटी कैसे पढ़ाये जाएंगे। मैं यह अपील करता हूं चाहे देहरा गांव हो, दिहपा हो, नहाल हो, गालन्द हो ऐसे बसियों गांव 10-10 हजार वोटों के गांव मेरी विधान सभा के अंदर ऐसे हैं।

पूर्व के विधायक, पूर्व के सांसदों ने नहीं देखा तो मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अपील करता हूँ। मैंने लिखकर भी दिया, मैंने प्रश्न भी लगाया कि उन गांवों के अंदर इण्टर कालेज देने का काम करें। मैं इसी के साथ कहना चाहता हूँ मेरी विधान सभा के अंदर यू0पी0एस0आई0डी0 आती है, यू0पी0एस0आई0डी0 के बगल में गंग नहर होती है, गंग नहर का पुल बीसों साल से क्षतिग्रस्त पड़ा है, टूटा पड़ा है। उसके लिए मैंने लिखकर दिया तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपनी विधान सभा की बात रखना चाहता हूँ उस नहर के पुल को जो मसूरी गंग नहर है उसको बनवाने की कृपा करें। इसी के साथ-साथ भू-माफियाओं की बात होती है। अध्यक्ष जी, गांव के अंदर अगर पचास गज के अंदर किसी मजदूर ने, किसान ने मकान बना लिया किसी ने कह दिया तो एल0एम0सी0 में उनको हटाने का काम किया जाता है। जिन लोगों ने पांच-पांच दस-दस करोड़ रुपये की जमीनें मार्केट बना रखी हैं अभी मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया, लेटर पर हमारे एस0डी0एम0 तहसीलदार ने रिपोर्ट दे दी कि उसमें स्टे है जबकि स्टे 1248 खाते नम्बर पर है, वह मार्केट एल0एम0सी0 में जो नायब तहसीलदार, तहसीलदार की रिपोर्ट से वह मार्केट एल0एम0सी0 में बनी हुई है पंद्रह फुट की पट्टी रोड के किनारे हैं, उस मार्केट को न हटाने के कारण एस0डी0एम0 तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने मिलकर उसमें रिपोर्ट लगाकर भेजने का काम किया है कि कोर्ट से स्टे है जबकि अध्यक्ष जी, कोर्ट की स्टे 1248 खसरा नम्बर पर है और वह 1236 पर वह मार्केट बनी हुई है। ऐसे लोगों को क्यों नहीं कहा जा रहा क्योंकि वह पैसे के लेनदेन पर बात कर लेते हैं। निडौरी गांव के अंदर पचास-पचास गज में लोगों ने घर बना रखे हैं उन पर भू-माफिया का मुकदमा दर्ज किया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि गरीबों को न सताओ चूंकि गरीबों को जिसने सताया उसको कभी फरवा हल नहीं हुआ, नहीं होगा तो गरीबों को उजाड़ने का काम न करो, मालदारों को जो बसाने का काम कर रहे हो, मैं सबूत के साथ आपके सामने कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने साल भर इस हाउस में बहुत सुना है। स्लॉटर हाउस की बात की जाती है,

मेरी विधान सभा के अंदर आबादी में दो-तीन स्लॉटर हाउस चल रहे हैं जिनका पानी जमीन के अंदर उतारा जाता है। पड़ोस के गांव के अंदर बदबू के मारे रहा नहीं जाता है। सरकारी नलों में इतना गंदा पानी आता है कि वह पानी पिया नहीं जा सकता। उसका नमूना मैंने डी0एम0 साहब को भी दिया था। मैं कहना चाहता हूँ कि गरीब मजदूर, किसान के साथ चूंकि मेरी विधान सभा किसान मजदूर की है तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ। मैंने स्लॉटर हाउस के बारे में लिखकर भी दिया था तो वहाँ जी0डी0ए0 से क्या आया जिस हिंदुस्तान के कानून के अंदर कहीं अगर ऐसा हो कि मानचित्र पास न हो और उससे पहले फैक्ट्री चल जाये कई-कई साल से, अरे क्या ढोंग है, क्या सरकार का ढोंग है, क्या पैसे के दम पर उन लोगों का मानचित्र आज तक पास नहीं और दसियों साल से फैक्ट्रियां चलने का काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार ढोंग बनाने का काम करती है। अभी एक सदस्य ने गोल टोपी की बात की कि गोल टोपी पहनते हैं अरे हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई आपस में हैं सब भाई-भाई। हम तो वह लोग हैं हम लोग को सीने से लगाकर देखो इस हिंदूस्तान को बचाने में, इस हिंदुस्तान की आजादी में हमारी हिस्ट्रियां हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि बार-बार हिंदू-मुस्लिम की बात होती है अरे मंदिर वहीं बनायेंगे पर दिनांक नहीं बताएंगे, कहते हैं मंदिर वहीं बनायेंगे। माननीय अटल बिहारी बाजपेई की सरकार पांच साल रह गयी कल्याण सिंह जी की सरकार रही गयी, राजनाथ सिंह जी की सरकार रह गयी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। अब विषय बदल रहा है। आपकी बात अब पूरी हो गयी, अब आप बैठिए।

श्री असलम अली-

मेरे भाईयों नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदूस्तान को आगे बढ़ाना है भाईचारे का काम करना होगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए, आपकी बात अब पूरी हो गयी।

श्री असलम अली-

मान्यवर, और कुछ नहीं बस मैं अपनी विधान सभा की दो बात करना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा में नहाल, दैहरा, गालनछ में इण्टर कालेज बनवा दो, मान्यवर, मैं इस पर अनुरोध करना चाहता हूँ। नहर पर यू0पी0एस0आई0डी0 का पुल है उसे बनवा दो और मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो किसान मजदूरों पर बिल को उगाहने के नाम पर मुकदमें दर्ज हो रहे हैं, दो महीने के लिए जब तक फसल आए उन पर मुकदमें दर्ज न हों। मैं अपील करना चाहता हूँ और इसी के साथ-साथ पूरे सदन का और अध्यक्ष जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय हिंदुस्तान।

श्री राजेश गौतम-

बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं भारत रत्न बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एवं पं0 दीनदयाल उपाध्याय के चरणों में श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए इस बजट का समर्थन करता हूँ। मानव मात्र आजीविका के केवल तीन साधन

हैं-कृषि, पशुधन और उद्योग। पं0 दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए सबका साथ, सबका विकास करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री ने बजट के माध्यम से योजनाओं की सौगात दी है। यह वह बजट है जिसे नौजवानों, किसानों, महिलाओं और गांव को ध्यान में रखकर देश के समग्र विकास की दृष्टि से बनाया गया है। सरकार के गठन का लगभग एक साल हो गया है और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन दिखने लगा है। वह दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश भारत में उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जायेगा। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था-बस वही जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं। मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा पिछली सरकारें रही हैं जिन्होंने तोड़ने का काम किया था, बांटने का काम किया था और मैं बड़े फक्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस बजट के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने चाहे वह किसान हों, चाहे नौजवान हों, चाहें हमारी मातृशक्तियां हों हर व्यक्ति को छूने का काम किया है और चन्द लाइनें अपने विपक्ष के साथियों को सुनाना चाहूँगा-

> ''गमों की आंच पर आँसू उबालकर के देखो, गमों की आंच पर आंसू उबालकर के देखों, बनेंगे रंग किसी पर डालकर के देखों।
>
> तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटे निकालकर के देखो, किसी के पांव से कांटे निकालकर के देखो। ''

श्री अध्यक्ष-

हो गया, आप कविता सुनाने लग गये तो हमको लगा कि मूल विषय खत्म हो गया।

श्री राजेश गौतम-

मान्यवर, मैं कादीपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। बजट के माध्यम से जहां पिछड़ों की बात पिछली सरकारें करती थीं, दलितों की बात करती थीं, इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने जो सन्देश दिया है। बड़ा दुख होता है जब दलित की बात आती थी उनको वस्तु बनाकर के रख दिया जाता था, उनको ओटके माध्यम से एक तरीके से कह दिया जाता था उनको बेचने का काम किया जाता था ओट के माध्यम से। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि इस बजट में दलितों के लिए प्राविधान है, पिछड़ों के लिए प्राविधान है। मैं ज्यादा कुछ न बोलकर के चन्द लाइनों में अपनी बात को खत्म करुँगा इस बजट को समर्थन करते हुए। मेहरू मे हकीकत क्या जाने साहिल की तमासाई, मेहरू मे हकीकत क्या जाने साहिल की तमासाई।

हम डूबकर देखे हैं दरियों की गहराई, हम डूबकर देखे हैं दरियों की गहराई।

बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपने समय बहुत संयम से लिया, बहुत बधाई आपको।

डॉ सतीश चन्द्र द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार विधायक बना हूँ और उस क्षेत्र से चुनकर आया हूँ, जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि आपसे पहले इसी कुर्सी पर बैठा करते थे। यह सोचकर आया था कि यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ संसदीय परम्पराओं का ज्ञान होगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अभी-अभी उठकर चले गये। अच्छा होता अगर वो सामने रहते। जब वो बजट पर बोल रहे थे तो बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मैं उन विधायकों में से एक हूँ जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को उतनी ही गम्भीरता से सुनता हूँ, जितना अपने नेता सदन को, क्योंकि मुझे लगता है कि वरिष्ठतम विधायकों में से एक हैं, जो कहेंगे वो तथ्य पर आधारित होगा और हमारा ज्ञानवर्धन करेगा, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश सरकार की बजट की आलोचना करते हुए बोल रहे थे तब मुझे दुख हो रहा था कि उन्होंने मेरे जैसे नये विधायकों को ही नहीं एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठकर पूरे सदन को गुमराह किया है। वो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई मदों में बजट की राशि कम कर दी है। जब वह ऐसा वर्णन कर रहे थे तो खोज-खोजकर किसी ने, जैसा उनको सुझाव दिया होगा व जैसा उन्होंने सोचा होगा, खोज-खोजकर उन मदों के बारे में जिक्र कर रहे थे जिनमें पिछले साल की तुलना में इस साल का बजट कम किया गया है और उसी में से उन्होंने जिक्र किया और वो उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान प्रदेश के लिए बड़ा भयावह आंकड़ा जब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि इस साल कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का बजट पिछली साल की तुलना में 70 प्रतिशत कम कर दिया गया है।

डर गये हम यह आकंड़ा सुनकर और लगा कि हाहाकार मच जायेगा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का विरोध शुरू हो जायेगा। लेकिन जब मैनें घर जाकर आकंड़ा देखा तो मैं तुरन्त समझ गया। आकंड़ा था 2017-18 में कृषि पर खर्च 43695.4 करोड़ रुपया और 2018-19 में 13050.45 करोड़ रुपया, उनके आकंड़े सही थे, 70 परसेंट की कमी आयी है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय पिछले साल के आकंड़े में वह 36 हजार करोड़ रुपया शामिल था जिसकी हमने उत्तर प्रदेश के किसानों की कर्जमाफी के लिये व्यवस्था की थी। महोदय, हर साल हम 36 हजार करोड़ कैसे रखेंगे कृषि के बजट में। पिछले साल एक विशेष व्यवस्था थी, कर्जमाफ करना था इसलिये 36 हजार करोड़ रुपया हमने उसमें रखा था। अब इस साल के बजट में वह 36 हजार करोड़ रुपया नहीं है तो निश्चित रूप से जब आप पिछले साल से तुलना करेंगे तो कम नजर आयेगा। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ इसलिये पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जहॉ-जहॉ बजट बढ़ा है, जो जनकल्याण के क्षेत्र हैं उसकी चर्चा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने नहीं की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बजट में 15.76 प्रतिशत की वृद्वि हुयी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये कुछ नहीं कहा गया, ऐसा नेता बसपा ने कहा। लेकिन जब हम आकंड़े देख रहे हैं तो पाते हैं कि 14 प्रतिशत की वृद्वि हुयी है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 14.9 प्रतिशत की वृद्वि हुयी है। ऊर्जा के क्षेत्र में 83 परसेंट की वृद्वि पिछले साल से इस साल के बजट में हुयी है। 29 हजार करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था हमने इस मद में की है। हमने ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत मार्च, 2019 तक डेढ़ करोड़

परिवारों को जिनको आज तक पिछले 15 साल की सरकारें उनका दीया और लालटेन नहीं हटा पायी थी, बिजली नहीं दे पायीं, हमने ऐसे डेढ़ करोड़ परिवारों को बिजली का कनेक्शन पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। उसमें से अब तक हम 37 लाख परिवारों को बिजली का कनेक्शन पहुँचा भी चुके हैं।

विद्युत की आपूर्ति में सुधार हुआ है और सदन में भले यह लोग न स्वीकार करें लेकिन कैन्टीन और गैलरी में हमारे विपक्ष के नेता भी मानते हैं कि अब बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर 24 घन्टे, तहसील पर लगभग 20 घंटा और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18 घन्टे बिजली मिलती है। हमने 56 हजार मजरों का विद्युतीकरण किया है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। उद्योग और खनिज के बजट में 78 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है और बार-बार कहा जा रहा था कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी 21-22 फरवरी को यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट हुयी है, 4 लाख 70 हजार करोड़ के लगभग एम0ओ0यू0 साइन हुये हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि हर बार की इन्वेस्टर्स समिट की तरह केवल एम0ओ0यू0 साइन नहीं होगा बल्कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी मानीटरिंग करूंगा कि यह जो समझौते हुये हैं वह जमीन पर उतरें, उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, मैं उनके वाक्यों को लिखता हूँ और उसमें से बहुत कुछ सीखता भी हूँ। मुझे जहॉ तक ध्यान में है, उन्होंने कुछ काम गिनाये थे। उन्होंने कहा था कि हमने लखनऊ में हाईकोर्ट की बिल्डिंग बनाई, हमने जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, हमने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, हमने रेलवे ओवरब्रिज बनाया लेकिन आपने क्या किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह 5 साल के बाद चुनाव में किसी रैली में हमारी सरकार की आलोचना कर रहे हों। महोदय, हमने तो अभी शुरू किया है आपने हाईकोर्ट बनाया होगा 5 साल में, हमने भी 385 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था करके माननीय न्यायाधीशों और न्यायालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये इलाहाबाद में न्याय ग्राम की आधारशिला रख दी है, बन रहा है तैयार हो जायेगा। आपने बनाया होगा जनेश्वर मिश्र पार्क, जनेश्वर मिश्र जी हमारे नेता थे, राजनीतिक विचारधारा कुछ भी रही हो, हम लोग बहुत कुछ उनसे सीखते हैं, लेकिन हमने भी बनाया है। जनेश्वर मिश्र पार्क से अगर तुलना करें, अच्छा है मैं उसकी सराहना करता हूँ। अच्छा पार्क है उत्तर प्रदेश में ऐसे पार्क होने चाहिये। लेकिन हमने बृज कृष्ण परिपथ, जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं, हम भी मानते हैं, इसके अलावा रामायण परिपथ, ऐतिहासिक रामलीला, जो आपने अयोध्या में रोक दी थी, उसको शुरू करने के लिये काम कर रहे हैं। इसके अलावा बौद्ध परिपथ, बुन्देलखंड परिपथ, जैन परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, सूफी परिपथ, इतनी सारी योजनायें हम लेकर आये हैं, इनको पूरा होने दीजिये इस 5 साल में। जनेश्वर मिश्र पार्क जैसी कई योजनायें आपके सामने होगीं। आप मेट्रो की बात करते हैं, आधा-अधूरा काम छोड़कर गये थे। जिसको आप दो किलोमीटर भी नहीं चला पाये थे, हम तो कई शहरों में मेट्रो की योजना लेकर आये हैं। कानपुर, मेरठ, आगरा के मेट्रो का डी0पी0आर0 बनकर तैयार है इसके अलावा वाराणसी, इलाहबाद, गोरखपुर और झॉसी का मेट्रो भी केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार संशोधित करके बनाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा गया था कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ।

.... अब यह वैसे ही है जैसे कोई बच्चा बिना दूध के मर रहा था उसको दूध नहीं मिल रहा था, किसी आदमी ने उस बच्चे पर ध्यान दिया उसको दूध पिलाया तो आप कह रहे हैं कि आपने 300 एम0एल0 नहीं पिलाया 250 एम0एल0 पिलाया। जिस प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा था जिसके कारण गन्ना किसानों ने गन्ना बोना बन्द कर दिया था हमारी सरकार ने 27 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ने का भुगतान किया तो आप कह रहे हैं कि पांच परसेंट बाकी रह गया, तीन परसेंट बाकी रह गया, दो परसेंट बाकी रह गया, आप हमारी नीयत देखिये, हमारी दिशा देखिये, हमने 27 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया है, आगे भी भुगतान करेंगे।

(विपक्ष के सदस्य द्वारा टोकाटाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष -

बैठे-बैठे टिप्पणी ना कीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, आप बैठिये आपके भाषण में कोई बाधा नहीं डाली गई थी, यह गलत है। आप बैठे-बैठे टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, आप किस नियम में बोल रहे थे।

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी -

मैं नया सदस्य हूँ आपसे ही सीखता हूँ, मुझे बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस बार जब बजट आया तो मैं उस दिन मीडिया में एक टी0वी0 चैनल में डिस्कशन में गया था। वहाँ पर हमारे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि इस बार का बजट तो फोकस ही नहीं है। कल मीडिया क्या हेडलाइन लिखेगी। मान्यवर, यही तो हमारे बजट की विशेषता है, यही तो योगी सरकार के बजट की विशेषता है कि इस बजट की कोई एक हेडलाइन मीडिया को खोजे नहीं मिल रही थी क्योंकि इस बजट में पं0 दीन दयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करते हुए समाज के हर वर्ग के लिए विशेष प्रयास किया था। अगर किसी एक वर्ग के लिए होता तो आप हेडलाइन बना लेते। आप क्या हेडलाइन बनायेंगे, किसानों के लिए इस बजट में बेशुमार व्यवस्थाएं थीं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए कौशल विकास पर इस बजट में व्यवस्थाएं थीं। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, आंकड़ों को पढ़ता-पढ़ाता रहा हूँ। मैं उन आंकड़ों में बहुत नहीं जाना चाहता लेकिन जब उद्योग पर काम हो रहा है। मा0 नेता प्रतिपक्ष के भाषण का जवाब आयेगा, उसे नेता सदन देंगे लेकिन मुझे कष्ट हुआ था कि जब उनके जैसा एक वरिष्ठ और जिम्मेदार व्यक्ति कह रहा था कि यह सरकार क्या कर रही है। मैं अगर केवल एक विभाग का गिनाना शुरू करूँ बजट का डाक्यूमेंट लेकर तो लोक निर्माण विभाग द्वारा 1 लाख 1 हजार किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है। पिछले 15 सालों में कभी हमने सड़कों को गड्ढामुक्त करने का प्रयास नहीं देखा है। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, मुझे कुछ आंकड़े ऐसे भी याद हैं 1 हजार 64 किलोमीटर सड़कें जिन पर पत्थर लगाकर आपने छोड़ दिये थे उन सड़कों को बिना किसी रागद्वेष के, पत्थर आपके लगे थे लेकिन काम हमारी सरकार ने पूरा किया है। पुलों के निर्माण के लिए इस बजट में 1 हजार 817 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, मार्गों के नवीनीकरण, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 3 हजार 324 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, आर0आई0डी0एस0 योजना के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों के नवनिर्माण और चौड़ीकरण के लिए 920 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड की सड़कों के लिए 3 सौ और 2 सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था है, सड़कों के अनुरक्षण हेतु राज्य सड़क निधि में 1 हजार 5 सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था है, केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के

अन्तर्गत सड़क बनाने के लिए 2 हजार 2 सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था है, राज्य, राज्य मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जिला मुख्यालयों को फोरलेन से जोड़ने के लिए 1 हजार 6 सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था है और मा0 अध्यक्ष महोदय उसके बाद भी कहा जाता है कि आपकी सरकार क्या कर रही है। मान्यवर, पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो वोट बैंक के आधार पर काम नहीं कर रही है, जो साम्प्रदायिक आधार पर काम नहीं कर रही है। हमारी केन्द्र की सरकार का नेतृत्व कर रहे हमारे नेता मा0 नरेन्द्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की संकल्पना के आधार पर हमारी सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, नौजवानों सबके विकास के लिए काम कर रही है। लोग हमारे नेता बताते थे कि सरयू नहर पर तो सरकार ने ध्यान देना छोड़ दिया है, 1 हजार 614 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने सरयू नहर के लिए दिया है। अध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग की जब आलोचना करते हैं तो इन लोगों को संकोच नहीं होता है कि जब क्षेत्र में जायेंगे तो जनता क्या कहेगी। जितने ट्रांसफारमर की क्षमता वृद्धि आपने पांच साल में नहीं की होगी, हमारे ऊर्जामंत्री के कुशल नेतृत्व में योगी सरकार ने पिछले एक साल में उतने ट्रांसफारमर बदल दिये हैं या क्षमतावृद्धि की है। हम खम्भे बदल रहे हैं, जर्जर तार बदल रहे हैं, आपके बनाये गये एक नियम का कष्ट मैं झेल रहा हूँ। मेरे पूर्व विधायक माननीय विधान सभा अध्यक्ष थे, नाम नहीं लूँगा नहीं तो आप कहेंगे नाम लिया है अब इस पर बहस होनी चाहिए।

उनका जो विधान सभा क्षेत्र है, आप सब लोगों की कृपा से उस विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय, जिसमें तहसील स्थित है आज भी ग्राम सभा है, एक भी नगर पंचायत नहीं है। हमारी सरकार ने, मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे नगर विकास मंत्री जी यहीं बैठे हैं, आपने हमारी विधान सभा में इटवा और बिस्कोहर, दो नगर पंचायतों की घोषणा की है वर्ष 2018 में उसका गठन हुआ। लेकिन मुझे कष्ट क्या है आई0पी0डी0एस0 योजना की पहली बैठक में जब मैं गया, नया-नया विधायक बना था तो पढ़ा जा रहा था कि किस-किस नगर पंचायत में जर्जर तार बदलकर केबिल लगेंगे तो हमारे इटवा का नाम नहीं आया। .....

... तब हमने पूछा कि भाई इटवा का नाम क्यों नहीं है ? वह भी तहसील मुख्यालय है। तब हमें बताया गया कि यह गांव है, नगर नहीं है। पिछली सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनायी थी कि भले ही वह तहसील मुख्यालय हो, लेकिन अगर वह नगर पंचायत नहीं होगा तो उसमें केबल नहीं लगेंगे। महोदय, इस तरह की सरकार चलाने वाले लोग आज हमको बिजली के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, समय कम है और मैं आपकी नजरों का इशारा समझ रहा हूँ। इसलिए बिना आपके कहे मैं अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ अनुरोध सरकार से करना चाहता हूँ कि जिस बजट का समर्थन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और अनुरोध करूँगा कि इस बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र इटवा से जुड़ी हुई कुछ चीजों को अगर शामिल कर लिया जाए तो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी कृपा होगी। पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष महोदय उसमें भी सहायक मंत्री रहे होंगे। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तब इटवा में एक चीनी मिल का शिलान्यास हुआ था और यह सपने दिखाए गये थे कि इस बार हमारे प्रत्याशी को जिता दीजिए तो इटवा को इटावा बना देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह चीनी मिल तो नहीं बनी, उस शिलान्यास का पत्थर भी अब वहाँ नहीं दिखायी देता है। मुझे बहुत आधिकारिक जानकारी नहीं

है, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ की जो मिल वाली जमीन थी, अब वह माननीय विधायक, तत्कालीन जो थे, उनके द्वारा बनायी गयी किसी ट्रस्ट के पास है।एक बार अपनी सरकार को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने अभी-अभी उसी भिलौरी में एक 6 करोड़ के लगभग की राशि का आई0टी0आई0 का शिलान्यास हमारे मंत्री श्री चेतन चौहान जी ने किया है। मा0 अध्यक्ष जी, वहाँ की वह चीनी मिल मुझे वापस दिला दीजिए। जिस चीनी मिल के शिलान्यास के बाद हमारे क्षेत्र की जनता ने यह सपने देखे थे कि अब वहाँ चीनी मिल होगी, वह चीनी मिल हमको वापस मिल जाए। सिद्धार्थ नगर में एक भी चीनी मिल नहीं है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में, डुमरियागंज विधानसभा मिलाकर, शाहपुर-भोजपुर एक बांध है, उस बांध के बनने का उद्देश्य ही विफल है, क्योंकि उसमें 37 जगह पर गैप है। 200 मीटर बांध है और फिर 200 मीटर बांध नहीं है। इसके कारण बाढ़ से वह क्षेत्र प्रभावित रहता है। इस बांध के गैप को भरने का प्राविधान कर दिया जाए। महोदय, हमारे पूरे विधान सभा में खिलाड़ियों के खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वहाँ पर एक मिनी स्टेडियम बना दिया जाए। आज भी उस तहसील मुख्यालय पर न तो कोई बस स्टेशन है और न तो कोई फायर स्टेशन है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र को एक बस स्टेशन और एक फायर स्टेशन दे दिया जाए। अब मुझे यह कहने में भी दुख होता है कि मेरे पूरे विधानसभा में एक भी अनुदानित या राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरी विधानसभा में एक राजकीय पी0जी0 कॉलेज दे दिया जाए।

(विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के शेम-शेम कहने पर)

शेम-शेम करेंगे तो आपकी ही बुराई होगी। आपके बड़े नेता की बुराई हो जायेगी। मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी राजकीय इण्टर कॉलेज, राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि मेरे विधानसभा में एक राजकीय इण्टर कॉलेज, एक राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज और नौजवानों के हाथों में हुनर पैदा करने के लिए एक पॉलीटेक्निक संस्थान दे दिया जाए, ताकि मेरे जैसे नौजवानों को इटवा छोड़कर अपनी पढ़ाई-लिखाई और रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ तथा इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राम गोविंद चौधरी-

अध्यक्ष जी, दो आदमी के बराबर अकेले बोले हैं पंडित जी। इसलिए हमारे तरफ के कम से कम दो लोगों को एक साथ बोलने का मौका मिलना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात तो ठीक है लेकिन उनके पहले वाले थोड़ा कम बोले थे। आप तो बोला ही करते हैं। मा0 नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूची दी है उसमें कुल तीन ही लोग हैं। तो तीन वाला क्रम चला लेंगे। आपके तीन बोल लें और जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वह भी बोल लें। 8-10 लोग बोल लें उसके बाद फिर छुट्टी की जाए। अभी आप वाला विषय भी ये बताएँगे। अब माननीय मनोज कुमार पारस जी।

***श्री मनोज कुमार पारस-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं अपने प्रतिपक्ष के नेता मा0 राम गोविंद चौधरी साहब से अपने आपको संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि अभी-अभी हमारे भाई जिन्होंने खुद कहा कि मैं पहली बार विधान सभा में आया हूँ, मैं उनको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा शब्दकोष उन्होंने इस्तेमाल किया। उनके भाषण में बहुत अच्छे-अच्छे शब्द थे जिनका इस्तेमाल करके उन्होंने आज यहाँ संबोधन करने का काम किया है।

...लेकिन जितने अच्छे शब्द होते हैं उतना अच्छा नीचे जमीन पर नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर उतने अच्छे शब्दों के साथ जो आपने विचार रखे अगर यही सब हकीकत होती तो शायद फूलपुर और गोरखपुर में यह स्थिति न आयी होती। (मेजों की थपथपाहट) ये सारा का सारा बजट, ये सारी की सारी बातें, सारा बजट हवा में है। आज किसान, नौजवान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब परेशान है और इसलिए परेशान है क्योंकि आपने बहुत बड़े-बड़े सपने दिखाकर प्रदेश में प्रचण्ड बहुमत की सरकार को बनाया है। आज उसका एक भी सपना अगर साकार हुआ होता तो गोरखपुर की सीट आप लोगों के हाथ से न जाती, वह सीट जिसे लगातार 30 साल से जीतने का काम आप लोगों ने किया है, इसी तरह से फूलपुर की सीट न जाती। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जब चुनाव हार रहे हों तो आप सोच सकते हैं कि बजट की क्या स्थिति होगी? ये सारी चीजें हवा में हैं इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मा0 अध्यक्ष जी कि आज पूरे उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, बेहाल है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूँ कि आलू का किसान जिसने आलू सड़कों पर फेंकने का काम किया क्योंकि उसको वाजिब मूल्य नहीं मिला। धान खरीद में बिचौलियों के मजे आये, किसान वहीं का वहीं लुटा हुआ बैठा है, बिचौलियों ने उसमें मजे लिये। गन्ने के किसान का बुरा हाल है। अभी हमारे भाई बोल रहे थे उनके क्षेत्र में चीनी मिल तो है नहीं, किसानों का दर्द उनके दिल में जरूर है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि किसानों का अगर पूर्ण रूप से बकाये का भुगतान हो गया होता तो आप बजट उठाकर देख लीजिए गुमराह करने का काम इस प्रदेश की जनता को मत कीजिए। आज कम से कम गन्ना किसानों का 1500 करोड़ रुपया बकाया है और उसका कोई प्राविधान बजट में नहीं किया गया। हमारे एक साथी ने कहा भी था कि 168 करोड़ रुपया पिछले वर्षों का बकाया है उसका कोई प्राविधान नहीं है। जो 1300 करोड़ रुपया और बकाया है उसका कहीं कोई बजट में जिक्र नहीं है। हमारे गन्ना मंत्री जी अभी यहाँ पर थे इस समय नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से उन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि किसान ने बहुत मेहनत करके, रात-दिन एक करके अपने गन्ने की पैदावार बढ़ाने का काम किया है लेकिन आज जो बेसिक कोटा था उसके अनुसार सप्लाई है। बेसिक कोटा कम था इसलिए सप्लाई नहीं बढ़ पायी और मुझे डर है और डर इस बात का है कि किसान का गन्ना खेतों में रह जायेगा क्योंकि अगर उनका कोटा नहीं बढ़ाया गया तो उनकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं तो उनका बेसिक कोटा बढ़वा दीजिए, उनके बाण्ड भरवा दीजिए जिससे कि उनका गन्ना बिक सके और मिलों में जा सके। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में द्वारिकेश शुगर मिल है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसने अपनी गुण्डागर्दी चलाते हुए, अपनी आपाधापी करते हुए जो कम्प्यूटर सोसाइटी में लगना चाहिए था उस कम्प्यूटर को मिल में लगा रखा है। वह चाहे जिस किसान की पर्ची बढ़ा देते हैं, जिसकी चाहें बढ़ा देते हैं, जिसकी चाहें काट देते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वह कम्प्यूटर द्वारिकेश शुगर मिल से हट करके गाजियाबाद और नगीना सोसाइटी में लगना चाहिए क्योंकि यह सोसाइटी जनप्रतिनिधियों की सोसाइटी होती है यहाँ से जनता जिताकर डायरेक्टर और डेलीगेट बनाने का काम करती है।

माननीय अध्यक्ष जी, पेज नं0-15 पर 168 राजकीय नलकूप के ऊर्जीकरण करने का जिक्र किया गया है। पूरे प्रदेश की तो बात छोड़िये मेरे जनपद बिजनौर और मेरी विधान सभा में एक भी ट्यूबवेल का ऊर्जीकरण नहीं किया गया। ऐसी 62,510 निःशुल्क बोरिंग की व्यवस्था की गयी, 1146 गहरी बोरिंग किये गये, कहां किये गये पता नहीं? हवा में हुये होंगे, हमारे जनपद का आँकड़ा बता दीजिए कि हमारे यहाँ कितने निःशुल्क बोरिंग हुये हैं। 1146 में कितने गहरे बोरिंग किये गये हैं? यही हाल पशुपालन का पेज नं0-20 पर आप देख सकते हैं, मात्र 75 करोड़ रुपया दीन दयाल लघु डेयरी योजना हेतु स्वीकृत किया गया। इतने बड़े प्रदेश में 75 करोड़ रुपया? अगर आप इसे विभाजित करेंगें तो एक जिले में ज्यादा से ज्यादा 36 लाख रुपये एक पशु चिकित्सालय में आयेंगें क्योंकि प्रत्येक जिले में कम से कम 20 पशु चिकित्सालय होंगें, इसमें 1 लाख 80 हजार रुपये या दो लाख रुपये से एक साल में कितने पशुओं का उपचार करेंगें?

... कितना आप उनको अच्छा बनायेंगे, कितना आप अच्छी नस्लों को लाने का काम करेंगें। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि सारी चीजें हवा में होते हुए भी आप अपने आप को यह बताने की कोशिश करते हैं कि कहीं इस क्षेत्र का, प्रदेश का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में खनन की नीति बनाई जा रही है। एक साल से खनन की नीति बनाई जा रही है। मेरा जनपद बिजनौर उत्तरांचल के बार्डर पर आता है जहाँ से सारी नदियां प्रदेश में प्रवेश करती हैं और सारा खनन वहाँ से आता है। पूरा एक साल बीत गया है लेकिन आज तक जनपद बिजनौर के लिये खनन की नीति नहीं बनाई गई। 150 रुपये 160 रुपये क्विंटल रेत बिक रहा है, मजदूर भुखमरी पर हैं, भट्टे मालिक परेशान हैं क्योंकि उनकी ईंट नहीं बिक रही। जब बालू नहीं हैं, रेत नहीं है, खनन नहीं हो पा रहा तो उनकी ईंट भी नहीं बिक पा रही। भट्टे के मजदूर हों या खनन के मजदूर हों या राजमिस्त्री हों सब भुखमरी के कगार पर हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। गरीब आदमी मकान नहीं बना पा रहा। बिजनौर में एलीफेंट ज़ोन के नाम से बैन लगा दिया गया है जबकि एलीफेंट ज़ोन केन्द्र से जो डायरेक्शन दिये गये हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन हैं मात्र तीन किलोमीटर तक एलीफेंट ज़ोन आता है। लेकिन एलीफेंट ज़ोन के नाम पर वहाँ वैध पट्टे तो किये नहीं गये बल्कि जो क्रेशर वहाँ पर लगे हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। इसके ऊपर एक और कुठाराघात हुआ कि उत्तरांचल ने यहाँ पर खनन देने से मना कर दिया। क्योंकि उत्तरांचल से जो खनन आ जाता था उससे मकान बन जाया करते थे या डेवलेपमेंट हो जाया करता था। जब खनन और बालू प्रदेश में नहीं है जब जनपद बिजनौर में बालू और खनन नहीं मिल पा रहा तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पर विकास हो जायेगा? कहाँ से सड़कें बन जायेंगीं? कौन सी योजनाएं लागू हो जायेंगीं। इसलिये आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी योजना बनाइये कि कम से कम जो आपका

विकास का पैसा है वह हमारे जनपद में भी लग सके। जब वहाँ पर बालू और खनन नहीं होगा तो कहाँ पर वह पैसा लग पायेगा और हमारे क्षेत्र के मजदूरों को भुखमरी की कगार से निकालने का काम कीजिये। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पुलिस का सिपाही, दरोगा, इन्स्पेक्टर वाकई पहले कहते हुए डरता था। हमारी सरकार में, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में अगर पैसे के लिये कहते हुए डरता था आज खुले आम 20 हजार से लेकर 50 हजार रुपये की बात करने का काम करता है। 100 नम्बर की डॉयल पुलिस जो केवल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिये, चोरी, डकैती और उस लूटमार को रोकने के लिये लगाई गई थी। आज उसका सिर्फ यह काम रह गया है कि सड़कों पर वाहन चेकिंग के नाम पर, खनन के नाम पर, मिट्टी के नाम पर, लकड़ी के नाम पर अगर कोई भी कुछ ले जाना चाहता है तो 100 नम्बर की डॉयल पुलिस उसे रोक कर अवैध वसूली करने का काम कर रही है और इस पर भी आप कहते हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं, खुशहाली की बात कर रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन बेलगाम है। जहॉ-तहाँ आपस में जातीय संघर्ष हो रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन और पूरा उत्तर प्रदेश खौफ के माहौल में जी रहा है। आज तो पुलिस प्रशासन भी इस सरकार में कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अभी होली का त्यौहार था। जनपद बिजनौर में एक हमारी सी0ओ0, जो महिला थीं उनके ऊपर सरेआम जबरदस्ती रंग लगाने का काम किया गया और जब लोगों ने आवाज उठाई तो जुलूस को रोक दिया गया कि हम होली का जुलूस नहीं निकालेंगें। उस महिला सी0ओ0 से बदतमीजी की गई। आज तो जहाँ-तहाँ खौफ का माहौल है। ऐसे में मुझे एक शायर का एक शेर याद आ रहा है कि

दिन भी सूना, रात भी वीरां और शहर भी खाली है,
हर चेहरे पर खौफ लिखा है यह कैसे खुशहाली है।
आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहों होशियार रहो,
दरिया की यह खामोशी तूफान उठाने वाली है।

जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। आप लोग इधर बैठते थे। हम लोग सत्ता पक्ष में थे। आये दिन रोज कानून-व्यवस्था, कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते थे, रोज कानून व्यवस्था का जिक्र होता था। इस एक साल की सरकार में कानून-व्यवस्था की यदि आप समीक्षा करेंगें तो कानून-व्यवस्था का जो हाल है वह आप जमीन पर जा करके देखिये और इस एक साल में कितने जातीय संघर्ष हुए। सहारनपुर की घटना अभी भूली नहीं है, 14 अप्रैल फिर आने वाली है। ग्राम दूधनी में किस तरह बर्बरता की गई। जबरदस्ती जुलूस निकालने की कोशिश की गई थी। लाठी चार्ज किया गया, एक समुदाय के लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया। आगजनी की गई, उन्हें लूट लिया गया। उसके बाद कुछ ही दिन हुए वह मामला शांत भी नहीं हुआ था उसके बाद में महाराणा प्रताप जयन्ती पर उसके पड़ोस के गांव में दलितों के साथ किस तरह का हाल हुआ। मैं भी दलित समुदाय से आता हूँ। जहाँ-तहाँ दलितों के मर्डर हो रहे हैं। कल ही इलाहाबाद का आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है। एल0एल0बी0 के एक छात्र को सिर्फ इस बात के लिये बुरी तरह से मार मार कर जान से मार दिया गया कि उसका पैर टकरा गया था। सहारनपुर में रावण नाम के व्यक्ति को आज भी जेल में डाल रखा है। इस तरह से सुनील कुमार कोरी पुत्र श्याम सुन्दर कोरी निवासी तांडवा थाना मुंशी अमेठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सारा दलित वर्ग परेशान है और यही उदाहरण है इसलिए दलितों ने

खुलकर के गोरखपुर में और फूलपुर में वोट देने का काम किया है। इसलिए मान्यवर, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद के साथ-साथ जहां पर इनकाउन्टर किए जा रहे हैं अगर इनकाउन्टर की समीक्षा हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनकाउन्टर के नाम पर आपकी सरकार बहुत वाह-वाही लूटने का काम कर रही है। अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है लेकिन अगर इनकी समीक्षा हो जाए तो पता चल जाएगा कि कितने इनकाउन्टर सही किए गए? कितने बेगुनाहों के इनकाउन्टर करने का काम किया गया है। ऐसे में मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है-

सुबहे-मगरूर को वह शाम भी कर देता है
शोहरतें छीनकर गुमनाम भी कर देता है।।
वक्त से आँख मिलाने की हिमाकत न करना
वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है।।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इस वक्त ने उस वक्त के अंग्रेजों का शासन नहीं छोड़ा, मुगलों ने इतने साल शासन किया, मुगलों का नामलेवा नहीं रहा। ईस्ट इंडिया कम्पनी जिसके राज्य में सूरज छिपता था सूरज निकलता था। आज वह लोग नहीं रहे..

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय हो गया है।

श्री मनोज कुमार पारस-

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वक्त की राह को पहचानिए और जो आपकी घोषणायें हैं जो आपकी योजनायें हैं जो आपका बजट है उसको जमीन पर लाने का काम कीजिए। हम आपके विरोधी जरूर हैं, लेकिन आपके दुश्मन नहीं हैं इसलिए आपके माध्यम से हम आपको अच्छे सुझाव देकर यह कोशिश करना चाहते हैं कि आपको मौका मिला है तो आप ऐसी सरकार चलाएं, अच्छी सरकार चलाएं जिससे प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाए और इस प्रदेश में भाईचारा कायम रहे।

(डा0 जी0एस0 धर्मेश जी का नाम पुकारा गया)

भाईचारे को तोड़ने का काम मत कीजिए। दलित को दलित, दलित को मुसलमान, दलित को हिन्दू दलित को किसी और से लड़ाकर ठाकुर को मुसलमानों से लड़ाकर के, हिन्दुओं को मुसलमानों से लड़ाकर के इस देश और प्रदेश के भाईचारे को खत्म करने का काम मत कीजिए। अन्त में एक बात और कहना चाहते हैं।

डा0 जी0एस0 धर्मेश-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया.

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, सारे विधायक यहाँ पर बैठे हैं मैं तो यह चाहता हूँ आपने जो इतना बड़ा बजट रखा है इस बार का बजट आपने 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख का बजट रखा है। यह

सारा बजट हवा में हैं, मैं तो कहता हूँ कि जो विधायक हैं इनकी सबकी निधि 6-6, 8-8 करोड़ कर दीजिए तो कम से कम प्रदेश में विकास होता दिखाई देगा। (मेजें थपथपाई गईं) इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा, विधायकों के क्षेत्र में काम होंगे, सबके क्षेत्र में काम होंगे। इसलिए आपसे दुबारा इस बात को कहना चाहता हूँ जितना बड़ा बजट रखा है इसमें कटौती करके 6-6, 8-8 करोड़ विधायक निधि बढ़ा दीजिए। जिससे पूरे प्रदेश का विकास होता दिखाई दे। पड़ोस के उत्तराखंड में आपको पता है वहाँ पर 6 करोड़ की निधि है। क्षेत्र भी छोटे, जनसंख्या भी छोटी, हमारी विधान सभा तीन लाख, चार लाख, पांच लाख तक की है और वहाँ पर जो विधान सभा है वह 75-75 हजार की हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ बार-बार आपसे अनुरोध भी है और आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि अगर आप यह कर देंगे तो सारे उत्तर प्रदेश में एक साथ विकास होता दिखाई देगा।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार पारस-

एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। लाइसेंस पर वैन लगा हुआ है लेकिन कुछ लाइसेंस ऐसे हैं, बन्दूक, रिवाल्वर या जो भी लाइसेंस जिसके पास हैं, आज हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे हो गए हैं जो चलाने की स्थिति में नहीं हैं। उनके लाइसेंस जहां तहां थानों पर, कहीं दुकानों पर रखे हुए हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वह बुजुर्ग अगर अपने जीते जी उस लाइसेंस को ट्रांसफर या किसी अपने वारिस को देना चाहता है तो ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि उसके जीते जी उसका लाइसेंस उसके वारिसान को मिलने का काम हो। पानी पीने की जो व्यवस्था है..

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। आप जो जरूरी बातें हैं वह बाद में कह रहे हैं।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, पानी पीने की जो व्यवस्था है, मान्यवर, गर्मी आ रही है। गर्मी में आप जानते हैं कि वाटर लेविल नीचे चला जाता है जब वाटर नल नीचे चला जाता है तो बहुत से क्षेत्र के नल फेल हो जाते हैं। मेरी यह अपनी समस्या नहीं सारे विधायकों की समस्या है कि जब वाटर लेविल नीचे चला जाता है तो सारे नल फेल हो जाते हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कम से कम पांच सौ-पांच सौ नल एक विधायक के क्षेत्र में दे देंगे तो कम से कम पीने के पानी की जो समस्या है उससे निजात मिलने का काम होगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें बहुत हो गया। अब मान लीजिए अब बैठ जाएं।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा जनकपुर में पांच समस्यायें पहले भी नहीं रख पाया। मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा जनकपुर के पास मकसूदनपुर

देवीदासपुर में मेडिकल कालेज स्वीकृत हुआ था, जमीन भी सरकार ने अधिग्रहण कर ली, उस मेडिकल कालेज को बनवाने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें।

डा0 जी0एस0 धर्मेश-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी, कर्मयोगी एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना जो वर्ष 2018- 2019 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मेरी विधान सभा के अन्दर विश्व की सबसे प्रसिद्ध इमारत ताजमहल, प्रसिद्ध लाल किला, एक स्टार से लेकर के सेवन स्टार तक के होटल, कमिश्नर, डी0एम0 और एस0एस0पी0 का कार्यालय, निवास सब मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको अपने क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा में बाराखम्भा में रेलवे फाटक पर भयंकर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस कारण बाराखम्भा, अर्जुननगर, अयोध्या कुंज, रूई की मंडी और जगनेर रोड से आने वाली जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रेलवे फाटक पर रेलगाड़ियों के अधिक आवागमन के कारण अक्सर फाटक बन्द रहता है और इस कारण हर समय वहाँ पर जाम लगा रहता है, इसलिए आगरा, सदर तहसील से लेकर पुलिस, स्टेशन के बगल से होकर ईदगाह रेलवे स्टेशन के ऊपर से एक आर0ओ0बी0 बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी से लोकसभा चुनाव से पूर्व इस आर0ओ0बी0 को बनाये जाने की मांग करता हूँ। इसी प्रकार जब भी आगरा में कोई वी0आई0पी0 या वी0वी0आई0पी0 आता है तो हवाई अड्डा से लेकर के सक्रिट हाउस तक पुलिस द्वारा माल रोड पर सुरक्षा की दृष्टि से सारे रास्ते बन्द कर दिये जाते हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुख्य डाकघर वाले चौराहे पर एक फ्लाई ओवर की मांग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ताजगंज क्षेत्र में धांधूपुरा से नगलापेंमा तक जाने के लिए 10-12 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। अगर धांधूपुरा से नगलापेंवा तक एक सीधा रास्ता बना दिया जाए, जिसकी लम्बाई मात्र एक-डेढ़ किलोमीटर तक होगी तो जनता को एक नया जीवन मिलेगा। मेरी विधान सभा में एक भी सरकारी इण्टर कालेज नहीं है। देवरी रोड से उखर्रा जाने वाले मार्ग के किनारे खाली पड़ी नजूल की जमीन पर एक राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की सरकार से मांग करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2018-19 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, वह पूरी तरह से विकासोन्मुखी है। ''सबका साथ, सबका विकास'' के सूत्र ध्यान में रखकर बनाया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट गांव, शहर, गरीब, किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार, नौजवान, महिलाओं के लिए कल्याणकारी और सर्व समाज को स्वर्णिमकाल में ले जाने वाला बजट है व अल्पसंख्यक और दलित समाज के लिए भी हितकारी बजट है। आगरा के सर्वांगीण विकास के लिए जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया है, जिसके लिए जमीन के अधिग्रहण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, वहीं आगरा जैसे महानगर के लिए मेट्रो ट्रेन भी दी है और दोनों के लिए धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

डा0 जी0एस0 धर्मेश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि मेट्रो के लिए जो डी0पी0आर0 बनी है, उसमें दो संशोधन कर दिये जायें। मेट्रो को सदर बाजार से लेकर रोहता नहर तक बढ़ा दिया जाए। ऐसा होने से चार विधान सभायें आगरा छावनी, आगरा ग्रामीण, फतेहबाद एवं खेरागढ़ विधान सभा की जनता को बहुत लाभ मिलेगा और मेट्रो पूरी तरह भरकर चलेगी और दूसरा है आगरा कैन्ट स्टेशन से बढ़ाकर सिविल ऐन्क्लेव के लिए अर्थात एयरपोर्ट तक इसको बढ़ा दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गनिर्देशन में जिस तरह से नकल विहीन परीक्षा करायी गयी है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि इससे पढ़ने वाला जो भी छात्र पढ़कर के आयेगा, अर्थात् जो पढ़ेगा, वही पास होगा, इससे शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा होगा। जो बच्चे नकल करके पास होते हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक एम0बी0बी0एस0 डाक्टर हूँ।

इस नाते मेरे पास दर्जनों बच्चे हाई स्कूल और इण्टर के जो फार्म भरे जाते हैं या जो नौकरियों के लिए फार्म भरे जाते हैं उसके लिए मार्कशीट और डाकूमेंट अटेस्ट कराने के लिए आते हैं।आज से चार वर्ष पूर्व एक इण्टर मीडिएट का छात्र मेरे पास कापी अटेस्ट कराने के लिए आया था तो उसके जो मार्कश थे वह 75-80 परसेंट के बीच में थे अर्थात डिस्टिंगसन के मार्क थे। मुझे उसकी मार्कशीट को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई थी तो मैंने उस छात्र से पूछा कि तुम्हारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो वह बोलने लगा कि मेरे पास हिन्दी अंग्रेजी फिलिप्स और कैमिस्ट्री है। मान्यवर मैंने जैसे ही फिलिप्स शब्द सुना तो मैंने उससे पूछा कि क्या बोला तो वह फिजिक्स का नाम ही नहीं ले पाया वह फिलिप्स ही कहता रहा। अपने नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं जो नकल विहीन परीक्षा इस बार हुई है मैं उसके लिए शिक्षामंत्री की पूरी तरह से प्रसंशा करता हूँ। यह जो बच्चे ने फिलिप्स कहा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सपा के शासन में शिक्षा का स्तर क्या है। अध्यक्ष जी मैं आज इस बजट के समर्थन में अपनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती नीलम करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। अध्यक्ष जी मैं वित्तमंत्री माननीय राजेश अग्रवाल जी ने 2018-19 का बजट जो किसानों नौजवानों व्यापारियों तथा समाज के सभी वर्गों के विकास हेतु प्रस्तुत किया मैं उसके लिए उनको भी आपके माध्यम से बधाई देती हूँ। मान्यवर, झूठे तथा कोरे वायदों का बजट प्रस्तुत कर पिछली सरकारों ने जनताको छलने का काम किया। माननीय वित्तमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह उत्तर प्रदेश की जनता की खुशहाली तथा सर्वसमाज के विकास का बजट है। इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ साथ हमें सचेत भी रहना पड़ेगा कि वह अधिकारी जो पिछली सरकार में जिनकी काम न करने की आदत पड़ गई थी उन्हें योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु काम करने की आदत डलवानी पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास और कार्यशैली से उत्तर प्रदेश की जनता को विकास की एक रोशनी दिखी है और सरकार पर जनताका भरोसा बढ़ा है। किन्तु कुछ अधिकारी अभी भी मनमाना कार्य करते हैं। और योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को न देकर

अपने हिसाब से कार्य करते हैं। जिस पर उन्हें कड़े निर्देश देने की भी आवश्यकता है। मान्यवर, यू0पी0इन्वेस्टर समिट 2018 को जो माननीय मुख्यमंत्री की अगुवाई और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई है और जिस प्रकार से इन्वेस्टर का रूझान उत्तर प्रदेश की तरफ हुआ है अपने आप में प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यह बदलाव माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश के विकास की सोच का नतीजा है। मुझे स्मरण आता है कि पूर्व की सरकार ने इनवेस्टर को तो आमंत्रित नहीं किया किन्तु एक आयोग का गठन कर अपने कुछ चहेतों को उसका अध्यक्ष और सदस्य बनाकर मंत्री का दर्जा देने का काम किया था किन्तु उसके उलट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के उद्योगपतियों को बुलाकर कई करोड़ के निवेश का एम0ओ0यू0हस्ताक्षर कराकर प्रदेश के विकास और रोजगार का जो रास्ता खोला है उसकी जितनी प्रसंशा की जाए कम है। किन्तु कुछ विपक्षी पार्टी के लोगों को यह अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आंधी को यह खलता है कोई दीपक क्यों जलता है। आँधी को यह खलता है कोई दीपक क्यों जलता है। रास्ते ठहरे रहते हैं राही उन पर चलता है। पाँव बढ़ाकर तो देखो कहाँ दूर सफलता है। कहाँ दूर सफलता है। मान्यवर, मैं इलाहाबाद की मेजा विधान सभा से जीतकर आयी हूँ जहां से भाजपा पहली बार जीती है। इलाहाबाद का विकास खण्ड शंकरगढ़ मेजा माण्डा कोरावं पहाड़ी क्षेत्र बुन्देलखण्ड की सीमा से लगा हुआ है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय वित्तमंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगी कि यदि इन विकास खण्डों को बुन्देलखण्ड की योजना से जोड़ दिया जाय तो इन क्षेत्रों का विकास और बेहतर हो सकता है। मान्यवर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का कार्य बहुत प्रसंशनीय है। ग्रामीण इलाकों तक 108 नम्बर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। फिर भी मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से तथा माननीय वित्तमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में हम जिन्हें झोला छाप डाक्टर के नाम से जानते हैं यदि उन्हें और प्रशिक्षित कर इस योजना से जोड़ दिया जाय तो इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को अवश्य प्राप्त होगा। आम आदमी बीमा योजना खेतों की सिंचाई की व्यवस्था की योजना पेयजल योजना बिजली की सौभाग्य योजना सौर ऊर्जा योजना कान्हां गौशाला योजना..

...शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे अभूतपूर्व कार्य, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सहित यह सभी योजनाएं अगर सही रूप में क्रियान्वित हों तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक खुशहाल प्रदेश बनेगा। मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मा0 वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि दिव्यांग लोगों के लिये जो योजनाएं लायी गयी हैं वह निश्चित रूप से अच्छी हैं, किन्तु यदि उसमें मोटर से चलने वाली ट्राईसाइकिल भी जोड़ दी जाए तो यह योजना और बेहतर हो जायेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं मा0 मुख्य मंत्री जी एवं मा0 वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने प्रदेश के बजट में आम आदमी के विकास का खाका प्रस्तुत किया है जिससे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

श्री विनय शंकर तिवारी जी।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। सबसे पहले मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी,

मा0 नेता बहुजन समाज पार्टी लालजी वर्मा जी से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह सरकार जब आई और अपना बजट पेश किया तो जोरों शोरों से विकास की बात कही गयी और अभी इन्वेस्टर्स समिट की बात बहुत अच्छे ढंग से और बहुत प्रभावी ढंग से कहीं गयी, लेकिन एक तरफ इन्वेस्टर्स को बुलाने की बात सरकार कर रही है और दूसरी तरफ जो सरकार के अपने उद्योग हैं उदाहरण के लिये जहां से मैं चुनकर आता हूँ, धुरियापार चीनी मिल है और वह सरकार की अपनी चीनी मिल है, लेकिन आज उसको बेचने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ उद्योगों को लगाने की बात की जा रही है। अपने आप में यह कैसा विकास है और यह सरकार किस तरह का विकास चाहती है यह अपने आप में एक उदाहरण है। सरकार उद्योगपतियों की बात कर रही है, लेकिन उद्योग लगाने के लिये कहीं किसी तरह की सुविधा देने की बात नहीं की जा रही है। किसानों की बात हो रही है। जब भी किसानों की बात होगी तब सिंचाई की बात जरूर होगी। आज पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ से पीड़ित है। मैं जिस जिले से आता हूँ वहाँ पर बाढ़ की विभीषिका सबसे ज्यादा है, लेकिन बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिये बजट में कोई उपाय नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार गरीबों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है। गरीबों के घर बाढ़ में डूब गये। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास मॉडल के रूप में बनाते हैं जिसकी कीमत करीब ढाई लाख रुपये आती है, लेकिन एक बाढ़ पीड़ित को जब आप पैसा देते हैं तो उसको केवल 95 हजार रुपया दिया जाता है, जिसके पास अपनी भूमि भी नहीं होती है, क्योंकि उसकी भूमि बह गयी होती है। एक तरह से यह सरकार की दोतरफा नीति है और सरकार विकास की अपनी बात करती रहती है। जब तक नदियों को जोड़ने का, नदियों को निर्मल करने की बात नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। आज गोरखपुर में जो आमी नदी है, कुवानो नदी है, सरयू नदी है, राप्ती नदी है, सभी नदियां आज पॉल्यूशन से ग्रस्त हैं, लेकिन उस सम्बन्ध में कहीं कोई बात नहीं हो रही है। गंगा को निर्मल करने की बात चल रही है, लेकिन जब तक आमी, कुवानो, सरयू नदियां निर्मल नहीं होंगी तब तक गंगा की निर्मलता केवल सपना है और कोरे वायदे हैं। इसलिये सरकार को उन नदियों के ऊपर भी सोचना होगा और विचार करना होगा। जहां तक सिंचाई की बात है, सरयू नहर की बात हो रही है तो बारा नगर कैनाल है जो कि सरयू नदी से आती है, लेकिन आज बारा नगर कैनाल में पानी नहीं आ रहा है और जब बारा नगर कैनाल में पानी नहीं आ रहा है तो सरयू कैनाल को पानी कैसे फीड कर रहे हैं इसकी भी एक समस्या सामने आयेगी। मा0 अध्यक्ष जी, इस पर भी कहीं कोई चर्चा नहीं की गयी है। नदी आज दूर जा चुकी है। आज वहाँ का किसान परेशान है, आज वहाँ का नौजवान परेशान है, लेकिन सरकार के बजट में नदियों के ऊपर कोई बात दिखाई नहीं दे रही है।

मा0 अध्यक्ष जी, आज एक तरफ सरकार गढ्ढा मुक्ति की चर्चा जोरों शोरों से कर रही है। रामजानकी मार्ग जो कि सरकार की योजना में है। सरकार रामजानकी की बात करती है, भगवान राम की बात करती है, लेकिन अगर आप रामजानकी मार्ग पर चले जाएं तो रामजानकी मार्ग में सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है इसका भेद करना मुश्किल हो जायेगा, आज इतनी बुरी हालत है। उदाहरण के लिये हम एक पैच का नाम दे दे रहे हैं। आप गोला से गोपालपुर तक चले जाईये, आप सड़क में गढढा है या गड्ढा में सडक है इसका अन्तर करना बड़ा मुश्किल है। सभी मा0 सदस्य अभी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जब अपनी बात समाप्त कर रहे

थे तो हो सकता है कि उनकी कोई बाध्यता रही हो, वह बार-बार यह कहते थे कि हमारे क्षेत्र के लिये यह योजनाएं दे दी जाएं, यह सड़कें दे दी जाएं, यह पुल दे दिये जाएं। आज इस सरकार को पूर्ण रूप से अधिकारी चला रहे हैं और अधिकारी निरंकुश होकर चला रहे हैं। आज किसी भी जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही है। चाहे वह किसी भी तरह की योजना हो। हमारे क्षेत्र में कम्बल वितरण की बात आई। इतनी भयंकर ठन्ड पड़ी लेकिन कम्बल वितरण की जब बात आई तो अधिकारियों ने एक बात भी नहीं सुनी और वहाँ पर कम्बल वितरण का कार्य नहीं किया गया, तो यह सरकार पूर्ण रूप से अधिकारियों के चंगुल में हैं और यह कहना चूँकि सत्ता पक्ष के हमारे भाइयों की कोई बाध्यता हो सकती है लेकिन आज अधिकारी उनकी भी नहीं सुन रहे हैं, वह भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से परेशान हैं। मा0 अध्यक्ष जी, बाढ़ की बात और है, जो बाढ़ से कटान हो गये हैं उनको बसाने के लिए भी सरकार ने कोई योजना नहीं बनायी है। चूँकि बाढ़ पीड़ितों के पास कुछ बचता नहीं है लेकिन उनके लिए भी सरकार की अभी तक यह परम्परा रही है कि उनको भूमि देकर बसाने का कार्य करती है और आज बाढ़ पीड़ित सड़क पर बसने के लिए विवश है। हमारे यहाँ जो जौहरिया गांव है, जगदीशपुर गांव है जो कि बाढ़ में विलीन हो गये थे लेकिन विलीन होने के बाद आज भी सरकार ने उनको बसाने की कोई योजना नहीं बनायी है। इसलिए अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए जो आवास के दाम हैं उसको बढ़ाया जाये और उसमें भूमि अलग से दी जाये जिससे वह अपने आवास को बनाने का कार्य कर सकें।

इसके साथ ही साथ अध्यक्ष जी, आज इस बजट में जो स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य एक सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज है उस मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञों की इतनी कमी है कि भगवान अगर किसी व्यक्ति को आपात स्थिति में ले आ दे तो वहाँ पर डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। बार-बार यह सरकार कहती है, बार-बार आदरणीय मंत्री जी यह कहते हैं कि यह काम हम कर लेंगे। कब कर लेंगे ? अब तो एक साल भी पूरा हो गया, काम करने की बात करते-करते। साल भर का समय, बहुत लम्बा समय होता है। जो भी आरोप लगते हैं पिछली सरकारों के ऊपर लगते हैं। ठीक है पिछली सरकारों ने जो कुछ किया। आपको भी साल भर में कुछ करना चाहिए था लेकिन अध्यक्ष जी, साल भर में कोई विकास का काम नहीं हुआ, केवल बाते हुई। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ जो हमारा शहर है वही मा0 मुख्य मंत्री जी का भी शहर है दूसरा शहर वाराणसी जो मा0 प्रधानमंत्री जी का है, बाबा विश्वनाथ का शहर है। अगर काशी से गोरखपुर जाना हो तो दो सौ किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 10-12 घन्टे लगेंगे क्योंकि उस मार्ग में इतने बड़े-बड़े गड्ढे हैं कि उसमें चलना सम्भव नहीं है, दुरूह कार्य है लेकिन फिर भी लोग जाने को बाध्य हैं, लेकिन उस पर अधिकारी जो गड्ढा मुक्ति की बात कर रहे हैं आज गड्ढा युक्त है।

एक तरफ सरकार कहती है कि भयमुक्त वातावरण है लेकिन जब हमारे आदरणीय चलते हैं, सरकार का भयमुक्त का वातावरण वहीं दिखायी पड़ जाता है जहां पर लम्बी-चौड़ी फोर्स होती है। तो कहां से भयमुक्त है ? जब आदरणीय ही भययुक्त हैं ? तो समाज कैसे भयमुक्त हो सकता है? जबकि यह अपने आप में ही एक उदाहरण है।

श्री अध्यक्ष-

बस करिये तिवारी जी, दस मिनट हो गये।

श्री विनय शंकर तिवारी-

अध्यक्ष जी, उन्होंने बहुत बोला है, हमें भी पूरी बात कह लेने दीजिए। अभी दो मिनट में हम अपनी पूरी बात नहीं कह पाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट नहीं हुए हैं, हम घड़ी देख रहे हैं।

श्री विनय शंकर तिवारी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, एक तरफ जब भयमुक्त समाज की बात होती है तो जब जनता में भय व्याप्त है और आदरणीय-माननीय जब चलते हैं अगर वह भयमुक्त होते तो निश्चित रूप से इतना बड़ा कारवां लेकर वे लोग नहीं चल रहे होते और जो भयमुक्त होता है वह निश्चित रूप से अकेले चलता है उसको किसी की सुरक्षा की आश्यकता नहीं होती है, उसकी सुरक्षा जनता करती है, उसकी सुरक्षा सरकार करती है लेकिन आज की तारीख में स्टेटस सिम्बल उसको ही माना जाता है जिसके पास जितनी बड़ी सुरक्षा है अगर केन्द्र सरकार की सुरक्षा है तो उसको ज्यादा वी0आई0पी0 कहा जाता है, प्रदेश सरकार में अगर दो से तीन गाड़ियां उसके ऊपर लगती हैं तो उसको और वी0आई0पी0 कहा जाता है तो यह भययुक्त समाज है, भयमुक्त समाज कहीं नहीं है। जिस भयमुक्त समाज की कल्पना की गयी थी निश्चित रूप से आज भयमुक्त समाज नहीं है। यह कोरी बात है और यह पूर्ण रूप से भययुक्त समाज है और आज जनता भयभीत है, आज वह अपने कार्य नहीं कर पा रही है। अध्यक्ष जी, जहां तक किसानों की बात है, नौजवानों की बात है किसानों से जो वायदा सरकार ने किया था, नौजवानों से जो वायदा सरकार ने किया था सरकार कहीं अपने वायदे पर खरी नही उतर पायी है। हम अपने क्षेत्र की बात करना चाहेंगे। हमारे यहाँ तहसील मुख्यालय में आज तक बस स्टेशन का निर्माण नहीं हो पाया है, साल भर हो गया लेकिन कहीं भी बस स्टेशन नहीं बना है। जो गोरखपुर शहर है आदरणीय मुख्य मंत्री जी का शहर है लेकिन गोरखपुर भी आज जाम से जूझ रहा है, मुख्य मंत्री जी भी जाते हैं तो तीन-चार घन्टे का जाम वहाँ पर लगा रहता है लेकिन उससे भी निजात की कोई व्यवस्था अभी तक सरकार ने नहीं की है। जहां तक मैट्रो की बात होती है वह अपने आप में विरोधात्मक है जो केन्द्र सरकार कहती है कि मैट्रो बनाने के जो नियम हैं वह दूसरे हैं जब हमारी घोषणायें होती हैं उसके नियम दूसरे हैं तो जब केन्द्र सरकार के नियम को हम मानेंगे, प्रदेश सरकार के नियम को मानेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह पूरा बजट किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, विकास विरोधी है इसलिये मैं अपने आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय लालजी वर्मा की बातों से सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री लाल बहादुर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं कौशाम्बी जनपद की मंझनपुर विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूँ। अध्यक्ष जी, कौशाम्बी वह धरती है जिसके कण-कण में इतिहास समाहित है, कौशाम्बी वह धरती है जहां पर

महात्मा गौतमबुद्व जी अपना चौमासा बिताया करते थे, कौशाम्बी वह धरती है, जिसे राजा उदयन ने अपनी राजधानी बना कर गौरान्वित किया था, कौशाम्बी वह धरती है जहां पर ऋषि के श्राप से बचने के लिए राजा परीक्षित ने सर्प यज्ञ करवाया था, कौशाम्बी वह धरती है जहां पर शीतला माता धाम आदि शक्ति पीठ है, कौशाम्बी वह धरती है जहां पर श्रीकृष्ण जी ने शिक्षा ग्रहण की थी, कौशाम्बी वह धरती है जहां रामचरित मानस के रचयिता महाकवि तुलसी दास जी ने प्रेरणा ली थी, जहां पर रत्नावली जी का जन्मस्थान है कौशाम्बी वह धरती है जहां लाखों संख्या में साइबेरियन पक्षी प्रतिवर्ष प्रवास करने आते हैं। अध्यक्ष जी, मैं याद दिलाता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता के कारण कौशाम्बी आज अपने अतीत के आंसू बहा रहा है। अगर पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा ध्यान दिया गया होता तो वहाँ से बहुत बड़ा राजस्व प्रदेश की सरकार को मिलता और वहाँ की जनता को भी बड़ा रोजगार मिलता। विपक्ष में हमारे जो सम्मानित साथी बैठे हैं वह अभी बजट भाषण पर बोल रहे थे कि आज पांच-छह दिन में ट्रांसफारमर लगता है और बिजली व्यवस्था सही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज चौबीस घण्टे और बत्तीस घण्टे के अन्दर ट्रांसफारमर लगा दिया जाता है। पिछली सरकारों में ट्रांसफारमर छह महीने में लग पाता था, उस हिसाब से अगर इनकी बात को ही मान लिया जाये तो आज तीस गुना ज्यादा तेजी के साथ ट्रांसफारमर लगाये जा रहे हैं। यहाँ पर गड्ढ़ों की बात की जा रही थी, मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ इनके कार्यकाल में हमारे यहाँ गड्ढ़े नहीं खन्दक हो गये थे। जिन पर पैदल चलना भी दूभर था। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार द्वारा पी0जी0आई0 को दो सौ अतिरिक्त बेड स्थापित करने के लिए अतिरिक्त बजट दिया गया है। आज हम लोग अपने मरीजों को वहाँ पर भर्ती कराने के लिए परेशान होते हैं क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं रहती है। इनकी सरकारों ने ऐसे स्थानों के बारे में कभी सोचा नहीं है। वहाँ जो बीमार लोग हैं पता नहीं कब भगवान को प्यारे हो जाये, तो ऐसे लोगो का इलाज कराने के लिए दो सौ बेड अतिरिक्त बढ़ाये गये हैं। हमारे विपक्ष के नेता जो हमको प्रबोधन देने का काम किये थे हम सबने देखा कि जब माननीय राज्यपाल जी अभिभाषढ़ पढ़ रहे थे उस समय उनके माननीय सदस्यों द्वारा सदन में किस प्रकार गोले फेंके जा रहे थे, लम्बी सीटियां बजाई जा रही थीं। मैं फौज में रहा हूँ और वहाँ पर सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। अध्यक्ष जी, सीटियां तो फौज में भी बजाई जाती हैं, लेकिन वह तब बजाई जाती हैं जब कहीं पर आग लगी हो और आग को बुझाने का काम किया जाता है। लेकिन मैं देख रहा था कि यहाँ पर सीटियां बजाकर और गोले फेंककर आग को लगाने का काम किया जा रहा था और चूंकि जो हमें कहते थे कि विधानसभा एक पवित्र स्थान है उसकी गरिमा को बनाये रखना है, उन्हीं के द्वारा उन्हीं की मौजूदगी में सीटियां बजाई जा रही थीं, गोले फेंके जा रहे थे। मैं आज अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि आज जो सरकार वर्तमान में है अच्छे कर्म कर रही है, अच्छा काम कर रही है, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे महिलाएं हो चाहे मजदूर हों, सबके हितों को ध्यान में रखते हुए यह सरकार काम कर रही है। आज हमारे मा0 योगी जी और हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, सब लोग उस बजट की गांव में सराहना करते हैं। आज जनता से पूछिए। जनता के बीच में जाकर पूछिए। आप अपने दिल पर हाथ रख कर खुद सोचिए कि परिवर्तन हो रहा है। आज जनता खुशहाल है। आज हर क्षेत्र में भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बदमाश-डकैत प्रदेश को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। मित्रों, सराहना करिये, तारीफ करिये कि यह सरकार जो कर

रही है उस पर ध्यान दीजिए। सरकार किसानों के लिए और सबकी भलाई के लिए काम कर रही है। अध्यक्ष जी, मैं एक शेर कहता हूँ।

'वक्त नूर को बेनूर बना देता है,
छोटे वक्त से जख्म को नासूर बना देता है,
कौन चाहता है विपक्ष में बैठना, लेकिन कर्महीनता की वजह से,
विपक्ष में बैठने के लिए वक्त मजबूर बना देता है।'

अध्यक्ष जी, इनके कर्म ऐसे थे, जिसने इनको विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर बना दिया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे वित्त मंत्री जी ने एक शेर कहा था। उन्ही के लिए एक शेर कहता हूँ कि-

'हमारा वादा है कि हर घर को जगमगायेंगे
दीये की लौ को हवाओं से बचायेंगे,
स्वर्ग उतरेगा, एक दिन अपनी धरती पर,
जो कोई कर नहीं पाया वह कर दिखायेंगे,
प्रदेश में अमन-चैन और खुशहाली लायेंगें।'

अध्यक्ष जी, आज जो इज्जत घर दिया गया है। गांवों में यह लोग खुद ही देखते होंगे कि वहाँ की सड़के कैसी थीं और वातावरण कितना प्रदूषित रहता था। आज वही सड़कें साफ-सुथरी और प्रदूषण रहित दिखती हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रभात कुमार वर्मा जी।

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2018-19 में मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी चर्चा हो रही थी सरकार की उपलब्धियों के बारे में तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक साल में काम करके दिखाया है, शायद विपक्ष के लोगों ने पांच सालों में भी करके नहीं दिखाया होगा। मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता हूँ। केवल गोण्डा जनपद की बात करता हूँ। इनकी सरकार में गोण्डा जनपद में तीन-तीन मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज गोण्डा जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। हमारी विधान सभा क्षेत्र गोण्डा मुख्यालय से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर गौरा विधान सभा क्षेत्र है जहां प्रसिद्ध स्वामी नारायण छपिया मन्दिर स्थापित है। जहां अहमदाबाद से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र के लोग तथा दूर-दूर से लोग आते हैं। वहाँ सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है सारी सड़कों की स्थिति धीरे-धीरे ठीक हो रही है। मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूँ कि गड्ढा-मुक्ति के नाम पर 70 सड़के केवल मेरी गौरा विधान सभा क्षेत्र में रिपेयर हुई हैं। जो अब चलने लायक हो गई हैं। अभी दीनदयाल योजना के तहत हमारी विधान सभा क्षेत्र में 17 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जहां काम शुरू होने वाला है। मैं विपक्ष के लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक साल के कार्यकाल में केवल

गौरा विधान सभा क्षेत्र में सौ-शैय्या अस्पताल स्वीकृत हुआ है। एक आई0टी0आई0 कालेज स्वीकृत हुआ है। एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज स्वीकृत हुआ है, जिसका शिलान्यास भी हो चुका है। मैं बताना चाहता हूँ कि विकास की दृष्टि से पूरे प्रदेश में बहुत तेज गति से काम हो रहा है। आज हमारे वित्तमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके समर्थन में मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत तेज गति से, चाहे बिजली के मामले में हो चाहे किसानों के मामले में हो चाहे छात्रों के मामले में हो बहुत तेज गति से काम शुरू हुआ है और आगे भी 2022 तक सभी को आवास मिलेगा। किसानों की आय दोगुनी होगी। अभी हमारे क्षेत्र में उद्यान विभाग द्वारा बहुत बड़ा औद्यानिक मेला लगाया गया था। जिससे किसानों की मधुमक्खी पालन करके उनकी आये कैसे दोगुनी हो, इस पर भी चर्चा हुयी। मैं मा0 कृषि मंत्री जी की सराहना करना चाहता हूँ कि आपके विभाग द्वारा हमारे क्षेत्र गोण्डा जनपद में कृषि विभाग द्वारा तमाम योजनायें संचालित की जा रही हैं। उससे किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी सरकार में 8 घण्टे भी बिजली नहीं आती थी। केवल तीन-चार जिलों को बिजली मिलती थी। आज 75 जिलों में 24 घण्टा जिला मुख्यालयों को बिजली मिलती है और तहसील मुख्यालयों में 20-22 घण्टे और गांव में 18 घण्टे बिजली मिल रही है। केवल गौरा विधान सभा में पचासों गांव में विद्युतीकरण का काम तेज गति से चल रहा है। हम मा0 ऊर्जा मंत्री जी की सराहना करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत तेज गति से काम शुरू कराया है। इस बजट में गोण्डा के साथ पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से विद्युत का विकास होगा। दो-दो विद्युत सब-स्टेशन जो स्वीकृत हो गया है, इसी अप्रैल महीने में शिलान्यास होने वाला है। मा0 अध्यक्ष जी हम इस बजट की सराहना करते हुए बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दो-तीन विद्वान सदस्यों ने कुछ बातें रखी हैं। उनके जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। सैफई के मेडिकल कालेज पर बात आयी। हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है, हर नेता का कर्तव्य होता है कि जो उसकी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है उसके लिये वह जितना करे कम है। मैं आपसे भी अनुरोध है कि आपकी जो भी कर्मस्थली हो, जो भी जन्मस्थली हो आप भी इसी तरह की मिसाल पेश करें। मैं मा0 मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सैफई का विकास कराया। आप आंकड़े निकलवा लें। योगी जी भी सबसे ज्यादा बजट गोरखपुर में ले गये हैं और ले गये हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। उन्हें मौका मिला है। ले जाना चाहिए लेकिन आलोचना नहीं होनी चाहिए। अभी एक फौजी विद्वान सदस्य बोल रहे थे। कौशाम्भी के बारे में बोल रहे थे। मेरा उनसे अनुरोध है कि सेना का सम्मान बढ़ाने का काम मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। जब कोई सैनिक शहीद होता तो सिर्फ कपड़े और बक्सा आता था। जब नेताजी रक्षा मंत्री बने तो डेडबाडी सम्मान के साथ घर तक पहुंचायी जाने लगी और 20 लाख रुपये की सहायता भी मिलने लगी। अध्यक्ष जी, अब मैं बजट पर बोलना चाहूंगा। आजकल जो आप शौचालय इज्जतघर बना रहे हैं। बालू की कीमतें कम करवाइये। 12 हजार में कैसे बन जायेगा। 80 हजार का बालू का ट्रक आ रहा है। 12 हजार में शौचालय बन रहा है और जो अभी भाई अर्थशास्त्री बोल रहे थे उनसे मेरा सुझाव है कि अर्थशास्त्र में लिखा है कि जब कोई प्रोजेक्ट लेट होता

है तो उसकी लागत बढ़ जाती है। आपने विद्वेष की भावना से हमारी सरकार के तमाम प्रोजेक्ट रोक दिये। जब उनकी समय-सीमा बढ़ेगी तो लागत भी बढ़ेगी और जब लागत बढ़ेगी तो प्रदेश सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। तमाम योजनायें जैसे मेरे मैनपुरी जिले में सैनिक स्कूल 95 फीसदी बन चुका है थोड़ा सा पैसा मिल जाये तो बच्चों के दाखिले शुरू हो जायें। इंजीनियरिंग कालेज 98 प्रतिशत बन चुका है केवल 12 करोड़ रुपये देना था आपने सिर्फ तीन करोड़ दिया। इस साल भी बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पायेंगे। पूरे देश में विदेशी पक्षी सर्वाधिक मैनपुरी पिक में आते हैं और सारस जाति जो विलुप्त हो गयी है। हमारी सरकार ने सारसों के उत्थान के लिए एक योजना चलायी थी। बजट में उस योजना का एक भी पैसा नहीं दिया गया है।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा सारस मैनपुरी जिले में पाया जाता है। मान्यवर, काननू व्यवस्था की बात हो रही थी जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जब किसी का इनकाउन्टर करते हैं तो गोली सीने पर मारते हैं कि पैरों में? जितने इनकाउन्टर हो रहे हैं आप उसके आंकड़े बना लीजिएगा गोली टांग पर लगती है क्या यह साजिश है या रणनीति का हिस्सा है? सरकार हमें यह बताए। जब किसी को मारना है तो निशाना चूक कैसे जाता है? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह समस्या मेरी भी और उधर के सदस्यों की भी है। पिछड़ी समुदाय की लड़कियों के लिए जो अनुदान दिया गया है उसमें एक ऐसा सॉफटवेयर लगा दिया है कि यदि 200 लड़कियों ने आवेदन किया है उसमें जब तक पहले का निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक कंम्प्यूटर दूसरा शो नहीं करता है। एक लड़की की रिपोर्ट जब लग कर आ जाएगी तब दूसरा कार्ड आपका डाउनलोड होगा। अब 31 मार्च में कितने दिन बचे हैं? पूरा का पूरा बजट लैप्स हो रहा है। बमुश्किल पूरे प्रदेश में 30 प्रतिशत ही बजट खर्च हो पाएगा। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सॉफटवेयर की समस्या का निदान करा दें जिसमें एक साथ जितने भी कार्ड आऐ हैं वह शो नहीं हो रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। उसमें तहसील से रिपोर्ट आती है और जब तक तहसील से रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक वह पैसा उनको नहीं मिल सकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विधायक निधि खतम कर दी जाए। उसकी जगह हमसे प्रस्ताव ले लिये जाएं। विधायक निधि में जी0एस0टी की कटौती कर दीजिए तो केवल एक करोड़ 32 लाख बचता है। मान्यवर, एक करोड़ 32 लाख में कौन सा विकास हो जाएगा? मैं आपके माध्यम से आप सभी सदस्यों से मैंने पिछली सरकार से भी अनुरोध किया था और सहमती भी बन गयी थी वेतन और विधायक निधि बढ़ाने पर। वेतन तो बढ़ गया, लेकिन विधायक निधि नहीं बढ़ी। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि या तो विधायक निधि समाप्त कर दी जाए नहीं तो दूसरे प्रदेशों की तरह जितनी वहाँ है, यदि उत्तराखंड में देखा जाए तो वहाँ का क्षेत्र भी छोटा है और जनसंख्या भी कम है, लेकिन विधायक निधि ज्यादा है। बगल में एम0पी0 तथा दिल्ली में भी ज्यादा है। मान्यवर, हमारा प्रदेश जनसंख्या में भी ज्यादा है, आबादी में भी ज्यादा है। मान्यवर, आप बता दीजिए कि एक करोड़ 32 लाख में कहां से विकास हो जाएगा? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एस0एच0 स्टेट हाई-वे-84 जो कि देश की सबसे महत्वपूर्ण रोड एन0एच0-2 से निकलती है और देश की सबसे महत्वपूर्ण रोड भोगाव मजा रोड गुड़गांव से जोड़ती है। हमारी सरकार ने फोर लेन का काम शुरू किया था। उसमें एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया गया है। पूरी स्टेट हाई-वे खुदी पड़ी हुई है। बीच में मेरा क्षेत्र भी

आता है अगल-बगल में बी0जे0पी0 के दो विधायक हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस पर धन अवमुक्त करा दें। मान्यवर, त्वरित आर्थिक योजना के तहत हमारे मैनपुरी शहर में देवी रोड बाईपास का निर्माण स्वीकृत हुआ था जिसमें अनुबन्ध हो गया और दस करोड़ रुपया मिल गया। पूरा पैसा वापस मंगा लिया अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मेरा अनुरोध है कि उस काम को शुरू करा दिया जाए। मान्यवर, सदन के बाद एक सर्वदलीय कवि सम्मेलन जरूर बुला लें (हंसी के ठहाके) क्योंकि इस बार सदन में बहुत कवि आ गये हैं। मान्यवर, मैं भी एक कविता कह दूं:-

''फूलपुर में रंग बरसे और गोरखपुर में गुलाल,
जुमलेबाजी की सरकार का क्या हो गया हाल।
कवीरा सारा-रा-रा, कविरा सारा-रा-रा,।।''

(हंसी के ठहाके)

इलाहाबाद की घटनाओं का प्रकरण

श्री अध्यक्ष-

प्रातःकाल मा0 नेता प्रतिपक्ष ने इलाहाबाद के सम्बन्ध में संक्षेप में एक विषय उठाया था उस समय मैंने पहले ही कहा था कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री के पास सूचना नहीं थी। सम्भवतः अब सूचना आ गयी होगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में बहुत शान्ति है, कोई उत्तेजना नहीं है, कोई उद्वेलित नहीं है। कानून-व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त-दुरुस्त है और सरकार का पूरा नियंत्रण है। लेकिन नेता विरोधी दल जो हैं वे कभी-कभी उद्वेलित हो जाते हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए कि जिन घटनाओं की जानकारी वे समाचार-पत्रों से कोट करते हैं क्या उन घटनाओं को कितनी ही पुलिस कितनी ही सीआरपीएफ और मिलेट्री लगा दी जाए तो क्या उन घटनाओं को रोका जा सकता है ? व्यक्तिगत रंजिश जिसका पहले से कोई प्रीवियस एन्टीसिडेन्ट्स न हो, जिसके बारे में पहले से पुलिस-प्रशासन को कोई सूचना न हो, मान्यवर मैं समझता हूँ कि सरकार किसी की हो, ऐसी परिस्थिति में इस तरीके से जो व्यक्तिगत रंजिश के आधार पर जो स्पॉनटेनियस मर्डर हो जाते हैं उसको नहीं रोका जा सकता है। आपने तो समाचार-पत्र देखा और एक सूचना ले आए कि पूरे प्रदेश में हाहाकार, प्रदेश में बहुत असहज स्थिति, जनता हाहाकार कर रही है। मान्यवर, वह हाहाकार केवल इन्हीं को सुनाई पड़ रहा है और हम गारन्टी के साथ कहते हैं कि पूरे प्रदेश की जितनी गलत जानकारियां हैं वह सब लेकर ये लेकर आते हैं। बरसों से यहाँ पर बार-बार इस बात को दोहराया जाता है कि अखबार की घटनाओं का संज्ञान नहीं लिया जाता है। मान्यवर, इन्हें यह जरूर देख लेना चाहिए कि जो घटनाएं इन्होंने कोट की हैं, पहले से उन घटनाओं के बारे में पुलिस को, प्रशासन को कोई सूचना नहीं थी, कोई घटना ही नहीं थी, एकदम से पत्नी ने पति से किसी बात पर झगड़ा किया। पैसा मांगे, प्रॉपर्टी के बारे में हिस्सा मांगा और पति ने घर के चाकू को उठाकर उसे गोदना शुरू कर दिया और उसके बाद जो दूसरे आए उनके पिताश्री उनको भी गोद डाला गया और फिर बच्ची आई उसे भी गोद दिया गया। मान्यवर, अब बताइये की कौन-सी पुलिस, कौन-सी मिलेट्री और कौन-सी सेन्ट्रल फोर्स इन घटनाओं को रोक सकती

है। मान्यवर, घटना नं0 1 जो इन्होंने बताई थी थाना-करैली वाली घटना। जिसमें सलमा, यूनुस और मरजियां इन तीन लोगों की हत्या हुई। एक व्यक्ति ने ग्रेव एण्ड सडन प्रोवोकेशन में प्रॉपर्टी के झगड़े में यह घटना हो गई। दूसरी घटना मान्यवर, जो आपने थाना-करछना की घटना बताई। दो दोस्त हैं, शराब पीकर नाव में बैठे, एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर जा रहा था, उसमें झगड़ा हुआ एक ने दूसरे को धक्का दे दिया। एक मर गया और उसमें जो नामजद है उसको गिरफ्तार कर लिया है। मान्यवर, अब बताइये कि इसको कौन-सी पुलिस, कौन-सा प्रशासन रोक सकता है ? न तो नाव में चलना रोक सकता है न तो पहले से कुछ प्रीवियस एन्टीसिडेन्ट्स ऐसे हैं जिसके आधार के ऊपर कोई चेक लगाया जा सकता है कि प्रशासन कोई चुस्ती-दुरुस्ती दिखाए, 107-116 की कार्रवाई करे या इसके अलावा और किसी प्रीवेन्टिव सेक्शन्स के अन्तर्गत कार्रवाई करे। व्यक्तिगत रूप से एकदम से घटना हुई, दोनों लोग जा रहे थे, एक-दूसरे से बातचीत हुई, उन्होंने उसे धक्का दे दिया, वह गिर गया और मर गया। जैसी ही घटना खुली तो प्रशासन ने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया और क्राइम नं0 है-118/2018 और मुख्य अभियुक्त अनूप शर्मा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरी घटना, जो थाना-नवाबगंज की है। इसमें भी जमीन के विवाद की वजह से मर्डर हुआ और इसमें भी पुलिस ने पूरी सक्रियता के साथ जो व्यक्ति इसमें नामजद किया गया था क्राइम नं0- 104/2018 धारा-302, 307 में ये केस पंजीकृत किया गया है और तीरथ पासी, इसको मान्यवर, पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तो मेरा सब्मिशन यह है कि जो घटनाएं माननीय नेता विरोधी दल ने इसमें कोट की हैं, अपने पद का उपयोग करते हुए, नेता विरोधी दल के रूप में उनको यह अधिकार है, इस सदन में कभी भी बोल लें, तो उन्होंने उस उपयोग के तहत् घटनाओं की जानकारी आपके समक्ष रखी और मैं समझता हूँ जो घटनाएं सामने आयी हैं, जिस परिस्थिति में हुईं, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी में है। जो पहली है, जिसमें 03 मर्डर हुए, यह थाना-करैली की घटना है और इसमें मुकदमा अपराध सं0-110/18, 302, 406 पंजीकृत हुआ और इसमें सौरभ चौरसिया उर्फ उस्मान गनी जो इसमें मुल्जिम है, उसने बाकायदा वीडियो रिकार्डिंग के सामने, मीडिया के सामने इस बात को स्वीकार किया। पहले उसने झूठ बोला, पहले उसने केस स्टोरी बनायी। अपने आप उसने अपनी पत्नी को, ससुर को और एक बच्चे को मारा और उसके बाद स्टोरी बनाना शुरू किया कि हमने नहीं मारा लेकिन उसके बाद सब कबूल दिया और उस घटना का खुलासा मीडिया और पुलिस के सामने हो गया। मान्यवर, इसमें बरामदगी भी हो गयी। इसमें 01 लाख 75 हजार रुपये नकद बरामद हुए, घर का चाकू बरामद हुआ, खून से सने हुए कपड़े बरामद हुए। पूरी मुस्तैदी के साथ इतनी जल्दी पूरे केस को वर्कआउट कर दिया। तो मान्यवर, जितनी जल्दी ये व्यक्तिगत आधार पर जो घटनाएं हुई, उनका पुलिस ने संज्ञान ले कर के जो सक्षम धाराएं हैं, उसमें पंजीकृत कर दिया और मुल्जिम को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मैं समझता हूँ कि नेता विरोधी दल को इसमें थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए और इतना असहज नहीं होना चाहिए, हर बात को लेकर और यह जरूर सोचना चाहिए कि इनकी सरकार होती तो क्या इसको रोक सकते थे? मान्यवर, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता जो व्यक्तिगत रूप से स्पांटेनियस, ग्रेव एण्ड सडेन प्रोवोकेशन में, किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में किसी परिस्थिति में इस प्रकार की घटनाएं हो जायें तो मान्यवर, यह रोकी नहीं जा सकती हैं और उसके बाद भी घटना होने के बाद पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ चाहे वह रिकवरी का मामला हो, चाहे मुल्जिम की गिरफ्तारी का मामला हो, उसने पूरी

मुस्तैदी के साथ काम करके इसको अन्जाम दिया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई और बात नहीं है। बाकायदा विवेचना चल रही है और इसमें अगर और भी कोई दोषी आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, यही मुझे इस सम्बन्ध में कहना है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की पूरी बात मैंने सुनी। यह पहली दफा मुझको सुनने को मिल रहा है कि कोई मर्डर करने वाला पहले पुलिस को बतायेगा कि हमको मर्डर करना है। जो भी मर्डर करता है क्या कभी किसी पुलिस को बताया है ? पुलिस को बता देगा तो मर्डर होगा कैसे ? ये कह रहे हैं कि घर में मर्डर हो गया। मर्डर घर में भी होता है, घर के बाहर भी होता है। हमने तो आपको सूचना दी, आप ही बताइये जहां 6-6 मर्डर जिस जनपद में हो जायेंगे, वहाँ हाहाकार नहीं मचेगा, वहाँ हरि कीर्तन होगा? आप ही के जिले में हो जायें, मेरे जिले में हो जायें, कहीं हो जायें, जहां 6-6 मर्डर हो जायें, वहाँ हाहाकार नहीं मचेगा ? जहां तक अखबार की बात है, कई बार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस बात को कहा है, जब यह विपक्ष में थे तो ये भी अखबार से ही नोटिस बनाते थे। अखबार हम पढ़ कर उदाहरण नहीं दे सकते, लेकिन नोटिस आप अखबार से बनाते हैं, टी0वी0 चैनल के न्यूज से बनाते हैं।

मान्यवर, गांव से घर से फोन आता है, उससे बनाते हैं, मेरा तो यह कहना है कि आप जिस दिन जश्न मना रहे थे उस दिन ऐसा घनघोर अपराध हुआ। वहाँ के पुलिस अधिकारी क्या कर रहे थे ? अगर कोई धक्का दे देगा तो इसमें कोई क्या करेगा ? हम यहाँ से निकल रहे हो कोई धक्का दे दे हम गिर कर मर जाये इसमें कोई क्या करेगा। इस तरह का जवाब सन्तुष्ट करने वाला नहीं है। मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ कि चाहे कितना ही सरकार चाहे जितना ही इकबाल कायम करना कहे, कानून व्यवस्था के मामले में यह सरकार ध्वस्त हो चुकी है, इसके बूते की बात नहीं है कानून व्यवस्था की। कोई पार्टी नहीं छोड़ा, यह मामूली बात नहीं है इनकाउण्टर सही हो या इनकाउण्टर गलत हो इस पर हम नहीं कहते है लेकिन कोई उपाय भी नहीं छोड़ा उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था इतनी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हम तो विपक्ष में हैं तो हम आपके सामने जनता का सवाल रखेंगे ही, हल करना आपका काम है अध्यक्ष जी, यही हमको कहना है।

उ0प्र0 सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017, जो इस सदन द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिशद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 13 मार्च, 2018 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

यह विधेयक है जो आदरणीय इस सदन ने पारित कर दिया था और विधान परिषद् गया था, विधान परिषद से अस्वीकृत होकर इस सदन में फिर आया है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में फिर से पास होने के लिए आया है इस पर बहस तो होगी ही।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह प्रस्ताव रखा है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017, जो इस सदन द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 13 मार्च, 2018 की बैठक में अस्वीकार हो गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि पुनः पाठन के पहले और पारित करने के पहले मेरे द्वारा बताये गये बिन्दुओं पर चर्चा करने हेतु इसकी गम्भीरता का अहसास करते हुए इसे प्रवर समिति को दुबारा दिया जाना चाहिए। हमारे हाउस के बुद्धजीवियों ने हायर हाउस में प्रवर समिति और तमाम लोगों ने जिन बिन्दुओं के आधार पर उसे अस्वीकृत करने का काम किया। निश्चित रूप से वह बहुत ही गम्भीर बिन्दु है और उन तमाम चीजों पर पुनः समीक्षा करने से पहले यह जरूरी है कि सदन के मूर्धन्य सदस्य भी इन तमाम बिन्दुओं पर फिर दुबारा चर्चा करें तब जाकर इसका निर्णय लेने की कोशिश करने का काम करें। उपरोक्त जो विधेयक लाया जा रहा है वह स्वाभाविक रूप से जो मूल भावना है, सहकारिता की उस मूल भावना के ऊपर कुठाराघात है। न केवल मूल भावना के ऊपर है बल्कि लोकतंत्र के ऊपर भी कुठाराघात करने की भावना इस नियत के तहत की जा रही है कि उस सहकारिता आन्दोलन के उन तमाम संस्थाओं के ऊपर किस तरह से सत्ता अपना वर्चस्व बनाने का हथियार अपने हाथ में ले लेना चाहती है। भारत में पांच लाख के करीब सहकारी समितियां हैं।

उसमें उत्तर प्रदेश में 9 हजार और सहकारी समितियां हैं। सहकारिता का आन्दोलन और ट्रस्टीशिप का आंदोलन महात्मा गांधी जी ने जिस आधार पर किया था, उनका एक मकसद था और वो मकसद था कि हम किस तरह परस्परता और सहकारिता के जरिये उन लोगों को जवाब दे सकें जो अपनी पूंजी के आधार पर धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश के इस प्रकृति पर कब्जा करने की नीयत रखना चाहते हैं। हम किस तरह से सामुदायिक अधिकारों को महत्व देते हुए उनके लिए कुछ इस तरह के संसाधन प्रतिपादित करने की कोशिश करने का काम कर सकें। जिससे वो भी अपने परिवारों का संचालन करने का काम कर सकें। इसलिए ही केंद्र सरकार ने प्रोफेसर ए0 बैधनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाईं। और उस कमेटी ने भी संस्तुति कर सहकारिता आन्दोलन की उस पवित्रता को बरकरार रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा अलग-अलग प्रमुख सचिवों को अलग-अलग प्रदेशों में ये बात जारी करने की बात की गई कि किस तरह इतनी ज्यादा मैनपॉवर को रखने वाला जनसंख्या को रखने वाला ये देश सहकारिता आन्दोलन के जरिये सभी लोगों के सामुहिक प्रयास के तरक्की और उन्नति के रास्ते पर चलने की अपनी उस रास्ते को अख्तियार करने का काम कर सके और उसी आधार पर 9 हजार समितियों का संचालन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, परन्तु उन

9 हजार समितियों के ऊपर हम अपना वर्चस्व कर लें, बजाए इसके की कोई भी इस बात के प्रस्ताव आने की बात होती कि अगर कोई खामी है, और प्रबन्ध समिति दोबारा अब नई प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर चयन नहीं कर पाई है, तो कुछ इस तरह की बाध्यता उसके अन्दर लाने-जाने का काम किया जाए, जिसके द्वारा जनता के द्वारा जो चुनी गई को-ऑपरेटिव सोसाइटी की प्रबंध समिति है उन्हें दोबारा से नए प्रबन्धन का चयन उससे पहले कर लिया जाए, जिससे पहले कार्यकाल समाप्त हो, और अगर कार्यकाल समाप्त होने से पहले चयन नहीं भी हो पाता है तो उसका मतलब यह कतई नहीं है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के ऊपर किसी सरकारी कर्मचारी को प्रबन्ध निदेशक करके बैठा लिया जाए और खुले रूप में लोकतंत्र का इस तरह से मखौल उड़ाने की कोशिश करने का काम किया जाए, जिससे न केवल भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बल्कि जो उसकी मूल भावना है किस तरह से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो उस प्रबंध निदेशक के जरिये खुले रूप में उसका उल्लंघन करने की कोशिश करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रबन्ध निदेशक को सशक्त करने की नीयत के तहत उसके अंदर तमाम सरकारी अधिकारी जो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करने का प्राविधान करने की कोशिश की जा रही है। ए0आर0 कॉपरेटिव सचिव ए0सी0ओ0 और ए0डी0ओ0 के द्वारा बन गई प्रबन्ध समिति के माध्यम से हम किसी भी रूप में इस बात को नहीं अन्दाजा लगा सकते कि आप सहकारिता आंदोलन के मजबूत करने की तरफ कुछ इस तरह की स्टेप लेने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से इन चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए इस बात को निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ कि इतना आसान नहीं है कि विधान परिषद् के द्वारा जिस बात को रखा गया और उसे प्रवर समिति को सौंपने के बाद उसको निरस्त करने की बात कही गई है ये पूंजीवाद और निजीकरण का जवाब है। सहकारिता सामुदायिक अधिकारों का हथियार है सहकारिता, प्रकृति के संरक्षण का अधिकार है सहकारिता परस्पर परस्परता और सहयोग का अनूठा उदाहरण है सहकारिता। उस सहकारिता आंदोलन को अधिकारिक और अधिनायकवादी रवैये के जरिये भ्रष्ट और विनाश करने की जो कोशिश मौजूदा प्रबन्ध व्यवस्था के द्वारा की जा रही है निश्चित रूप से ये संविधान के भी विरोधी हैं। संविधान के 57वें में एक संशोधन हुआ भी है कि सहकारी समितियां बनाने का अधिकार अनुच्छेद-19(1) के अन्तर्गत संविधान का मूलभूत अधिकार माना गया है और उसके अन्दर अगर हम दखलंदाजी करने की कोशिश करने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से ये उसके भी विपरीत है। मैं इसी के साथ-साथ जो इसकी अंत में विधेयक की जो सोच है, के द्वारा जो इसमें जो संचालक मण्डल के द्वारा संविधान द्वारा नियंत्रण प्रबंध निदेशक को देने का प्रयास किया जा रहा है वह बिल्कुल असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद-243 जेड आई में यह भी प्रश्न स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि सहकारी सहमितियां स्वायत्त हैं। उससे पहले की ये निर्णय लिया जाए हमें इस बात की तरफ भी ध्यान करना चाहिए कि ये सुप्रीमकोर्ट की भी अवहेलना है इनको भी मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ कि जिससे इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जा सके कि ये सर्विस कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य और दूसरा विपुल भाई एण्ड चौधरी बनाम गुजरात कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ए0आई0आर0 2015 के अन्तर्गत भी ये प्राविधानित किया गया है कि इस तरह की दखलंदाजी नहीं की जानी चाहिए थी, सहकारिता की पवित्रतता को बरकरार रखने के लिए, लोकतंत्र की पवित्रतता को बरकरार रखने के लिए। मौजूदा जो ये विधेयक लाने की कोशिश की जा

रही है, मान्यवर, सरकार प्रबन्ध निदेशक के जरिए केवल अपना हस्तक्षेप उसके अन्दर डालने की कोशिश कर रही है। इसके लिए हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उपरोक्त विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। एक बार पुनः चर्चा हो, इसमें कोई जल्दी नहीं है और उसके बाद इसे फिर दोबारा सदन में लाया जाए।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन पहले ही इस पर चर्चा कर चुका है। इस विधेयक के भार साधक मंत्री मा0 मुकुट बिहारी वर्मा जी।

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी, सहकारिता आन्दोलन के पक्ष में जितना बढ़िया हमारे मित्र ने रखा है। मैं उन सारे विषयों को आत्मसात करता हूँ और सहकारिता आन्दोलन इतने पुण्य का काम है कि उन्होंने उसके बारे में बहुत अच्छा विषय रखा है। मैं यह समझता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने सहकारिता आन्दोलन का वर्णन किया है, उसी प्रकार से जो सहकारिता आन्दोलन की आत्मा की हत्या की गई उसको भी थोड़ा सा देख लें। वास्तव में है क्या कि प्रत्येक अधिनियम में यह व्यवस्था होती है। यदि कहीं यह परिस्थिति निर्माण हो जाए कि चुनी हुई संस्था कहीं समाप्त हो जाए, चाहे वह त्याग-पत्र दे दे, चाहे न्यायालय उसको अयोग्य घोषित कर दे अथवा चुनाव न हो पाए तो जो वैक्यूम होगा, उस वैक्यूम के लिए भी व्यवस्था अधिनियम में होती है। बिना उसकी व्यवस्था के कोई अधिनियम पूरी तरह लागू नहीं होता। हर एक अधिनियम में यह व्यवस्था होती है कि यदि शून्य होगा तो उस शून्य को कौन फिलअप करेगा। यह हर परिस्थिति में होता है किन्तु यह ऐक्ट, जिसका हम संशोधन ला रहे हैं, इस संशोधन के द्वारा उस शून्य को हम फिलअप करने जा रहे हैं। अब सवाल यह उठेगा कि क्या आपको ही चिन्ता लगी है कि यह शून्य है उसको हम फिलअद करें। जिन्होंने इस ऐक्ट को बनाया था उनको इसकी चिन्ता नहीं थी। सन् 1965 में जब यह ऐक्ट बना तब उस ऐक्ट में विधिवत् इसकी व्यवस्था की गई। यदि कभी इस परिस्थिति का निर्माण हुआ कि चुनी हुई संस्था अपने आप त्याग पत्र दे दे, न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित कर दी जाए या उसका चुनाव समय से न हो पाए। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, अपने आप जो व्यवस्था होती है वही शाश्वत व्यवस्था इसमें भी थी। ऐसी स्थिति में जो निबन्धक होगा, वह एक व्यवस्था बनाएगा। एक समिति बनाएगा। वह समिति कुछ समय के लिए, जब तक अगला चुनाव न हो जाए तब तक उस व्यवस्था को करेगी। यह सन् 1965 से लेकर वर्ष 2007 तक अनवरत चला। वर्ष 2007 में जो गवर्नमेण्ट आई, उसने थोड़ा संशोधन कर दिया। इसमें पहले समय था एक वर्ष, उन्होंने कर दिया 18 महीने और कुछ परिवर्तन नहीं किया। समिति बनी रहेगी, समिति बनेगी, समिति में लोग रहेंगे लेकिन एक सरकार वर्ष 2012 में आ गई। वर्ष 2013 में उस पूरे को वहाँ से हटा दिया गया। हटाकर शून्य का वातावरण बना दिया गया। उस शून्य के वातावरण का परिणाम क्या हुआ ? उस शून्य के वातावरण का परिणाम यह हुआ कि जो चुनी हुई संस्था है, वह स्वयं अपना इस्तीफा दे दे। इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के बाद वह हटेंगे नहीं क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है। वह स्वयं निर्णय लेंगे कि मैं हट गया, अब चुनाव मैं ही कराऊंगा। कौन चुनाव कराएगा, मतदाता कौन होगा, मैं ही निर्णय लूंगा। चुनाव कैसे होगा, मैं ही निर्णय लूँगा। चुनकर मैं फिर उस स्थान पर बैठ जाऊंगा। यह जंगल राज का दृश्य वर्ष 2016 में बना उसी वर्ष 2013 के ऐक्ट के

कारण, जो वर्ष 2013 में संशोधन किया गया। क्या कोई संविधान, क्या कोई ऐक्ट ऐसा है जहां यह व्यवस्था हो, शून्य का यह वातावरण हो कि यदि संस्था नहीं रहेगी तो क्या होगा। मैं ऐसे आदरणीय सदन में बैठा हूँ जिसमें हमारे इतने वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। इनके समय में ही सन् 1965 में यह ऐक्ट बना। इनके सारे समय में वह बरकरार रहा। हम तो उसी को स्थापित करना चाहते हैं। उस शून्यता को गायब करना चाहते हैं। शून्यता समाप्त हो जाए और ऐक्ट अपने उसी स्टेटस पर आ जाए। केवल इस परिस्थिति को पूरा करने के लिए हम इस संशोधन को लाए हैं। हमको लगता है कि सारे लोगों को बिना किसी विवाद के सन् 1965 में जैसा ऐक्ट था और वहाँ से लेकर वर्ष 2013 तक जैसा बना हुआ था, शून्यता के वातावरण को जिस प्रकार से ऐक्ट में निर्मूल करके इसको पूर्णता दी गई थी। इस पूर्णता को जिन्होंने खण्डित किया, खण्डित करके जिस जंगल राज की स्थापना की। हमारी यह सरकार जंगल राज नहीं चलने देगी। संविधान में भी नहीं चलने देगी, किसी ऐक्ट में भी यदि कोई है तो उसको ठीक करके लाएगी इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। इसमें कुछ अन्यथा नहीं है। न हम किसी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, न संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, न किसी नैतिकता का उल्लंघन कर रहे हैं और सहकारिता की जितनी प्रशंसा हमारे आदरणीय मित्र ने की है उस सारी प्रशंसा को मैं स्वीकार करके लोकतंत्रात्मक पद्धति को बरकरार रखना चाहता हूँ कि यदि चुनी हुई संस्था यदि अपने आप इस्तीफा दे दे, न्यायालय द्वारा यदि अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो शून्य का वातावरण न रहे। कोई न कोई व्यक्ति वहाँ बैठना चाहिए जो उस समय उसका संचालन कर दे। मात्र इतना है इसमें आपत्ति का विषय कहां आ गया? यह एक्ट पहले से बना हुआ था। इस नाते हमको तो लगता है कि इसको और जल्दी स्वीकार कर लेना चाहिए। हमने तो कई बार बहस देखीं मुलायम सिंह यादव जी जिस समय मंत्री थे उनके समय में देखे उसमें तो यह माना गया हमेशा शून्यता को समाप्त करने वाला एक एक्ट को फुलफिल करने वाली व्यवस्था होनी ही चाहिए और इसको सर्वसम्मति से जैसे सब चीजें आती हैं इसको आदरणीय नेता सदन के द्वारा आना चाहिए यह तो श्रेष्ठ काम है यह तो पूरा ही होना चाहिए इसलिए कही ईफ-बट की बात ही नहीं है। हम कोई नई चीज ला रहे हों किसी के अधिकार छीन रहे हों तो बतायें। जो अधिकार हैं वह अधिकार तो रहेंगे ही, किसी अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो गैप था जो शून्यता थी उसी को हमने फुलफिल किया है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, शून्यता का प्रश्न नहीं उठता है जब एक्ट के अन्दर यह प्राविधान हो कि कार्यकाल खत्म होने से पहले ही दूसरा चुनाव होने के बाद दूसरे पदाधिकारी जो जनता के द्वारा चुने गए हैं जो पूरे के पूरे उस सहकारिता समिति के सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा चयनित जब नया बोर्ड बन जाएगा। क्या एक अध्यक्ष किसी एक डायरेक्टर को, किसी एक कर्मचारी को अपने अधिकार देगा इस तरह का कहीं किसी एक्ट में शून्यता को समाप्त करने का प्राविधान नहीं किया गया है। निश्चित रूप से यदि कोई अपवाद होता है और कार्यकाल के अन्दर चुनाव नहीं हो पाता तो जो भी पहला कार्यकाल का अध्यक्ष है उसी की अध्यक्षता में हमेशा से और दूसरी जगह भी लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से चुनाव होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

जो कठिनाइयां थीं उन्हीं को दूर करने के लिए ही तो यह संशोधन आया था और इस सदन द्वारा विधिवत् पारित हो गया। चौधरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं एक मिनट की बात कहना चाहता हूँ कि यह पूरा विधेयक इसलिए लाया गया है कि जो चुना हुआ अध्यक्ष है उसका सारा पॉवर एक अधिकारी को दे दिया जाए। क्या लोकतांत्रिक तरीका है ये ? ये लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है। शून्यता की बात जो माननीय मंत्री जी ने कही है वह शून्यता है कहाँ, चुनी हुई संस्था के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चुनी गई संस्था को जैसे हम एम0एल0ए0 चुने गए हैं तो कोर्ट हमें हटाएगा कोई दूसरा हटा नहीं सकता या आप कुछ कार्रवाई कर सकते हैं तो इसी तरह से चुना हुआ हमारा अध्यक्ष है और चुनी हुई हमारी संस्था है। पूरे प्रदेश ने प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष को चुना है। अध्यक्ष अपना कार्यकाल बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। कोई उसमें विवादित नहीं है तो केवल उसका पूरा अधिकार एक अधिकारी को देने के लिए जा रहे है यह लोकतंत्र की हत्या है। यह लोकतंत्र का मखौल है। यह सहकारिता के साथ धोखा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो संजय गर्ग जी ने प्रवर समिति का प्रस्ताव दिया है। प्रवर समिति को यह भेज दिया जाए। इसकी अच्छाई, बुराई सब देख ली जाए प्रवर समिति में आप ही के सबसे अधिक सदस्य रहेंगे। एक बार सदन में ठीक से इसकी जांच हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन तो यह कार्यवाही पहले कर चुका है न ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, ये होता है कि कोई विधेयक हमने यहाँ से पास किया वह विधान परिषद् में गया और विधान परिषद् ने प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया और प्रवर समिति की रिपोर्ट में भी वह गिर गया तो फिर जब यहाँ आया है तो यह नये तरीके से पास होगा।

श्री अध्यक्ष-

यहाँ पर तर्क और बहस की गुन्जाइश तब बनती है जब विधान परिषद् से कोई संशोधन यहाँ आते। विधान परिषद् ने वैसे ही रिजेक्ट किया है संशोधन नहीं भेजे हैं। इसको आप देख लीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इसको तो विधान परिषद् ने खारिज ही कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि उसने बिल्कुल निरस्त कर दिया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जब निरस्त कर दिया है तो यहाँ नया विधेयक आया है और जब नया विधेयक आया है तो नये विधेयक पर बहस होगी। अब बहस हो गयी और प्रवर समिति की मांग है कि यह प्रवर समिति में भेज दिया जाए तो प्रवर समिति जो निर्णय लेगी उसके बाद आगे कार्यवाही होगी। कुछ कृपा इधर भी हो।

श्री अध्यक्ष-

हम तो सुन ही रहे हैं लगातार सुन रहे हैं इससे पहले इस तरह नहीं सुना गया है।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मूल एक्ट जो 1965 में बना था। जहां किसी कारण से चाहे वह जो भी हो प्रबन्ध कमेटी की निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ है या नहीं हो सका है वहाँ प्रबन्ध कमेटी इस अधिनियम या नियमों या समिति के उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने पर विद्मान नहीं रह जायेगी निबन्धक ऐसे कार्यकाल के समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र अधिनियम, नियमों और समिति के उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन होने तक समिति के कार्यकलापों का प्रबन्धन करने के लिए प्रशासक या प्रशासक कमेटी जिसे आगे इस धारा में कमेटी कहा गया है नियुक्त करेगा और निबन्धक को समय-समय पर यथास्थिति प्रशासक या कमेटी के किसी सदस्य को बदलने या प्रशासक के स्थान पर कोई कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति होगी। यह मूल एक्ट में है। इसको 2007 में क्या किया गया, इसमें एक मर्ज था इसको केवल इतना परिवर्तन किया गया 18 माह और उसके बाद 2013 में इसी पूरी लाइन को यहाँ से हटा दिया गया। अपने आप एक शून्य का वातावरण हो गया जो व्यवस्था थी कि यदि कमेटी कोई नहीं रहेगी तो उस समय क्या होगा, तो उस समय जब कमेटी नहीं रहेगी कोई भी कारण है, चुनाव नहीं हो पाया, अयोग्य घोषित हो गयी या इस्तीफा दे दिया तो जो शून्य का वातावरण होगा उस शून्य के वातावरण में एक प्रबन्ध कमेटी बनेगी। हमने व्यवस्था की केवल छः महीने तक के लिए और हमने यह भी व्यवस्था की बाहर से नहीं ले रहे जो लोग कर रहे थे दो-तीन प्रशासनिक अधिकारी वही मिलकर करेंगे, चुनाव पहले हो जाये या छः महीने पूरे हो जाये उस समय में ही हम उस काम को पूरा कर लेंगे। विधिवत वैधानिक व्यवस्था एक जो पूरा करना चाहिए था शून्यता को पूरा करने के लिए यह व्यवस्था की गयी है क्योंकि उसको हटा कर जंगल राज कायम किया गया था उस जंगल राज को समाप्त करने के लिए इसको लाए हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि शून्यता हो गयी। माननीय संजय गर्ग जी कह रहे हैं कि चुनी हुई संस्था के अध्यक्ष वर्तमान में हैं, वर्तमान में काम कर रहा है तो शून्यता तो हुई नहीं। यह हमारा आरोप है और संजय गर्ग का भी आरोप है आप भी उस पर गौर करिए कि केवल अध्यक्ष के अधिकारों का हनन करने के लिए यह विधेयक लिया जा रहा है कि अध्यक्ष का जो अधिकार होता है जैसे कोई विधेयक इसमें आ जाये कि माननीय विधान सभा अध्यक्ष का सारा अधिकार इसमें दे दिया जाये तो क्या आप मानेंगे या हम लोग मानेंगे कितना ही बड़ा सदस्य होगा आपके अधिकार पर जब चोट आएगी तो विपक्ष उसको कतई नहीं मानेगा और यह एक अध्यक्ष की गरिमा पर चोट दी जा रही है कि चुनी हुई संस्था के अध्यक्ष के सारे अधिकार एक अधिकारी को देने का षडयन्त्र हो रहा है इसलिए माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं वह बात, संजय गर्ग जी जो कह रहे हैं वह बात, हमने जो रखी वह बात इन सारी बातों को मिला कर के जो प्रवर समिति को चला जायेगा सभी बिन्दुओं पर विचार हो जायेगा और जो अच्छा वातावरण बन कर आयेगा तो विधेयक ले कर आइयेगा।

श्री अध्यक्ष-

इस सदन ने इस विधेयक को पारित कर दिया था आपकी जानकारी में है, दूसरे आदरणीय सदन में विधेयक पहुंचा वहाँ प्रवर समिति बनी वह भी आपकी जानकारी में है। अगर किसी तरह संशोधन वहाँ से आते तो जब वहाँ से विधेयक लौट कर इस सदन में आता है तो अगर वह कोई संशोधन देते हैं तो संशोधनों के गुण-दोष पर यह आदरणीय सदन विचार करता है। जो बातें आप कह रहे हैं ऐसे गुण-दोष पर यह आदरणीय सदन विचार करके इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुका है। संविधान के अनुच्छेद-197 में आप सबको याद होगा वहाँ उस सदन से लौटे विधेयकों के बारे में क्या प्रक्रिया होगी, धन विधेयक के अलावा, यह पूरा बहुत विस्तार से दिया हुआ है अपनी नियमावली में भी 150 में दिया हुआ है। तो भी यह बहस बड़ी क्वालिटी की थी क्वालिटी की बहस के लिए मैं माननीय संजय जी को बहुत बधाई देता हूँ और मैं समझता हूँ कि प्रश्न उपस्थित कर दूं अगर आप लोग बहस से सन्तुष्ट हो गए हों तो।

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 13 मार्च, 2018 की बैठक में अस्वीकार हो गया, दिनांक 14 मार्च, 2018 को वापस प्राप्त हुआ है, पुनः पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05:04] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20-03-2018 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 43 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनाएं स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग जनपद आगरा में आरबीएस कालेज के सामने गली व नाली की जर्जर हालत की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जनपद लखनऊ में पेयजल समस्या का समाधान कराए जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राकेश सिंह जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर में लोन नदी पर पुल बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की बांगरमऊ-बिल्लौहर मार्ग से जगतनगर से दबौली मार्ग तक सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री शैलेन्द्र यादव ललई जनपद लखनऊ भाजपा कार्यालय के सामने धरना दे रहे बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं, छठवीं सूचनाश्री विनय शंकर तिवारी जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत राप्ती नदी पर बैरियां सरयां बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में श्राइन बोर्ड में मन्दिरों का अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री अभिजीत सिंह सांगा जनपद शाहजहांपुर के मो0 कटिया टोला, थाना सदर बाजार में दर्ज कराए गये मुकदमे की जांच के सम्बन्ध में है, नवीं

सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में अड्डा से कल्याणी तक सड़क निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, दसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ में पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री पल्टूराम जनपद बलरामपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र के मोहल्ला पूरब टोला में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री रमाशंकर सिंह जनपद भदोही के ग्राम झींगुरपुर में दिनांक 25-01-2018 को श्री कन्हैया लाल मिश्र पर जानलेवा हमला होने के उपरान्त पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है तथा तेरहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कैमुआ नाले पर पुल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

क्रम	नाम
1	श्रीमती जयदेवी,
2	श्री आर0 के0 सिंह पटेल,
3	श्री मनीष असीजा,
4	श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
5	डा0 मुकेश वर्मा,
6	डा0 अरुण कुमार,
7	श्री पूरन प्रकाश,
8	श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स',
9	श्री मनोज कुमार पारस,
10	श्री नरेन्द्र पाल सिंह जादौन,
11	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना',
12	श्री मसूद अख्तर,
13	श्री उमाशंकर सिंह,
14	श्री हरीराम,
15	श्री अनिल कुमार मौर्य,

क्रम	नाम
16	श्री कपिल देव अग्रवाल,
17	श्री प्रमोद उटवाल,
18	श्री अजय कुमार लल्लू,
19	श्री जटाशंकर त्रिपाठी,
20	श्री संजीव दिवाकर,
21	श्रीमती मनीषा अनुरागी,
22	श्री अगयश रामशरण वर्मा,
23	श्री असलम अली,
24	श्री रितेश पाण्डेय,
25	श्री संजय गर्ग,
26	श्री संजय प्रताप जायसवाल,
27	श्री शैलेन्द्र यादव ललई,
28	श्री उज्जवल रमण सिंह,
29	श्री देवेन्द्र कुमार निम, तथा
30	श्री विनय शाक्य।

[05:05] बजट साहित्य को बैग/अटैची में उपलब्ध करवाने की मांग

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, कई माननीय बुजुर्ग सदस्य पटल कार्यालय में घण्टे-डेढ़ घण्टे से बैठे हुए हैं। ये जो बजट का साहित्य मिला है वो ला नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं। पहले बजट का साहित्य अटैची में मिलता था तो पकड़ कर ले आते थे। ये जो साहित्य दिया है, बुजुर्ग हमारे जो सदस्य हैं, आप दिखवा लीजिए बैठे हुए हैं पटल कार्यालय में, इतना ज्यादा बोझ है कि उसे ला नहीं पा रहे हैं और कार्यवाही में भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो इसको दिखवा लीजिए, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल तो मजेदार है पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

हमारे जो सदस्य बुजुर्ग हैं, यहाँ की कार्यवाही में भाग नहीं ले पा रहे हैं, आप दिखवा लीजिए पटल कार्यालय में साहित्य लेकर बैठे हुए है, ला नहीं पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यहाँ नहीं ला पा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

ये हमारी विधान सभा के अन्दर से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष-

तो क्या सुझाव है आपका ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

हमारा अनुरोध ये है कि हम तो अभी जवान हैं पर वह कुछ ज्यादा वहाँ बुजुर्ग हैं, तो अध्यक्ष जी या तो वहाँ उनको बैग में सामान दे दिया जाये, आज नहीं तो कल दे दिया जाए या कम से कम कोई सहयोगी, जो सचिवालय में काम करता हो, उनका सामान कम से कम उनके कक्ष तक पहुंचा दे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात ठीक है। जो विधान मण्डल कार्यालय हैं, भारतीय जनता पार्टी का अलग, सपा का अलग है, बसपा का अलग है, कांग्रेस का अलग है, वहाँ विधान सभा के हमारे कर्मचारी नियुक्त हैं, यदि जरूरत पड़े तो उनसे सहयोग ले लीजिए। यदि दिक्कत पड़े तो हमको बताइये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, दिक्कत यह है कि कई मा0 सदस्य ऐसे हैं, जो दारूलशफा से पैदल आते हैं, ओ0सी0आर0 से पैदल आते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कुछ तो हमारे विधान सभा के कर्मचारी हैं, वह मदद कर देंगे, बाकी आप कर लीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह आपका निर्णय है, आपका आदेश है। हम आपके कैम्पस में बैठे हुए हैं तो क्या आप रायशुमारी करवायेंगे विधायकों से ? रायशुमारी करवाना परम्परा रही है, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हों। यह परम्परा भी रही है और परिपाटी भी रही है कि जो भी साहित्य मिलता रहा है, चाहे मा0 खन्ना जी विपक्ष में रहे हों, चाहे हमारे मा0 शाही जी हों, चाहे हमारे वित्त मंत्री अग्रवाल जी हों तो पीछे की परिपाटी है, परम्परा है, उसको निभाते हुए आप जो यह पोटला लाद कर घर ले जायेंगे तो हमारा निवेदन है कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष-

पिछली बार बैग एक मा0 मंत्री जी ने दिया था तो चिट्ठी लिखी थी कि बैग हमारा क्या हुआ ? अगर आपको याद हो। वह चिट्ठी हमको भी मिली थी।

श्री राजकुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, सत्तापक्ष के विधायकों को पीओपी द्वारा घर पहुंचाई जा रही हैं। आप जांच करा लें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष-

चलिये ब्रीफकेस को लेकर लड़ाई मत करिये। आप तीनों लोग तय कर लीजिए कि कौन बोलेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, बात यहाँ पर सत्ता-विपक्ष की नहीं है, बात है परम्परा और परिपाटी की। यह पहली बार परम्परा और परिपाटी टूट रही है अभी आप दिखवा लीजिए कि कई मा0 बुजुर्ग सदस्य पटल कार्यालय में बैठे हुए हैं, जो यहाँ नहीं ला पा रहे हैं और उसमें महिलायें भी हैं। आप इस पर सरकार को कोई ऐसा निर्देश दे दें कि जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, आगे जो साहित्य मिले, हम तो लिये चले जायेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी मा0 सदस्यों के लिए व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष-

हम यहाँ विधान सभा परिसर में सरकार को अनुमति नहीं देंगे कि वह ब्रीफकेस ढोने में मदद करें। हम तो अपने यहाँ के ही कर्मचारी लगायेंगे।

[05:09] जनपद बुलन्दशहर के आवास विकास कालोनी में लिंक मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत नियोजन मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह वक्तव्य स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नियोजन मंत्री जी की कोई चिट्ठी हमारे कार्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है, आप इसे दिखवा लीजियेगा। स्थगन का हमारे यहॉ कोई अनुरोध नहीं है।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया है ...

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[कि

1-विधान सभा क्षेत्र-130, बीसलपुर में प्राथमिक विद्यालय हेतु 2 ही असेवित बस्ती निवाडाडी एवं शीतलपुर है, जिनको वार्षिक कार्य योजना बजट 2018-19 में प्रस्तावित किया गया है। शेष बस्तियां विभागीय मानकानुसार सेवित हैं।

2-जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत लगभग 100 फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर अध्यापक पद पर नियुक्ति प्राप्त करने की विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों के क्रम में प्रमाण-पत्रों की जांच कराने के उपरान्त 17 अध्यापक फर्जी पाये गये थे, जिनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। अग्रिम कार्यवाही पुलिस प्रशासन/मा0 न्यायालय के अधीन लम्बित है।

3-शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 5-9-2017 के द्वारा जूता/मोजा हेतु दो-दो फर्मों को क्रयादेश निर्गत किया जाना था, जिसके क्रम में दिनांक 12-09-2017 द्वारा जूता हेतु देय मेसर्स पावर टेक इलेक्ट्रो इन्फरा प्रा0लि0 आर-9/166 से0-9, राजनगर, गाजियाबाद हेतु 17980 जूता क्रयाादेश निर्गत किया गया। पत्र दिनांक 12-09-2017 के द्वारा मोजा हेतु क्रयादेश मेसर्स सुमाजा इलेक्ट्रो इन्फरा प्रा0लि0 सी-2001/22 इन्दिरा नगर लखनऊ हेतु 179801 मोजा (दो जोड़ी) क्रयादेश निर्गत किया था। दोनों फर्मों द्वारा विकास क्षेत्रवार जूता मोजा की आपूर्ति मांग के अनुरूप की गयी थी। जूत/ मोजा प्राप्त होने के पश्चात् उसका भौतिक सत्यापन वि0क्षे0 के द्वारा किया गया तथा जूता/मोजा लेब टेस्टिंग हेतु फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट नोएडा भेजा गया।

4-विकास क्षेत्रों में मांग-पत्र के अनुसार जूता/मोजा वितरण शतप्रतिशत पूर्ण हो चुका है। फर्मों के भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।

5-नि:शुल्क स्वेटर वितरण के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 03-01-18 द्वारा परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा-1 से 8 तक के समस्त बालक एवं बालिकाओं को नि:शुल्क स्वेटर दिये जाने के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी, पीलीभीत की अध्यक्षता में दिनांक 08-01-2018 को गठित समिति की बैठक आयोजित की गयी शासनादेश में वर्णित तथ्यों तथा खण्ड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त छात्र नामांकन के आधार पर प्रत्येक विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में

धनराशि स्थानान्तरित की गयी। विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा स्वेटर क्रय कर वितरण कराया गया है। स्वेटर क्रय के सम्बन्ध में अद्यतन जनपद स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

6-निःशुल्क यूनीफार्म वितरण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 11-5-2017 एवं सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 29-5-2017 के क्रम में निःशुल्क यूनीफार्म वितरण हेतु गठित समिति की बैठक जिलाधिकारी पीलीभीत की अध्यक्षता में दिनांक 19-6-2017 को आहूत की गयी। शासनादेश में वर्णित तथ्यों एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त छात्र नामांकन के आधार पर प्रत्येक विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में धनराशि हस्तान्तरित की गयी। विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा यूनीफार्म का क्रय कर वितरण कराया गया है जिसमें कई विद्यालय प्रबन्ध समितियों द्वारा जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निःशुल्क यूनीफार्म का वितरण कराया गया है।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के संचालित प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के पत्र दिनांक 16-03-2018 द्वारा ...

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत 140 विद्यालय बाउण्ड्रीवाल विहीन है। 98 विद्यालय में विद्युत कनेक्शन नहीं है एवं 38 पू0मा0वि0 में फर्नीचर नहीं है।

प्रा0वि0 धनौरा, प्रा0वि0 कैथी, प्रा0वि0 सोफियाना, प्रा0वि0 पूरेखान, प्रा0वि0 भेलसर द्वितीय व प्रा0वि0 नयागंज द्वितीय के पास अपना भवन व शौचालय नहीं है। प्रा0वि0 धनौरा हेतु भूमि अनुपलब्ध है तथा निर्माण हेतु खाते में धनराशि उपलब्ध है। प्रा0वि0 कैथी भूमि की उपलब्धता न होने तथा नदी की दो धाराओं के बीच की खाली जमीन में होने के कारण बरसात में जलभराव हो जाता है इस विद्यालय के निर्माण हेतु खाते में धनराशि सुरक्षित है। प्राथमिक विद्यालय सोफियाना किराये के भवन में संचालित है, भूमि अनुपलब्ध होने के कारण निर्माण सम्भव नहीं है। प्राथमिक विद्यालय पूरे खान, पू0मा0वि0 रूदौली में संचालित है, भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्वयं का अपना कोई भवन नहीं है। बच्चे पू0मा0वि0 रूदौली के ही शौचालय का प्रयोग करते हैं, विद्यालय में विद्युत कनेक्शन है। प्राथमिक विद्यालय भेलसर-2 प्राथमिक विद्यालय-1 में संचालित है, स्वयं की भूमि न होने के कारण विद्यालय भवनहीन हैं। संचालित विद्यालय में शौचालय तथा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है। प्राथमिक

नोट :-[ ] अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्यालय नयागंज-2 प्राथमिक विद्यालय नयागंज-1 में संचालित है बच्चे उसी विद्यालय के शौचालय का प्रयोग भी करते हैं। संचालित विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन है।

अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में जनपद फैजाबाद को 7350 बच्चों हेतु फर्नीचर तथा 08 विद्यालयों में हैण्डपम्प हेतु धनराशि प्राप्त हो चुकी है, जिसके प्रेषण की कार्यवाही की जा रही है तथा परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूचना संकलित की जा रही है।]

जनपद फिरोजाबाद में बहने वाली यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन मन्दिर में आने जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, प्रश्नगत मार्ग पर निम्न मार्ग सम्मिलित हैं, जिनकी कुल लम्बाई 5.80 किमी0 है..

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया है)

[**1-स्वर्ग आश्रम छारबाग से सोफी साहब की दरगाह तक मार्ग**-यह ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 03.00 किमी0 है। मार्ग के किमी0 0.00 से 1.70 किमी0 तक सी0सी0 मार्ग निर्मित है। सी0सी0 मार्ग काफी समय पूर्व निर्मित किया गया था, जो कि कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। मार्ग के किमी0 1.70 से किमी0 3 तक बिटुमिनस सतह का मार्ग है, जिसकी दशा सन्तोषजनक है।

2-नगला देवन्श यमुना नदी पर नव निर्मित सेतु के स्वीकृत अतिरिक्त पहुंच मार्ग-यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, नगला देवन्श यमुना नदी पर निर्मित सेतु की अतिरिक्त पहुंच मार्ग के अन्तर्गत लो0नि0वि0 द्वारा 700 मी0 लम्बाई एवं 3.75 मी0 चौड़ाई में मार्ग की निर्माण कार्य प्रगति में है।

3-सूफी शाह दरगाह के सामने से श्री हनुमान जी मन्दिर की तरफ 300 लम्बाई में बिटूमिनस सतह का कार्य जिला पंचायत द्वारा कराया गया है, जिसकी चौड़ाई 3.00 मी0 है। मार्ग की दशा सन्तोषजनक है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

4-हनुमान मन्दिर से नगला चूरा उस्मानपुर मार्ग तक-यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, मार्ग की लम्बाई 1.55 किमी0 व चौड़ाई 3.00 मी0 है। वर्तमान में मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

नोट :-[ ] अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-ग्राम चन्द्रवार से फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग पर गढ़ी तिवारी चौराहे तक मार्ग-यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग पर 250 मी0 लम्बाई में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा 3.75 मी0 चौड़ाई में इण्टर लॉकिंग टाइल्स का कार्य कराया गया है। वर्तमान में मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संकट का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-फैजाबाद के विकास खण्ड-मवई के अन्तर्गत सैदपुर ग्राम पंचायत पेयजल योजना वर्ष 2014-15 .....

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[में स्वीकृत है। योजना की अनुमानित लागत रु0 481.50 लाख है। मार्च, 2017 तक योजना पर रु0 186.80 लाख अवमुक्त हुआ है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष एक नलकूप, एक पम्प हाउस, शिरोपरि जलाशय की क्षमता 550 किलो लीटर एवं स्टेजिंग 18 मीटर तथा एक नलकूप से सम्बन्धित राइजिंग मेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। 41 किलो मीटर पाइप लाइन के कार्य के सापेक्ष 40.00 किलो मीटर पाइप लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना में दूसरे नलकूप की भूमि का प्रस्ताव दिनांक 25-05-2017 को ग्राम पंचायत से प्राप्त हुआ था, परन्तु धनाभाव के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। योजना से सम्बन्धित अवशेष धनराशि अवमुक्त होने पर अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। योजना से सम्बन्धित कार्यों को विभागीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक कराया गया है। ग्राम पंचायत मवई में कोई योजना स्वीकृत नहीं है, जिसके कारण पानी की टंकी का निर्माण नहीं हुआ है। सैदपुर पेयजल योजना में सभी 28 मजरों में 43 स्टैण्ड पोस्ट एवं 200 हाउस कनेक्शन के माध्यम से नियमित जलापूर्ति हो रही है। मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्लान (एम0एस0डी0पी0) प्लान के अन्तर्गत मवई विकास खण्ड की अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्राम पंचायतों यथा नेवरा, बरतरा लखनीपुर, चन्द्रामऊ बैरम, कोड़रा रज्जनपुर और पचलो की योजना का प्राक्कलन वर्ष 2016 में स्वीकृत है परन्तु अभी तक योजना पर धन अवमुक्त न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। शासनादेश दिनांक 08-05-2017 के अनुसार हैण्डपम्प के रिबोर/मरम्मत कराने का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाना है। विकास खण्ड रुदौली की ग्राम पंचायतों में कुल 2,750 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिनमें से वर्तमान समय में 06 हैण्डपम्प रिबोर योग्य हैं तथा 70 हैण्डपम्प अस्थाई रूप से खराब हैं। विकास खण्ड मवई की ग्राम पंचायतों में कुल 5,082 हैण्डपम्प

नोट :-[ ] अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिष्ठापित हैं, जिनमें से वर्तमान समय में 08 हैण्डपम्प रिबोर योग्य हैं तथा 98 हैण्डपम्प अस्थाई रूप से खराब हैं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के थाना सुजानगंज में हुयी कतिपय हत्याओं में पुलिस द्वारा कार्रवाई न किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सुषमा पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, 'थाना सुजानगंज के ग्राम सभा पतहना (अलैया) निवासिनी अवयस्क बालिका अनिला सरोज (14 वर्षीय) की हत्या कर लाश जला ....

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[देने के सम्बन्ध में वादी श्री हरीराम सरोज उर्फ नन्हकू सरोज, निवासी-ग्राम पतहना, थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर द्वारा दिनांक 13-01-2018 को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर थाना सुजानगंज पर मु0अ0सं0-02/2018 अन्तर्गत धारा-302/201 भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना श्री सनवर अली, थानाध्यक्ष, सुजानगंज द्वारा की जा रही है। विवेचना से अभियुक्त मुकेश उपाध्याय उर्फ लल्लू, निवासी-ग्राम पतहना, थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर व देवी शंकर उपाध्याय, निवासी-ग्राम घघरिया, थाना मछलीशहर, जौनपुर का नाम प्रकाश में आया। क्षेत्राधिकारी, बदलापुर द्वारा टीम का गठन करते हुये गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

इसी प्रकार थाना सुजानगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा दीपकपुर निवासी बालक राहुत पटेल (09 वर्षीय) की हत्या कर लाश फेंके जाने के सम्बन्ध में श्री रामजी पटेल, निवासी दीपकपुर, थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना सुजानगंज पर मु0अ0सं0-446/2017, धारा-364/302/201 भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया एवं विवेचना श्री रूद्रभान पाण्डेय, तत्कालीन थानाध्यक्ष, सुजानगंज, जौनपुर द्वारा की गयी। इनके स्थानान्तरण के उपरान्त विवेचना उ0नि0 श्री पंकज पाण्डेय, तत्कालीन थानाध्यक्ष, सुजानगंज द्वारा की गयी, जिसमें राहुल की मृत्यु करन्ट लगने के कारण होनी पायी गयी। तत्पश्चात्, विवेचक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप विवेचना श्री सनवर अली, थानाध्यक्ष, सुजानगंज द्वारा ग्रहण की गयी तथा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर राहुल की मृत्यु बिजली का झटका लगने पर पेड़ से नीचे गिरने के कारण होना पाया गया तथा अन्तिम रिपोर्ट संख्या-7/18, दिनांक 24-02-2018 प्रेषित करते हुये विवेचना समाप्त की गयी।

अन्ततः थाना मछलीशहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घघरिया में दिनांक 16-01-2018 को ग्राम प्रधान चन्द्रपाल बिन्द की हत्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि दिनांक 14-01-2018 को श्री राजेश

नोट :-[ ] अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुमार पुत्र विदेशी बिन्द, निवासी-रामनगर घघरिया, थाना मछलीशहर, जौनपुर द्वारा प्रधान चन्द्रपाल बिन्द के अपहरण की लिखित सूचना के आधार पर थाना मछलीशहर पर मु0अ0सं0-13/18, धारा-364 भादंवि बनाम संतलाल व सभाजीत यादव पंजीकृत होकर विवेचना उदय प्रताप सिंह, उ0नि0 द्वारा ग्रहण की गयी। विवेचना के दौरान दिनांक 16-01-2018 को चन्द्रपाल बिन्द की लाश घटना स्थल से कुछ दूरी पर नहर से बरामद हुई। लाश के पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण मृतक के विसरा को जांच हेतु दिनांक 27-01-2018 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रामनगर, वाराणसी भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अप्राप्त है। इस सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अनुस्मरण कराया गया है तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है। विसरा रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जाएगी।'']

श्रीमती सुषमा पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में थाना सुजानगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा पतहना में एक 15 साल की नाबालिग बच्ची अनिला सरोज की हत्या कर 13-01-2018 को उसकी हत्या कर उसकी लाश को जला दिया गया। माननीय मंत्री जी मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारी बच्चियॉ कोई भेड़-बकरियां हैं जो उनकी इस तरह हत्यायें कर दी जायेंगी, कुछ भी उनके साथ कर दिया जायेगा। इस घटना के अपराधी बेलगाम, बेखौफ स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं, इसमें अधिकारियों द्वारा इन अपराधियों के नाम भी दिये गये हैं। यह मुकेश उपाध्याय उर्फ लल्लू, निवासी ग्राम पतहना, थाना सुजानगंज और दूसरा देवी शंकर उपाध्याय, निवासी ग्राम घघरिया, थाना मछलीशहर। यह दोनों अपराधी स्वतंत्र रूप से वहीं पर दिन रात घूम रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसमें दिया हुआ है कि अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसमें आपसे यह जानना चाहती हूँ कि कब तक इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जायेगी ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। 3 महीने हो गये माननीय मंत्री जी, लेकिन अभी भी वहाँ अपराधी वहॉ दिन रात घूम रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो मेरे पास सूचना आई है उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। यह लाश जला देने के सम्बन्ध में वादी श्री हरीराम सरोज उर्फ नन्हकू सरोज, निवासी ग्राम पतहना, थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर द्वारा दिनांक 13-01-2018 को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर थाना सुजानगंज पर मु0अ0सं0-02/2018 अन्तर्गत धारा-302/201 भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना श्री सनवर अली, थानाध्यक्ष, सुजानगंज द्वारा की जा रही है। विवेचना से अभियुक्त मुकेश उपाध्याय उर्फ लल्लू, निवासी ग्राम पतहना, थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर व देवी शंकर उपाध्याय निवासी ग्राम घघरिया थाना मछलीशहर जौनपुर का नाम प्रकाश में आया है। क्षेत्राधिकारी, बदलापुर द्वारा टीम का गठन करते हुए गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसमें जितनी शीघ्रता हो सकेगी वह की जायेगी और मैं आज ही इसका संज्ञान लेकर अधिकारियों को निर्देश दूंगा।

श्रीमती सुषमा पटेल-

मान्यवर, एक और है जो थाना सुजानगंज के अन्तर्गत 9 साल के बच्चे राहुल का प्रकरण है। उसमें मुझे गलत सूचना दी गई है, मैं मा0 मंत्री जी को बताना चाहती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

क्या इसमें दो सूचनाएं हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी मान्यवर।

श्रीमती सुषमा पटेल-

मान्यवर, तीन सूचनाएं हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने तो कह दिया कि हम पूरे को दिखवायेंगे।

श्रीमती सुषमा पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें गलत सूचना अधिकारियों ने दी है, बिल्कुल गलत सूचना दी है। मैं मा0 मंत्री जी को यह बताना चाहती हूँ कि राहुल की 9 वर्ष की उम्र है, उसकी हत्या कर दी गई।

श्री अध्यक्ष-

जितना भाग आपको गलत प्रतीत होता हो, उतना आप मा0 मंत्री जी को लिख करके दे दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बता देने दीजिए।

श्रीमती सुषमा पटेल-

मान्यवर, दो मिनट में मैं बता देती हूँ। राहुल की हत्या की गई और उसकी बॉडी दूसरे दिन सड़क के किनारे मिली थी और अधिकारियों ने इसमें बताया है कि उसकी हत्या करंट लगने से हुई है जबकि मा0 मंत्री जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उसकी दम घुटने से गला दबाकर हत्या की गई है। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद देखी है उसमें लिखा है कि गला दबाने से दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई है। मैंने कई बार पुलिस अधिकारियों से बात की, एस0पी0 से भी बात की परन्तु पुलिस प्रशासन द्वारा बार-बार यही कहा गया कि मैडम ब्लाइंड मर्डर है, हम इसकी विवेचना कर रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करायेंगे। अगर मैंने इस सूचना को नहीं लगाया होता तो मुझे जानकारी भी नहीं होती कि इस केस को बन्द कर दिया गया है यह कह कर कि उसकी विद्युत करंट लगने से मृत्यु हुई है।

श्री उमाशंकर सिंह-

जिस समय वह बच्चा मरा था, जहां पर लाश बरामद दिखाई गई है, अगर करंट से मौत होती तो 24 घण्टे बाद तो सड़क पर लाश नहीं दिखाई देती। जब पोस्टर्माटम रिपोर्ट में आया कि गला

घुटन से उसकी मौत हुई है और फाइनल रिपोर्ट में दिखाया गया कि बिजली के करन्ट से मौत हुई है, इसलिये इसमें कहीं न कहीं सन्देह है, इसलिये मैं चाहूंगा इसकी विवेचना गम्भीरता से की जाय।

श्रीमती सुषमा पटेल-

मैं मा0 मंत्री जी से यह भी चाहूँगी कि जिन अधिकारियों ने गलत सूचना दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाय और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम इससे पूरी तरह से सहमत हैं, हम इसकी दोबारा विवेचना भी करायेंगे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।

जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत नगर पंचायत मौरावां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को अभिलेखों में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, शासनादेश संख्या-1569/पांच-8-11-एसएनडी ....

दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[30/11, दिनांक 21-06-2011 द्वारा नगर पंचायत मौरावां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा प्राप्त हुआ है। जहां पर लैब, दवा, ऑक्सीजन व चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा प्राप्त मौरावां में निम्नलिखित चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ निम्नवत् हैं :-

1-चिकित्सक-08

2-संविदा चिकित्सक-02

3-स्टाफ नर्स-01

4-लैब टेक्नीशियन-01

5-एक्स-रे टेक्नीशियन-01

6-डेन्टल हाईजिनिस्ट-01

7-फार्मासिस्ट-04

8-वरिष्ठ सहायक-01

नोट :-[ ] अंश पढ़ा हुआ माना गया।

9-डार्क रूम सहायक-01

10-वार्ड ब्वाय-01

11-वार्ड आया-01

12-स्वीपर-02 तथा

13-चौकीदार-01]

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी के द्वारा ग्राम मकदूमपुर, गोमतीनगर विस्तार में पीड़ित परिवारों पर लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू', नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत ग्राम-मकदूमपुर की ...

दुग्ध विकास धर्मार्थ कार्य मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[भूमि खसरा संख्या-242 रकबा 2-12-14-0 बीघा भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2000 मे किया जा चुका है, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 05-09-2000 व 16-02-2001 को शासन द्वारा जारी की जा चुकी है। भूमि का कब्जा 11-07-2002 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा दिनांक 21-10-2008 को अभिनिर्णय घोषित होने के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो चुका है। अर्जित खसरा संख्या-242, रकबा 2-12-14-0 बीघा स्थित ग्राम मकदूमपुर के सापेक्ष प्रतिकर की धनराशि अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा दिनांक 30-09-2014 को मा0 जनपद न्यायालय, लखनऊ में जमा की जा चुकी है। श्री दिनेश कुमार व अन्य खातेदार भूमि अध्याप्ति अधिनियम-1894 की धारा-34 के अनुसार अपना प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा खसरा संख्या-242 रकबा 2-12-14-0 बीघा अर्थात 6675 वर्ग मी0 में से 106 वर्ग मी0, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय का स्थगनादेश है, को छोड़कर शेष 6569 वर्ग मी0 पर विकास एवं नियोजन करते हुये भू-खण्डों का आवंटियों के मध्य आवंटन किया गया। श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा योजित वाद संख्या-3034/2017, श्रीकान्त गुप्ता द्वारा योजित वाद संख्या-15921/2017, श्री राजेश कुमार तिवारी द्वारा योजित वाद संख्या-2905/2016, श्री मुन्नी राज

नोट :-[ ] अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सिंह द्वारा योजित वाद संख्या-2761/2016 व श्री उमेश्वर पाण्डेय व अन्य आवंटियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-4297/2016 योजित किया गया, जिसमें दिनांक 11-12-2017 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आवंटित भूमि पर एक माह के अन्दर भूमि का कब्जा व विक्रय-विलेख निष्पादित करने का आदेश पारित किया है। आदेश का अनुपालन नियत तिथि तक नहीं होने पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना हो सकती है।

उपरोक्त रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में दिनांक 15 व 16 फरवरी, 2018 को आवंटियों को कब्जा दिलाने हेतु स्थल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम गयी थी, जिसमें खसरा संख्या-242 में पड़ने वाले सड़क का निर्माण प्रारम्भ किया गया, ताकि आवंटियों को यथाशीघ्र कब्जा दिया जा सके।

प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या-242 स्थित ग्राम मकदूमपुर के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-67/एल0ए0/2010 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10-08-2015 को स्कूल के भवन की कुल 106 वर्ग मी0 भूमि पर स्थगनादेश पारित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 10-08-2015 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

> The aforesaid finding recorded by the Apex Court goes to indicate that the opposite parties have substantially fulfilled the requirement of the provisions of the Land Acquisition Act, therefore taking into consideration the interest of the petitioners at the moment, we modify the interim order to the extent of an area of 106 Sq. Mtrs, on which a school has been constructed shall not be disturbed.
>
> Learned counsel for the petitioners has cited another judgment rendered by a Division Bench of this Court in the case of Bhusai Vs. State of U.P. and others [Writ Petition (Land Acquisition) No. 42 of 2014], decided on 05.09.2014. However, the learned Additional Chief Standing Counsel has infored that against the aforementioned judgment of the Division Bench, a review petition is pending consideration.
>
> Connect and list this writ petition with Writ Petition No. 1534 (MB) of 2012. The interim order granted by this Court in favour of the petitioners is modified to the extent mentioned herein above.

मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश दिनांक 10-08-2015 के समादर में 106 वर्ग मी0 भूमि पर स्थित निर्माण यथावत् है। प्रश्नगत खसरा संख्या-242 के आंशिक भाग को छोड़कर विगत कई वर्षों से रिक्त होने के कारण झाड़ियां उग आई थीं, न तो उस स्थान पर गौशाला थी और न हरे-भरे पेड़ थे। ऐसी स्थिति में हरे-भरे पेड़ व गौशाला न होने के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तहस-नहस किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अतः शिकायतकर्ता का आरोप निराधार है।]

श्री अजय कुमार 'लल्लू' -

मान्यवर, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं स्पष्टीकरण पूछ लूँ।

श्री अध्यक्ष -

हाँ, पूछ लीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' -

मा0 अध्यक्ष जी, जिस घटना का उल्लेख करते हुए हमने नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी थी उसको आपने वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया। इसमें जो अधिकारियों की रिपोर्ट आई है उसमें यह दिखाया गया है कि ना कोई लाठी चार्ज हुआ है, ना कोई बाउन्ड्रीवाल तोड़ा गया है, ना वहाँ पेड़-पौधे उखाड़े गये हैं और न ही वहाँ किसी गौशाला में तोड़फोड़ की गई है। अध्यक्ष जी, अपर जिलाधिकारी नगर महापालिका प्रथम लखनऊ की रिपोर्ट मेरे हाथ में है जिसमें स्पष्ट है कि वहाँ खसरा सं0-242 में गौशाला भी था, बाउन्ड्रीवाल भी था और वहाँ पेड़-पौधे भी लगाये गये थे। बिना किसी नोटिस के एम0पी0 सिंह, ओ0एस0डी0 श्री विश्वभूषण मिश्र व क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट श्री अमित कुमार, अधीक्षण अभियन्ता श्री चक्रसेन जैन, सहायक अभियन्ता श्री अखिलेश सिंह व श्री जे0पी0 सिंह व अन्य पुलिस बल के साथ वहाँ तोड़-फोड़ किया, गौशाला तोड़ा। वहाँ की औरतों को, जो उस घर में महिलाएं थीं उनको भी दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया।

मा0 अध्यक्ष जी यह जो रिपोर्ट आयी वह सत्य से परे है। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि ऐसे दोषी लोग, जिन लोगों ने गौशाला तोड़ा, जिन लोगों ने वहाँ पेड़-पौधे उखाड़ कर फेंके, और महिलाओं को लाडी-डंडों से पीटने का काम किया और जिन लोगों ने इस सदन को गलत सूचना दी, क्या सरकार उनके खिलाफ जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी करेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर आरोप है, इसको हम दिखवा लेंगे। इसमें आखिरी पैराग्राफ है कि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश दि0 10-08-2015 के समादर में 106 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित निर्माण यथावत है। प्रश्नगत खसरा-242 के आंसिक भाग को छोड़कर विगत कई वर्षों से रिक्त होने के कारण झाड़ियां उग आई थीं। न तो उस स्थान पर गौशाला थी, न हरे भरे पेड़ थे। ऐसी स्थिति में हरे-भरे पेड़ और गौशाला न होने के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तहस-नहस किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मान्यवर यह जो वक्तव्य आया है, इसका आखिरी पैराग्राफ देख लें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें गौशाला का भी जिक्र है, हरे पेड़-पौधे का भी जिक्र है, बाउण्ड्रीवाल का भी जिक्र है और यह उसी खसरा संख्या 242 में है। यह मेरा नहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट है। चूंकि यह एक वरिष्ठ पत्रकार का घर है और उनके साथ अन्याय हुआ है। लोकतंत्र का अगर चौथा स्तम्भ सुरक्षित नहीं रहेगा तो इस तरह से किसी के साथ घटना हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास जो अभिलेख है और मंत्री जी के पास जो सूचना है क्या वह भिन्न है ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी जब हम लोग कोई नियम-51 की सूचना देते हैं तो लिखित रूप से आपको अवगत कराते हैं, कोई साक्ष्य तो देते नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, अगर आप हमें अनुमति दें तो मैं यह साक्ष्य मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को उपलब्ध करा दूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप हमें साक्ष्य दे दीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

निश्चित रूप से एक उच्चस्तरीय कमेटी बना कर इसकी जांच करा लें और जिन लोगों ने महिलाओं को मारा है गौशाला तोड़ा है, हरा-भरा पेड़ उखाड़ा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके एक संदेश देने का काम करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं यह आश्वस्त करता हूँ कि इसको हम दोबारा दिखवाएंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, इसमें क्या किया, यह हमें बता दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसको पूरी गम्भीरता से दिखवांएगे, यह एक सरकारी संस्था है और मान्यवर अवगत भी कराएंगे।

प्रदेश के राजस्व विभाग भू-लेख अधिष्ठान में समूह 'घ' के अन्तर्गत मौलिक रूप से नियुक्त चेनमैनों का समूह 'ग' के पद पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभुनारायण सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

उक्त के सम्बन्ध में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी, जो उनके पत्र दि0 13-03-2018 .....

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

केवल वक्तव्य-

[के माध्यम से प्राप्त हुयी है। राजस्व परिषद की आख्यानुसार उक्त सूचना पर स्थिति निम्नवत् है :-

1-शासनादेश संख्या-1196/एक-9-2016-28(एल0सी0)/2005 टी0सी0, दिनांक 22-06-2016 द्वारा उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006 यथा संशोधित के अन्तर्गत लेखपाल

नोट :-[ ] अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के 02 प्रतिशत पदों पर उ0प्र0 राजस्व विभाग (भू-लेख अधिष्ठान) समूह -''घ'' के मौलिक रूप से नियुक्त चेनमैनों में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो और जो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, पदोन्नति द्वारा भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा यह भी निर्देश दिये गये कि पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा कार्मिक विभाग के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

2-कालान्तर में लेखपाल नियमावली में संशोधन किये बिना कार्यकारी आदेश से प्रोन्नति करने पर विधिक अड़चन पैदा होने की सम्भावना के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-776/एक-9-2017-रा0-9-28एल0सी0, दिनांक 26 मई, 2017 के द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में लेखपाल नियमावली में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। लेखपाल नियमावली में प्रस्तावित समस्त संशोधनों को समेकित करते हुये हिन्दी/अंग्रेजी प्रारूप सहित नियमावली में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश हैं, जिसके अनुक्रम में उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली में अपेक्षित संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही राजस्व परिषद् के स्तर पर गतिमान है, जिसे शीघ्रातिशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।'']

लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित चेकडैमों के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लघु सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकस मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 विधायक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत अपने पत्र दि0 12-03-2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि तत्कालीन....

प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(लघु सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री शिवाकान्त ओझा के शिकायती-पत्र जिसमें प्रतापगढ़ में 46 करोड़ व इलाहाबाद मण्डल में 200 करोड़ के चेकडैमों के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग को जांच के आदेश दिये जाने के सम्बन्ध में आदेशित किया था। प्रमुख सचिव द्वारा टी0ए0सी0 जांच के आदेश प्रदान किये गये थे किन्तु हजारों करोड़ की जांच प्रक्रिया में शामिल प्रमुख सचिव को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। उक्त घटना से यह प्रतीत होता है कि हजारों करोड़ के इस

नोट :-[ ] अंश पढ़ा हुआ माना गया।

घोटाले की जांच की लीपापोती हो गई है। सदन के माध्यम से उक्त प्रकरण में लघु सिंचाई विभाग को टी0ए0सी0 से प्रदेश में सभी 18 मण्डलों में जांच कराये जाने एवं निर्मित सभी चेकडैमों की सार्थकता एवं भौतिक सत्यापन कराये जाने हेतु सदन में वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री अजय सिंह, हर्रैया बस्ती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मंत्री जी को प्रेषित श्री शिवाकान्त ओझा के शिकायती-पत्र दिनांक 11-11-2014 के क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये आदेशों के आलोक में शासन के पत्र दिनांक 08-01-2015 द्वारा लघु सिंचाई, मण्डल-इलाहाबाद के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड, सण्डवा चन्द्रिका में निर्मित कराये गये चेकडैमों की टी0ए0सी0 जांच की रिपोर्ट के आधार पर 22 अवर अभियन्ता, 03 सहायक अभियन्ता, 01 अधिशासी अभियन्ता और 01 सेवानिवृत्त प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है।

3-प्रकरण में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5904/62-2-2017-16एमआई/2014, दिनांक 19-09-2017 द्वारा श्री जियाउल हसन, मुख्य अभियन्ता स्तर-2, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को जांच अधिकारी नामित करते हुये अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। श्री जियाउन हसन, मुख्य अभियन्ता के अस्वस्थ होने व काफी समय से चिकित्सा अवकाश पर रहने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6457/62-2-2017 दिनांक 14-12-2017 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये श्री राजकुमार लखटिया, मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (अनुसंधान एवं नियोजन), अलीगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, किन्तु श्री लखटिया के दिनांक 31-12-2017 को सेवा सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-7177/62-2-2018-16 एम आई/2014, दिनांक 16-01-2018, द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये श्री शरद कुमार सिंह, विशेष सचिव, लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को जांच अधिकारी नामित किया गया जिसके क्रम में सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को जांच अधिकारी द्वारा आरोप-पत्र तामील कराया जा चुका है और जांच की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रियाधीन है।

4-प्रकरण की प्रारम्भिक जांच द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार सिंचाई विभाग की टी0ए0सी0 जांच से कराई गई जो एक स्वतंत्र संस्था है और लघु सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं आती है। टी0ए0सी0 द्वारा समस्त पहलुओं पर विस्तृत रूप से जांच की गयी, जिसमें यह स्थिति नहीं पायी गयी है कि तत्समय निर्मित किये गये चेकडैम वर्षा ऋतु/पानी में बह गये हों। टी0ए0सी0 जांच में पायी गयी अन्य कमियों यथा प्रक्रियात्मक त्रुटि, निर्माण की अधोमानकता तथा वित्तीय अनियमितता के बिन्दुओं के अन्वेषणार्थ श्री शरद कुमार सिंह, विशेष सचिव, लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को जांच अधिकारी नामित कर जांच कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। टी0ए0सी0 की जांच के आधार पर सम्पूर्ण प्रकरण में रु0 9,13,158.00 की शासकीय क्षति आंकलित बतायी गयी है, जिसकी वास्तविकता उक्तानुसार नामित जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही ज्ञात हो पायेगी। जांच आख्या शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

5-उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण वर्ष 2014-15 में संज्ञान में आने पर शासन के पत्र संख्या-3957/62-2-2014-19एम0आई0/2014, दिनांक 16-12-2014 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित किये गये चेकडैमों का भौतिक सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

6-उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3957-1/62-2-2014-19 एम0आई0/2014, दिनांक 16-12-2014 द्वारा विभाग के समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को भी वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में बनवाये गये चेकडैमों का निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से दिये गये थे, जिसके क्रम में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं के माध्यम से 807 चेकडैमों का निरीक्षण/सत्यापन कराये जाने पर पाया गया कि विभिन्न स्थलों पर चेकडैम न बनाये गये हों, ऐसी कोई स्थिति प्रकाश में नहीं आयी, तथापि टी0ए0सी0 जांच में पायी गयी अन्य कमियां यथा प्रक्रियात्मक त्रुटि, निर्माण की अधोमानकता तथा वित्तीय अनियमितता के बिन्दुओं के अन्वेषणार्थ श्री शरद कुमार सिंह, विशेष सचिव, लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को जांच अधिकारी नामित कर जांच प्रारम्भ कर दी गयी है।]

श्री अजय सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, वैसे तो यह केवल वक्तव्य है, लेकिन मैं पिछले छः महीने से इस पर लगा हुआ हूँ। यह प्रदेश का बहुत बड़ा चेकडैम घोटाला है। इसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूँ कि इसकी सघन जांच कराई जाए, टी0ए0सी0 से जांच करायी जाए। यह जनता का धन है, सरकार का धन है, किसी के लूट के लिए नहीं है। इसमें मेरे पास जो वक्तव्य आया है उसमें कर्मचारियों का नाम दिया गया है। इसमें जो लोग सम्मिलित हैं और जिनके संरक्षण में यह हुआ है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए। मैं आपकी तरफ से कह देता हूँ। मा0 सदस्य, अजय सिंह जी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से मिल लेंगे। आपके पास जो पूरा विवरण है वह आप उपलब्ध करा देंगे। इस पर मा0 मंत्री जी जांच कराएंगे। आप जो-जो बिंदु देंगे, जितने बिंदु और साक्ष्य वह सब आपसे ले लेंगे।

जनपद लखनऊ स्थित गुडम्बा थाने के आगे कुर्सी रोड से वार्ड शंकरपुरवा में मायापुरी कालोनी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीलरतन सिंह पटेल ''नीलू'' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

श्री नील रतन सिंह, मा0 सदस्य, विधानसभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दि0 12-03-2018 को निम्न सूचना.....

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मा0 अध्यक्ष जी इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[दी गयी है :-

''निवेदन है कि लखनऊ में स्थित गुडम्बा थाने के आगे कुर्सी रोड से वार्ड-शंकरपुरवा में मायापुरी कालोनी तक की रोड पूर्णतया जर्जर एवं गड्ढों से भर गयी है। उक्त रोड पर क्षेत्रीय नागरिकों को चलना दूभर हो गया है। आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं।

अतः मान्यवर आपसे प्रार्थना है कि उक्त मायापुरी कालोनी से कुर्सी रोड तक मार्ग को बनवाने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

अतः मान्यवर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।''

2-मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग का निरीक्षण कराया गया। कुर्सी रोड से वार्ड शंकरपुरवा प्रथम में मायापुरी कालोनी तक जाने वाले मार्ग की लम्बाई लगभग 1.10 कि0मी0 है। उक्त मार्ग एवं उसकी पुलिया के निर्माण में रु0 45.00 लाख का अनुमानित व्यय सर्वे/निरीक्षण में पाया गया है। परन्तु यह एक अनियोजित क्षेत्र है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है, जिसके विकास का दायित्व नगर निगम, लखनऊ का नहीं है।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में कदौरा फाटक से घमका मोड़ तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

कदौरा फाटक से धमना मोड़ तक कुल लम्बाई 4.60 कि0मी0 है, जो वर्तमान में कच्चा है...

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(पढ़ा हुआ माना गया वक्तव्य संलग्न है)

(लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[मार्ग का लगभग 2 कि0मी0 भाग संरक्षित वन क्षेत्र से आच्छादित है। उक्त मार्ग के संरेखण (एलाइनमेन्ट) में कोई आबादी न होने के कारण मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित नीति के अन्तर्गत नहीं आता है।]

नोट :-[ ] अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मा0 अध्यक्ष जी, क्रम संख्या-45 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप कहां चले गये थे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, मैं यहीं था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसका आज उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और आज यह स्थगित है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

अगर आप कहें तो मेरे पास सूचना है मैं पढ़ देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आगे उत्तर आयेगा तब पढ़ना, रिकॉर्ड में है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर मद संख्या-45 पर आज वक्तव्य नहीं आया है, स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम उठते हैं, दि0 22-03-2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजे दिन के 25 मिनट पर गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 2018 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 20 मार्च, 2018

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 137 विधान सभा (244)-28-11-2018-631 प्रतियां (कम्प्यूटर)।